शोधशौर्यम्

Website : http://shisrrj.com

ISSN : 2581-6306

Peer Reviewed and Refereed International Journal

: Editor-In-Chief :

Dr. Raj Kumar

Impact Factor : 6.154

SHODHSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 4, Issue 3, May-June-2021

Email: editor@shisrrj.com

Publisher Address :

3 & 4, Sterling Plaza,
Indira Circle, 150 Feet Ring Road,
Rajkot-360005, Gujarat, India

शोधशौर्यम्

Shodhshauryam

International Scientific Refereed Research Journal

[Frequency: Bimonthly]

E-ISSN : 2581-6306

Volume 4, Issue 3, May-June-2021

Published By

Technoscience Academy

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	Work-Life-Balance of Working Women on Higher Education Sector Shivani Verma	01-09
2	**नैयायिकानां मते लकारार्थ निरुपणम्** डॉ सुभाषचन्द्रमीणा	10-15
3	**प्राचीनाध्ययनाध्यापनपरम्परायां शिक्षाया: स्वरूपम्** डॉ हरि प्रसाद मीना	16-19
4	**किरातार्जुनीयम् में द्रौपदी के उपदेशों का राजनीतिक महत्त्व** डॉ सुजीत कुमार	20-24
5	**पौराणिक मलय पर्वत** डॉ. आरती यादव	25-32
6	**वैयाकरण न्यायमते धात्वर्थ प्रतिपादनम्** डॉ. सांवरिया लाल शर्मा	33-55
7	**Rivalry in South China Sea** Surya Bhan Prasad	56-61
8	**क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन** डाॅ0 नीता सिंह, रूपम सिंह	62-69
9	**मानवाधिकार संरक्षण: एक परिदृश्य** डॉ अलका चतुर्वेदी	70-76
10	**श्रीभागवतमहापुराण के कपिलोपाख्यान में वर्णित सांख्यदर्शन** दीपक तिवारी	77-83
11	**सुभद्रा कुमारी चैहान के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना** देव अमर सिंह, डाॅ. अनुराग मिश्र	84-90
12	**प्रेमचंद की कहानियों के जीवंत पात्र** डॉ. रमेश कुमार गोहे	91-98

13	Prince Ahmed : Accession, Situations and Challenges : A Critical Study Dr. Refaq Ahmad	99-102
14	**मोक्ष का स्वरूप एवं जैन-दर्शन में उसकी मूल प्रवृत्तियाँ** डाॅ॰ उमा शर्मा	103-108
15	**समाज के चितेरे कथाकार प्रेमचन्द का उत्स संस्कृत साहित्य में** डॉ मधु शर्मा	109-116
16	**आलाप और तान की भूमिका में 'रस' का महत्व** डा० अनिल कुमार शर्मा	117-123
17	**महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानो का विधिक अध्ययन** डाँ स्नप्निल त्रिपाठी, श्रीप्रकाश यादव	124-129
18	**'दौड़' उपन्यास में बदलते सामाजिक संबंधों का चित्रण** पुष्पा यादव	130-135
19	Non-Performing Assets (NPA) and Their Effects on Countries Progress Dr. Angrej Singh, Anshu Chaudhary	136-148
20	**वेदों में प्रतिबिम्बित संगीत** डाॅ0 रोमा अरोरा	149-154
21	**वर्तमान भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता एवं महत्व - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** डॉ सुषमा पाठक	155-160
23	**बृजक्षेत्र के लोक जीवन मंे लोक नाट्य** डॉ रुचि पाण्डेय	161-163
24	Impacts of Digitalization in The Agriculture Sector Ragini Agrawal	164-172

25	**अनिता भारती की कहानियाँ और दलित स्त्री चेतना** कविता पासवान	173-177
26	**मेघदूत में वर्णित मेघ के विविध रूप** राकेश पाल	178-180
27	**संधृत कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग दक्षता का मापन एवं नियोजन (तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का एक भौगोलिक विश्लेषण)** डॉ आर एस चन्देल	181-193
28	**मत्स्येन्द्र शुक्ल की कविताओं में गरीब किसानों का आत्मसंघर्ष** अर्चना शुक्ला	194-197
29	Dayanand Saraswati's Educational Philosophy and Importance of His Thoughts in The Modern Era Dr. Chandra Deo Yadav	198-207
30	**श्रीमद्भागवतपुराणे धर्मस्य स्वरूपम्** आचार्य (डॉ.) बृहस्पतिमिश्रः	208-213
31	**उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का भौगोलिक विश्लेषणः प्रयागराज जनपद के विशेष संदर्भ में** देवेंद्र प्रताप सिंह	214-224
32	**शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभावः एक अध्ययन** सुषमा रानी	225-234
33	**आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज्य की भूमिका : एक समीक्षा** विजय कुमार विश्वकर्मा	235-242
34	**शैक्षिक उपलब्धि एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक : एक सैद्धांतिक अध्ययन** अशोक कुमार किस्कू	243-249
35	Harassment of Women at Workplace : A Study Dr. Maninder Kaur	250-263
36	**खासी लोककथाओं में प्रगतिशीलता के तत्व** सेतु कुमार वर्मा	264-267

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Work-Life-Balance of Working Women on Higher Education Sector

Shivani Verma
Assistant Professor, Mata Sundri College for Women, University of Delhi, Delhi, India

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 01-09

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 May 2021
Published : 04 May 2021

ABSTRACT

Women are having a vital role in their families and at workplaces. In the transitioning society; the traditional roles of women as homemakers and caretakers are deeply entrenched with their social lives. The women have always been given a lower status; as comparative to men. In earlier days, the customs of the society and religious factors are not allowing the women to enter in the jobs market. Now in the modern era, there are lots of changes in women's life. The present life of working women is very challenging. They are facing lots of problems in their personal life and professional life, because they are not able to deliver the required time to their families and organizations. In today's scenario, work-life balance (WLB) has emerged as an important and universal concern for working women. Working women are grabbing their space at par with the men and have become more aspiring and career-oriented. They are ignoring the other aspects of their lives and losing the quality time with: children and family, relaxation time and also time for their hobbies. Their work and office responsibilities demand stretchable working hours, target-based operations and this situation generates undue stress upon them. Sometimes, they have to hire the services of a third person, to take care of their children and ageing parents at home.

Keywords : Modern Era, Work-Life Balance

I. INTRODUCTION

The women working in the Higher Education Sector are witnessing acute stress to balance between workplace and home in these days. Flexible learning with the use of Information Technologies have increased their working hours and most of the time, they remain busy in managing and conducting the classes along with the other job related like: admissions, attendance, fee, exams, record keeping, administrative work etc. This has increased the working hours in the education sector from early morning to late night and impacting the personal lives of the working women, employed in this sector.

"A good WLB (work-life balance) is witnessed, when your work, social and personnel commitment, manageable proportions of your time provides personal fulfilment" Tony Nudd. In the past few decades, a major transformation has found in the profiles of women employees. Families have

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

currently moved from the traditionally male breadwinner role to dual-earner breadwinner role (being couples) with the increased socio-economic responsibilities.

"The work-life balance is a harsh reality for so many women, who are forced every day to maintain the impossible choices. Do they take their kids to the doctor...and risk getting fired? Do they work weekends so they can afford to send their kids to better childcare...even though it means less time with their families? Do they take another shift at work, so they can pay for piano lessons for their kids...even though it means they have to stop volunteering for the PTA? It just shouldn't be this difficult to raise healthy families." - Michelle Obama.

The main aim of the work-life balance is to learn about: when, where and how to work. This can be obtained, when a working woman is satisfied with her personal and professional life.

Women in the pre-centuries were restricted to their homes and a very few were allowed to work in the factories/business/farm sectors/petty shops. Rarely some women were permitted to get higher education and permission to this was fully depending upon the permission of their parents/guardians.

With the rapid growth in the economy, the women have secured more space for themselves to acquire higher knowledge, learning and jobs. Women are almost entering into every field of industry/sectors. This situation has created a major challenge for working women, to fulfil the enhanced role and responsibilities towards their homes; children, parents, husband, relatives, social society and office with full satisfaction altogether.

Sometimes, she has to take care of her extended family member and as a result, she encounters significant stress to maintain a balance between her career and family life. Hence, working women are required to deal with various activities and extended responsibilities simultaneously in their lives to maintain a balance between personal and professional lives. With the increased workload, they have to encounter a significant pressure and strain upon their health also.

Working women have to discharge various roles and responsibilities throughout their life. When they are unable to balance between professional and personal life; conflict takes place. Hence, it is a need of the situation of the working women to maintain a balance between professional and personal life.

Significance of WLB (Work-Life Balance) to women

In these days, women are working and discharging shoulder to shoulder with the men to increase their socio-economic status. Women have obtained good education, knowledge & experience and significantly contributing to uplift their family and status. During the study, it has been found that women are more stressed in comparison to men, as they have to work from early of the morning to late night to meet the daily needs of family members with the increased workload, role and responsibilities.

Hence, there is a dire need to make a balance between professional and personal life. Working women have to contribute their life such a way that they get satisfaction in discharging various roles of their lives. This will be a win-win situation, where

the both employer and employee are satisfied with their role and responsibilities.

II. Literature Review

[Monika Jindal, (2016)] has found that" working women having higher salaries are maintaining their work-life much better as compared to working women with lower salaries, as with higher income the working women can support their domestic life with ease without stress in the house".

[Mayesha Tasnim, Muhammed Zakir Hossain, Fabiha Enam, (2017)] has explained "the truth of the balance maintained in work lives of working women in the various private companies of Bangladesh. This study revealed that the work-life balance depends on the circumstances of the concerned women workers facing long working hours, work overload and inadequate behaviour of the management".

[Mansi Tiwari, (2017)] has explored "the exact scenario of the work-life balance of working women in private institutions. Both primary and secondary data was used and the study was confined to private institutions in Gwalior. It was inferred that private institutions demand higher expectations at work. As of now, teaching jobs do not offer beneficial policies for working women which should be taken as prime consideration to encourage the participation of more and more women in the education sector".

[Sumathi and R. Velmurugan, (2018)] has conducted an analytical study "the factors affecting the balance of work-life in women faculty of Arts & Science Colleges in Coimbatore, Tamil Nadu, India. The study concluded that women staff members work over-time and take the remaining work at home to complete the assigned work in the given deadlines. It has also been found that higher salary may not be the reason for better work-life balance".
Richard Welford (2008) findings on work balance proved that "there is an alarmingly high pressure on the working women, which are not only causing their health; but also putting a stress on the mind and body of the working women". "Work-life-balance is an essential part of Corporate Social Responsibility". Organizations must realize that an inadequate work-life-balance puts a harmful impact on 'staff performance', 'satisfaction' and 'retention'. The provisions and means offered may fluctuate from organizations to organizations and professions.

Minitha V Raj and A Mahalakshmi (2015) have concluded in their research that "the stress appears to play a negative role on women's lives and work overload is a major source of the stress experienced". This study has revealed that the stress on women employees is based on the different role-based stress; caused due to unclear responsibilities, task-based stress, policy-based stress, work overload based stress, high and self-expectation based stress.

III. Research Gap

Women are having a vital role in their families and at workplaces. In the traditional role of women as homemakers and caretakers are deeply entrenched with their social lives. Now in the modern era, there are lots of changes in women's lives and the present life of working women is very challenging. Working women are grabbing their space at par with the men and have become more aspiring and career-oriented. Working women are ignoring the other aspects of their lives; and losing the quality time with their children and families, relaxation

time and also time for their hobbies. Working women are more stressed in comparison to men, as they have to work from early of the morning to late night to meet out the daily needs of family members with office responsibilities.

Hence, there is a dire need to study the gaps between the professional and personal life of Working women so that they may able contribute their life in such a way that they get complete satisfaction while discharging various roles of their lives.

IV. Objective and Methodology of the Study

The main objective of the study is to examine the various factors affecting "Work-Life-Balance" of working women in higher education sector. This aim of the study was to find out the satisfaction level of the working women in respect to their professional and personal lives. So there was a need to study both the sectors systematically for research. During the study, it has been found that the balance between professional and personal life is significantly important to obtain family satisfaction and work satisfaction. The study has disclosed that working women are facing more stress due to long working hours, travelling time, increased office workload, family responsibilities etc. They found themselves more stressful, anxious and pressurized and even cannot find sufficient time for their personal care and household works.

Present work is a study on "Work-Life-Balance of Working Women on Higher Education". This research describes how the women of Higher Education balance their life while working. In this study, a stratified random sampling technique was used for primary data collection. The data was collected through an approved/valid questionnaire using Google form. Primary data involve a well-constructed and self-developed tool for the measure of work-life-balance of working women. Advanced decisions were made when formulating objectives, designing method, selecting the sample for data collection. At last, data analysis and reporting were planned with expertise's approval and data analysis was done using the SPSS-22, ANOVA and t-test.

In this study, the data was collected from the primary source. Primary sources involve a well-constructed and self-developed tool for the measurement of the Work-Life-Balance of working women in Higher Education sectors. 50 women's from Higher Education sector were selected randomly from the Delhi NCT region. The samples were drawn from the population of the working women of Higher Education Sectors of the following characteristics:

i) Demographic: age, status, income, experience etc.
ii) Nature of Organizations: PSU, Private, Government organizations

A questionnaire has been designed having multiple-choice questions and short statements based on five-point Liker Scale. The 'contents validity' has been used to validate the concept.

V. Women Work-Life Balance (WLB) in the Higher Education Sector

In these days, the women working in the Higher Education Sector are witnessing acute stress to balance between workplace and home. Flexible learning has increased their working hours and most of the time, they remain busy in managing and conducting the classes besides the other

responsibilities related to administrative work, admissions, attendance, fee, exams, record keeping etc. This has increased the working hours in the education sector from early morning to late night and impacting the personal life of the working women, employed in this sector.

Working women are ignoring the other aspects of their lives; and losing the quality time with children and families, relaxation time and also time for their hobbies. Working women are more stressed in comparison to men, as they have to work from early of the morning to late night to meet out the daily needs of family members with office responsibilities,

According to Cinamon, Rich & Westman (2007), has found that "the women working in Higher Education, work for long hours and face different job stress, such as large class sizes, student misbehavior, parent management, lecture preparation, attendance management, award management, reporting formats, misc. administrative work etc.

Lakshmi S and Kumar S (2011), "Women working in Higher Education in these days are facing the continuous full-time work till the end/close of the day; especially in the private educational institutions; and most of them carry the office responsibilities and commitments to home".

According to the Department for Education and Employment, (2000), "Work-Life Balance, is not just about the women managing between home and family. That is also about to adjust the working patterns, so that everyone, regardless of age, race or gender, can find a rhythm to combine work with their other responsibilities or aspirations. It is very important to find the true meaning of Work-Life Balance".

Indian women from all the socio-economic classes; have entered into paid work occupations due to rise in the education level of women. As per 'Olson-Buchanan and Boswell, 2006' study "it is very important to understand that how individuals divide or segment their work and life roles, including the degree to which individuals perceive intrusion of one role into the other by way of technology and job description".

Factors Influencing the (WLB) Work-Life Balance:

1. Work-family conflict (WFC) and Family work conflict (FWC)
2. Profession development
3. Work pressure
4. Role of women

1. Work-Family-Conflict (WFC) and Family-Work-Conflict (FWC): The conflicts between the WFC and FWC occurs, when the working women engaged themselves more in one field either in Profession or in Family. When the work is more empowered and time-consuming then Family suffers and FWC occurs or when the Family is more empowered and Work suffers then WFC occurs.

2. Profession Development: Professional development means, all-round career development of the working women comprising their growth, performance, promotion avenues, job assignments, working hours and environment, HR Policies etc.

3. Work Pressure: Working women find themselves in work pressure due to long working hours, travelling time, job responsibilities, career advancements along with family responsibilities towards their children, husband, in-laws for daily

needs. This regular working stress leads to more stress and health problems upon working women.

4. Role of Women: Working women has to play different roles in different situations at the workplace and home simultaneously. At the workplace, they are discharging the role a professional in the capacity of a boss, colleague or subordinate with the aim to achieve maximum career growth and at home as a wife, mother and daughter-in-law for family responsibilities.

Components of Work-Life Balance

Time-balance refers to equivalent time being provided to both 'work and family' roles. Involvement-balance refers to equivalent levels of 'psychological involvement' in both 'work and family' roles. Lastly, satisfaction-balance refers to both 'work and family' role that has to be managed in proper excellence. It pays an indispensable role in paying a good effort to the women employees. In Today's fast-paced workplace in Higher Education Sector, most of the women are the urge to do more, faster and with fewer resources. Women are expected to be exemplary in profession and parents with a fulfilling personal life.

Long working hours

In the current scenario, workplaces are transforming themselves into target-oriented scenarios. In most of the Institutions, they have to work for long working hours beyond the 8 hours of the day. In the beginning, a few years back, the working women were not allowed to work in the Institution beyond 4.00 PM. But these days with the rapid growth of education sector, the women are allowed to work up to 6.00 P.M in a day. The educational institute hasset a daily work target for its employees, with a result most of the employees have to work in late hours to complete their given work.

Travelling Time

Even though in these days, women are very strong in their psychological and physical attitude, but everyone will feel tired and weak, if travelling time is increased to reach their offices. Most of the institutions are situated in Gurgaon, Delhi, Noida and Faridabad. The women residing in one city have to travel in the cross districts for their jobs. Normally for day shift, they have to start at 6.30 AM and after the close of the shift, they come back to their homes around 8.30 PM. Almost 5 hours a day, they have to travel for their jobs. This puts an adverse impact on the health of working women.

VI. Findings

Based on age, majority of respondents (49.0 %) were of age less than equal to 25 years, 32.3 % of respondents were of 25-35 years and only 13.7% respondents were of age more than equal to 35 years. 83.0 % of respondents are "married" and 17.0 % of respondents are "single".

Based on the nature of organization 100 % each of respondents are working in higher education sector. Based on designation, in the higher education sector, 30.67 % respondents are professor, 25.33 % respondents are supporting staff, 24.67 % respondents are the assistant professor and 19.33 % respondents are technical staff.

According to income, majority of respondents i.e. 32.7 % having income between Rs20000 to Rs30000, 33.3% respondents having income between Rs30000 to Rs50000, 20% respondents are having income

between Rs50000 to Rs70000. Only 14% respondents are having income above Rs70000.

On the basis experience, the majority of respondents (22.7 %) were having 5 to 6 years, 29.0 % respondents having 6-7 years, 46.7 % respondents having 8-10 years' experience. 1.7 % respondents were having experience of above 10 years.

The primary data was obtained from the respondents are converted to numerical data and then the data are fitted with statistical tools to get the desired results. The percentages of their levels of agreement were discussed.

1. It is certain that majority of respondents i.e. 37.0 % always work more than 12 hours in a day, 20.7 % respondents often normally work more than 12 hours in a day, 19.3 % respondents at times work more than 12 hours in a day, 15.7 % respondents rarely normally work more than 12 hours in a day, 7.3 % respondents never normally work more than 12 hours in a day.
2. Further, majority of respondents (50.0 %) not able to balance their work-life, 18.0 % respondents often not able to balance their work-life, 15.7 % respondents sometimes not able to balance their work-life, 11.3 % respondents rarely not able to balance their work-life and 4.7 % respondents never balance their work life.
3. It is ascertained that the majority of respondents (53.3 %) always worry about their work, 20.3 % respondents often worry about their work, 11.7 % respondents sometimes worry about their work, 9.3 % respondents rarely worry about their work, and 5.3 % respondents never worry about their work.
4. It is ascertained that the majority of respondents (56.7 %) always unable to spend enough time with their family, 18% respondents often unable to spend enough time with their family, 13.3 % respondents sometimes unable to spend enough time with their family, 9.7 % respondents rarely unable to spend enough time with their family, 2.3 % respondents never unable to spend enough time with their family.
5. It is ascertained that the majority of respondents (52.7 %) always miss quality time with their family or friends because of pressure of work, 19.0 % respondents often miss quality time with their family or friends because of the pressure of work, 14.0 % respondents sometimes miss quality time with their family or friends because of pressure of work, 11.7 % respondents rarely miss quality time with their family or friends because of pressure of work, 2.7 % respondents never miss quality time with their family or friends because of the pressure of work.
6. It is certain that majority of respondents (57.0 %) respondents always feel tired or depressed because of work, 16.7 % respondents often feel tired or depressed because of work, 10.7 % respondents sometimes feel tired or depressed because of work, 9.7 % respondents rarely normally feel tired or depressed because of work, 6.0 % respondents never feel tired or depressed because of work.
7. It is certain that majority of respondents (37.0 %) strongly agree flexible working hours is important to be included in the policy, 20.7 % respondents agree that flexible working hours important to be included in the policy, 19.3 %

respondents are neutral about it, 15.7 % respondents disagree that flexible working hours important to be included in the policy and 7.3 % respondents strongly disagree that flexible working hours important to be included in the policy.

8. It is ascertained that 66.3 % respondents, WLB policy in the organization should be "customized" to individual needs while 33.7 %respondents do not think so.
9. It is observed that majority of respondents (38.3 %) normally work in a week, 31.0 % respondents work 5 days normally in a week,11.7 % respondents work 6 days normally in a week and 10.0 % respondents work less than 5 days in a week.
10. It is observed that majority of respondents i.e. 34.7 % work more than 12 hours normally in a day,21.0 % respondents work 8 to 9 hours normally in a day, 20.0 % respondents work 9 to 10 hours normally in a day, 16.3 % respondents work 10 to12 hours normally in a day, 8.0 % respondents work 7 to 8 hours normally in a day.
11. It is observed that 56.7 % respondents manage their work stress from yoga, 18.0 respondents use meditation, 13.3 % respondents use entertainment, 9.7 % respondents use dance for managing stress arising from work, and 2.3 % respondents use music to manage stress arising from work.

VII. Conclusion

This study has been piloted to quantify the WLB of working women in Higher Education sector in the current era to identify that how many women are satisfied from their work and able to maintain the effective relationship between personal and professional lives.

The sample survey has revealed that the women working in the Higher Education Sector are facing too many conflicts in discharging their personal and professional responsibilities and causing their health issues by generating acute stress and anxiety and even they do not found time for their relaxation and take care of their health issues.

It is found that flexible learning has increased the working hours for the women, working in the Higher Education sector. Most of the time, they remain busy in preparing their lectures, managing/conducting the classes along with the other responsibilities related to administrative work, admissions, attendance, fee, exams, record keeping etc. This has drastically increased the working hours in the education sector. Women working in this sector have to work from early morning to late night in a very hattrick and time-bound manner and this is impacting the personal lives of the working women. This study concluded that "work-life balance" is highly significant and needs a balance between the family and work with satisfaction without any psychological distress. The study showed that major conflicts occur between 'professional and personal lives' of married working women due to the factors: long working hours, increased work pressure, target-oriented work, career aspects, travelling time, child care, old parents care and fulfillment of the routine day to day domestic responsibilities.

VIII. Limitations of the Study

1. Since the subjects of the study across occupations were drawn from Higher Education sector, organizational factors like

culture, climate etc and its effect on work-life balance and thereof have not been considered.

2. The limitation of using self-reports could have resulted in an inflated score on psychological wellbeing, work-life balance and family life satisfaction.

IX. REFERENCES

[1]. Konrad andMangel (2000), “The Impact of Work-Life Programs On Firm Productivity”, Strategic Management Journal 21(12):1225 – 1237.

[2]. Allen, T. D., Herst, D., Bruck, C. S., & Sutton, M. (2000). Consequences Associated With Work To Family Conflict: A Review And Agenda For Future Research. Journal of Occupational Health and Psychology, 5, 278–308.

[3]. David Guest, (2001), “Perspectives on the Study Of Work-Life Balance”, In Journal Social Science Information 41(2):255-279.

[4]. Burke, R. J. (2002), Organizational Values, Job Experiences and Satisfaction Among Managerial And Professional Women And Men: Advantage Men? Women In Management Review, Vol.17, 5.

[5]. Parasuraman And Greenhaus (2002), “Toward Reducing Some Critical Gaps In Work - Family Research”, In Human Resource Management Review 12(3):299-312 ·

[6]. Batt AndValcour (2002), “Work-Life Integration: Challenges And Organizational Responses”, Available At: Https://Www.Researchgate.Net/Publication/37149210_WorkLife_Integration_Challenges_And_Organizational_Responses

[7]. Drew, E., &Murtagh, E. M. (2005). Work/Life Balance: Senior Management Champions or Laggards? Women in Management Review, 20(4), 262-278.

[8]. Barbara Pocock (2003), “Work-Life ‘Balance’ In Australia: Limited Progress, Dim Prospects”, Available At: Https://Doi.Org/10.1177/1038411105055058

[9]. Judy De Villiers And Elizekotze (2003), “Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry”, SA Journal Of Human Resource Management , Vol 1, No 3, A27, DOI: Https://Doi.Org/10.4102/Sajhrm .V1i3.27

Cite this article as :

Shivani Verma, "Work-Life-Balance of Working Women on Higher Education Sector", Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (SHISRRJ), ISSN : 2581-6306, Volume 4 Issue 3, pp. 01-09, May-June 2021. URL : http://shisrrj.com/SHISRRJ2143

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

नैयायिकानां मते लकारार्थ निरुपणम्

डॉ. सुभाषचन्द्रमीणा
सहायकाचार्यः (व्याकरण विभागे),
केन्द्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालय,
क. जे. सोमैया परिसर,
विद्याविहार, मुम्बई, भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 10-15
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 25 May 2021
Published : 02 June 2021

सारांशः–स्वर्गकामो यजेत इति आदि प्रवर्त्तना विषया यागकरणिका स्वर्गकर्मिका भाव न इति बोधस्य परैरम्युपगमात् प्रवर्त्तना विषयत्वम् अत्रा ज्ञानात् । प्रवृत्ति अनुपपत्तेक रावश्यकस्वर्गसाधनत्वात्–आदिज्ञानात् एव तत्र प्रवृत्तेः । अयं भावः – सद्योजातस्य शिशोरिदं ज्ञानं न भवति–''अयं मां दुग्धपाने प्रर्वतयति इति'' एवञ्च प्रवर्तना ज्ञानाभावे प्रवृत्तिः न स्यात्, किन्तु दृश्यते च प्रवृत्तिस्तेषामपि । एवं तिरश्चामपि लिङ्गादिश्रवणं तज्ज्ञानं च दुर्लभम् । अतः इष्ट साधनताज्ञानं प्रवृत्तौ कारणं मन्तव्यम् ।

मुख्यशब्द :– नैयायिकानाम्, लकारार्थ, ज्ञानात्,विषया, वाचकः, सिद्धान्तः।

प्रस्तावना

लकारसामान्यार्थे निरुपिते तद्विषयक जिज्ञासानिवृत्तावचरयवक्तव्यत्व ज्ञानाद्विशेषार्थनिरुपणेऽवसरस्य सघ्गतित्वं सूचयन्नाह–प्रत्येकमिति । तार्किकै स्थानिनः एव वा न तु आदेशाः लाघवात् इति प्रतिपादितस्य सिद्धान्तस्य खण्डनपुरस्सरं लोके अर्थविषयकबोधजनकः एव वाचकः तादृशवाचकत्वं तु उच्चारितशब्दस्यैव इति रीत्या आदेशानाम् (उच्चारितानाम्) वाचकत्वं प्रतिपादयन् नागेशः कर्त्तृवाच्यकर्म्मवाच्ययोः व्यापारपफलप्राधान्यनिदर्शकं शाब्दबोधं प्रदर्शयति ।

यद्यपि लकाराणामेवार्थनिरुपणं ताकिकैः कृतम्, तथापि उच्चारित एव शब्दोऽर्थ प्रत्यायको नानुच्चारित इति भाष्याल्लोके तथैवानुभवाच्च तदादेशतिङामर्थो निप्यते ।

वर्तमाने परोऽक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति ।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया तडादयः ।।वै.भू.।।[1]

लडादयष्टितः षट् क्रमेणेषु अर्थेषु दृष्टव्याः । तथाहि–वर्तमानेऽर्थे लट्, 'वर्तमाने लट्' (पा.सू. 3/2/123)[2] इत्यादि विधयक सूत्रेण लड्लकार स्यात् । तत्र संख्याविशेष–कालविशे–कारकविशेष भावालादेशमात्रस्यार्थाः । तथाहि–लडादेशस्य वर्तमानकालः, शबादिसमभिव्याहारे कर्ता, यक्चिण् समभिव्याहारे भाषकर्म्मणी, उभयसमभिव्याहारे एकत्वादिसंख्या चार्थः । उक्तं च

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

फलव्यापास्योस्तज पफलोतघ्यविचणादयः
व्यापारे शपृश्नमाद्यास्तुद्योतयन्त्याश्रयान्वयम् ।।वै.भू.।।[3]

फलव्यापारयोरिति । मध्ये इति शेषः । धातुः उपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोर्मध्ये तङादयः फले आख्यातार्थश्रयान्वयं द्योतयन्ति शबादयश्च व्यापारे आश्रयान्वयंव्यञ्जनया बोध्यन्ति तिङ्र्थकारके । विशेषमिति । समानप्रत्ययोपात्तत्वादिति भावः । दीक्षितादिमते कत्र्र्थकतिङ्समभिव्याहारे तिङ्र्थसंख्या कर्तरि विशेषणम्, कर्मार्थकाख्यातसमभिव्याहारे च कर्मणि विशेषणमिति निष्कर्षः ।

नैयायिकानां मते सङ्क्षेपात् लकाराणामर्थो निरुप्यते लट् लिट्, लुट्, लृट्, लोट, लङ्, लुङ्, लृङ् एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रागोचरः ।।[4]

तत्रा लडादि लृङन्ता दश लकाराः । तत्र लकारस्य अर्थः कर्ता, कालः, संख्या चेति त्रयाः । तत्र कर्ता इति पातञ्जलाः ।

''लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेम्यः'' (पा. सू. 3–4–69)[5] अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भावे कर्तरि च सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि लः भवन्ति । अर्थात् इति सूत्रो चकारेण कर्तुः परामर्शात् । कर्तृ स्थाने व्यापार इति मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति । यत्न इत्यस्य कर्तृस्थाने भाव इति नैयायिकाः, अर्थात् वैयाकरणा आख्यातस्य कर्तृस्थाने भाव इति नैयायिकाः, अर्थात् वैयाकरणा आख्यातस्य कर्तृअर्थकत्वं स्वीकुर्वन्ति, भट्टानुयायिनो मीमांसकास्तस्य कर्तृअर्थ व्यापारार्थकत्वं स्वीकुर्वन्ति । नैयायिकाश्च यत्नार्थकत्वं उरीकुर्वन्तीति निष्कर्षः । व्यापार ताद्यपेक्षया लाघवेन यत्नत्वस्यैव शक्यतावच्छेदकत्वात् । कृतौ शक्तौ व्यवस्थापितायां तिप्त्वादिकं न शक्ततावच्छेदकम् गौरवात्, किन्तु सर्वलकारसाधारणं तत्वमेव, तच्च जातिरुपमित्याशयेन । भवति इत्यादौ चादेशेनादेशिनो लस्यैव स्मरणादन्वयधी, अर्थात् स्थानितः शाब्दबोध इतिभावः । नैयायिकाः स्थानिभूत लकारेषु एव शक्तिं स्वीकुर्वन्ति, आदेशेषु च तां स्मृत्वार्थबोधम् उपपादयन्ति इति बोध्यम् । नैयायिकैः स्थानेषु एव शक्ति स्वीकारात् इति भावः ।

''चैत्रो गन्ता गतो ग्रामः''[6] इत्यादौ

समानाधिकरण्यानुरेधेन यथा यथं कर्तृर्मणी कृत वाच्ये । न चैवं ''लट्ःशदृशानचौं'' (पा.सू.3–12–124)[7] इति अनेन शदृशानश्च आदेत्वात कथं कर्तरि शक्तिः, आदेशिशक्त्या निर्वाह एव आदेशशक्तियकल्पनात् । चैत्रः 'पचति' इत्यादौ सामानाधिकरण्यानुरोघादादेशिश– क्त्याऽनिर्वाहाद् अत्रादेशेऽपि शक्तिः ।

नैयायिकमते विशेषतां दर्शयति – इयानिति । आत्मनेपद प्रत्ययस्थले लत्वेन यत्नस्यबोधः, आत्मनेपदत्वेन फलस्य बोधः । गमनजन्येति । अत्र गमनपदे संयोगारव्य फलजनको व्यापारो विवक्षितः फलपदेन च संयोगरुपं फलमिति बोध्यम् । विशेष्यविशेषण भाव इति ।

'गामंगच्छति मैत्र'[8] इत्यत्र तु ग्रामवृत्ति फलजनक गमनानुकूलकृति मान्मैत्र इति बोधः। फलं च द्वितीयार्थः । जनकत्वं संसर्गः । ग्रामश्चात्रा फलेविशेषणम्, तद् गमने, तच्च कृतौ, सा मैत्रे इति विशेष्य विशेषण भाव भेदेनैव कर्मकर्तृस्थलीय बोधयोर्विशेषः । मैत्रेण ज्ञायते, इष्यते, क्रियते घट इत्यादौ तु वृत्तिस्तृतीयाया, विषयता त्वाख्यातस्यार्थः । मैत्रवृत्ति ज्ञान विषयो घट इति बोध । घटं जानाति मैत्र इत्यादि तु विषयता द्वितीयायाः आश्रयत्वं चाख्यातस्यार्थः । घट विषयक ज्ञानाश्रयो मैत्र इति बोधः ।

नैयायिकमतानुसारं कालश्चातीतर्क्तमानानागतात्मा यथायथं लडादेरर्थः । लटः भवति इत्यादौ वर्तमानत्वं, लङ्लुङ्लिटाम् अभवत् अभूत् बभूव इति आदौ भूतकालः लुड्लृटोर्भविता भविष्यति इति आदौ भविष्यत्कालः । लिङ्लोङ् लेटां भवेत् भवतु (आग्नेयोष्टाकपासो भवति इति आदौ विधिः ।)

लेटस्तु छन्दस्येव प्रयोगः ।[9] तत्र दीर्घत्वमपि विकल्पेन, भवति भवाति इति दर्शनात् । तत्र व्यापारादि बोधकेन लटा वर्तमानत्वं व्यापारादावेव बोध्यते । पचति इत्यत्र वर्तमान पाकानुकूल व्यापारवान् इति बोधात् । एवमन्यत्रापि ।

व्यापारबोधकज्ञाधात्वादिसमभिव्याहृताख्यात जन्मवर्त्तमानत्वप्रकारकबोधे तु तादृशधातुजन्योपस्थितिः हेतुः । कार्यताकारणतावच्छेदिका च प्रत्यासत्त्या विषयतैपेति नाति प्रसंगः । जानाति इच्छति, यतते इत्यादौ वर्तमानत्वाश्रयज्ञानाश्रयत्वादि बोधस्य– वानुभविकल्वात् ।

तत्र लटा शक्त्या वर्त्तमानत्वं लक्षणयाऽऽक्षयत्वं बोध्यत इति विशेषः । लटा स्वाधिकरणकाल उपाधिस्पन्द एव वर्त्तमानः प्रति अय्यते । वर्त्तमानसमीप्ये विहितेन तु स्वाधिकरण समीपवर्त्ती तादृशकालः । तत्र अपि शक्तिः लक्षणा वेति अन्यत् एवत् ।

आख्यातोपस्थितयोः कृतिवर्तमान्वयो कथं मिथोऽन्वयः, यतोहि जन्यशाब्दबोधे पदान्तरजन्योउपस्थिति हेतुत्वात् । कार्यतावच्छेदिका च प्रत्यासत्तिः प्रकारता । कारणतावत् छेदिका च विशेष्यतेति । अन्यथा हरिपदार्थयोः, दण्डेन इति आदौ च करणत्व एकत्वयोर्मिथोऽन्वयापत्तेः मैवम् ।

घटो नश्यति इति आदौ वर्त्तमानः उत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च लडर्थः । आद्यं नाशे प्रकारः द्वितीयं घटे प्रकारः । वर्त्तमान उत्पत्तिक नाशप्रातियोगी घट इति बोधस्य अनुभविकत्वात् । अत्र च वृत्तिद्वयस्य युगपद्बोध्कत्वं सर्वेरेष्वितव्यम् । धात्वर्थस्य नाशस्य घटे प्रतिपदिकार्थे साक्षात् अन्वय असम्भवात् । न च प्रतियोगित्वं एव अर्थो अस्तित्व इति वाच्यम्। चिरनष्टेऽपि नश्यति इति प्रसंगात् ।

एतेन अत्र वर्तमानत्वात् नश्यति इति प्रयोगापति इति भावः । केचित् अत्र लत्वमेव प्रतियोगित्वस्य वृत्तिवच्छेदकं तटत्वं तु तादृश उत्पत्तिकत्वस्य । एवञ्च प्रतियोगित्वे लस्य लक्षणा, वर्त्तमानोत्पत्तिकत्वे तटः शक्तिः इति । ननु युगपद्वृत्ति द्वय विरोध अत आह एकधर्मेति । भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्नस्य वृत्तिद्दस्य युगपदबोधे न किमपि बाधकमिति ।

तिङन्तेन क्रियाविशेष्यको बोध इति वैयाकरणाः भाट्टाश्च । वैयाकरणमते घात्वार्थः व्यापारेव ।[10] चैत्रः तण्डल पचति[11] इत्यादि । मीमांसकमते क्रिया प्रत्ययार्थः । चैत्रीयपाककरणिव । तण्डुलकर्मिका भावनेति बोधः । वैयाकरणमते विशेष्यक एव बोधः । आदेन कर्मक पाकानुकूलकृतिमांश्चेत्रा इति बोध इति नैयापिकाः । मीमांसका मते कर्मकरणत्वादे क्रियायामेव सर्वमतेऽन्वयः ।

लङ्स्तु अर्थः घ्योऽनद्यकालः । लुङ्स्तु अर्थः भूतसामान्यम् । भूतत्वं च वर्तमानध्वंस प्रतियोगी उत्पत्तिकत्वंम्, न तु तादृश प्रतियोगित्वमेव लिटस्तु अर्थः भूतकाल इव परोक्षत्वम् । यतोहि अहंचकार इत्यादि प्रयोगादर्शनात् ।

न तु चैवं ''णलुत्तमो वा'' (पा.सू.7/1/91)[12] इति ज्ञापकात् उत्तमपुरुषस्तत्र स्यात इति वाच्यम् । अयं भावः उपर्युक्तसूत्रः उत्तमपुरुषे णल् स्थाने विकल्पेन णिति । यदि परोक्षता कारणेन उत्तमपुरुषस्य प्रयोग असम्भव चेत णिति निरर्थका तथा च ज्ञापकात् यत् उत्तमपुरुषे अपि लिट रुपात् ।

यथा–'सुप्तोऽहं किल विललाप' 'मत्तोऽहं कित विचचार'[13] इति आदौ चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यं उपपाद्य तत्र सूत्रास्य सार्थस्य सम्भवात् । तत्रा परोक्षत्वेन पारोक्षी सादृश्ये तात्पर्यम् । 'चक्रेसुबन्धुः' इति अत्र तु लिट्प्रयोगो नास्ति, अपितु तिङ्न्तप्रतिरुपको निपातः ।

लुट् लृटोस्तु अर्थे भविष्यकालः । भविष्यत्वं वर्तमानप्रागभाव प्रतियोगी उत्पत्तिकत्वम्। उत्पत्तौ च देश विशेषः कालविशेष च अधिकरणत्वं रूपेण अन्वेति । यथा–'गृहे घटो भविता'[14] 'गृहे अय घटो भविष्यति' इत्यादौ धातुनोत्पत्ति प्रत्याय्यते, वर्तमानप्रागभाव प्रतियोगित्वम् आश्रयत्वं च प्रत्ययेन । यतोहि गृहाधिकरण– वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी उत्पत्ति आश्रयः घटः । अद्यतन प्रागभाव प्रतियोगी उत्पत्ति आश्रयः घट इति अन्वय बोधत् । वर्तमानप्रागभाव प्रतियोगित्वंमात्रास्य लुटादि अयं भविष्यति । श्वो गृहे समुत्पद्य परश्र्वेः प्रांगणं गमिश्यति मैत्रे परश्वः प्रांगणे मैत्रो भविष्यति इति प्रसंगः ।

वर्तमानलिकोः य भाविनीक्रियाया अभावः, तत्प्रतियोगिनी उत्पत्तिर्यस्य सः तत्त्वम् । श्वोभावि नाशके इति । श्वो भावी नाशः यस्य स बहुव्रीहो कय्–श्वो भावि नाशकः, तस्मिनित्यर्थः ।

केचित् तु देशविशेषः कालविशेषः च भाविनीक्रियाया अभावः प्रतियोगिनी अन्वेति । परश्वः प्रांगणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य परश्वोवृतिः प्राङ्गणवृत्तियः प्रागभावः तत्प्रतियोग्य उत्पत्त्याश्रयः प्रांगणवृत्तिर्यः मैत्र इति बोधः । तेन न उक्तातिप्रसंगः । एतेन श्वोमाविनि घटे अद्य भविष्यति इति प्रसंगे निरस्त इति आहूः ।[15]

नंक्षयति इति आदौ वर्तमान प्राग भावप्रतियोगी उत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च प्रत्ययार्थः। श्वो घटो नक्षत्रयति इति आदौ श्वः वृत्तिः वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिनीः उत्पत्तिः तदाश्रयनाशप्रतियोगी घटः इति अन्वयः बोधः । यतु अत्र वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं एव प्रत्ययार्थ इति, तन्न । श्वोभविनाशके घटः नंक्ष्यतीति प्रसंगात् ।

पक्ष्यतीति[16] आदौ आद्यपाकव्यक्तिप्रागभावगर्भमेव भविष्यत्त्वम्, पक्ववानिति आदौ चरम पाकव्यक्ति ध्वंसगर्भमेव भूतत्वं भासते । ततः समभिव्याहारस्य तादृशबोधे हेतुत्वात् तेन पाकमध्ये कस्याश्रित् पाकव्यक्तेरनुत्यादेऽपिक कस्यश्चित्दतोतत्वेऽपि न पक्ष्यति पक्ववानि नित्यादिप्रयोगः ।

अयं भावः यथा यत्किश्चिद् व्यापारे प्रारध्वे यत्कश्चिद् व्यापारेऽवशिष्टे सत्यपि पचति इति प्रयोगः भवति तथैव कस्याश्चिद् पाकव्यक्तेरनुत्पादे 'पक्ष्यति' इति कस्याश्चिद् इतित्वे च पक्ववानित्यादि प्रयोगापत्तिः । एतद्वारणाय च तत्तत् क्रियासमभिव्याहारस्यैव तादृशबोधे हेतुत्वं बोध्यम् । एवञ्च आद्यपाकप्रागभावबोधे पच् धातुः उत्तरस्य पदसममिव्याहारज्ञानस्य चरमपाक प्रध्वंसाभावबोधे च तद् धातुउत्तरक्तक्तवत्वादि समभिव्याहारज्ञानस्य कारणस्य कल्पनान्न दोष इति ।

लिङ्लकारस्यार्थः विधिराशीशः । यजेत इत्यादिना विधिः लिङ्लकारस्ति । भूयात् इत्यादिना आशीस्तु । सा च आशीः–शुभाशंसनं, तद् हाच्छति यावत् । लोटस्तु विधिः अनुभतिर्वा । यथा–'गच्छतु' इत्यत्रा अनुमति विषय गमनानुकूल कृतिमानिति बोधस्यानुभविकत्वात् ।

विधिः प्रवर्तन् इति मीमांसकाः ।[17] लिंगनिष्ठो व्यापारः पदार्थान्तरम्, लिङ्गपदज्ञानमेव वा । तस्य प्रवर्त्तनात्वेन ज्ञानं शब्दाः अधीनप्रवृत्तौ कारणम् । लिङ्गश्रवणे आचार्यो मां प्रवर्तयति इति ज्ञानाद गवानयनादौ प्रवृत्तेः । आचार्य निष्ठा प्रवर्त्तनात्वभिप्राय– विशेष एव इति आहः । अयं भावः

शुभविषयिणीच्छा मीमांसकादिमते । लिङ्गनिष्ठ अत्र वेदापेक्षया इदम्। वेदस्यापौरुषेयत्वेन तत्र आचार्यभावात् शब्दनिष्ठैव प्रवर्तना । ननु शब्दनिष्ठः प्रवर्तनापरपर्यायः कः असौ व्यापार इत्यत आहपदार्थात्तरमिति । आर्थी भावनारुपप्रसिद्धव्यापार विलक्षणम् इत्यर्थः, विलक्षण्यञ्च शब्दनिष्ठत्वात् । ननु अप्रसिद्धस्य विलक्षणव्यापारस्य कल्पने गौरवम्, लोके आचार्यविनिष्ठा प्रवर्तन इति अननुगमश्चेति इति आह–लिङ्गपदज्ञानमेव प्रवृत्तिहेतुत्वेनेत्यर्थः । अयं भावः–प्रवर्तना अत्वेन एव ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वान्न लोकवेदयोरननुगम्? लिङ्गश्रवणे अत्र अयं मां प्रवर्तयति इति प्रतीसाक्षिकस्य प्रवर्तनात्वस्य आज्ञादिषु एव शब्दव्यापारेऽपि सत्त्वादिति बोधयम् ।

तत् न । स्तनपानादि प्रवृत्ताविष्ठसाधताज्ञानस्य हेतुताया आवश्यकत्वात् तत् एव उपपत्तौ प्रवर्तना ज्ञानस्य हेतुत्वे भानाभावात् । स्वर्गकामो यजेत इति आदि प्रवर्त्तना विषया यागकरणिका स्वर्गकर्मिका भाव न इति बोधस्य परैरम्युपगमात् प्रवर्त्तना विषयत्वम् अत्रा ज्ञानात् । प्रवृत्ति अनुपपत्तेक रावश्यकस्वर्गसाधनत्वात्–आदिज्ञानात् एव तत्र प्रवृत्तेः । अयं भावः – सद्योजातस्य शिशोरिदं ज्ञानं न भवति–''अयं मां दुग्धपाने प्रर्वतयति इति'' एवञ्च प्रवर्तना ज्ञानाभावे प्रवृत्तिः न स्यात्, किन्तु दृश्यते च प्रवृत्तिस्तेषामपि । एवं तिरश्चामपि लिङ्गादिश्रवणं तज्ज्ञानं च दुर्लभम् । अतः इष्ट साधनताज्ञानं प्रवृत्तौ कारणं मन्तव्यम् । तच्च फलबलात् जन्मान्तरीयमपि कल्प्यते ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वैयाकरणभूषणसारः (का.22) ।
2. अष्टाध्यायी (3/2/123) ।
3. वैयाकरणभूषणसारः (का.3) ।
4. लघुसिद्धान्तकौमुदी ।
5. अष्टाध्यायी (3/4/69) ।
6. परमलघुमञ्जूषा ।
7. अष्टाध्यायी (3/2/124) ।
8. सिद्धान्तकौमुदी (कारणप्रकरणम्) ।
9. परमसधुमञ्जूषा ।
10. वैयाकरण भूषणसारः ।
11. सिद्धान्तकौमुदी (कारणप्रकरणम्) ।
12. अष्टाध्यायी (7/1/91) ।
13. वैयाकरणभूषणसारः ।

14. परमलघुमञ्जूषा ।
15. परमलघुमञ्जूषा ।
16. परमलघुमञ्जूषा ।
17. वैयाकरणभूषणसारः ।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

प्राचीनाध्ययनाध्यापनपरम्परायां शिक्षाया : स्वरूपम्

डॉ0 हरि प्रसाद मीना
TGT, संस्कृत
वरिष्ठ अध्यापक
दिल्ली–सर्वकारः

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 16-19
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांशः – ''शिक्षा'' इति शब्दस्य उत्पत्ति संस्कृतस्य शिक्ष् धा तोः भवति। शिक्षा हि विद्योत्पादनस्य मूलकारणम्। शिक्षा समाजस्य आधारशिला वर्तते। शिक्षा समानस्य आधार शिला वर्तते। शिक्षा या महती आवश्यकता मनुष्य जीवने वर्तते। शिक्षा एका आजीवन प्रक्रिया वर्तते। इयं शिक्षा जन्मात् आरम्भ्य मृत्युपर्यन्तम् अविरत धारारूपेण चलति। मनुष्यस्य सम्पूर्ण जीवनस्य लक्ष्यरूपेण मोक्षं स्वी कुर्वन्ति।

मुख्यशब्दः – प्राचीनः,शिक्षा, अध्ययनः, परम्परा, समाजः, संस्कृतम्, मनुष्यः।

प्राचीनभारते शिक्षायाः तात्पर्यम् आसीत् यत शिक्षा जीवनस्य विभिन्नक्षेत्रेषु पथप्रदर्शनं करोति। विद्वांसः उक्तवन्तः ''ज्ञानं मनुष्यस्य तृतीयनेत्रम्'' इति। याः समस्ततत्त्वानां मूलम् अधिन्तुं सामर्थ्यं ददाति। उचितव्यवहारमुपदिशति। शिक्षया इहलोके सुखं, समृद्धिं च आप्नोति तथा परलोके मोक्षम् आप्नोति।

गीतायां वर्णितम् अस्ति यत्– ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् संसारबन्धनात् मुक्तयति सा एव शिक्षा अस्ति। शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाशेन संशयानाम् उन्मूलनम्, समस्यानां निवारणम् च उद्भवति। शिक्षया बुद्धौ विवेकः निपुणताया वृद्धिश्च भवतः। प्राचीन भारतीयानां दृढ़विश्वासः आसीत यत् शिक्षा द्वारा विकसिता बुद्धि एव यथार्थबलम् अस्ति। शिक्षा कल्पलतेव अस्माकं समस्त मनोरथान् साधयति। शिक्षया उत्तमचरितस्य निर्माणं भवति।

याज्ञवल्क्यः उक्तवान् सा शिक्षा या मनुष्येषु उत्तम चरित्रस्य निर्माणं कृत्वा तान् विश्वोपयोगिनो करोति।

शिक्षा विषये भर्तृहरिः उक्तवान्

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

साहित्यसंगीतकला विहीनः
साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः।
तृणेन खादन्नपि जीवमाना।
तेदभागधेयं परम पशूनाम्।।

2. पाठ्यक्रमः

प्रथमतः बालकाः वैदिकमनाणाम् उच्चारणं कृत्वा तेषां कण्ठस्थीकरणं कृतवन्तः। तदनन्तरं तेभ्यः पठनलेखन कौशलयो शिक्षा प्रदीयते स्म। वापादयनात परं व्याकरण विषदे शिक्षा प्रदीयतेस्म।

(ख) उच्च शिक्षा :

उच्चशिक्षा केवलं ब्राह्मणक्षत्रिय–वैश्यः कालकानां कृते आसीत्। ब्राह्मण बालकाः अष्टमवर्थे, क्षत्रिय बालकाः एकादशवर्षे तथा वेश्यबालकाः द्वादश वर्षे उच्चशिक्षा क्षेत्रे प्रवेशं कृतवन्तः। साहित्यस्य तथा धर्मशास्त्रस्य अध्ययनस्थ कृते दशवर्षाणि स्थिरी कूर्तानि आसन्। परन्तु व्याकरण–शिक्षायै द्वादशवर्षाणि अपेक्षितानि आसन्।

1. पाठयक्रम–

आध्यात्मिक लौकिक विद्ये प्रचलिते आस्ताम्। वेद वेदाङ्ग पुराणम्, दर्शनम्, उपनिषद् इत्यादयः आध्यात्मिका विद्यारूपेण स्वीकृता। इतिहास, तर्कशास्त्रम्, भूगर्भशास्त्रम् इति लौकिकविद्यारूपेण स्वीकृतमासीत।

शिक्षण विधि :

प्राचीन भारते शिक्षणं मौखिकरूपेण एव अभवत्। प्राचीनकाले गुरवः यथा इति। वैदिकाकाल चरित्ररूप शिक्षा आवश्यकी आसीत्।

2. मोक्ष प्राप्ति :

शिक्षायाः द्वितीयं सर्वप्रमुखम् उद्देश्यम् आसीत् मोक्षरूप प्राप्तिः। छात्राः शिक्षकाश्च मोक्ष प्रात्यर्थम् अहर्निशं प्रयत्नशीलाः आसन्।

3. राष्ट्रिय संस्कृते : संरक्षणं प्रचारश्च

आर्य संस्कृते संरक्षणमपि वैदिककालिक शिक्षायाः उद्देश्यम् आसीत्। आर्यसंस्कृते समाजे स्थानं प्राप्नोति। अत अर्थ सम्पादनाय यानि कार्याणि आवश्यकानि, तेषाम् अध्ययनमपि वैदिककाले भवति स्म। यथा ब्रह्मचारी वैश्य सेवाभावनायां कुशलो भवेत्। एवमेव ब्राह्मण : अध्ययनध्यापनादिकार्ये कौशलं प्राप्नुयात। क्षत्रियः शस्त्रविद्यायां कुशलः स्यात। अतः तस्य कृते शस्त्रशिक्षा अपि आवश्यकी वर्तते। व्यक्ति स्वरूचिः क्षमतानुसारं व्यवसायस्य सामाजिक–कार्यस्य च चयनं कृत्वा जीवनयापनं करोतु इति शिक्षाया इदम् उद्देश्यं निर्धारितमासीत्।

अपि च मा नाम ज्ञान तत्र रतं निरन्तरं संलग्नमिति व्युत्पत्या भारतशब्दस्य विशिष्टज्ञानस्य नाहरणशील देशरूपेऽर्थे प्रसक्तिः। अस्मिन् पवित्रे रत भूखण्डे प्राक्कालीनशियाः महन्महत्वं विदितचरमेव विपश्चिताम्।

प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्था :

प्राचीन भारते 400ई0प0 प्राक् प्राथमिक शिक्षायाः व्यवस्था नासीत्। तस्मिन् समय बालकस्य परिवार एव तस्य शिक्षा केन्द्रमासीत्। तत्पश्चात् केचिद् ब्राह्मणाः स्वयं शिक्षादानकार्य कृतवन्तः। तस्यां शिक्षा प्रागाल्यां प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा चे ति द्वो विभागौ आस्ताम्।

(क) प्राथमिक शिक्षा :

प्राथमिक शिक्षायां ब्राह्मणानां प्राधान्यं नासीत्। यत् ब्राह्मणा तदीनन्तनधर्म ग्रन्थैः प्राथमिक–शिक्षायाः उपेक्षां कृतवन्तः सन्ति। एतेन प्रमाणीक्रियते यत् प्राचीनयुगे प्राथमिक शिक्षायां ब्राह्मणानामाधिपत्यं नैवासीत्। ब्राह्मणानां समीपे तस्याः प्राथमिक शिक्षायाः उपेक्षाकरणे कारणम् आसीत् यत् प्राथमिक शिक्षा तेषामधीने नासीत्।

1. विद्यालये प्रवेशाय विधि :

डॉ0 देवमित्रमहोदयस्य मतानुसारं यदा बालकस्य आयु पञ्चवर्षाणि भवति स्म, तस्मिन् समये सः प्राथमिक शिक्षालयाय योग्य भवति स्म। वैदिककाले सर्वेषां वर्णीयानां बालकानां कृते प्राथमिक शिक्षा अनिवार्या आसीत्। अस्यामिप्रायः भवति, तस्मिन् समये प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रे वर्ण मित्तिक भेद भावः नासीत्। डॉ0ए0एस् अल्तेकर महोदयस्य मतानुसारं प्राथमिक शिक्षायाः अवधिः षड्वर्षाणि आसीत्।

अर्थात् शिक्षेव मनुष्यस्य निर्माणं करोति। अन्यथा सः पशु सृदश भवति। प्राचीन भारते पुस्तकज्ञानमेव शिक्षा नासीत्। शिक्षायाः तात्पर्यम् प्रकाश आसीत।

अस्मिन् विषये उक्तम् एकः मनुष्यः सम्पूर्णशास्त्रणां ज्ञानं प्राप्तवान् किन्तु यदि तस्य अन्तर्द्वन्द्वया विकासं न अभवत् तर्हि सः मुर्खः एव।

जगद्गुरू शंकराचार्य उक्तवान्–

''आत्मानुभूतिः एव शिक्षा। अर्थात् शिक्षया आत्मनः प्रत्यक्षं भवति।

वैदिककाले शिक्षाया तात्पर्यम् अन्तर्ज्योति, यथा मानवस्य पूर्णतायाः विकासः भवितुमर्हति।

1. शिक्षणोद्देश्यानि– भारतेवर्षे शिक्षायाः इतिहास 600ई0पू0 वर्षेषु एव अभवत्। किन्तु शिक्षायाः सुसम्बर विकासः वैदिककालदेव दृश्यते। यथा–

1. चरित्रनिर्माणम्– 2. मोक्षप्राप्तिः

3. राष्ट्रियसंस्कृते संरक्षणं प्रचारश्च

4. ज्ञानस्योपरि बलस्य प्रदानम्

5. व्यलितत्वस्य विकास

6. नागरिक–सामाजिक–कर्तव्यपालनस्य भावनायाः विकासीकरणम्

7. सामाजिक कुशलताया वृद्धिः

1. चरित्रनिर्माणम्– चरित्र निर्माणं वैदिककालीन शिक्षा प्रथमोद्देयम् आसीत्। वैदिककाले एका अन्तः कथा मिलति यत् वेदपाठी दुश्चरितजनापेक्षय सच्चरित्रासिक्तमन्दस्य ज्ञाता विप्रोहि श्रेष्ठः। अनया ज्ञायते यत् तस्मिन् समये चरित्रनिर्माणस्य महत्वं क्रियत आसीत् वैदादिशास्त्राणाम् उच्चारणं कुर्वन्ति स्म, तथैव छात्राः अपि गुरूनुकुर्वन्ति स्म। तदनन्तरं ते एकान्ते तस्य मननं, चिन्तनं स्वाध्यायं च कुर्वन्ति स्म। शिक्षण विद्यौ प्रवचनं, व्याख्यानं शास्त्रार्थचर्च्चा, प्रश्नोत्तरं, वादविवादः इत्यादयः सन्निवेशिताः आसन्।

1. प्राचीनकाले भारतीय शिक्षा स्वरूपम् –

''शिक्षा'' इति शब्दस्य उत्पत्ति संस्कृतस्य शिक्ष् धा तोः भवति। शिक्षा हि विद्योत्पादनस्य मूलकारणम्। शिक्षा समाजस्य आधारशिला वर्तते। शिक्षा समानस्य आधार शिला वर्तते। शिक्षा या महती आवश्यकता मनुष्य जीवने वर्तते। शिक्षा एका आजीवन प्रक्रिया वर्तते। इयं शिक्षा जन्मात् आरम्भ्य मृत्युपर्यन्तम् अविरत धारारूपेण चलति। मनुष्यस्य सम्पूर्ण जीवनस्य लक्ष्यरूपेण मोक्षं स्वी कुर्वन्ति। यथा–

''सा विद्या या विमुक्तये'

विद्ययाऽमृतश्नुते इत्यक्त्वा शिक्षाया

मोक्षकारित्त्वं च स्त्री कुर्वन्ति।

अग्निपुराणेऽपि उक्तं यथा–

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च

करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्र्यानषेवणम्।।

अतः शिक्षा द्वारा मनुष्यः पुरुषार्थ चतुष्ट्यं प्राप्नोति।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. चितौड़ा राशि 2001 पूर्व प्राथमिका शिक्षा , राजस्थान प्रकाशन, जयपुर

2. डॉ0 लोकमान्य मिश्र, भारतीय पुरातनीशिक्षा, मृगाक्षी प्रकाशनम्, लखनऊ

3. डॉ0 दुर्गावती उपाध्याय, संस्कृत शिक्षा की स्थिति, प्रकाशनाधिकारी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002

4. साम्बशिमूर्ति के 2001 संस्कृत शिक्षणम्, दीपशिखा प्रकाशन्, जयपुर

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

किरातार्जुनीयम् में द्रौपदी के उपदेशों का राजनीतिक महत्त्व

डॉ० सुजीत कुमार
असि० प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
इटावा,उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 20-24
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– द्रौपदी एक साधारण नारी होने के साथ–साथ नीति कुशल स्वाभिमानी क्षत्राणी है, जिसका भारतीय इतिहास की तेजस्वी नारियों में प्रमुख स्थान है । वह क्षमाशीलता को कायरता समझती है। द्रौपदी का शत्रु के प्रति युधिष्ठिर के सम्बोधन में जो तीक्ष्णता है, उसका कारण उसकी मनोदशा ही है। द्रौपदी का कथन व्यावहारिक एवं नीतिकुशल है, जो वर्तमान सन्दर्भ में एक समाज एवं राष्ट्र के वैभव में सहयोग प्रदान कर सकता है।

मुख्यशब्द – किरातार्जुनीयम्, संस्कृत, महाकाव्य, भारवि, राजनीतिक, द्रौपदी, सर्ग, सूक्ति।

संस्कृत काव्यों की वृह्त्त्रयी परम्परा में सुप्रसिद्ध किरातार्जुनीयम् महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवि हैं। यह महाभारत के वन पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है। इस महाकाव्य में अट्ठारह सर्ग हैं, जिसमें भारवि ने विचित्र मार्ग का प्रवर्तन करते हुए भावपक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल दिया है। भारवि ने इस ग्रन्थ में राजनीति परक जितनी सूक्तियाँ पात्रों के माध्यम से कहवायी हैं, वह यह सिद्ध करता है कि भारवि राजनीति के विशेष ज्ञाता भी थे। अट्ठारह अध्यायों वाली गीता में जिन राजनीतिक उपदेशों को भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उससे भारवि की राजनीतिक विचारधारा पूर्णतया प्रभावित है। भारवि ने जिस राजनैतिक शिष्टाचार का निर्वाह वनेचर द्वारा करवाया है, वह एक राजदरबार की सुव्यवस्था का परिचायक है।

संस्कृत साहित्य में कवियों को राजाश्रय में रहने तथा अपने वैदुष्य को अभिव्यक्त करने का पूर्णतः अवसर दिया जाता था। ये कवि राजाओं के आश्रय में रहकर राजनैतिक नियमों के बारे में यथावसर वार्तालाप करते थे, और उन्हें अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करते थे। संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक कवियों के उद्धरण मिलते हैं, जो राजाओं को राजनीति में कुशल होने के मार्गों का अवलोकन कराते थे। इसके अतिरिक्त राजाओं की राजनीति में कुशलता

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

उनके गुप्तचरों पर निर्भर करती है। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए, जो राजाओं को उचित –अनुचित का निःस्वार्थ भाव से बोध कराये और राजा को भी ऐसा होना चाहिए, जो गुप्तचरों द्वारा बतायी गयी बातों पर मंथन कर सही–गलत का निर्धारण करें।[1] इस महाकाव्य में वनेचर को यदि गुप्तचर की दृष्टि से देखा जाय तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संस्कृत साहित्य के राजनैतिक परिवेश में केवल पुरुषों का योगदान ही विचारणीय नहीं है, अपितु स्त्रियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कृत वाङ्मय की सभी विधाओं में नारी चित्रण का उत्कर्ष अनेक रूपों में दिखायी देती है। भारतीय समाज और साहित्य दोनों ने ही स्त्रियों को अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय समाज और साहित्य से स्त्रियों की महत्ता के विषय में विभिन्न कालों में अलग– अलग दशाओं का परिज्ञान होता है। उल्लेखनीय है कि स्त्रियों के राजनैतिक महत्त्व को जानने से पहले स्त्री पर विचार करना समीचीन होगा। नारी का विविध स्वरूप वैदिक वाङ्मय में दृष्टिगत होता है, जहाँ उसे धर्म और समाज का प्राण कहा गया है। सर्वप्रथम नारी का उच्च स्थान सैन्धव सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों का उच्च स्थान होने के कारण उसे मातृसत्तात्मक सभ्यता का स्वरूप दे सकते हैं। मातृदेवी की उपासना का प्रचलन सर्वप्रथम सैन्धव सभ्यता में ही दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि सैन्धव निवासियों की आस्था अनेक रूपों में थी, किन्तु प्रथम उपासना का रूप मातृदेवी थीं। मातृदेवी को उत्पत्ति का कारण बताते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अतः सैन्धव सभ्यता में नारी के उत्तम स्वरूप का प्रमाण मिलता है। भारतीय धर्म ग्रन्थ में स्त्रियों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं– यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तृत्र देवताः।[2]

लौकिक संस्कृत साहित्य में नारी चित्रण का स्पष्ट स्वरूप रामायण काल से प्राप्त होता है, जहाँ नारी का राजनीति में सहभाग करने का आद्य स्वरूप परिलक्षित होता है, जिसमें कैकेयी, कौशल्या, मंथरा और शूर्पणखा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कैकेयी की राजनीति कुशलता राम को राज्य से च्युत् करने में दिखायी देती है।[3] साथ ही साथ शूर्पणखा की राजनीति अत्यन्त सराहनीय है, जो अपने राक्षस भाइयों को उपदेश देती है कि उसके राज्य में बाहरी तपस्वी बिना किसी अनुमति के निवास कर रहे हैं।[4] रामायण से पूर्व नारी का राजनीति में योगदान का स्वरूप अस्पष्ट अवस्था में है, फिर भी नारियों के वैदुष्य की सराहना के प्रमाण स्पष्ट हैं, जिसमें अपोला, मुद्रा और घोषा आदि विदुषी नारियों का नामोल्लेख मिलता है। नारी कुशलता की जो परम्परा वैदिक काल से प्राप्त होती है, उसका विस्तृत रूप महाभारत में प्रस्फुटित होता है। महाभारत की राजनीति में नारी के स्वतन्त्र स्वरूप तथा वैदुष्य का जो वर्णन मिलता है, उसमें द्रौपदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । द्रौपदी के प्रत्येक कथन से राजनीत के प्रत्येक पक्ष पर गहरा प्रभाव दिखायी देता है, जो सफल एवं कुशल राजनैतिक नारी का बोध कराता है। किरातार्जुनीयम् के प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा दुर्योधन के राजनीति सम्बन्धी समस्त क्रिया–कलापों की सूचना युधिष्ठिर को दे दी जाती है । युधिष्ठिर वनेचर द्वारा बतायी गयी सूचनाओं पर द्रौपदी के भवन में भाइयों से मन्त्रणा करते हैं– प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा, तदाचचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः।[5]

प्रथम सर्ग से ही द्रौपदी के कुशल राजनीतिज्ञा ,स्वाभिमानी क्षत्राणी, अपमान पीड़िता, क्रोधोद्दीपन में दक्ष जैसे विचारों से युक्त होने के प्रमाण मिलते हैं। द्रौपदी अपने विविध स्वरूप वाले विचारों से युधिष्ठिर को राजनीति परक उपदेश देती है। द्रौपदी, युधिष्ठिर के मुख से शत्रु की सफलता को सुनकर तथा अपने अपमान का स्मरण करके राज्य और सम्मान प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाले राजनीतिक वचनों को कहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर को तो नीतिनिपुण स्वीकार करती है, फिर भी स्त्री शालीनता को नष्ट करके उन्हें युद्ध के लिये प्रेरित करती है। निरस्तनारी समया दुराधयः,[6] और उनकी त्रुटियों की ओर संकेत करती हुई उनके पूर्वजों के पराक्रम का बोध कराती है कि कोई क्षत्रियाभिमानी राजा कुलवधू जैसी राजलक्ष्मी को शत्रुओं द्वारा अपहृत नहीं करायेगा। वह युधिष्ठिर को अपने अपमान तथा अपहृत राज्य के लिये धिक्कारती हुई कहती है – त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता, मतंगजेन स्रगिवाऽपवर्जिता'।[7]

द्रौपदी, युधिष्ठिर को 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' का उपदेश देते हुए कहती है कि जो व्यक्ति कपटी है, उसके साथ कपटी व्यवहार के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि दुष्ट के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं तो पराजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि दुष्ट लोग सज्जनता का व्यवहार करने वालों को मन्दबुद्धि समझकर उसके हृदय में प्रवेश कर उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार तीव्र बाण कवच रहित प्राणी को मार डालते हैं। अतः धूर्त के साथ धूर्तता करना ही समुचित नीति है– व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः।[8]

द्रौपदी युधिष्ठिर की राजनीति में निष्क्रियता और प्रमादता के विषय में कहती है कि समस्त परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने पर भी जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ पुरुष अपनी अनुरागिणी, कुलीन मनोहारिणी भार्या को दूसरों से अपहृत नहीं करा सकता, उसी प्रकार समस्त राजवैभव के अनुकूल होने पर भी आपने कुलक्रमागत गुणानुरागिणी राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहृत कराया है। इस संसार में युधिष्ठिर से निष्ठुर कोई नहीं होगा , जो अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण कराकर स्वयं वीर पुरुषों से निन्दित होगा। द्रौपदी युधिष्ठिर को शमीवृक्ष में छिपी हुयी अग्नि की तरह क्रोध रूपी ज्वाला से शत्रु का विनाश करने के लिये साम, दाम दण्ड और भेद से तत्पर रहने का उपदेश देती है। द्रौपदी क्षत्रिय नारी होने के कारण युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिये कहती है। क्षत्रिय धर्मों का पालन न करने वाले राजा निकृष्ट और व्यभिचारी कहे गये हैं। यद्यपि युधिष्ठिर इन गुणों के विपरीत थे।

द्रौपदी युधिष्ठिर से राजनीति में क्रोध का महत्त्व बताते हुए कहती है कि एक सफल और कुशल राजनीतिज्ञ को उचित कारण पर क्रोध आना चाहिए। सभी प्राणी उसी राजा के वशीभूत होते हैं ,जो सफल क्रोध वाले तथा विपत्तियों का निराकरण करने वाले होते हैं। एक राजा कितना भी अधिक स्नेही हो, यदि उसे समुचित कारण होने पर भी क्रोध नहीं आता तो वह आत्मीयजनों से निरादर प्राप्त करता है और शत्रुजनों के भय का कारण भी नहीं बन पाता। क्रोधहीन राजा सफल शासक नहीं हो सकता। अतः द्रौपदी के कथनानुसार शत्रुविजयिनी शक्ति को प्रकट करने के लिये क्रोध का होना परमावश्यक हैः–

अवन्ध्य कोपस्यविहन्तुरापदां, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः।

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, न जातहार्देन न विद्विषादरः।।[9]

द्रौपदी एक राजा की सफलता का कारण क्रोध को स्वीकार करती है। यहाँ क्रोध का राजनीति से घनिष्ठ सम्बन्ध बताया गया है। युधिष्ठिर के लिए उस क्रोध की आवश्यकता है, जो उन्हें सफल शासक बना सकती है। दुर्योधन के प्रति क्रोध प्रकट करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर से उनके अनुजों की दुर्दशा का वर्णन करती है। जिसका मूल लक्ष्य युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करना और अनुजों की मनोदशा को अपने अनुकूल बनाना है। यहाँ एक स्त्री की राजनैतिक पटुता का प्रबल प्रमाण मिलता है जिसमें एक राजा को उसकी प्रजा के प्रति कर्तव्यबोध कराया गया है।[10]

द्रौपदी युधिष्ठिर के अनुजों की दुर्दशा व्यक्त करने के ckn]Lo;a युधिष्ठिर की दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि एक वैभवशाली राजा की वन के दुःखों से जो अवस्था हुई है , वह यदि भाग्यवश हुई होती तो कोई दुःख नहीं होता, क्योंकि सुख और दुःख जीवन में आते रहते हैं –चक्रस्य पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः,किन्तु यह वनवास की विपत्ति तो शत्रु प्रदत्त है। त्रैलोक्य विश्रुत स्वयं धर्मराज और महानबलशाली भीम, अर्जुन जैसे भाई होने पर भी इस प्रकार के वनवासी जीवन को देखते हुए मुझ द्रौपदी को अत्यधिक दुःख हो रहा है, फिर भी शत्रुओं द्वारा अप्रतिहत शौर्य सम्पत्ति वाले मनस्वी पुरुषों की पराजय भी हर्ष में परिणत होने के लिये होती है–पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्।[11] यहाँ द्रौपदी एक राजा को स्वेच्छया विपत्ति के हवाले करने की ओर संकेत करती है। सभी विपत्तियों के बाद भी, जो राजा शान्ति धारण किये रहता है, निश्चय ही ऐसे लोगों की चित्तवृत्तियाँ विलक्षण होती है–विचित्ररूपाः खलुचित्तवृत्तयः।।[12]

द्रौपदी युधिष्ठिर को शान्ति त्याग तथा क्षात्र धर्म का स्मरण कराती हुई कहती है कि हे राजन् शान्ति छोड़कर शत्रुओं के वध के लिए पुनः क्षत्रिय तेज को धारण कीजिए। भार्या एवं भाइयों की दशा देखकर तपस्विजनोचित शान्ति को त्याग दें। शान्ति धारण करके काम, क्रोधादि छः शत्रुओं को दूर करके मुनिजन परमसिद्धि को प्राप्त करते हैं, परन्तु राजा तो शान्ति का परित्याग करके क्षात्रधर्म के अनुसार स्वाभिमान को प्राप्त करते हैं। अतः राजाओं की यह परम्परा नहीं है कि शत्रुभय से वन प्रदेश में छिपकर जीवन व्यतीत करें। शान्ति से सिद्धि तो मुनिलोग प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं–शमेन सिद्धिं मुनयः न भूभृतः।[13] द्रौपदी राजनीति से मुनियों जैसी शान्ति की सराहना नहीं करती, क्योंकि शान्ति मुनियों का भूषण है और राजाओं का दूषण है।

द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति राजनीति सम्बन्धी मनोव्यथाओं का स्मरण कराने के बाद भी जब क्रोध उद्दीप्त नहीं हुआ, तब वह उनके स्वाभिमान पर कुठाराघात करती हुई कहती है कि–निराश्रया हन्त हता मनस्विता।[14]अर्थात् संसार में देखा जाता है कि पशु–पक्षी भी शत्रु के पराक्रम को सहन नहीं करते है। तेजधारियों में अग्रगण्य यशोरूपी धन वाले यदि शत्रुकृत असहनीय तिरस्कार को सह रहे है तो निश्चय ही मनस्विता आश्रयहीन होने के कारण नष्ट हो जायेगी क्योंकि स्वाभिमानता तेजस्वियों का आश्रय लेकर रहती है, अन्यथा संसार के कोष से यह शब्द हमेंशा के लिए लुप्त हो जायेगा ।

वीर पुरुष को उसके शस्त्र की निन्दा करके प्रभावित किया जा सकता है। द्रौपदी युधिष्ठिर पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि यदि चिरकाल तक सुख का साधन क्षमा ही है तो राजचिह्न त्यागकर ,जटाएँ धारण कर मुनिवेश में यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान करें–जटाधर : संजुहुधीह पावकम्।[15] शत्रुकृत अपमान से व्यथित द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाती है । वह कहती है कि कपटी शत्रु के साथ की गयी शर्त, सन्धि या प्रतिज्ञा पालन करना विवेकहीनता है। शत्रु दुर्योधन निरन्तर अनिष्ट और अपकार करता जा रहा है, अतः उसके साथ की गयी तेरह वर्ष के वनवास की सन्धि को तोड़ देना ही नीति है। अपकारी शत्रु कपटपूर्ण व्यवहार करके कोई सन्धि या प्रतिज्ञा करा लें तो उसका पालन करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर को तेरह वर्ष की प्रतीक्षा करने के स्थान पर उस कपटपूर्ण सन्धि को तोड़कर अपने राज्य को पुनःप्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए–अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपधि सन्धि दूषणानि।[16]

द्रौपदी कहती है कि परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हुए राजनीति में कूटनीति को सर्वोच्च स्थान देना ही क्षत्रिय का महान धर्म है । वह युद्ध के लिये युधिष्ठिर का उत्साहवर्धन करती हुई कहती है कि–जिस प्रकार सूर्य अन्धकार रूपी शत्रु को नष्ट करके पुनः कान्ति को धारण कर लेता है उसी प्रकार प्रताप एवं ऐश्वर्य से हीन अन्धकार सदृश शत्रु का नाश करके अभ्युदय के इच्छुक आपको राजलक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी। द्रौपदी युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सदैव कूटनीति का पालन करने के लिए सम्बोधित करती है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि द्रौपदी एक साधारण नारी होने के साथ–साथ नीति कुशल स्वाभिमानी क्षत्राणी है, जिसका भारतीय इतिहास की तेजस्वी नारियों में प्रमुख स्थान है । वह क्षमाशीलता को कायरता समझती है। द्रौपदी का शत्रु के प्रति युधिष्ठिर के सम्बोधन में जो तीक्ष्णता है, उसका कारण उसकी मनोदशा ही है। द्रौपदी का कथन व्यावहारिक एवं नीतिकुशल है, जो वर्तमान सन्दर्भ में एक समाज एवं राष्ट्र के वैभव में सहयोग प्रदान कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. किरात 0–1/2 –6	7.वही– 1/29	13. वही–1/42
2. मनु 0–3/56	8.वही–1/30	14. वही–1/43
3. वा0रा0–1/14/8,9	9.वही–1/33	15. वही–1/44
4. वही–3/33/9–11	10.वही–1/34–36	16. वही–1/45
5. किरात 0–1/26	11. वही –1/41	
6. वही–1 /28	12. वही–1/37	

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

पौराणिक मलय पर्वत

डॉ. आरती यादव
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, संस्कृत – विभाग,
चौ. चरण सिंह पी. जी. कॉलेज हेंवरा सैफ़ई, इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 25-32
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– मलय पर्वत सात कुल पर्वतों में से एक पर्वत है। जो भारतवर्ष में विद्यमान हैं। परन्तु किसी भी पुराण में इस पर्वत की अवस्थिति का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। पुराणों में इस पर्वत का नामोल्लेख कुल पर्वतों में किया गया है और इससे नि:सृत नदियों को बताया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस पर्वत की अवस्थिति कहां है। परन्तु वर्तमान में सभी विद्वान् इस पर एक मत है कि इस पर्वत की अवस्थिति दक्षिण भारत में है।

मुख्यशब्द– मलय पर्वत, पौराणिक, दक्षिण भारत, नदी, संस्कृत,द्वीप।

पुराणों में भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राय: सभी पुराणों में चतुर्द्वीपा वसुमती, सप्तद्वीपा वसुमती, ११ भुवन, क्षीरसागर आदि भू- विभाजन, तीर्थों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों एवं भौगोलिक महत्त्व के स्थानों का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित भूगोल मुख्यत: दो रूपों में है –

- समस्त संसार का भूगोल
- भारतवर्ष का भूगोल

साधारणतया ऐसा माना जाता है कि पौराणिक भू- विवरण काल्पनिक है, परन्तु इसको पूर्णत: काल्पनिक मानना तर्कसंगत नहीं है। इसमें कुछ यथार्थता अवश्य है। त्रुटि इतनी ही है कि उन स्थानों की पहचान वर्तमान में नि:संदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं हो सकी है। इसकी गवेषणा अपेक्षित है। पुराणों में सप्तद्वीपा वसुमती की कल्पना एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें वर्णित कुछ द्वीपों की तो पहचान भी की जा चुकी है। जैसे- कुशद्वीप, शकद्वीप और जम्बूद्वीप। इसी प्रकार सात समुद्रों की कल्पना भी आश्चर्यजनक है। इस प्रकार पौराणिक भूगोल यथार्थ है, आवश्यकता केवल इसकी वैज्ञानिक खोज की है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पुराणों में भुवनकोश का वर्णन एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इसमें समस्त भुवनों का भौगोलिक नाम, विस्तार तथा स्वरूप का विशद वर्णन प्राप्त होता है। इस भू- वृत्त के केन्द्र में मेरू पर्वत की स्थिति मानी गयी है और इसी को केन्द्र मानकर भुवन कोश का विन्यास किया गया है। विष्णु पुराण में सम्पूर्ण पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है और उसकी कर्णिका में मेरू पर्वत की स्थिति मानी गयी है –

भूपद्मस्यास्य शैलोऽसौ कर्णिकाकारसंस्थित:। - वि. पु. -२/२/१०

एक अन्य स्थान पर वायु पुराण में कहा गया है कि उस महात्मा प्रजापति का हिरण्यमय मेरुपर्वत गर्भ है, समुद्र गर्भ से नि:स्यन्दमान उदक है और शिरायें तथा हड्डियां पर्वत हैं –

हिरण्यमयस्तु यो मेरुस्तस्योल्बं तन्महात्मन:।
गर्भोदकं समुद्राश्च सिराद्यस्थीनि पर्वता:॥ - वा. पु. ५/८०

पुराणों में वर्णित भुवनकोशों में द्विविध वसुमती का वर्णन किया गया है –

- चतुर्द्वीपा वसुमती
- सप्तद्वीपा वसुमती

विद्वानों का मानना है कि चतुर्द्वीपा वसुमती की कल्पना प्राचीन है। जबकि सप्तद्वीपा वसुमती की कल्पना उसके बाद आयी। वायुपुराण में चतुर्द्वीपा वसुमती का वर्णन किया गया है -

पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनद्रुमा।
तदस्य लोक-पद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम्॥
महाद्वीपास्तु विख्याताश्चत्वार: पत्रसंस्थिता:।
तत: कर्णिकसंस्थानो मेरुर्नाम महाबल:॥ - वा. पु. ३४/४५-४६

ये चार द्वीप इस प्रकार हैं –

- भद्राश्व द्वीप
- जम्बूद्वीप
- केतुमालद्वीप
- उत्तरकुरु द्वीप

प्रत्येक द्वीप में एक विशिष्ट पर्वत, एक नदी, एक वृक्षकुंज, एक झील, तथा आराधना के निमित्त एक विशिष्ट रूपधारी भगवान् की स्थिति मानी गयी है।

पुराणों में वर्णित सात द्वीप इस प्रकार हैं –

- जम्बूद्वीप
- प्लक्षद्वीप
- शाल्मलि द्वीप

- कुशद्वीप
- क्रौञ्चद्वीप
- शकद्वीप या शाकद्वीप
- पुष्करद्वीप

जम्बूप्लक्षाह्यौ द्वीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज:।
कुश: क्रौञ्चस्तथा शाक: पुष्करश्चैव सप्तम:॥ - वि.पु. २/२/५

जम्बूद्वीप इस कल्पना के द्वारा मध्य में है और इन द्वीपों से वेष्टित है और ये द्वीप आपस में एक- एक समुद्र के द्वारा पृथक्कृत किये गये हैं। इन सातों द्वीपों में सात पर्वत तथा सात नदियां है। जम्बूद्वीप में नौ वर्ष हैं जिसमें एक भारत वर्ष है। इसी भारतवर्ष में मलय पर्वत स्थित है। इसे एक रेखाचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है-

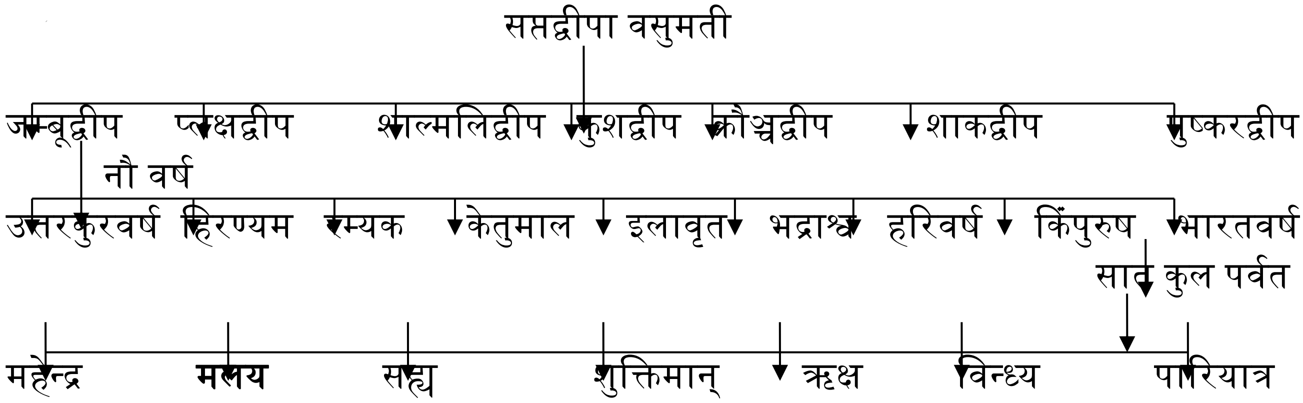

मलय पर्वत –

पौराणिक भूगोल के प्रसंग में मुख्यतया पांच प्रकार के पर्वतों का वर्णन किया गया है –

- मर्यादा पर्वत
- वर्ष पर्वत
- कुल पर्वत
- विष्टम्भक पर्वत
- केशराचल पर्वत

पुराणों में मर्यादा पर्वत की परिभाषा नहीं बतायी गयी है। विष्णुपुराण में मर्यादा पर्वत सात बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं - जठर, देवकूट, गन्धमान, कैलास, निषध, पारियात्र, श्रृंगवज्जारुध। इसमें से जठर और देवकूट नामक मर्यादा पर्वत मेरु पर्वत के पूर्व में, गन्धमान और कैलास मेरु के दक्षिण में, निषध और पारियात्र पश्चिम में और श्रृंगवज्जारुध उत्तर में स्थित है।

वर्ष पर्वत वे हैं जो एक वर्ष को दूसरे वर्ष से पृथक करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वर्ष पर्वत छः हैं उनमें से हिमवान्, हेमकूट और निषध ये तीन मेरु के दक्षिण में तथा नील, श्वेत और श्रृंगी ये तीन मेरु के उत्तर में स्थित हैं -

हिमवान् हेमकूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे।
नील: श्वेतश्च श्रृंगी च उत्तरे वर्ष पर्वता:॥ -विष्णु पु. २/२/११

इसी प्रकार लिंग पुराण में भी मेरु पर्वत के उत्तर दक्षिण में क्रमश: स्थित छः पर्वतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। परन्तु वहां हिमवान के स्थान पर हिरण्यवान कहा गया है-

नीलस्तस्योत्तरे मेरो: श्वेतस्तस्योत्तरे पुन:।
श्रृंगी तस्योत्तरे विप्रास्त्रयस्ते वर्षपर्वता:॥
निषधो दक्षिणे मेरो स्तस्य दक्षिणतो गिरि:।
हेमकूट इति ख्यातो हिरण्वांस्तस्य दक्षिणे॥ - लिंड़ पु. ४९/३४

पुराणों में कहीं भी कुल पर्वत शब्द का अर्थ प्रतिपादित नहीं किया गया है। परन्तु आप्टे महोदय के द्वारा कुल शब्द को देश, राष्ट, जाति का पर्यायवाची बताया है। उनके अनुसार कुल शब्द का अभिप्राय राष्ट्र विभाजक पर्वत है। इस प्रकार कुल पर्वत वे हैं जो एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से पृथक करते हैं। ये पर्वत सात हैं –

- महेन्द्र पर्वत
- **मलय पर्वत**
- सह्य पर्वत
- शुक्तिमान पर्वत
- ऋक्ष पर्वत
- विन्ध्य पर्वत
- पारियात्र पर्वत

महेन्द्रो मलय: सह्य: शुक्तिमानृक्ष पर्वत:।
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वता:॥[1]

प्रत्येक कुल पर्वत विशेष देश से सम्बन्धित है। जैसे – महेन्द्र पर्वत कलिंग देश के आश्रित है, मलय पर्वत पाण्ड्य देश के सह्यपर्वत अपरान्त देश के शुक्तिमान् भल्लाट के ऋक्ष माहिष्मती के विन्ध्य आटव्य देश के और पारियात्र निषध देश के आश्रित है। वर्तमान काल में महेन्द्र पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट – गोदावरी – महानदी के मध्य में है। मलय पर्वत की स्थिति दक्षिण भारत में, सह्य पर्वत का उल्लेख सातवाहन नरेश शातकर्णी के नासिक प्रशस्ति में है।

[1] वा. पु. ४५/८२, मत्स्य पु. १०३/७, वि. पु. २/३/३, गरुड़ पु. ५५/६

मेरु पर्वत के चारों ओर विष्टम्भक पर्वत स्थित हैं। ये मेरु पर्वत को चारों ओर से घेर कर स्थित हैं। इनमें पूर्व दिशा में मन्दर पर्वत, दक्षिण में गन्धमान, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व पर्वत स्थित है। इन चारों पर्वतों पर क्रमश: कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष ध्वजा के रूप में विद्यमान हैं-

पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादन:।
विपुल: पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्मृत:॥
कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिप्पलो वट एव च।
एकादशशतायामा: पादपा गिरिकेतव:॥ -विष्णु पु. २/२/१८-१९

मेरु पर्वत के चारों ओर कर्णिका के आकार में केशराचल पर्वत स्थित है। इन पर्वतों में कुमुद, शीताम्भा आदि पूर्व में, त्रिकुट, शिशिर आदि दक्षिण में, कपिल, वैदूर आदि पश्चिम में और शंखकूट कालञ्जर आदि उत्तर में स्थित है।

विभिन्न पुराणों में मलय पर्वत का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है –

वामन पुराण में वर्णित मलय पर्वत

वामन पुराण में बताया गया है कि भारतवर्ष में सात कुल पर्वत हैं। जो इस प्रकार है –

- महेन्द्र पर्वत
- **मलय पर्वत**
- सह्य पर्वत
- शुक्तिमान् पर्वत
- ऋक्ष पर्वत
- विन्ध्य पर्वत
- पारियात्र पर्वत

महेन्द्रो मलय: सह्य: शुक्तिमानृक्ष पर्वत:।
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वता:॥ -वामन पु. १३/१४

इस प्रकार मलय पर्वत सात कुल पर्वतों में से एक है। वामन पुराण में कहा गया है कि यह पर्वत हिमालय की सभा में गया था –

पर्वत: अयं हिमाद्रिभवनजगाम। २६/४८

इस पुराण में इस पर्वत की विशेषता का उल्लेख करते हुए इसके सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है- यह सिद्धों द्वारा सेवित कन्दराओं वाले, लता वितान से आच्छन्न, मत्त प्राणियों से परिपूर्ण, सुशीतल सर्पों से आक्रान्त, चन्दन से युक्त, माधवी कुसुम से परिपूर्ण तथा ऋषियों से अर्चित था। परन्तु इस पुराण में कहीं भी मलय पर्वत की अवस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।

वायु पुराण में वर्णित मलय पर्वत

वायु पुराण के ४५वें अध्याय में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत वर्ष है। यहां सात कुल पर्वत है- महेन्द्र, **मलय,** सह्य, शुक्तिमान,ऋक्षि, विन्ध्य और पारियात्र -

सप्त चास्मिन्सुपर्वाणो विश्रुत: कुलपर्वता:।
महेन्द्रो मलय: सह्य: शुक्तिमानृक्षपर्वत:॥
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वता:। - वायु. पु. ४५/८७-८८

इस पर्वत से कई नदियां निकलती हैं जो इस प्रकार हैं – कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुण्यजाति और उत्पलावती। इन नदियों का जल निर्मल और स्वच्छ है-

कृतमाला ताम्रपर्णी पुण्यजात्युत्पलावती।
मलयाभिजातास्ता नद्य: सर्वा: शीतलजा: शुभा:॥ -वायु पु.४५/१०५

वायु पुराण में ही ४८ वें अध्याय में कहा गया है कि जम्बू द्वीप में तरह - तरह के वस्तुओं को पैदा करने वाले छ: और द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों में एक मलय द्वीप भी है। इस द्वीप में मणि, सोने और रत्न की खानें हैं और यहां पर चन्दन के वृक्ष होते हैं। इस द्वीप में म्लेच्छ जाति के लोग निवास करते हैं। यहीं पर मलय नाम का एक विशाल पर्वत है। इस पर्वत पर चांदी की खानें हैं। यहां पर महा मलय नाम का भी एक पर्वत है।

तथैव मलयद्वीपमेवमेव सुसंवृतम्।
मणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च॥
आकरं चन्दनानां च समुद्राणां तथाऽऽकरम्।
नानाम्लेच्छगणाकीर्ण नदीपर्वतमण्डितम्॥
तत्र श्रीमांस्तु मलय: पर्वतो रजताकर:।
महामलय इत्येवं विख्यातो वरपर्वत:॥ - वायु पु. ४८/२०-२२

विष्णु पुराण में वर्णित मलय पर्वत

विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की सन्तान बसी हुई है। इसका विस्तार नौ हजार योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेन्द्र, मलय,सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष,विन्ध्य और पारियात्र ये सात कुलपर्वत हैं।

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति:॥
नवयोजन साहस्त्रो विस्तारोऽस्य महामुने।
कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्॥
महेन्द्रो मलय: सह्य: शुक्तिमानृक्षपर्वत:।
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वता:॥ - विष्णु पु. २/३/१-३

कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियां मलय पर्वत से निकलती हैं-

कृतमाला ताम्रपर्णीप्रमुखा मलयोद्भवाः। -विष्णु पु. २/३/१३

इसी प्रकार अग्नि पुराण (११९/ १-८), मार्कण्डेय पुराण (५४/१०-११, ५४/२८), वराहपुराण (८५वें अध्याय), ब्रह्म पुराण (१९/१-३, १९/१३) कूर्मपुराण (४७/२३-२४, ४७/३७) भागवत पुराण (५/१९/१६) मत्स्य पुराण (११४/१७, ११४/३०), ब्रह्मवैवर्त पुराण(६/३-५) आदि पुराणों में भी मलय पर्वत का उल्लेख इसी प्रकार मिलता है। महाभारत के भीष्मपर्व के द्वितीय अध्याय में भी इन सातों कुल पर्वतों का नामोल्लेख है केवल ऋक्ष पर्वत के स्थान पर गन्धमादन पर्वत आया है।

मलय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं इनका विवरण इस प्रकार है -

कृतमाला नदी – प्रायः सभी पुराणों में इस नदी का उद्गम स्थान मलय पर्वत बताया गया है। परन्तु वामन पुराण में इस नदी का उद्गम स्थान शुक्तिमान् पर्वत बताया गया है (वामन पु. १३/३२)। भागवत पुराण में कहा गया है कि मनु ने इस नदी के तट पर तप किया था और मत्स्य को अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की थी। वर्तमान में इसे वैगा नदी के नाम से जानते हैं जो मदुरा के पास मद्रास में है।

ताम्रपर्णी नदी – पुराणों में इसे मलय पर्वत से निःसृत माना गया है।(विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मपुराण आदि) परन्तु वामन पुराण में इसका भी उद्गम स्थान शुक्तिमान् पर्वत को माना गया है। (१३/३२) अन्य कुछ स्थानों में इसे महेन्द्र पर्वत से निःसृत माना गया है। कालिदास ने रघुवंश में कहा है कि जहां यह नदी समुद्र में गिरती है वहां बढिया मोती उत्पन्न होता है। यह भारत के अत्यन्त दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी है। वर्तमान में यह ताम्रवारि नदी कहलाती है, जो मद्रास प्रान्त में चित्तर नदी से मिलती है।

उत्पलावती नदी - ब्रह्मपुराण, मत्स्य पुराण, वायुपुराण, कूर्मपुराण आदि में इसका उद्गम स्थान मलय को माना गया है। वामन पुराण में इसे भी शुक्तिमान पर्वत से निःसृत बतलाया गया है।

मार्कण्डेय पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में पुण्यजाति नदी को भी मलय पर्वत से निःसृत माना गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मलय पर्वत सात कुल पर्वतों में से एक पर्वत है। जो भारतवर्ष में विद्यमान हैं। परन्तु किसी भी पुराण में इस पर्वत की अवस्थिति का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। पुराणों में इस पर्वत का नामोल्लेख कुल पर्वतों में किया गया है और इससे निःसृत नदियों को बताया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस पर्वत की अवस्थिति कहां है। परन्तु वर्तमान में सभी विद्वान् इस पर एक मत है कि इस पर्वत की अवस्थिति दक्षिण भारत में है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि “दक्षिण भारत का नीलगिरि पर्वत, जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एक दूसरे से मिलकर एक बंकिम रेखा के समान आकार धारण करती हैं। इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष बहुतायत से होते हैं और इसी कारण चन्दन मलयज के नाम से विख्यात है।” कावेरी नदी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मलयगिरि कहलाता है। इसे त्रावणकोण पहाड़ी भी कहते हैं। प्राचीन काल में यहां ऋषि अगस्त्य का आश्रम था, इसलिए यह अगस्त्यकूट पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध था।

सन्दर्भ ग्रंथ- सूची

1.विष्णुपुराण – (मूल पाठ हिन्दी – अनुवाद), अनुवादक: मुनिलाल गुप्त, गीता प्रेस, गोरखपुर, १९६५.

२.अग्निपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर

३.ब्रह्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर

४.वायु पुराणम्, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, १९०५

५.भविष्य पुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, बाम्बे, १९५०.

६.गरुड़ पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर

७.मत्स्य पुराण, तारिणीश झा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९८९.

८. भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर

९.वामन महापुराण, ओमनाथ बिमली, कन्हैयालाल जोशी, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, २००५.

१०. विष्णुपुराण तत्त्वदर्शन (संस्कृत – हिन्दी), किशोर विद्या निकेतन, वारणसी, १९८

११.पुराण विमर्श, बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी,१९७८.

१२.इतिहास पुराण का अनुशीलन, रमाशंकर भट्टाचार्य,वाराणसी, १९३३.

१३.पुराण परिशीलन, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, १९७०.

१४.पुराण इतिहास विमर्श, प्रो. आर. आई. नानावती, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, १९७८.

१५.वामन पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन, श्रीमती मालती त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, १९९३.

वैयाकरणवृचि शक्तिलक्षणा व्यञ्जनारुपश्च चिन्तनम्

डॉ. सांवरिया लाल शर्मा
व्याकरणाचार्यः, अध्यापक,
राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय,
सदारा केकड़ी , अजमेर,
राजस्थान,भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 33-55
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांशः– "गतोऽस्तमर्कः" इत्यादिवाक्ये "अर्कः अस्तं गत" इत्यस्य मुख्यार्थस्य बाधाभावेऽपि ब्रह्मचारिणं प्रति गुरुणा प्रोक्तस्यास्य वाक्यस्यार्थः "सन्ध्या वन्दनकालः समुपागत" इति। परञ्च वक्तृभेदाच्चोररूपवक्त्रोद्यमानाच्चौरकर्मकालः इति भिन्नार्थबोधः साहित्यकानां कृते तु व्यञ्जनावृत्तिर्हृदयमेव। अतो वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं काव्यस्य उत्तमत्वं साहित्यिकैरङ्गीक्रियते। वाच्यार्थस्य गौणत्वे तु काव्यस्य मध्यकाव्यत्वम्। व्यङ्ग्यार्थस्य राहित्ये तु काव्यस्य अधमत्वं तैरङ्गीक्रियते। अस्मिन् विषये काव्यप्रकाशादौ विस्तृतं प्रोक्तं, प्रकृते च तस्य विवेचनं नोपयुक्तम्।

मुख्यशब्दः– वैयाकरणवृचि, शक्तिलक्षणा, व्यञ्जना, वाक्यस्यार्थः, काव्यप्रकाशः, शाब्दबोधः, हेतुः।

वृत्तिलक्षणं चित्रनम् - शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानं कारणं भवति। येषां पदानामर्थनिरूपिवृत्तिज्ञानं नास्ति ततः पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधश्च न जायते। वृत्तिश्च दाह प्रति वन्यादिवन्न स्वरूपेण हेतुः तस्याः स्वरूपतः सर्वत्र सत्त्वात् सर्वेषां बोधापत्तिरिति ज्ञाताया एव तस्याः हेतुत्वमभ्युपेयम् तत्तत्पदनिष्ठवृत्तिज्ञानशून्यस्य पुरुषस्य तत्तत्पदश्रवणेऽपि बोधानुदयात्। शब्दश्रवणमात्रेण सर्वेषां बोधो न भवति अतस्तत्तविषयकशाब्दबोधं प्रति तन्निरूपितवृत्तिज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकृतम्। तेन पटत्ववद्विषयकबोधे पटत्ववन्निरूपितवृत्तिज्ञानस्य हेतुत्वान्न पटपदात् घटादिबोधः । गुडपदेन गुडप्रकारकबोधस्यैव दर्शनात् मधुरत्वाद्यनेकधर्मसत्वेऽपि गुडत्वप्रकारिकैव गुडपदे वृत्तिः न मधुरत्वादिप्रकारको बोधः। तदुक्तं मञ्जूषायाम्- अत एव 'न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते' इति समर्थसूत्रं भाष्यं सङ्गच्छते। गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्नो गुडपदवाच्य इत्येव बोधो जातिप्रकारकः । मधुरत्वं तु 'गुडो मधुर ऐक्षवत्वाद्' इत्यनुमानान्तरगम्यम्।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

नैयायिकैः शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानं पदज्ञानं च स्वातन्त्र्येण कारणमुक्तं परन्तु पृथक-पृथक् तयोः शक्तिस्वीकारे कार्यकारणभावद्वयकल्पने महद् गौरवं स्यादिति लाघवाद् विशिष्टस्य कारणत्वं शाब्दिकैः स्वीक्रियते। तदुक्तं परमलघुमञ्जूषायाम्-तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपि तवृति विशिष्ट ज्ञानं हेतुः इति।[1]

ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च स्वविषयकोदबुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्यस्वाश्रयप दविषयकत्वोभयसम्बन्धेन बोध्यम् ।[2] एवञ्चोक्तरीत्या तत्तत्पदादिनिष्ठशक्तिज्ञानं जायते। तेन च शक्तिविषयकः संस्कारो जन्यते। स च संस्कारः श्रावणप्रत्यक्षविषयीभूतपदरूपोद्बोधकवशादुबुद्धः सन् स्वविषयशक्तिविषयिणीं स्मृतिं जनयति। स्मृता च शक्तिः पदार्थविषयकं ज्ञानमुत्पादयति। तदेव ज्ञानं स्मृतिरूपोपस्थितिः ज्ञानान्तरं वाऽभिधीयते। उपस्थितिरूपज्ञानाच्छक्तिविषयक संस्काराद् वा आकांक्षादिकारणान्तरसत्वे शाब्दबोधो जायते। यथा च यस्य यत्पदे वृत्तिज्ञानं जातं तस्य तत्पदे वृत्तिः स्वविषयकसंस्कारद्वारा विषयतासम्बधेन सम्बन्धितया वा वर्तते इति वृत्तिवैशिष्ट्यं ज्ञाने सुलभम् । अयं भावो यत्र पदस्य श्रावणप्रत्यक्षादिकं वृत्तेश्च स्मरणात्मकं ज्ञानं तत्र विषयता वृत्तिज्ञानं पदज्ञानं च पदरूपे विषये वर्तते, उभयोरपि पदविषयकत्वाद् इति सामानाधिकरण्यं सुलभम् । घटपदे गृहीतवृत्तिकस्य कलशपदेन शाब्दबोधवारणाय पदरूपदेशमादाय सामानाधिकरण्यम्। उक्तकार्यकारणभावादेव नागृहीतवृत्तिकस्य नापि विस्मृतवृत्ति कस्य, नापि तत्पदमजानतो, नापि घटपदाश्रय- त्वेनोपस्थितस्याकाशादेः नापि जनकतनया चैत्रादेश्च बोधः इत्युक्तं मञ्जूषाग्रन्थे। संस्काराजनकशक्तिग्रहसत्वे तेन शाब्दबोधजनने च न मानम्। वैयाकरणनये स्मृति प्रति संस्कारस्य कारणत्वेन कारणमन्तरा कार्यस्यानुत्पादात् व्याप्यभूतस्मृत्या व्यापकस्य संस्कारस्यानुमानमेव कल्पनमत्र बोध्यम्। संस्कारकल्पिकावृत्तिस्मृतिरेव शाब्दबुद्धिरेव वा। एतेन यत्र क्षणे वृत्तिज्ञानं तदव्यवहितोत्तरक्षणे शाब्दबोधो न स्यात् तदानीं संस्कारस्यानुत्पन्नत्वात् द्वितीये क्षणे संस्कारोत्पत्तेः सर्वसम्मतत्वादितिदूषणाभासोऽप निरस्तः। शब्दोऽत्र हेतुत्वज्ञापके चार्थे एवञ्च शाब्दबोधरूपकार्येण साधनेन स्मृतिरनुमीयते, स्मृत्या च साधनेन संस्कार साध्यते।

सा च वृत्तिस्त्रिधा-शक्तिर्लक्षणाव्यञ्जना च। एवञ्च शक्ति लक्षणाव्य जनात्वधर्मत्रयविशिष्टा वृत्तिरिति निष्कर्षः। इदमत्राकूतम्-शाब्दबोधनिष्ठ कार्यतानिरूपित-शक्तिज्ञाननिष्ठकारणता एकरुपेणैव शक्तिरूपसम्बन्धवृत्तिविषय तानिरूपितपदनिष्ठप्रकारतानिरुपितार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपकत्वेन पदप्रकारकर्थवि शेष्यकज्ञानस्य। “शक्तिसम्बन्धेन पदविशिष्टोऽर्थः” शक्तिनिरूपकत्वसम्बन्धेन पदविशिष्टोऽर्थ इत्याकारकोऽयमत्र ज्ञाने शक्तौ संसर्गताख्यविषयताया अक्षतत्वात् । एवञ्च धर्मत्रयविशिष्टा वृत्तिरिति विवेकः । किरणावल्यां वृतिलक्षणन्तु पदार्थस्मृ त्यनुकूलत्वे सति पदपदार्थसम्बन्धत्वम्। पदार्थस्मृत्यनुकूलत्वानुपादाने “घट" पदकम्बुग्रीवादिमदात्मकार्थयोः पृथिव्यादौ यः कालिकसम्बन्धस्तत्रातिव्याप्तिः, पदार्थस्मृत्यनुकूलत्वोपादाने तु वृत्यात्मकसम्बन्धतिरिक्ता ये कालिकादिसम्बन्धास्ते न शाब्दबोधजनकपदार्थस्मरणानुकूला इति

तद्वारणम्। अर्थस्मृत्यनुकूलस्य अदृष्टादौ सत्वादतिव्याप्तिः, तद्वारणाय पदपदार्थसम्बन्ध इति। अदृष्टादिकं न पदपदार्थसम्बन्ध इति तद्वारणकमित्युक्तम्।

शक्तिस्वरूपविवेचनम् - तत्र शक्तिः पदार्थः कः इति जिज्ञासायां नैयायिकास्तावद् “अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः” इत्याकारा “इदं पदमिमर्थं बोधयतु" इत्याकारा वेश्वरेच्छा इति ब्रुवन्ति। इत्थम् इदमर्थविषयकबोधजनकतावदिदं पदं भवतु इत्याकारिका अर्थप्रकारकशब्दविशेष्यकेश्वरेच्छा, इदमर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपिताविष यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितबोधनिष्ठप्रकारतानिरूपितजनकत्वनिष्ठप्रकारनिरूपित विशेष्यताश्रयः पदमिति बोधः। एवं बोधविशेष्यिका विषयताविशेष्यिका नानाविधे श्वरेच्छा विनिगमनाविरहात् कल्पनीया। न च आधुनिके नाम्नि शक्तिर्नास्तीति वाच्यम् “एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादितीश्वरेच्छायास्तत्रापि सत्वात्। अतः आधुनिकैः पित्रादिभिः एकादशे दिवसे उच्चारिते नाम्नि अपि ईश्वरेच्छात्मिका शक्तिरेवेत्यर्थः । एकादशाहः कालीनपुत्रबोधकनामत्वावच्छिन्नोच्चारणकर्ता पिता इति श्रुतिवाक्यार्थः । आधुनिकसङ्केतिते तु न शक्तिरितिसम्प्रदायः ।

ज्ञानेच्छादीनां सविषयाणां विषयतासम्बन्धेन वर्तमानात् विषयतासम्ब न्धेनेच्छावत्त्वं वाचकत्वं, वाच्यत्वञ्च वक्तव्यम्, तादृशस्य वाचकत्वस्य वाच्यत्वस्य च पदे सम्बन्धेऽर्थे बोधे सर्वत्र सत्वात् वाच्यवाचकभावस्य व्यवस्था न स्यात् । ईश्वरच्छाविषयबोधनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकताख्यविषयताश्रयत्वसम्बन्धेनेच्छावत्त्वं वाचकत्वम् । इच्छीयबोधनिष्ठविषयितानिरूपितविषयतावत्वेनेच्छावत्वं वाच्यत्वमिति न सम्बन्धादौ वाचकत्वलक्षणातिव्याप्तिः, अत आह मञ्जूषायां-शक्तेः यद्यपि विषयत्वलक्षणः, सम्बन्धः पदेऽर्थे बोधे च तथापि बोधनिष्ठजन्यतानिरूपितज नकतावत्त्वेन शक्तिविषयो वाचकः, पदजन्यबोधविषयत्वेन शक्तिविषयो वाच्य इति नातिप्रसङ्गः । इतिनव्यन्यायसिद्धान्तः।।

तदेतन्मतं वैयाकरणेभ्यो न रोचते। तथाहि घटमानयेत्यादि श्रुतवता प्रयोज्येनातीतं घटं पश्यन् बालोऽनुमिमीतेऽयं घटानयनकार्यताज्ञानवान् घटाविष यकचेष्टाविषयत्वात् यो यविषयकचेष्टावान् स तद्विषयकज्ञानवान् यथा अश्वारोहणविषयकचेष्टावान् अश्वारोहणविषयकज्ञानवान् तथा चायं प्रयोज्यवृद्धोऽ पीति अयमपिघटानयनविषयकज्ञानवानिति ततश्चेदं प्रयोज्यवृद्धज्ञानं घटमा नयेति वाक्यजन्यम्, तदवाक्यश्रवणाव्यवहितोत्तरत्वमेव जातत्वादित्यनुमानेन तस्मिन् वाक्ये तज्जन्यजनकत्वं निश्चीयते। ततः आवापोद्वापाभ्यामन्वयतिरेकेण च सहचारेण पदेऽपि बोधजनकत्वं निर्धार्यते। आवापः= निक्षेपः, उद्वापो निष्कासनम् यथा घटमानय पटमानय, इत्यादौ निक्षेपनिष्कासने। तच्चेदं पदे वाक्ये वा बोधजनकत्वं पदस्य वाक्यस्य वाऽर्थेन सह सम्बन्धाभावे विषयेण घटादिना सह सम्बन्धानामेव चक्षुरादीनां बोध जनकत्वदर्शनात्। न हि घटेन सम्बन्धेन विना चक्षुरादीन्द्रियं तज्ज्ञानं जनयितुं प्रभवति।

किञ्चेच्छाया जनकत्वस्य वा उभयवृत्तित्वाभावः। इच्छाविषयबोधीयविषयतायाम् इच्छाश्रयतानियामकत्वाभावात्।

अस्यायं भावः- ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं तदेव स्यात् यदा तस्याः सम्बन्धत्वं स्यात् शाब्दबोधोपयिककत्वे सति सम्बन्धत्वस्यैव वृत्तित्वस्वीकारात् । सम्बन्धत्वञ्चाधाराधेयभावनियामकस्यैव दृष्टं सर्वसम्मतञ्च। अत्र चेच्छीयविषयताश्रयबोधनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकत्वाख्यविषयतासम्बन्धेन "अयमर्थः" अयं च शब्दः इच्छावानिति व्यवहारादर्शनात् तस्याः सम्बन्धत्वकल्पनं मनोरथमात्रमेव स्यात्। "सम्बन्धो हि सम्बन्धिद्वयभिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः" इत्यभियुक्तव्यवहारात्। यथा घटवद्भूतलमित्यादौ संयोग रूपः सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नो द्विष्ठो घटनिरूपित संयोगाश्रयो भूतलमिति विशिष्टबुद्धिनियामकः नात्र तथा घटशब्दः इच्छावान् तदर्थो वा इच्छावानिति व्यवहारः।

तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया तद्ग्राहकञ्चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं तच्च सङ्केतः तदेव सम्बन्धः । उभयनिरूपिततादात्म्यवानुभय इत्यर्थपदयोर्व्यवहारात्। शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात्। तस्मादितरेतराध्यासः सङ्केतः तन्मूलकतादात्म्यञ्च सम्बन्ध इति सङ्घातार्थः। तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये– "सङ्केतस्तु पदपदार्थ तयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको सोऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थः सः शब्दः" इति।

सम्बन्धश्च स्वशक्तसङ्केतितविषयत्वम् एतदर्थमेव सङ्केतोपयोगः । अतः एव भाष्यकारोऽपि तादात्म्यसम्बन्धस्यैव शक्तित्वं दर्शयन् "वृद्धिरादैच्" इति सूत्रे ब्रवीति द्वयोरेव सामानाधिकरण्यम् विशेषणविशेष्ययोर्वा इति। अत्रैवोद्योतकारः स्पष्टं ब्रूते "तादात्म्यमेव शब्दार्थयोः शक्तिरिति ।" एवञ्च तादात्म्यसम्बन्धस्यैव शक्तित्वं पर्यवस्यति। यथा पीतो घट इत्यत्र तादात्म्यसम्बन्धेन पीतविशिष्टो घट इति बोधः । तथैव "वृद्धिरादैच" इत्यत्रापि तादात्म्यसम्बन्धेन वृद्धिपदविशिष्ट "आदेच्" इति श्रुतबोधः। किमिदं तादात्म्यमिति चेदत्रोच्यते तभिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमेव तादात्म्यस्य स्वरूपं सिद्धान्तितं शाब्दिकमते। तत्र शब्दस्यार्थे भेदो वास्तवः अभेद: आरोपित इति न भेदाभेदयोरेकत्र विरोधः । ध्वनितं चेदं वाक्यपदी यटीकायां हरिवृषभेण "बुद्धया गृहीतार्थप्रतिपादनाय शब्दप्रयोगादर्थः शब्दस्य निमित्तम् कार्यकारणयोश्चाभेदाध्यवसायात् सोऽयमिति प्रतीयमानं तादात्म्यम्।"

तदेवोक्तं हरिणा -

ज्ञानं प्रयोक्तुर्बाह्याऽर्थः स्वरूपञ्च प्रतीयते।

शब्दरुच्चरितैस्तेषां सम्बन्धः समवस्थितः॥[3] इति।

अत एव "घटः" इतिज्ञानम् इति "घटः" इति पदम् "घटः" इत्यर्थ इति समानाकारत्वेन शब्दार्थज्ञानानां व्यवहारो जायत एव । भेदाभेदात्मकस्य तादाम्यस्य स्वीकारादेव गुड इत्युक्ते न माधुर्याद्यनुभवापत्तिः न वहिनशब्दोच्चारणे मुखदाहाद्यापत्तिः। तच्च

तादात्म्यं सङ्केते एव। एवञ्च शब्दार्थयोः कथञ्चिद्भेदसत्वे एव न मुखदाहाद्यापत्तिः। अभेदे तु घटतदर्थयोरभेदव्यवहारः योऽयं घट: शब्दः योऽयं घटरूपोऽर्थः । एवञ्च इतरेतराध्यासमूलकं यत्तादात्म्यं वर्तते तत्ज्ञानादेव वाच्यवाचकभावरूपसम्बन्धस्य ज्ञाने जाते शब्दार्थप्रतीतिर्भवति । तत्र शब्दार्थयोर्भेदो नैयायिकेभ्य एव रोचते। अभेदस्तु इतरेषाम्। वाक्यपदीयकारो भर्तृहरिस्तु -

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।

अनादिरथैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा॥[4] इति ।

चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां स्वविषयेषु घटादिषु यथाऽनादियोग्यता शब्दानामप्यर्थैः सह तद्बोधकारणतैव योग्यता सैव शक्तिः इति कारिकार्थः। अनया कारिकया बोधजनकत्वरूपा योग्यतैव शब्दनिष्ठाशक्तिरिति स्वीक्रियते। शक्तिरिह सामर्थ्यम् । यथा दीपादौ तेजसि ग्राह्यत्वं ग्राहकत्व सामर्थ्यस्वरूपं सदेवोपयुक्तं न तु ज्ञातम् । तदुक्तं हरिणा -

ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा।

तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥[5] इति।

यथा तेजसः प्रतीपादेः ग्राह्यत्वं ज्ञानविषयत्वं ग्राहकत्वं घटादिविषयक ज्ञान जनकत्वं च द्वे ग्राह्यत्वग्राहकत्वरूपे शक्ती स्तः तथैव सर्वशब्दानां ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं द्वे शक्ती। शब्द एव प्रकाशयन्नर्थं प्रकाशयतीति यावत्। यद्यपि घटे ग्राह्यत्वमेव न ग्राहकत्वम् इन्द्रियेषु ग्राहकत्वमेव न ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च स्वभावादिति तात्पर्यम् । शाब्दिकमते सर्वेषां नानार्थत्वम् । अत एव वृद्धिरादैजिति सूत्रे भाष्ये अनेकशक्तेः शब्दस्येत्युक्तम् शब्दकौस्तुभादावपि घटादौ घटबोधजननसामर्थ्यादेव घटादिपदानां शक्तिर्युत्पादिता। परं सा शक्तिः सम्बन्धेन शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वान्न पदपदार्थयोर्बोधबोधकभावनिया मिकाशक्तिरेव सम्बन्धः। दीपादिगतप्रकाशत्वशक्तावपि सम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथेति दृष्टतवात्! तदुक्तं हरिणा -

उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते।

शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः॥[6] इति।

उपकार्योपकारकयोरुपकारस्वभावः सम्बन्धो यत्रास्ति धर्मः शक्तिरूपः कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते असौ सम्बन्धः शक्तीनामपि कार्यजनने उपकारकः गुणानामपि द्रव्याश्रितत्वनियामक: सम्बन्धः। कः शब्दः कोऽर्थः? इति प्रश्ने घट इत्ययं शब्दो घट इत्ययमर्थ इत्याकारोत्तरदर्शनात् तयोरध्याससिद्धिः । घट इत्याकारकं ज्ञानमिति व्यवहाराब्दज्ञानयोरपि सः इति शब्दस्य शब्दस्वरूपपरता तात्पर्यग्राहकत्वात्। अत एव पदं श्रुतं पदार्थ श्रृणु अर्थं वदतीति व्यवहार इति नागेशः ।

वैयाकरणभूषणसारमतेन तु बोधजनकत्वयोग्यत्वमेव शक्तिः। तादृशयो ग्यता बोधजनकतावच्छेदकत्वेनाभिमतो धर्मः । स च वाच्यवाचकभावरूपः । तत्र यथा लौकिकप्रत्यक्षस्थले चक्षुरादौ तत्कारणत्वनिर्वाहाय काचिदनादिशक्तिः कल्पिका भवति सा

शक्तिः सम्बन्धान्तरमधिकृत्यैव तत्प्रत्यक्षं जनयति। तथैव बोधजनकता वच्छेदकत्वेनाभिमतस्य धर्मस्य शाब्दबोधोपपत्तये सम्बन्धान्तरमपेक्षणीयं भवत्येव। तच्च सम्बन्धान्तरमुक्तप्रत्यक्षस्थले सन्निकर्षः शाब्दस्थले तु तादात्यम्।

इदमत्र बोध्यम् यथा बोधजनकतावच्छेदकत्वेनाभिमतस्य धर्मस्य ज्ञानार्थ सम्बन्धान्तरं तादात्म्यमपेक्षणीयं भवति न तु तादात्म्यस्य ज्ञानार्थम्, तन्मते तादात्म्य सम्बन्धः स्वाभाविकः स च पुरूषप्रत्यनानपेक्षोऽकृत्रिम एव।

वस्तुतो बौद्ध एवार्थः शक्यः पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्धम् तयोस्तादात्म्यम्। तत्र बौद्धे वन्यादावर्थे दाहादिशक्तिमत्वाभावात्। अत एव "शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प" इति विकल्पसूत्रं सङ्गच्छते। शब्दज्ञानमात्रेणानुपाती बुद्धावनुपतनशीलो वस्तुशून्यबाह्यार्थरहितः विशेषेण कल्प्यते इति विकल्पः बुद्धिपरिकल्पितः इति तदर्थः। अत एव –

एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः।

कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः॥[7]

इत्यत्र वन्ध्यासुतादीनां बाह्यार्थशून्यत्वेऽपि बुद्धिपरिकल्पितं वन्ध्यासुतशब्द वाच्यार्थमादायार्थवत्वात्प्रातिपदिकत्वम्। अन्यथाऽर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वाद्युत्पत्तिर्न स्यात्।

यत्तु शशशृङ्गमित्यत्र शृङ्गे शशीयत्वभ्रम एव तार्किकैरुक्तम्। तन्न शशशब्दवाच्यजन्तुदर्शनरूपबोधे सति शशशृङ्गं नास्तीति वाक्ये शश शृङ्गमित्यस्य प्रातिपदिकत्वानापत्तेः। अस्यायमाशय:-शशशब्दवाच्यस्य चतुष्पाद जन्तुविशेषस्य दर्शनरूपबाधसत्वेन एकदेशस्य आनर्थक्येन विशिष्टार्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वं न स्यादिति बोध्यम्। अर्थपदयोस्तादात्म्यात्तत्तदर्थतादात्म्यापन्नः शब्दो भिन्न इति हेतोरर्थभेदाच्छब्दभेद इति व्यवहारः। समानाकारमात्रेण तु एकोऽयं शब्दो बह्वर्थ इति व्यवहारः। समानाकार इत्यस्यानुपूर्व्या एवैक्येन शब्दैक्यव्यवहार इति तात्पर्यम्।

शक्तिग्राहकत्वचित्रनम्

शक्तिग्राहकञ्च

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाऽऽप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥[8] इति।

तत्र व्याकरणं-शब्दशास्त्रम् उपमानं सादृश्यज्ञानात्मकप्रमाणम् कोशा अमरकोशनिघण्ट्वादिः, आप्तवाक्यं प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवत्पुरूषोच्चरितवाक्यम्, व्यवहार: शब्दप्रयोगः प्रयोज्यवृद्धिमुदिद्श्य उत्तमवृद्धादिकृतो गामानयेत्यादिरूपः चेष्टाद्यात्मकः, वाक्यस्य शेषः प्रकृतवाक्यातिरिक्ते वाक्ये प्रकृतवाक्यार्थबोधोपयोगी पदकदम्वोऽर्थवादाद्यात्मकः विवृतिः

विवरणम्-पर्यायादिकम्, सिद्धपदस्य सान्निध्यम् प्रसिद्धपदस्य सन्निद्धि, एतान्यष्टौ शक्तिज्ञानस्य प्रयोजकानि भवन्तीति वृद्धा वदन्ति इति कारिकार्थः।

धातुप्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्भवति। तद्यथा-"वर्तमाने लट्-इत्यत्र लट्प्रत्ययानां वर्त्तमानेन रूपार्थे शक्तिग्रहः । "लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः" इत्यादि व्याकरणबलाद् आख्यातस्य तिप्रभृतेः कर्तरि शक्तिः । तदुक्तम् -

आश्रयोऽवधिरूद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा।

यथायथं विभक्त्यर्थः सुपां कर्मेति भाष्यतः॥[9] इति ।

तत्र व्याकरणादिकं लाघवसहकृतमेव शक्तिग्राहकमिति नैयायिकमतम् । यतो लाघवसहकृतेन "लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः" इति सूत्रेण कृतावेव शक्तिः परिच्छिद्यते न तु कर्तरीति यथैतत्तथोक्तम्। उपमानाद् यथा "गोसदृशो गवयः" गवय पदमजानन् कश्चिद् ग्रामीणः आरण्यकात् पुरुषात् "गोसदृशो गवयः" इति वाक्यं श्रुत्वा उपमानाद् गवयपदार्थ जानाति। एवम् कोशादपि शक्तिग्रहो भवति "गुणे शूक्लादयः" इति कोशेनापि लाघवसहकृतेन गुणे एव शक्तिनिर्धार्य्यते न गुणिनि गौरवात् । गुणिबोधस्तु शुक्लादिपदेभ्यो निरूढलक्षणैवेति तदुक्तेः ।

एवमाप्तवाक्यादपि- यथा "कोकिलःपिकपदवाच्यः" इत्यादि शब्दात् पिकादिपदानां कोकिले शक्तिग्रहः ।

एवं व्यवहारदपि- तथाहि घटमानयेति श्रुतवान् बालो प्रयोज्येनातीतं घटं पश्यन् घटायनरूपं कार्यं घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यवधारयति। ततश्च घटं नय गां बधानानेत्यादिवाक्यादवापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कार्यान्वितघटादौ शक्तिं गृह्णाति।

एवं वाक्यस्य शेषादपि- वाक्यस्य शेषादपि शक्तिग्रहः। यथा यवमयश्चरूर्भवति इत्यत्र यवपदस्य दीर्घशूकविशेषे आर्याणां प्रयोगः, कङ्गौ तु म्लेच्छानाम् । तत्र हि -

यदान्या ओषधयो म्लायन्तेऽथैते मोदमानास्तिष्ठन्ति ।

वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनम् ।

मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः॥ इति।

इतिविध्यर्थाकाङ्क्षया प्रवर्तमानाद्वाक्यशेषाद्दीर्घशूकविषये एव यवपदस्य शक्तिग्रहः । एवं विवरणादपि- विवरणादपि शक्तिग्रहः विवरणं तु तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकल्पनम् । यथा घटोऽस्तीत्यनेन विवरणाद्धटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः। एवं पचतीत्यस्य पाकं करोति इत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यथार्थकत्वं कल्प्यते। एवं प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यादपि शक्तिग्रहः । यथा इह सहकारतरौ

मधुरं पिको रौति इत्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रहः। शक्तिग्रहविषये शब्दशक्तिप्रकाशि काकारस्त्वाह शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम्।

सङ्केतस्य ग्रहः पूर्व वृद्धस्य व्यवहारतः।

पश्चादेवोपमानाद्यैः शक्तिधीपूर्वकैरसौ॥[10] इति।

तत्र हि प्रथमं पदेषु सङ्केतग्रहो वृद्धस्य व्युत्पन्नस्य शब्दाधीनव्यवहारादेव बालानाम्, ननु वृद्धस्य कुतः प्रथमतः शक्तिग्रहः इत्यतः आह तथाहि गामानयेति केनचिन्निपुणेन नियुक्तः कश्चन व्युत्पन्नस्तद्वाक्यतोऽर्थं प्रतीत्य गवानयनं करोति, तच्चोपलभमानो बाल इदं गवानयनं स्वगोचरप्रवृत्तिजन्ये चेष्टात्वान्मदीयस्तनपाना दिवादित्यनुमाय, सा गवानयनप्रवृत्तिः स्वविषयधार्मिककार्य्यताज्ञानजन्या प्रवृत्तित्वा निजप्रवृतिवदिति प्रवृत्तेर्गवानयनधर्मिककार्य्यताज्ञानजन्यत्वं प्रसाध्य, गवानयनगो चरतज्ज्ञानमसाधारणहेतुकं कार्य्यतवाद्धटवदित्येवमनुमिन्वान: प्रथममुपस्थिततत्वाल्ला घवाच्च श्रुतं वृद्धवाक्यमेव तदसाधारणकारणत्वेनावधारयति।

तदनन्तरञ्च गवादिपदानां प्रत्येकमावापोद्वापेन गवादिबुद्धौ जनकत्वमवगत्यानति प्रसक्तये गवादिसङ्केतस्य तदनुकूलत्वं कल्पयति।

कारिकापरार्द्ध व्याकुरुते पश्चात्तु क्वचित्-किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ने उपमानाच्छक्तिग्रहः, शक्तिग्रहप्रकारमाह-यथा गवादिपदशक्तिधीसाचिव्येन गोसादृश्यातिदेशवाक्याद् गवयपदवाच्यत्वबोधोत्तरं गवयत्वजात्यवच्छिन्ने गोसादृ श्यग्रहात् गवयो गवयपदवाच्य इत्याकारः। व्याकरणाधीनशक्तिग्रहस्थलमाह क्वचिच्च व्याकरणात् कर्मत्वादित्यादिपदात् कर्तृत्वादिपरिग्रहः। यथा "कर्मणि द्वितीया" "कर्त्तरि परस्मैपदमि" त्याद्यनुशासनात् कर्मत्वादौ द्वितीयादेः।

क्वचित् कोषादपि, यथा -

गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गस्तु तद्वति।

शीतं गुणे तद्वदर्थाः सुशीमः शिशिरो जडः॥

चूर्णे क्षोदः समुत्पिञ्जपिञ्जलौ भृशमाकुले।

शक्तिभेदनिरूपणम्:- सा शक्तिस्त्रिधा रूढिर्योगो योगरूढिश्च। शास्त्रकृतकल्पिताव यवार्थमानाभावे समुदायार्थनिरूपितशक्ती रूढ़िः, सैव प्रकारान्तरेण वैयाकरणलघुमञ्जुषायां नागेशः शास्त्रकृतकल्पितावयावार्थाप्रतीतौ यदर्थनिरूपितं प्रकृतिप्रत्ययसमुदायमात्रे बोधकत्वं तत्पदे सा तदर्थनिरूपिता रूढिः यथा मणिनूपुरादौ। भ्वादिगणस्थशब्दार्थकमण् धातोरोणादिकः इन् प्रत्यये 'मणिः' इति।

एवं 'णू' स्तुतौ नुवनं नू: सम्पदादिभ्यश्चेति 'क्विपि' नू: इति 'पुर्' अग्रगमने इत्यस्मात् इगुपधात् कप्रत्यये 'पुर्' इति नुवः पुरो नूपुरः अत्रेमौ शब्दो शब्दकर्तृरूपार्थस्तुतिसम्बन्ध्यग्रगमनकर्तारं वा बोधयतः परन्तु रत्नविशेष भूषणविशेष वेति रूढिशक्तत्वमनयोः।
शास्त्रकल्पितावयवार्थमानाभावे समुदायार्थनिरूपिता शक्तिः योगः यथा पाचकादौ इत्यत्र 'पच्' इत्येकः प्रकृतिरूपोऽवयवः ण्वुल् इत्यपर: प्रत्ययरूपोऽर्थः उभयावयवार्थः पाककर्ता इति बुध्यते। "अश्वगन्धापदम्" यौगिकम्। इदं यौगिकरूढमित्युच्यते। रूढिर्योगापहारिणी इति तु प्रकरणाद्यभावे बोध्यम्।

यत्र मण्डपपदादिभ्यो मण्डपानक देः रूढ्यर्थमण्डपादिगुणवत्वेन बोधः तत्र प्रथमप्रतीतरूढिविषयमुख्यार्थत्यागेन योगाद्रूढिपूर्वकलक्षणाया बलवत्वेन लक्षणयैव बोधः।

यत्र शास्त्रकल्पितावयवार्थान्वितविशेष्यभूतार्थनिरूपितं समुदाये बोधकत्वं सा योगरूढिः यथा पंकजादिपदे, तत्र पंकजनिकर्तृपद्मम् इति बोधात्। पद्मस्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानं सम्बन्धप्रतिसन्धानं च विना बाधान्न तत्र लक्षणावसरः। क्वचित्तात्पर्यग्राहकवशात् केवलरूढ्यर्थस्य केवल योगार्थस्य च बोधः "भूमौ पंकजमुत्पन्नम्" कहलारकैरवमुखेष्वपि पंकजेषु इत्यादौ स्पष्टञ्चेदं 'आर्हात्' इतिसूत्रे भाष्ये। अत्र किञ्चिद् विचार्य्यते

शक्तं पदमिति तार्किकाः। तच्च मानाभावात् फलाभावात् स्वग्रन्थविरोधाच्चायुक्तमिति शाब्दिकाः। तथा हि शक्तं पदं चतुर्दा रूढं यौगिक योगरूढमिति यौगिकरूढं चेति। गौः, पाचकः, पङ्कजम्, अश्वकर्णः इति क्रमेणोदाहरणानि। तत्र "पाचकः" इति यौगिकोदाहरणे यच्छक्तं पदं पच् अक इति न तद्यौगिकम् समुदायस्तु यद्यपि यौगिकस्तथापि न शक्तः। एवञ्च शक्तं पदं यौगिकमित्यविचारिताभिधानम्। विशिष्टशक्यभावे सति व्याकरणबोधितार्थप्रकृतिप्र त्ययसमुदायरूपसुबन्ततिङन्तपदत्वं यौगिकपदत्वम्। सत्यन्तं यौगरूढातिव्याप्ति वारणाय तत्र विशिष्टे शक्तिग्रहात्। एवं गौरिति रूढ्युदाहरणमप्यसङ्गतम्, व्याकरणकल्पितप्रकृतिप्रत्ययार्थप्रत्ययाभावे सति समुदायसुबन्तस्यार्थबोधकत्वे रूढपदत्वं यथा मणिनूपुरादीतिरूढिलक्षणानाक्रान्तत्वात्। शास्त्रकल्पितावयवार्थानु सन्धानपूर्वक समुदायशक्त्यार्थबोधकपदत्वं योगरूढत्वम्। यथा पङ्कजादीति। तदाक्रान्तत्वाद्योगरूढत्वं युक्तम्। यौगिकरूढ इति तार्किकोक्तो भेदोऽपि न युक्तः सकृदुच्चरितः सकृदर्थं प्रत्याययतीति न्यायान्मण्डपपदं गृहविशेष रूढं भिन्नं, मण्डपानकर्तरि भिन्नमिति अतिरिक्त भेदस्वीकारे मानाभावात्।

एवं रूढिलक्षणायाः कर्मणि कुशलः इत्युदाहरणमप्ययुक्तम्। उक्तरीत्या कुशले रूढत्वस्य कुशादानकर्त्तरि यौगिकत्वस्य सम्भवात्। द्विरेफपदं भ्रमरे रूढमेव, कोशे भ्रमरपर्याये उपादानात्। न हि कोशे लाक्षणिकोपादानं पर्यायेष्वस्ति। एवञ्च स्ववाच्यपदवाच्यत्वसम्बन्धेन द्विरेफपदस्य भ्रमरे लक्षणेति तार्किकोक्तमपास्तम्, अक्रूरेऽपि उक्तसम्बन्धसत्वेन तत्रातिव्याप्तेश्च उक्तञ्च शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् -

रूढञ्च लक्षकञ्चैव योगरूढञ्च यौगिकम्।

तच्चतुर्दा परैरूढयौगिकं मन्यतेऽधिकम्।।[11] इति।

रूढ-लक्षक-योगरूढ-यौगिकभेदाच्चतुर्विधं स्वमतेन, अन्यमतेन च रूढयौगिकमपि पञ्चममधिकं बोध्यमिति कारिकार्थः । किञ्चिन्नाम क्वचिदर्थे रूढमेव गोप्रभृतौ गवादि "गमे?दामाभ्यां नुर्धेट् इच्चेत्यादेरौणादिकप्रत्ययस्य शक्तिविरहेण यौगिककत्वायोगात्। किञ्चिल्लक्षकमेव यथा तीरादौ गङ्गादि, आद्यव्युत्पत्त्या पूर्वत्तीरे शक्तिग्रहस्याविशिष्टत्वेऽप्याजानिकप्रयोगापत्त्या तदप्रामाण्यकल्पनात् शक्तेः पूर्वपूर्वयोगनियतत्वात्। किञ्चिद्योगरूढमेव, यथा पङ्कजाते पद्मादौ पङ्कजादि। किञ्चिद्यौगिकमेव, यथा पाककर्नादौ पाचकादिः ।

रूढयौगिकमप्यधिकं नाम यथा मण्डपमहारजतादि तद्धि कदाचिदवयववृत्त्या योगार्थमेव, कदाचिच्च समुदायशक्त्या रूढ्यर्थमेव अभिधत्ते इत्यपरेषां मतम्। गौर्वाहिक इत्यादौ तु शक्यार्थसदृशत्वावच्छिन्नबोधकतया गौणं गवादिपदं गोसदृशादौ लक्षकमेव न तु ततो भिद्यते ।

संज्ञापरपर्यायरूढं हि नैमित्तिकी पारिभाषिकी औपाधिकीति संज्ञा त्रिविधा। तदुक्तं जगदीशतर्कालङ्कारेण -

रूढं सङ्केतवन्नाम, सैव संज्ञेति कीर्त्यते।

नैमित्तिकी पारिभाषिक्यौपाधिक्यपि तदिभदा।।[12] इति।

यन्नाम यादृशार्थे सङ्केतितमेव न तु यौगिकमपितद्रूढम् योगरूढन्तु पङ्कजादिकं न तथा। रूढानामेव च संज्ञापदेनाभिलप्यते, न तु रूढादिवत् संज्ञापि नाम्नोऽवान्तरभेदः येन विभागव्याघातः स्यात्। सञ्ज्ञायाश्च त्रयो भेदाः नैमित्तिकी परिभाषिकी औपाधिकी चेति।

इत्थं पाचक पाठकादयस्तु च संज्ञा सङ्केतशून्यत्वात् केचिद्रूरूढस्य चतुर्विधत्वमाहुस्तन्मतमुपन्यस्यति -

जातिद्रव्यगुणस्पन्दैर्धः सङ्केतवत्तया ।

जातिशब्दादिभेदेन चातुर्विध्यं परे जगुः।।[13] इति।

जाति-व्यक्ति-गुणक्रियारूपोपाधिषुगृहीतसङ्केतिततया जातिशब्द-व्यक्तिशब्द क्रियाशब्देतिभेदान्नाम्नश्चतुर्विध्यमिति वैयाकरणाः प्राहुरिति कारिकार्थः ।

गोगवयादीनां गोत्वादिजात्या पश्वाढ्यादीनां लाङ्लघनादिद्रव्येण धन्यपिशुनादीनां पुण्यद्वेषादिगुणेन चलचपलादीनाञ्च शब्दानां कर्मणावच्छिन्नशक्ति मत्वाच्चातुर्विध्यमेव रूढानामिति । यदुक्तं दण्ड्याचार्यैः -

शब्दैरेव प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रिया।

चातुर्विध्यादमीषान्तु शब्द उक्तश्चतुर्विधः॥ इति ।

तदेतज्जडमूकमूर्खादीनामन्यशून्यादीनाञ्च शब्दानामपरिग्रहापत्त्या परित्य क्तमस्माभिः।

नैमित्तिकसंज्ञां लक्षयति -

जात्यवच्छिन्नसङ्केतवती नैमित्तिकी मता।

जातिमात्रे हि सङ्केतेतद्व्यक्तेर्भानं सुदुष्करम्॥[14] इति।

स्वमतेनोक्ता नैमित्तिकी संज्ञां लक्षयति। जातिविशिष्टव्यक्तौ गृहीतसङ्केता संज्ञा नैमितिकीयर्थः । मीमांसकमतानुसारेण जातिमात्रे यदि सज्ञायाः सङ्केतो गृह्यते तदा व्यक्तिभावसंज्ञया न स्यादिति परार्धार्थः। यन्नाम जात्यवच्छिन्नसङ्केतवत् सा नैमित्तिकी संज्ञा, यथा गौचैत्रादिः। सा हि गोत्वचैत्रत्वादिजात्यवच्छिन्नमेव गवादिकमभिधत्ते न तु गोत्वादि जातिमात्रम् गोपदं गोत्वे सङ्केतितमित्याकारकग्रहाद्गामानेत्यादौ गोत्वादिना गवादेरन्वयानुभवानु पपत्तेः, एकशक्तत्वग्रहस्यान्या नु भावकत्वेऽतिप्रसङ्गात् ।

जातिमात्रे पदस्य शक्तिरिति वादिनां तौतातितानां भाट्टानां मतं दूषयितुं तन्मतमुपन्यस्यति। ननु 'गामानये' त्यादौ गोत्वादिकर्मताकत्वेनैवानयनादेरन्वयर्धा गोंत्वादिशक्तत्वेन पदज्ञानस्य गोत्वाद्यन्वयबुद्धिं प्रत्येव हेतुत्वात्।

शक्तितात्पर्य निर्यायक चित्रनम् - सा च शक्तिः संयोगादिर्भिनानार्थशब्देषु नियम्यते। तदुक्तं हरिणा -

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥[15]

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः ।

शब्दस्यार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥[16] इति ।

संयोगादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदः संदेहे तदपाकारणद्वारेण विशेषस्मृति हेतवः निर्णयहेतव इत्यर्थः। उपस्थितानामनेकेषामेकतरमात्रार्थतात्पर्यनिर्णयद्वारा तन्मात्रार्थविषयकान्वयबोधजनका इति तदाशयः। संज्ञासूत्रभाष्येऽपि स्फुटमेतत् । अत्र सामर्थ्यमेवैकं मुख्यं निर्णायकं योगादयस्तदव्यञ्जकप्रपञ्चास्तैः सामर्थ्यस्यैवाभिव्यक्तेरिति परे।

“सवत्सा धेनुः” “अवत्सा धेनुः इति संसर्गविप्रयोगयोरुदाहरणे। धेनुशब्दस्य नवप्रसूतामात्रवाचकत्वमेतेनेदमुक्तम्। नवप्रसूतगवीमात्रवाचित्वे तु सशङ्खचक्रो हरिः इत्युदाहर्त्तव्यम्। निषेधस्य प्राप्तिपूर्वकत्वात्प्राप्तेश्च तत्रैव सम्भवाद् "अवत्सा" शब्देन गौः एवोच्यते। सदृशयोरेव सहचरणस्य दृष्टतया लक्षणया सहचरणशब्दस्य सदृशार्थबोधकत्वेन साहचर्यं सादृश्यमुच्यते। न च सहचरणरूपसादृश्यग्रहणे दशरथापत्ययोरेव सहचरणात्तयोरेव “समलक्ष्मणौ" इत्यत्र ग्रहणं सिध्यति सादृश्यग्रहणे त्वेकस्य

नियतत्वे हि तत्सादृश्यमन्यस्मिन् वाच्यमिति "रामलक्ष्मणौ" इत्यत्र द्वयोरपि नानार्थकतया परस्परसादृश्यग्रहणेऽन्योन्याश्रय इति वाच्यम् "अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या" इति सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्यात् सदृशयोरेव सहप्रयोगनियमेन युगपदेवोभयोः सादृश्यनियमात् तदाह-नान्योऽन्याश्रयः। साहचर्य सादृश्यम् सदृशयोरेव सहप्रयोगनियमात्। 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इत्यत्र जुहोत्यादिपदार्थवशात् अञ्जलिपदस्य तत्तदाकाराञ्जलिपरत्वम्। "सैन्धवमानय" इत्यादौ प्रकरणेन तत्। "अक्ता शर्करा उपदधाति" इत्यादौ 'तेजो वै धृतम्' इति घृतस्तुतिरूपात् लिङ्गात् "अक्तः इत्यस्य घृतसाधनाञ्जनपरत्वम्। "रामो जामदग्न्यः इत्यादौ जामदगन्यः" पदसन्निधानेन रामः परशुरामः । "अभिरूपाय कन्या देया' इत्यादावभिरूपतराय" इतिसामर्थ्यात् प्रतीयते।

यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा।

यश्चैनं गन्धमाल्याभ्यां सर्वस्य कटुरेव सः।।[17]

इत्यादावौचित्यात् "परशुना" इत्यस्य छेदनार्थत्वम्। "भात्यत्र परमेश्वरः" इत्यत्र राजधानीरूपाद् देशात् "परमेश्वरपदं राजबोधकम् । "चित्रभानु ति" इत्यादौ रात्रौ वह्नौ दिवा सूर्ये बोधः। व्यक्तः लिङ्गम् "मित्रो भाति" "मित्रं भाति अत्राद्ये सूर्यः अन्त्ये सुहृद् । "स्थूलपृषतीम्" इत्यादौ स्वरात्तत्पुरुषबहुव्रीह्यर्थनिर्णयः।

आदिना षत्वसत्वणत्वनत्वादि। "सुषिक्तम्" इत्यत्रोपसर्गोऽन्यार्थः । "सुसिक्तम्" इत्यत्र पूजार्थः सु प्रवचनीयः। प्रणायके प्रणयनक्रियाकर्ता णत्वात्। प्रनायके प्रगतनायकदेशबोधः इति पुञ्जराजः।

क्वचित्प्राकरणिकार्थबोधोत्तरं वक्तृबोद्धव्यवैशिष्ट्यप्रतिभादिसहकारेण द्विती यार्थबोधोऽपि यथा "गतोऽस्तमर्क: इत्यादौ वक्ता धार्मिकश्चेत्तदा तेन सन्ध्यावन्दनसमयो गम्यते यदा च बोद्धव्यस्तादृशस्तदापि स एवार्थो गम्यते। एवं वक्तृबोद्धव्ययोर्दुष्टत्वे स्तेयाद्यवसरावगमः। एवमेव "सुरभिमांसम्" अत्र मांसलाभोन्मुखं प्रति सुरभिमांसमपेक्षते इति श्यालकवचने अण्डकोशादि प्रतीयते।

।।इति शक्तिस्वरूपविचारः।।

शक्तिरूप विचारसारः - भूषणसारग्रन्थानुसारं पदे पदार्थबोधिकया काचिद् योग्यता अनादिकालस्तिष्ठति सैव शक्तिरिति। यथा- चक्षुरादीन्द्रियेषु घटादिपदार्थस्य रूपादिग्रहणस्य नैसिर्गिकी योग्यता भवति तथैव शब्दादीनामपि अर्थैः सह तद्बोधकारणतारूपा या काचिद् योग्यता भवति सैव शक्तिरित्युच्यते। तदुक्तं वैयाकरणभूषणसारे -

"इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।

अनादिरथैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा"||[18] इति।।

शाब्दबोधाय बोद्धरि वृत्तिविशिष्टज्ञानमपेक्ष्यते तदुक्तं वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायाम्- "तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः"[19] इति। अर्थाद् यस्य जनस्य घटत्वावच्छिन्नघटविषयकवृत्तिविशिष्टं ज्ञानं न भवति तस्य कृते अयं घटपदार्थ इति शाब्दबोधो न जायते। नैयायिकास्तु "अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इदं पदमिमर्थं बोधयतु" इत्याकारिकामिच्छामीश्वरेच्छां वा शक्तित्वेन स्वीकुर्वन्ति। प्रथमे लक्षणे अर्थप्रकारकः पदविशेष्यको बोधः द्वितीये च लक्षणे पदप्रकारकोऽर्थविशेष्यको बोधः । नागेशभट्टस्तु नैयायिकोक्तमेतन्मतं निराकृत्य उक्तवान्-इच्छायाः सम्बन्धिनोराशयतानियामकत्वाभावात् शक्तित्वं न युक्तम् । न हि कश्चित् घटशब्दः इच्छावान् तदर्थो वा। इत्थं सम्बन्ध एव शक्तिः। स च द्विष्ठः तदुक्तं मजूषायां - सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः उभयाश्रितः विशिष्टबुद्धिः नियमाकश्च[20] । इत्थं वाच्यवाचकभावपरपर्याय एव शक्तिः ।[21] इतिशक्तिस्वरूपविचारः

लक्षणास्वरूपविमर्शः - अत्र तार्किकाः स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा। शक्यसम्बन्धत्वं लक्षणाया लक्षणम्। शक्यस्य शक्त्योपस्थापितस्यार्थस्य, सम्बन्धः यः कश्चित् सामीप्यसादृश्यादिर्यथायोग्यं सम्बन्धः स एव लक्षणा इति तदर्थः। स्वपदेन शक्तं पदं ग्राह्यम् । यादृशानुपूर्व्यवच्छिन्नं नाम, यद्धर्मविशिष्टयन्निरूपितशक्तिशून्यत्वे सति

यद्धर्मविशिष्टनिरूपितसम्बन्धवन्निरूपितशक्तिनिरूपकं तद्धर्मप्रकारक तद्विशेष्यबोधे तादृशानुपूर्व्यवच्छिन्नं नाम लक्षकमिति लक्षणार्थः। शक्यसम्बन्धो लक्षणेति संक्षि प्तार्थः । प्राञ्च अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिश्च लक्षणाबीजे। नव्यास्तु तात्पर्यानु पपत्तिमेव सर्वत्रानुगतलक्षणाया बीजं वदन्ति। अत आहुः मुक्तावल्याम् लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः ॥इति।

लक्षणाविषये नैयायिकास्तु तत्र लक्ष्योपस्थितिनियामकः सादृश्यात्मकः सम्बन्धो गौणी, तदरिक्तस्तु शुद्धलक्षणेति व्यवह्ियते। शुद्धाप्युपादानलक्षणभेदेन द्विविधा। तत्र मुख्यसंसृष्टान्यार्थोपस्थापकत्वमुपादानत्वम्। शक्याविषयकलक्ष्यार्थोप स्थितिजनकत्वं लक्षणत्वम्। 'यष्टीः प्रवेशय' गङ्गायां घोषः" इत्यादिके यथायथमुदाहरणे। तत्राप्याद्याऽजहत्स्वार्था, अन्त्या च जहत्स्वार्थत्युच्यते। तभेदान्तराणि त्वन्यतोऽवधार्याणीति नैयायिका आहुः ।

मीमांसकास्तु-उक्तयुक्त्या लाक्षणिकपदस्य वाचकत्वपरिहारेऽपि नेश्वरे च्छायाः शक्तितत्वम्, ईश्वरस्यैवानभ्युपगमात्। नन्विच्छाया ईश्वरीयत्वमनुपादेयमेवञ्चाऽऽधुनिकसङ्केतज्ञानादपि शाब्दबोधोदयेन तादृशसङ्केतस्य वृत्तितानिर्वाहः। आधुनिकसङ्केतत्वेन तात्पर्यस्याऽपि वृत्तित्वप्रसङ्गस्तु न पदार्थोपस्थितिनियामकसङ्केतस्यैव वृत्तित्वेन तस्याऽतत्त्वात्। तज्ज्ञानस्य साक्षादेव शाब्दधीजनकतया पदार्थोपस्थित्यात्मकव्यापारानपेक्षणाद् वृत्त्युपस्थापितार्थ एव प्रकरणादिना तदवधारणात्।

आधुनिकसङ्केतितडित्थादिपदेषु त्वाधुनिसङ्केतस्य प्रागवधारितस्य डित्था दिव्यक्तिशाब्दधीजनकपदार्थोपस्थितौ नियामकत्वेन तवृत्तित्वस्य सौलभ्यादिति चेदेवमपि सङ्केतस्य निष्प्रतियोगिकतया तदीयोक्तविषयत्वस्याप्यापातरमणीयतया

सम्बन्धित्वासम्भवेन पदार्थानुपस्थापकत्वाद् वृत्तित्वानिर्वाहात् । तस्मात् पदपदार्थ योर्वाच्यवाचकभावनियामकः सम्बन्धः पदार्थान्तरमेव। नाप्यसौ समवेतः अभावादावपि सत्त्वात्। किन्तु वैशिष्ट्याख्येन सम्बन्धान्तरेण वर्तते इत्याहुः।

जगदीशतर्कालङ्कारः शब्दशक्तिप्रकाशिकायां लक्षणाया लक्षणं प्रतिपादयन्नाह -

यादृशार्थस्य सम्बन्धवति शक्तन्तु यद्भवेत्।

तत्र तल्लक्षकं नाम तच्छक्तिविधुरं यदि॥[22] इति।

यादृशानामार्थसम्बन्धवति यन्नाम सङ्केतितं तदेव तादृशार्थे लक्षकं यदि तादृशार्थे शक्तिशून्यं भवेदिति कारिकार्थः। तस्य मतेन मुख्यार्थशक्तिशून्यत्वे मुख्यार्थसम्बन्धार्थशक्तं नाम लक्षकम्। सैन्धवादयस्तु शब्दास्तुरगादिसम्बन्धिनि लवणादाविव तुरगादावपि शक्ता एव। गङ्गादयस्तु तीरादावसङ्गतास्तत्सम्बन्धिनी तीरादिशक्तत्वेन गृहीता एव तीराद्यन्वयं बोधयन्तीति तत्र ते लक्षका एव। ननु गङ्गापदं तीरे शक्तं तीरार्थकत्वेन प्रयुक्तत्वादित्यनुमानादिना गङ्गापदस्य तीरादौ शक्तितरनुमेयेति लक्षणमिदमसम्भवतीत्यत उच्यते। तीरादिशक्तत्वे पूर्वपूर्वप्रयुक्तस्वापत्तेः शक्तत्वस्य तद्व्याप्यत्वात् तथा चोक्तानुमानं स्वरूपासिद्धमिति तीरादौ गङ्गादिपदस्य न शक्तिसाधकमिति भावः। यद्यपि गङ्गातीरत्वाविशिष्टे गङ्गापदस्य पूर्वपूर्वप्रयुक्तत्वमस्त्येव, तथापि गङ्गात्वविशिष्टापेक्षया गङ्गातीरत्वाविशिष्टे लक्षणैव लघुनो गङ्गात्वस्य शक्त्यतावच्छेदकत्वादिति ध्येयम्। कथञ्चित्तीरादिसम्बन्धित्वेन गृहीतादपि गङ्गादिपदात्तीरादेरन्वयाबोधेन तीराद्यशक्तत्वे सति तत्सम्बन्धितामात्रन्तु न लक्षणा, गङ्गागङ्गायां घोष इत्यादावपि गङ्गागङ्गेतिभागस्य निरूक्तलक्षणायाः सत्त्वेन वैयर्थ्याभावप्रसङ्गाच्च। एतेन 'तीराद्यशक्तत्वे सति तीरादिपरत्वे तीरादिपरत्वं तीरादिसम्बन्ध्यनुभावकत्वं वा तल्लक्षकत्वमित्यपि प्रत्युक्तम् अपभ्रंशस्यापि लक्षकत्वापातात्। न चेष्टापत्तिः शक्ति लक्षणान्यतरवृत्तिमत्वे तस्य साधुत्वापत्तेः पदसाधुतायां वृत्तिमत्त्वस्यैव तन्त्रत्वात् । केचित्तु शक्यत्वमेव पदसाधुताप्रयोजकं वाच्यं तथा वापभ्रंशादिशब्दस्य न साधुत्वप्रसङ्ग अत्रोच्यते किञ्चानुभावकत्वं यद्यनुभवस्योपाधायकत्वं तदा घोषादिपदसाकाङ्क्षस्य गङ्गादिपदस्य तीरलक्षकता न स्यात् तेन तीरसम्बन्धिनो नीरस्यानुभवानर्जनात्, स्वरूपयोग्यत्वन्तु गङ्गायामिति वाक्यस्य दुर्वारं तस्या प्याधेयताधर्मिकनीरानुभवं प्रति नीरार्थकनामोत्तरसप्तमीत्वेन तथात्वात् नीराधेयत्वस्य च तीरसम्बन्धित्वानपायात्।

लक्षणाया भेदविषये जगदीशतर्कालङ्कारस्तु शब्दशक्तिप्रकाशिकायां लक्षणाया भेदं प्रतिपादयन्नाह -

जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थनिरूढाधुनिकादिकाः

लक्षणा विविधास्ताभिर्लक्षकं स्यादनेकधा॥[23] इति।

तासां निरुक्तानां लक्षणानां प्रत्येकलक्षणं निरूपयन्नुच्यते काचिल्लक्षणा शक्यावृत्तिरूपेण बोधकतया जहत्स्वार्थेत्युच्यते, यथा तीरत्वादिना गङ्गादिपदस्य। काचिच्छक्यलक्ष्योभयवृत्तिना शक्यवृत्तिनैव वा रूपेणानुभावकत्वाद् जहत्स्वार्था, यथा द्रव्यत्वादिना नीलघटत्वादिना च घटपदस्य। काचिल्लक्ष्यतावच्छेदकीभू ततत्तद्रूपेण पूर्वं पूर्वं प्रत्यायकत्वान्निरूढा, यथा आरुण्यादिप्रकारेण तदाश्रयद्र व्यानुभावकत्वादरुणादिपदस्य। काचिच्च पूर्वं पूर्व ताद्प्ये णाप्रत्यायकत्वादाधुनिकी, यथा घटत्वादिना पटादिपदस्य। आदिना शक्यसदृशत्वप्रकारेण बोधकतया गौण्युपगृह्यते, यथा अग्निर्माणवक इत्यादावग्निसदृशत्वादिना अग्न्यादिपदस्य। तदेवं विविधलक्षणावत्त्वाल्लक्षकं नामापि जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थादिभेदादनेकवि धमित्यर्थः।

ननु गङ्गादिपदात्तीराद्यन्वयबोधानुरोधात्तत्र तस्य लक्षणा स्वीक्रियते, अन्यथा गङ्गादिपदस्य तीरादावसङ्केतितत्वेन तीराद्यन्वयबोधानर्जकत्वप्रसङ्गात्, तथा च गङ्गापदं तीरान्वयबोधानुकूलवृत्तिमत् तीरान्वयबोधजनकयथार्थज्ञानविषयशब्दत्वात् तदन्वयबोधजनकशब्दत्वस्य तवृत्तिमत्वे नियतत्वात् इत्यनुमानादितरबाधसहकारेण तत्र तस्य लक्षणा सेत्स्यति, तदेव न, तादृशानुमानस्य स्वरूपासिद्धत्वादिति मीमांसकमतमुत्थाप्य निषेधयति। यदि तीरादिलक्षकतया गङ्गादिपदस्य ज्ञानं तीराद्यनुभवे भवेद्धेतुर्भवेदप्युक्तक्रमेण लक्षणानां विभागः न त्वेतदस्ति, तीराद्यन्वयबोधं प्रति तीरादिशक्तत्वे नैव पदज्ञानस्य लाघवेन हेतुतया लक्षकाणामननुभावकत्वात् गुरुणा "मग्नौ शैत्यं स्पृशे" दित्यादौ शक्येन दहनादिनेव 'गङ्गायां घोष' इत्यादौ लक्षितेन तीरादिना सार्द्धमगृहीतासंसर्गकस्यैवसप्तम्यर्थावियत्वादेरन्वय बोधप्रविष्ट तवादिति चेन्न।

प्रकृत्यर्थावच्छिन्नस्यैव प्रत्ययार्थस्य धर्म्यन्तरेऽन्वयबुद्धेर्युत्पन्नतयाती राद्यविशेषितस्य सुबर्थाधेयत्वादे?षादावन्वयबोधायोगात्। ननु लक्षकपदज्ञान स्याहेतुत्वेऽपि लक्षितार्थस्य विशिष्टबोध उत्पत्तुमर्हतीति नोक्तदोष इत्यत्र कथ्यते । न च शक्तपदस्यैव स्वसाकाङ्क्षापदान्तरोपस्थाप्यान्वितस्वार्थधर्मिकान्वयबोधं प्रति हेतुत्वादन्वयबुद्धौ लक्ष्यार्थस्याप्रवेशः, 'कुन्ताः प्रविशन्ती' त्यादौ लक्ष्यस्य कुन्तधरादेरन्वयविशेष्यत्वानुपपत्तेः कुमतिः पशुरित्यादौ लक्ष्यार्थयोमिथोऽन्वयबोध स्याप्यानुभविकत्वाच्च। तस्माच्छक्तेरिव भक्तेरपि ज्ञानमनुभावकं भवत्येव, कार्यतावच्छेदकस्य सङ्कोचाच्च न व्यभिचारः।

परमलघुमञ्जूषायान्तु लक्षणाया स्वरूपं निरूपयन् नागेशभट्टेनोच्यते ननु लक्षणा कः पदार्थ? इति चेत् अत्र तार्किकाः प्राहुः- स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा। सा च द्विविधा-गौणी शुद्धा च॥

गौणी तत्र स्वनिरूपितसादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थप्रतिपा दिका। गुणसादृश्यसम्बन्धेन यः शक्यार्थसम्बन्धस्तस्य प्रतिपादिका गौणीत्याशयः। यथा 'सिंहो माणवकः'। अत्र हि सिंहपदस्य शक्यार्थो मृगेन्द्रः। अत्र स्वपेदन सिंहपदमेवाभिप्रेतम। सिंहे ये हि शौर्यादयो गुणा विद्यन्ते तत्सदृशा एव शौर्यादयो गुणा माणवकेऽपि सन्ति। अतोऽत्र माणवके सिंहनिरूपितसादृश्यमस्ति।

तत्सादृश्यस्याधिकरणं माणवकः। अत एतादृशसादृश्याधिकरणत्वरूपसम्बन्धेन माणवकस्यार्थबोधो लक्षणयैव भवति। सैषा गुणसादृश्याश्रितत्वेन गौणीत्युच्यते।

शुद्धा- तदतिरिक्तसम्बन्धेन शक्यसम्बन्ध्यर्थप्रतिपादिका शुद्धा। शुद्धायां कार्यकारणभावादिसम्बन्धोऽपेक्षितो भवति। उपचारामिश्रणादेषा शुद्धेति। यथा 'आयुर्घतम्' इत्यत्र घृतस्यायुर्वृद्धिकारणत्वेन कार्यकारणभावसम्बन्धमाश्रित्य घृतशब्दस्तत्सम्बद्धायुषं लक्षणया बोधयति।।

प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधा-अजहत्स्वार्था जहत्स्वार्था च। ''स्वार्थसंवलितपरार्थाभिधायिका अजहत्स्वार्था''। स्वार्थः-शक्यार्थः। यत्र शक्यार्थलक्ष्यार्थयोरुभयोः क्रियायामन्वयो भवति सा अजहल्लक्षणा। तेन 'छत्रिणो यान्ति' 'कुन्तान् प्रवेशय' 'यष्टीः प्रवेशय' 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यादौ छत्रिसहितसेना कुन्तास्त्रसहितपुरुष-यष्टिसहितपुरुषकाकसहितसर्वदध्युपघातक बोधः इति छत्र्यच्छत्रिषु गच्छत्सु छत्रिणां बाहुल्येन छत्रिणो यान्तीत्यच्छत्रिषु यानकर्तृत्वानुपपत्त्या ''छत्रिपदस्य छत्र्यच्छत्र्युभयसाधारणे एकसार्थवाहित्वविशि ष्टेऽजत्स्वार्थलक्षणा। ''यानानुकूलकृतिमन्त एकसार्थवाह'' इत्यन्वयबोधः । अत्रैकसार्थवाहित्वेन रूपेणाच्छत्रिणामिव छत्रिणामपि गमनेऽन्वयः। यत्र शक्यार्थस्य विशेष्यतया क्रियाद्यन्वयस्तत्राजहत्स्वार्था यथा छत्रिणो यान्ति'' इत्यादौ, अत्र हि न शक्यार्थो लक्ष्यार्थे विशेषणीभूयान्वेति। ''यष्टीः प्रवेशय'' इत्यादौ तु जहत्स्वार्थव यष्टेः पुरुषविशेषणतयाऽन्वयादिति तार्किकोक्त खण्डयति-कुन्तास्त्रसहितपुरुषबोधः । कुन्तिनि पुरुष संयोगेन कुन्तो विशेषणम्, तथा च कुन्तिनामिव कुन्तानामपि प्रवेशक्रियायामन्वयः इति तत्राप्यजहत्स्वाथैव। जहत्स्वार्थाया लक्षणन्तु मञ्जूषायाम् स्वार्थपरित्यागेनेतरार्थाभिधायिकाऽन्त्या। तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थन्वयि नाऽनन्वयित्वम। तेन 'गां वाहीकं पाठय' इत्यादौ गोसदृशलक्षणायामपि न गोस्तदन्वयिपाठनक्रियान्वयित्वम् ।

''काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्'' इति वाक्यघटककाकपदस्य दधिनाश कत्वावच्छिन्ने जहत्स्वार्थलक्षणा काकवदनिष्ठकारकत्वसम्बन्धात्मिका भवति। तत्र दध्युपघातकेभ्यः सर्वेभ्यः दधिनिष्ठाया नाशप्रतियोगिताया अभावस्य वक्तुरिच्छाविषयत्वात् तादृशतात्पर्यस्य काकपदशक्यार्थे काकेऽनुपपत्त्यात्मकबीजा लक्षणा उद्भाव्यते।

''काकेभ्य इत्यत्र पञ्चम्या जन्यत्वमर्थः, व्यापारो नाशानुत्पत्तिश्च धात्वर्थः एकपदार्थयोरपि व्युत्पत्तिवैचित्र्येण विशेष्यविशेषणभावेनान्वयः, तथा च ''दध्युपघा तकजन्यनाशोत्पत्तिप्रतियोगिकत्ववत्कर्तृव्यापारप्रयोज्याभावाधिकरणं दधीति शाब्द बोधः। अत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणया लक्ष्यतावच्छेदकदध्यपुघातकत्वेन रूपेण काकस्यापि क्रियायामन्वयादजहत्स्वाथैव भावः । इयञ्च गौणी लक्ष्यार्थस्य विडालादेः सादृश्यसम्बन्धेन शक्यार्थसम्बद्धत्वात्।

सा च लक्षणा तात्स्थ्यादिनिमित्तिका। तदाह -

तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धात् तत्सामीप्यात् तथैव च।

तात्साहचर्यात् तादाज्ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः ॥ इति।

तात्स्थ्यात् 'मञ्चा हसन्ति' 'ग्रामः पलायितः' । ताद्धात् 'सिंहो माणवकः' 'गौर्वाहीकः । तत्सामीप्याद् 'गङ्गायां घोषः' तत्साहचर्याद् 'यष्टीः प्रवेशय'। तादाद 'इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः' ॥इति॥

जगदीशतर्कालङ्कारस्तु - तत्र अन्वयानुपपत्तिज्ञानस्य लक्षणाबीजत्वं हि न तज्जकत्वं शक्य सम्बन्धात्मिकाया लक्षणायास्तदजन्यत्वात् नापि तज्ज्ञापकत्वं मुख्यार्थान्वयानुपप त्तिज्ञानमन्तरेणापि प्रमाणान्तरेण तद्ग्रहसम्भवात् अत एव न लक्ष्यार्थता त्पर्यग्राहकत्वमपि प्रकरणादितोऽपि लक्ष्यार्थपरत्वग्रहात्। न च लक्षणाजन्यान्वयबोधं प्रति तस्याः कारणत्वमेव लक्षणाबीजत्वमिति साम्प्रतम् "यष्टीः प्रवेशये" त्यादौ व्यभिचारात् तादृशहेतुतायां प्रमाणाभावाच्च इति बोधकशब्दस्य पदार्थैकेदेशे लक्षणायां जहदजहल्लक्षणेति व्यवहर्तृणां केषाञ्चन नैयायिकानां वेदान्तिनां च मतमुपस्थापयति नागेशः। तेषां मतेन वाक्यार्थे किञ्चिदंशत्यागः किञ्चिदंशपरिग्रहश्च । अत्र ग्रामैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धः पटैकदेशे च दग्धे पटोदग्धः इति व्यवहारः "तत्त्वमसि' इत्यत्र सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वयोस्त्यागः शुद्धचैतन्ययोरभेदान्वयः। परम् "आढ्यमिदं नगरम्" इति भाष्योक्तरीत्या "ग्रामो दग्ध' इत्यादौ लक्षणाया अभाव एव। किञ्च "तत्त्वमसि" इत्यादौ जहदजहल्लक्षणायाः सत्वेऽपि जहल्लक्षणयैव निर्वाहः नञः प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाभावबोधकत्वात् इति। ननु शक्यसम्बन्धो लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि नैयायिकमते वाक्ये शक्तेरभावात् शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नैव स्यात्। मीमांसकास्तु स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणेति ब्रुवते गभीरायां नद्यां घोष इत्याद्यनुरोधात्। तथाहि न तावत् गभीरपदं तीरं तीरलक्षकं नद्यामित्यन्वयापत्तेः । तस्मात् समुदायबोध्यगभीरत्वविशिष्टनदीपदार्थः तत्सम्बन्धो लक्षणा। द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्यभ्रमरशब्दवाच्यार्थे लक्षणायां लक्षितलक्षणेति व्यवहारः ।

लक्षणा स्वरूपविचार चित्रनम् - वैयाकरणास्तु वृत्तेः द्वैविध्यमेव अङ्गीकुर्वन्ति शक्तिर्व्यञ्जना चेति। तथा च वैयाकरणमते वृत्तिर्नाम शक्तिव्यञ्जनान्यतररूपा। नैयायिकाः शक्तिः लक्षणा चेति। अन्येषां मते वृत्तिस्त्रिधा शक्तिलक्षणा व्यञ्जना च। तेषां मते तु वृत्तिर्नाम नाम शक्तिलक्षणाव्यजनान्यतमरूपा। तथाहि वैयाकरणमते गङ्गादिपदे प्रवाहतीरायुभयविषयनिरूपिता शक्तिः वर्तते। "गङ्गायां धार्मिकः स्नाति' इत्यादिस्थले "गङ्गादिपदस्य" जले शक्तिः। एषा च प्रसिद्धा। परं "गङ्गायां घोषः' इत्यादिस्थले गङ्गापदे तीरादिपदार्थः बोधिका शक्तिः सा च अप्रसिद्धारूपा। तथा हि आमन्दबुद्धिवेद्यत्वं प्रसिद्धात्वं तभिन्नत्वम् अप्रसिद्धात्वं च। नैयायिकोक्तलक्षणादिरूपा या वृत्तिः वैयाकरणमते सैव अप्रसिद्धा शक्तिः । "इको यणचि' इति सूत्रे भट्टोजिदीक्षितेनोक्तम्-प्रत्याहारजन्यबोधे तद्वाच्यवाच्ये निरुढालक्षणा इति। सा तु शक्तिरेव। नागेशस्तु नैयायिकोक्तं मतं प्रकारान्तरेण उपस्थाप्य अन्ते च प्रसिद्धा- प्रसिद्धति शक्तेर्भेदद्वयं स्वीकृत्य लक्षणा निराकृता। शक्यताऽवच्छेदकारोपारूपालक्षणेति नागेशोक्तं वाक्यं न लक्षणायाः

स्वीकरणम् अपितु नैयायिकोक्तमतस्य शब्दान्तररूपम्। नैयायिकास्तु स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणाः । तथा च "गङ्गायां घोषः" इत्यादौ स्वपदेन गङ्गापदं ग्राह्यं तच्छक्यः प्रवाहः तस्य सामीप्यसम्बन्धेन तीरस्य बोधः । अतः घोषस्य आधारता तत्र सम्भवति। नो चेत् आभीरपल्या घोषस्य प्रवाहादौ आधारता न सम्भवति ।

अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिः वा लक्षणाया बीजम्। "गङ्गायां घोषः" इत्यादौ गङ्गादिपदे घोषादेराधारतायाः अन्वयस्य अनुपपत्तेः गङ्गादिपदेन संकेतितार्थस्य परित्यागो भवति, एवं तस्य सम्बन्धिनः पदार्थानन्तरस्य बोधो भवति। येन अन्वयस्य उपपत्तिर्जायते। न च घोषादिपदस्य एव मीनादौ लक्षणया अन्वयानुपपत्तिरूपो दोषः अपाकर्तुं शक्यते। तथापि वक्तुः तथा तात्पर्याभावाद् गङ्गापदस्य एव तीरादौ लक्षणा क्रियते। इत्थं तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणायाः बीजं स्वीकर्तव्यम्। उभयविध बीजस्वकारे तु गौरवम्।

नैयायिकोक्तम् एतन्मतं "गभीरायां नद्यां घोषः" इत्यादौ न सङ्गच्छते। यतो हि यदि नदीपदस्य तीरे लक्षणा क्रियते, तदा शुष्कप्रदेशस्य तीरस्य गभीरपदार्थेन सह अन्वयो भवितुं नार्हति। न हि तीरं गभीरमिति। न हि गभीरपदस्य तीरे लक्षणा कर्तुं शक्यते। अतः स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति मीमांसाकैरङ्गीक्रियते। तेन गभीराभिन्ना या नदी तस्याः तटे लक्षणा क्रियते तस्य घोषाधारं सङ्गच्छते।

लक्षणायाः भेदविषयेऽपि विद्वत्सु मतैक्यं नास्ति। केचित् शुद्धा, गौणी इति भेदेन लक्षणायाः भेदद्वयं स्वीकुर्वन्ति। तथा हि- सादृश्यसम्बन्ध्यर्थबोधिका गौणी यथा- "गां पाठय" इत्यादौ पठन् क्रियायाः सास्नादिमति गोपदार्थेऽन्वयाभावात् गोस्थितमान्द्यादि सादृश्यत्वाद् गोपदार्थस्य तत्सादृश्यबालके बोधः । सादृश्यान्यसम्बन्ध्यर्थनिरूपिता शुद्धा यथा- "गङ्गायां घोषः" इत्यादौ सामीप्यादिसम्बन्धबोधः। एतदेव प्रकरान्तरेण जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थेति उच्यते। जहति स्वार्थं पदानि यत्र सा जहत्स्वार्था यथा- "गङ्गायां घोषः" इत्यादौ गङ्गापदं स्वीयं जलादिरूपमर्थं परित्यज्य तीरादिरूपार्थं बोधयति "कुन्ताः प्रविशन्ति" "छत्रिणो यान्ति" इत्यादौ कुन्तादिपदार्थबोधराहित्यं विनापि तत्सहितपुरुषादिपदार्थस्य बोधः । एवं छत्रिणो यान्ति इत्यत्र छत्रिसहित अच्छत्रिधारिणोऽपि बोधो जायते। नैयायिकाः साहित्यिकाश्च जहदजहद् लक्षणेति भेदान्यमपि स्वीकुर्वन्ति यथा- "तत्त्वमसि' इति वाक्यादौ तत्पदेन सर्वज्ञत्वविशिष्ट चेतनः, 'त्वत्' पदेन च अल्पज्ञत्व विशिष्ट चेतनः, असि क्रियापदेन च तयोरैक्यम् इति कथमभेदान्वय उपपद्येत तदा उच्चते-तत्पदार्थस्य सर्वज्ञात्वांशस्य परित्यागेन चेतनत्वांशस्य परिग्रहेण, एवं त्वत् पदार्थे अल्पज्ञात्वांशस्य परित्यागेन चेतनात्वांशस्य परिग्रहेण च उभयोरेक्ये न काचित् अनुपपत्तिः। वस्तुतस्तु 'तत्त्वमसि' इत्यादौ जहद्जहल्लक्षणायाः सत्त्वेऽपि जहल्लक्षणयैव निर्वाहः नञः प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाभावबोधकत्वात्। इयमेव भागलक्षणा इत्युच्यते। द्विरेफादिपदस्य स्वलक्ष्यभ्रमरशब्दवाच्यार्थे लक्षितलक्षणेति व्यवहारः | यत्र शक्यार्थस्य परस्परासम्बद्धरूपा या लक्षणा

सा लक्षितलक्षणेति वदन्ति केचिन्नायायिकाः। यथा द्विरेफपदे शक्यार्थस्य परस्परासम्बद्धरूपा स्वघटितपदवाच्यत्वात्मिका, स्वं द्विरेफपदशक्यार्थे रेफद्वयम्, तद्धटितं पदं भ्रमर इति तद्वाच्यवाच्यत्वं मधुपे। 'द्विरेफौ रौति' इत्यत्र द्विरेफस्य शब्दकर्तृत्वान्यानुपत्त्या तात्पर्यानुपपत्त्या वा लक्षितलक्षणया मधुपो बुध्यते । एवं द्विरेफपदं तद्बोध्यं भ्रमरपदं तद्वाच्यवाच्यत्वं भ्रमररूपे अर्थे। परे तु द्विरेफ पदं रूढिशक्त्या भ्रमरबोधकः, अवयवादिप्रतीतिस्तु नास्त्येव रथन्तरादिवत्। प्रकारान्तरेणापि लक्षणा द्विधा-प्रयोजनती रूढा च। असति प्रयोजने शक्यसम्बन्धो निरूढा लक्षणा, त्वचा ज्ञातमित्यादौ यथा त्वचस्त्विगिन्द्रिये। इयं तु शक्त्यपरपर्यायैवेति बोध्यम्। सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका' इति भाष्याल्लक्षणाया अभावाद् वृत्तिद्वयावच्छेदककल्पनद्वये गौरवात् जघन्यवृत्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वाच्च न लक्षणा स्वीकार्या। गङ्गादिपदात्तीरार्थबोधस्त्वप्रसिद्धया शक्त्या एव।

व्यञ्जनारूप चित्रनम् - मुख्यार्थबाधग्रहनिरेपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसम्बद्धासम्बद्धसाधारणप्रसिद्धार्थ विषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाधुबुद्धसंस्काराःविशेषोव्यञ्जना नाम। “इति नागेशः।[24]

निश्शेषच्युतचन्दनस्तनतटमित्यादौ मुख्यार्थबाधाभावेऽपि अधमपदार्थपर्या लोचनया व्यङ्गयार्थप्रतीतेर्व्यञ्जना वृत्त्यन्तरमेव। मुख्यार्थसम्बन्धाभावद्रूढ्यादेरभावाच्च न लक्षणा। वक्त्रादीनां वैशिष्ट्यस्य ज्ञानेन प्रतिभया च उबुद्धः संस्कारः । वक्त्रादिनेत्यनेन काव्यप्रकाशकारिकापठिता ग्राह्याः तथाहि -

वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः ।
प्रस्तावदेशकालादेवैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम्।
योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुप्पारो व्यक्तिरेव सा॥[25]

इति प्रकाशादयः। वक्ता कविस्तान्निबद्धश्च बोद्धव्यः प्रतिपादनीयो. जनः । अन्तर्भावितण्यर्थत्वात्। अतो न वाच्येनाभेदः काकुः। शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेर्विकार उच्चारयितुः शोकाद्यानुमापको जातिविशेषः । वाक्यवाच्याभ्यां सहितोऽन्यसन्निधिरिति समासेन निमित्तत्रयम्। अन्योऽत्र वक्तृबोद्धव्यभिन्नः। प्रस्तावः प्रकरणम्। देशो विजनादिः। कालो वसन्तादिः। आदिना चेष्टालीलादिहावपरिग्रहः। वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यम्। तच्च वक्त्रादिषु प्रत्येक सम्बध्यते। पञ्चम्यर्थः सहाकारिरूपहेतुत्वम् । तच्च तदभावे व्यञ्जनानुदयाद्बोध्यम्। प्रतिभेत्यनेनेदं प्रतिपादितं नवनवोन्मे षशालिनी बुद्धिः प्रतिभा तदुक्तम् । प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मतेति।

नवनवोन्मेषो जन्मान्तरीयतद्धीजनकत्वज्ञानजन्यसंस्कारोबोधः। वक्त्रादिवैशि ष्ट्रयसहकारेण तज्जनिका च बुद्धिः प्रतिभेति फलितम् । या वामनेत्युच्यते तस्यां सत्यामेव वक्तृवैशिष्ट्यादिसत्वेऽपि व्यङ्गयप्रतीतिरिति। एवञ्च शक्तिरेव जन्मगृहीतैवार्थबोधिका व्यञ्जना तु जन्मान्तरगृहीतापीत्यपि शक्तेरस्याभेदकत्वम्।

अत्रेदं बोध्यम् व्यञ्जनासामान्यलक्षणं अर्थविषयकः प्रतिभोबुद्धः संस्कारविशेष इत्येव नतिप्रसक्तत्वात्। दीक्षितायुक्ताद्यलक्षणामतेऽनति प्रसङ्गाय मुख्यार्थेति। मध्यमं तु स्वरूपकीर्तनम् तृतीयं तु सहकारि। एवञ्च नियन्त्रितार्थ विषयकधीजनकत्वं शब्दव्यञ्जना। वक्त्रादिवैलक्षणाहेतुका या प्रतिभाशालिनामन्या र्थधीस्तद्धेतुव्यापारत्वमर्थव्यञ्जना। यत्त्वर्थस्य न व्यञ्जकत्वं किन्तु शब्दस्यास्या स्तन्मात्रवृत्तित्वादिति तन्न।

रतिकाले विलोक्य श्री भिपद्म पितामहम् ।

रसाकुला छादयते दक्षिणं नयनं हरेः॥

इत्यादौ हरिपदेन दक्षिणनेत्रस्य सूर्यात्मकत्वं तत्सङ्कोचेन सूर्यास्तस्तेन पद्मसङ्कोचस्तेन पितामहस्य गमनं तेनाप्रतिबद्धं रतिविलसितमिति क्रमेण व्यङ्गयेषु प्रतीयमानेषु तत्तदर्थप्रतीत्युत्तरमेव व्यङ्ग्यप्रतीतेरर्थस्यापि व्यञ्जकत्वाव श्यकत्वात्।

पश्यात्र नलिनीपत्रे बलाका दृश्यतेऽचला।

रम्ये मारकते पात्रे शुक्तिरेव च निर्मला ॥

इत्यत्रापि वक्तृतात्पर्यविषयीभूतवाच्यार्थबाधाभावेऽपि तज्ज्ञानाभावेऽपि निश्चलत्वेन शुक्त्युपमया चास्तत्वं तेन तस्य निर्जनत्वं तेन तदेवावयोः सङ्केत स्थानमित्यादिक्रमेण तत्तदर्थव्यङ्गयप्रतीतेर्मुख्यार्थबाधज्ञानसत्वे तदप्रीतेश्च। अत एवाद्यं विशेषणं पदस्य च तत्तत्स्वार्थ बोधने उपरतत्वात् पुनः पुनरनुसन्धाने गौरवं तदननुभवात्। 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादेः शिष्येण सन्ध्यावन्दनादेः कर्तव्यत्वाशयेन गुरुं प्रति प्रयुक्ताद्वक्तृतात्पर्याभावेऽपि प्रातिवेश्यादीनामभिसरणोपक्रमादिबोधस्य वाच्यार्थधीपूर्वकस्य वाच्चार्थबाधज्ञानेऽजायमानस्य लक्षणयोपपादयितुमशक्यत्वाच्च । यत्तु 'गतोऽस्तमर्क' इत्यादौ न व्यञ्जना एकसम्बन्धिदर्शनादपरसम्बन्धि स्मरणवदुपपत्तेरिति तन्न। 'गतोऽस्तमर्क' इत्यादिश्रवणोत्तरं सन्ध्यावन्दनकर्त्तव्यत्वं मया स्मृतमित्यनुव्ययवसायाभावात् ततानुल्लेखात इदं पदमेतदर्थस्य न वाचकं नापि लक्षकं नापि स्माकरमपि तु व्यञ्जनया बोधकमिति प्रामाणिकव्यवहारेणात्यतिरिक्तत्तत्सिद्धेः। असम्बद्धस्यापि व्यङ्ग्यत्वाच्च । एतेन तदर्थानां वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभासहकृतमनसेव विशिष्टधीसम्भवात् चमत्कारं प्रति शाब्दस्येव मानसस्यापि चेष्टानुरोधेन हेतुतायाः क्लृप्तत्वाच्च व्यञ्जनासत्वे न मानम्। प्रतिभा च तत्पदार्थविषयसंस्कारोबोधको बुद्धिविशेष इत्यपास्तम्। व्यङ्गयोऽर्थोऽनुमेय इति त्वयुक्तमेव। विरुद्धानैकान्तिकेभ्यो व्याप्तिपक्षध मतादिनिर्णयाभावेऽपि व्यङ्गयार्थप्रतीतेः ।

किञ्च सिद्धिसत्त्वेऽपि व्यङ्गयार्थबोधदर्शनेन तत्प्रतिबध्यतावच्छेदककोटौ तभेदनिवेशेऽतिगौरवापत्त्या तज्जन्यबोधस्यातिरिक्तत्वे एव लाघवात्। अन्यथा शब्दप्रमाण्योच्छेदापत्तेरिति दिक् । अनया कटाक्षेणाभिलाषो व्यञ्जित इति।

सर्वजनप्रसिद्धरस्यां चेष्टावृत्तित्वमप्यावश्यकम् बोधकत्वस्य चेष्टायां सत्त्वेऽपि तन्निबोधकत्वं न शक्तिश्चेष्टा शक्तिरिति प्रामाणिकव्यवहाराभावात्। किन्तु तज्जन्यबोधे तज्ज्ञानस्य कारणत्वं बोध्यम्। यत्तु तत्तद्वाचकशब्दज्ञानद्वारा चेष्टया बोध इति तन्न। चेष्टया जडमूकादिव्यवहारानापत्तेः। तस्यापि जन्मान्तरेण शब्दस्मरणमित्यन्ये।

व्यञ्जनारूप चित्रनम्- वैयाकरणास्तु व्यञ्जनां स्वीकुर्वन्ति। अत एव भर्तृहरिप्रभृतिभिराचार्यैः स्फोटस्य व्यङ्ग्यत्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जना वृत्तिः स्वीकृता। नैयायिकास्तु व्यञ्जनावृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति ते हि लक्षणायामेव व्यञ्जनामन्तर्भावयन्ति । परमेतन्न युक्तम् । यतोहि लक्षणायां मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः, व्यञ्जनायां तु न तथा। अपि च लक्षणायामप्रसिद्धार्थस्य बोधः व्यञ्जनायां तु प्रसिद्धार्थस्यापि बोधः। लक्षणायां वक्तृ-श्रोतृभेदातन्नार्थभेदः। व्यञ्जनायां तु वक्तृश्रोतृ भेदादर्थभेदः। अत एव वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायां व्यञ्जनायाः स्वरूपं प्रतिपादयता महावैयाकरणेन श्रीमता नागेशभट्टेन प्रत्यपादि-मुख्यार्थबाधनिरपेक्ष इत्याधुक्तमेव।

तथा हि- "गतोऽस्तमर्कः" इत्यादिवाक्ये "अर्कः अस्तं गत" इत्यस्य मुख्यार्थस्य बाधाभावेऽपि ब्रह्मचारिणं प्रति गुरुणा प्रोक्तस्यास्य वाक्यस्यार्थः "सन्ध्या वन्दनकालः समुपागत" इति। परञ्च वक्तृभेदाच्चोररूपवक्त्रोद्यमानाच्चौरकर्मकालः इति भिन्नार्थबोधः साहित्यकानां कृते तु व्यञ्जनावृत्तिर्हृदयमेव । अतो वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं काव्यस्य उत्तमत्वं साहित्यिकैरङ्गीक्रियते। वाच्यार्थस्य गौणत्वे तु काव्यस्य मध्यकाव्यत्वम्। व्यङ्ग्यार्थस्य राहित्ये तु काव्यस्य अधमत्वं तैरङ्गीक्रियते। अस्मिन् विषये काव्यप्रकाशादौ विस्तृतं प्रोक्तं, प्रकृते च तस्य विवेचनं नोपयुक्तम्।

सन्दर्भ ग्रन्था-

1. परमलघुमञ्जूषायां शक्तिनिर्णयप्रकरणे
2. परमलघुमञ्जूषायां शक्तिनिर्णयप्रकरणे
3. वाक्यपदीयम् पदकाण्डम् सम्बन्धसमुद्देशः - १
4. वाक्यपदीयम् पदकाण्डम् सम्बन्धसमुद्देशः कारिका – २६
5. वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डम् कारिका - ५५
6. वाक्यपदीयम् पदकाण्डम् कारिका -६
7. परमलधुमञ्जूषाशक्तिविचार:
8. न्या. सि, मुक्ता. शब्दशब्दखण्डे
9. वैयाकरणभूषणसार: सुबर्थनिर्णयः कारिका - २४।

10. शब्दशक्तिप्रकाशिका कारिका - २०

11. शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् कारिका - १६

12. शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् कारिका – १७

13. शब्दशक्तिप्रकाशिका कारिका - १८

14. शब्दशक्तिप्रकाशिकायाम् कारिका - १६

15. वाक्यपदीयम् वाक्यकाण्डकारिका -३१७

16. वाक्यपदीयम् वाक्यकाण्डकारिका -३१८

17. परमलघुमञ्जूषायाम्

18. वैयाकरणभूषणसार शक्तिनिर्णय कारिका सं. -37

19. परमलघुमञ्जूषा-शक्तिनिरूपम् पृष्ठ सं. 17

20. परमलघुमजूषा-शक्तिनिरूपम पृष्ठ सं. 26

21. परमलघुमजूषा-शक्तिनिरूपम्...

22. शब्दशक्तिप्रकाशिका कारिका -२४

23. शब्दशक्तिप्रकाशिका कारिका - २५

24. वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा व्यञ्जनानिरुपणम् –

25. काव्यप्रकाश - तृतीयोल्लास -२१

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Rivalry in South China Sea

Surya Bhan Prasad
Associate Professor, Department of Political Science, M.G.K. Vidyapith, Varanasi,Uttar Pradesh, India

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 56-61

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

Abstract - The South China Sea covers an area of about 3885000 square kilometers, with an average depth of about 1310 meters and situated at sout region of China. Economically and politically point of view it is very important because About 40% of the maritime trade of most countries goes through the South China Sea. Other then this, there is a lot of potential for crude oil found in this area and there are about 30000 types of fish in this area and this part is also in accounts for about 15% of fish production of the world. China wants to monopolize this area, while the border countries adjoining this area also show their control over some parts of this region, which is one of the main reasons for the dispute. Because this region is very important from the economic and political point of view, so America cannot let this region go under the control of any one country. Apart from this, Japan was once occupied here, so Japan also has a lot of interest in the area. For all these reasons, this area has been a matter of rivalry and the possibility of war in this area remains constant.

Keywords : South China Sea, Cause of rivalry, Coastal Countries, It's politically and economically importance.

Introduction

It is part of the Indo-Pacific Ocean and about 40% of the maritime trade of most countries goes through the South China Sea, that is why it is very important from the commercial point of view. It is an important economic and political sub-region. Along with this, fishes are found in abundance in this area and this area is very important in terms of fish trade. Relations between China and the US have become more bitter in Hall's decades. In some areas both the countries have been able to cooperate with each other like trade, space projects, cyber security etc. Nevertheless, tensions between the US and China regarding the South China Sea are not taking the name of decreasing, due to which the possibility of military conflict between China and America in the region has increased. Japan and South Korea depend mostly on the South China Sea to supply and export their fuel and raw materials.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Deep and small features in the South China Sea Competing claims to territorial sovereignty have long been a source of tension and mistrust in the region. The South China Sea is also important to Australia from the point of view of trade and navigation. Australia has been conducting aerial surveillance operations in the South China Sea and Indian Ocean called Operation Gateway since 1980. While the US maintains regular surveillance in this area by its Navy.

There was a naval exercise organized by the US and China in the disputed area as seen in July 2020. The main reason for the dispute in this area is also that the border countries adjoining it also show their control over some part of it. The conflicting claims of sovereignty and territorial jurisdictions in South China Sea are very complex and difficult for the international actors to resolve.

To increase its influence on this part, a barrage of medium-range missiles was fired by China over a considerable distance in the South China Sea. China has been trying to control this entire area for a long time, which is a cause of controversy. There has been a steady increase of Chinese fishing boats in the waters adjacent to the Natuna Deeps in Indonesia, as well as the deployment of survey vessels in the economic zone Z, adjacent to Malaysia, Brunei, Vietnam, and the Philippines. In addition, two new administrative districts were created by China, covering the Paracel and Spratly islands. In recent years extensive construction has been carried out by China in the Spratly Islands occupied by it. Such actions taken by the government have further fueled the tension in the region.

The US is also strengthening its military presence in the region, due to which the dispute is escalating. The Philippines and Vietnam have also raised concerns of US observers by saying that China is gaining effective control over the South China Sea. The region is an area of political and economic importance to the United States and its allies, so the US cannot allow the region to be controlled by any one country.

The South China Sea, a part of the western Pacific Ocean, has been in the news for many years. China calls this part its own and it is building an artificial island here. Because of this, countries around the South China Sea, which claim parts of it, have expressed strong objections.

There are about 250 small and big islands in the South China Sea, mostly uninhabited deep. Some of these lamps remain submerged for several months due to tidal ebb, this area is between the Indian Ocean and the Pacific Ocean and is surrounded by China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei and the Philippines. All border countries except Indonesia claim some parts of its own, which is a big issue of controversy.

What Dr. Fen Jung, an expert on Chinese international relations at Australian University, has to say that China claims that the area was first discovered by Chinese sailors 2000 years ago and Named it and started business here. According to them, during the Second World War from 1939 to 1945, the entire part of the South China Sea was occupied by Japan. After the defeat of Japan, China sent its naval warships here to recapture it. Dr. Jang says that after the war, the Chinese government officially released a map showing a

large part of the South China Sea and almost all the lamps in its share of about 3000000 square kilometers through a line. This line is called the Nice Line. However, till date China has not given any clarification regarding this line.

China says that other countries were interested in the South China Sea when oil exploration was started there. According to Dr Jung, this claim of China seems to be true to some extent because no one else challenged China's claim before the 1970s.

The main reason why this area is important for all the countries is that the treasure of crude oil can be found at this place, apart from this there are about 30000 types of fish and it has contributed about 15% of the world in terms of fish production. .

In the 2012 China stopped the fishermen of the Philippines to fish here, while according to the Philippines this area is part of its Special Economic Zone and due to this dispute, the Philippines approached the International Court of Justice. A tribunal was created under the United Nations Law of the Sea Convention, to investigate the matter, which gave its decision in favor of the Philippines, which was not accepted by China. After this, tensions started with Indonesia, who had stayed away from this matter till now. The South China Sea is one of the busiest sea routes in the world and about 80 percent of the world's trade is done by sea route, of which about one third of the trade route passes through the South China Sea. Business of about $ 3.37 trillion is done from this area, so many countries show there interest in this area.

Many experts believe that China's claim of its sovereignty over this area, is directly related to gaining control over trade from here. America is also very interested in this area so that no edge country is occupied and its cargo ships and warships regularly pass through here.

The Chinese army has been trying to occupy this area for a long time and that is why it has built 3 runways 3000 meters long in this area where it can land fighter aircraft, besides large tanks of crude oil in the sea under the ground. Going there, huge oil reserves are being built by China, as well as for the protection of the lamps, it has installed missile systems here and it has done all this work in less than 36 months.

In August 2020, China also fired two missiles in the South China Sea, warning the US. As the UK Navy's Fleet Carrier Strike Group, led by the aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, entered the South China Sea region, China has warned that the fleet is heading east through the South China Sea towards Japan. China objected to the passing of any country's warship or fighter planes in the area.

South China Sea historical background

A long time before the Western powers came to Southeast Asia, the South China Sea had been pivotal for prosperity of Southeast Asian kingdoms. The Funan kingdom, situated at Cambodia, during sixth century A.D., its status as a strong maritime power in Southeast Asia. Funa kingdom was use naval force for

expanding its territory and achieving economic goals. Due to its powerful navy, the Funan Kingdom had succeeded in deriving economic benefits through the South China Sea. Except them Srivijaya Kingdom's, were dependent on its capacity to control the sea lanes in this area. This kingdom also uses its powerful navy between the ninth and twelfth century. By forcing the trade ships which sailed from South Asia and East Asia to ports in Palembang, the Kingdom of Srivijaya had established its empire as the centre of vast trading monopoly. In this way, it had gained the enormous economic. The powers of the Srivijayan empire started declining with the increased political and economic intervention of Chinese empire. By early twelfth century, the Chinese began to demonstrate their sea powers. The Chinese under the Southern dynasty (1127-1280) began to trade directly through South China Sea with the Southeast Asian kingdoms. This was partly responsible for decline of Srivijayan Empire. Since the Southern Sung empire and till the Western colonial powers came to Southeast Asia in approx sixteenth century, the expansion of Chinese naval powers in South China Sea was remarkable. This had served the Chinese kingdom to dominate Nan Hai (South China Sea) region. For a long time, Persians, Arabs, Indians, Chinese and people of Southeast Asia, all had freedom of the sea for trade, due to this the Western powers brought about an immediate and great impact on the status of South China Sea. European countries established foothold in Asia and now no country bordering the South China Sea could dominate this sea territory. Subsequently the United Kingdom, France, Netherland, and Spain divided South China Sea into their respective sphere of influence. The Western powers had accepted the principle of "the freedom of the sea" during the colonial period. They had evolved such policies that could allow them to move across the wide open sea unhindered to protect their colonial interests. In this endeavor, they were successful and such a policy enabled them to colonize Southeast Asian countries. The Western countries were absolutely free to use, abuse and exploit the vast ocean for their own ends. But with the decolonization of Southeast Asia after 1930, when France declared formal possession of the Spratlys and occupied South China Sea, this situation started changing in 1939, nine years after the French occupation, Japan by force succeeded in occupying the entire South China Sea. Since then till the end of the second world war, the Spratlys, along with the Paracels and Pratas had been placed under Japanese special jurisdiction, which was then known as the South Archipelago. At the end of the second world war, On 1 December 1947, China announced formally the incorporation of the Spratlys, along with the Paracels, into Guantung Province. This declaration was immediately opposed by Taiwan which sent troops and occupied South China Sea's, one of the islands of the Spratlys on 12 December 1947. However, Taiwanese troops temporarily withdrew from the Spratlys between May 1950 and July 1956.

There are about 250 small and big islands in the South China Sea, mostly uninhabited deep. Some of these lamps remain submerged for several months due to tidal ebb and is surrounded by China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei and the Philippines. All border countries except Indonesia claim some parts of its own, which is a big issue of controversy. According to their own historical records, the Spratlys have been part of the Chinese territory since the Han dynasty, ruling China in the second century A.D., Vietnam, on the other hand, has dated back its claim to the period of Emperor Gia Long in the eighteenth century. The Philippines, Malaysia, and Brunei, however trace the history of occupation of the Spratlys in the twentieth century.

Conclusion

Therefore, in conclusion, it can be said that South China Sea is very important for all countries. Any country which has a monopoly in this area can collect tax from the ships etc., passing through this area. This region has great potential for crude oil, which is one of the reasons for the competition in this region, besides the abundant fish trade in this region is also a reason for the region's competition. Therefore, overall it can be said that this region is the main reason for the rivalry between the countries due to being economically prosperous and being the means of transportation of many countries from this region. In whose part this area will go in future, only time will tell, but due to the prosperity of this region, there will be strong possibilities of war in this area.

References

1. Raging Waters in the South China Sea: What the Battle for Supremacy Means for Southeast Asia by Rachel Winston, Lizard Publishing, 2020.
2. South China Sea by Ian Slater, Speaking Volumes, 2020.
3. The South China Sea: The Struggle for Power in Asia by Bill Hayton, Yale University Press, 2014.
4. Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific by Robert D. Kaplan, Random House, 2015.
5. Asian Waters: The Struggle Over the Indo-Pacific and the Challenge to American Power by Humphrey Hawksley (Author), Harry N. Abrams, 2020.
6. The South China Sea: From a Regional Maritime Dispute to Geo-Strategic Competition (Routledge Security in Asia Pacific Series) by Leszek Buszynski, Routledge, 2019.
7. South China Sea Disputes And The Us-china Contest, The: International Law And Geopolitics (Series On Contemporary China Book 43) by James Chieh Hsiung, World Scientific, 2018.
8. US-China Competition and the South China Sea Disputes (Politics in Asia) by Huiyun Feng, Routledge, 2020.
9. Tales From The South China Seas by Charles Allen, Abacus, 1990.
10. The Paracel Islands and U.S. Interests and Approaches in the South China Sea by Clarence J. Bouchat, Department of the Army, 2017.
11. The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims? by C. J. Jenner, Tran Truong Thuy, Cambridge University Press, 2016.
12. Hundred-Year Marathon by Michael Pillsbury, Griffin, 2016.
13. Viet Nam: A History from Earliest Times to the Present by Ben Kiernan, Oxford University Press, 2017.
14. China as a Twenty-First-Century Naval Power: Theory Practice and Implications by Michael McDevitt, Naval Institute Press, 2020.
15. History of China: A Captivating Guide to Chinese History, Including Events Such as the First Emperor of China, the Mongol Conquests of Genghis Khan, the Opium Wars, and the Cultural Revolution by Captivating History, Captivating History, 2020.

16. War and Peace in the South China Sea: An Unclassified Chronology of Military and Naval Events from 1844 to the Present by Mr Bryan J Dickerson, 2020.
17. India's Strategy in the South China Sea by Tridib Chakraborti, Mohor Chakraborty, Routledge, 2020.
18. Contest for the South China Sea (China: History, Philosophy, Economics Book 25) by Marwyn Samuels, Routledge, 2013.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन

डॉ0 नीता सिंह
शोध निर्देशिका
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
राजा श्रीकृष्ण दत्त पी0जी0 कालेज,
जौनपुर (उ0प्र0)

रूपम सिंह
शोधकर्त्री
राजा श्रीकृष्ण दत्त पी0जी0 कालेज,
जौनपुर (उ0प्र0)सम्बद्ध
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर (उ0प्र0)

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 62-69

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

सारांश – प्रस्तुत समस्या कथन क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की समस्त छात्राएँ जनसंख्या के रूप में है। इस अध्ययन हेतु वाराणसी मण्डल के जनपद जौनपुर एवं जनपद गाजीपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् 400 छात्राएँ न्यादर्श के रूप में सम्मिलित की गयी है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के अध्ययन में छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर का पता लगाने हेतु आर.एल. भारद्वाज द्वारा निर्मित 'सोशियो–इकोनॉमिक स्टेट्स स्केल' जो नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा द्वारा पब्लिशिड है का प्रयोग किया गया है। शैक्षिक उपलब्धि का मापन हेतु स्नातक स्तर पर 'शैक्षिक उपलब्धि मापनी' का मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में मापनी/उपकरण उपलब्ध न होने के कारण शोधकर्त्री द्वारा स्नातक स्तर के (बी0ए0/बी0एस–सी0) की तृतीय वर्ष की छात्राओं को सम्मिलित किया गया जिसमें पिछले दो वर्षों की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में सम्मिलित किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या हेतु एनोवा एवं टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि – स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एक–दूसरे के समान है। अतः शहरी क्षेत्र की छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक–आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पाया गया जबकि स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का सामाजिक–आर्थिक स्तर उनके शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है।

की–वर्ड– स्नातक स्तर, शहरी, ग्रामीण, छात्राएँ, सामाजिक–आर्थिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, प्रभाव।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भूमिका– बालिकाओं की साक्षरता दर पुरुषों से काफी कम है। अतः बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए विशेष तथा अतिरिक्त उपाय किये जाने चाहिए बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अनेक प्रयास किये हैं तथा कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले गये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ चलायी गयी तथा समाज में बलिका शिक्षा के लिये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार किया गया। बालिकाओं को स्कूल में निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क किताब, निःशुल्क प्रवेश एवं छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी।

भारत के विभिन्न प्रान्तों में बालिका साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से काफी कम है। विगत् दशकों से प्राप्त साक्षरता के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1951 में बालिका साक्षरता दर 8.86% थी वर्ष 2011 में 65.5% पहुँच गयी पर पुरुषों की तुलना में अभी भी 16.7% कम है।

अगर सामान्य शिक्षा केवल पुरूषों या केवल बालिकाओं को देनी पड़े तो इसका अवसर बालिकाओं को ही दिया जाना चाहिए। बलिका शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। दुःख की बात यह है कि आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे देश में ऐसे अनेक अभिभावक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाओं को शिक्षित करना व्यर्थ मानते हैं।

सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में चलाये जा रहे आपरेशन – आपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, इन्दिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, स्वर्णिम योजना, किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयंसिद्ध योजना, जननी सुरक्षा योजना, अल्पसंख्यक बालिकाओं की नेतृत्व क्षमता विकास योजना, जैडर बजटिंग तथा जैंडर डाटा, महिला और सूक्ष्म वित्तपोषण, प्रियदर्शिनी योजना, गाँव की बेटी योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, स्वधार योजना, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, अल्प आवास गृह योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, स्वशक्ति योजना की जानकारी उनको बाल विकास परियोजना की सहायता से कार्यकत्री एवं सहायिकाओं द्वारा दी जा रही है जिससे उनके अन्दर भी नारी सशक्तिकरण एवं वृत्ति की भावना जाग्रत हुई है।

भारतीय समाज में निःसन्देह बालिकाओं की स्थिति में आगे बढ़ते हुए समय के साथ प्रगति हुई है, किन्तु जब हम पीछे की तरफ देखते है तो इस प्रगति की दर अपेक्षाकृत कम है। किसी व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के निर्धारण में शिक्षा व व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी क्रम में किसी राष्ट्र की शिक्षित बालिकाएँ उसकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की निर्धारक होती है तथा इस प्रगति में उनका प्रमुख योगदान होता है। महिला शिक्षा व व्यवसाय की प्रगति दर में ग्रामीण बालिकाओं की अपेक्षा शहरी शहरी बालिकाएँ अधिक सक्रिय तथा जागरूक है।

जहाँ एक तरफ सामाजिक–आर्थिक स्तर से उच्च बालिकाएँ शिक्षा में आगे बढ़ रही है वहीं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर की बालिकाओं को संसाधनों की कमी के साथ–साथ उनको शिक्षा में आगे बढ़ने के रोकने हेतु हमारे समाज में बनायी गई रीति–रिवाजों, कुरीतियों एवं पाबन्ध आदि उनके शैक्षिक कार्यों में बाधा बनती है साथ ही उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर विशेष प्रभाव डालती है। अतः अध्ययनकर्त्री अपने अध्ययन में यही देखने का प्रयास किया है कि क्या सामाजिक–आर्थिक स्तर छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है या नहीं?

समस्या कथन–

क्षेत्र के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. स्नातक स्तर के शहरी क्षेत्र की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

H_{01} स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

H_{02} स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन में प्रयुक्त शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।

जनसंख्या–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वाराणसी मण्डल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग की समस्त छात्राएँ जनसंख्या के रूप में है।

न्यादर्श/न्यादर्श का चयन

इस अध्ययन हेतु वाराणसी मण्डल के जनपद जौनपुर एवं जनपद गाजीपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् 400 छात्राएँ न्यादर्श के रूप में सम्मिलित की गयी है।

प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध के अध्ययन में छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर का पता लगाने हेतु आर.एल. भारद्वाज द्वारा निर्मित 'सोशियो–इकोनॉमिक स्टेट्स स्केल' जो नेशनल साइकोलॉजिकल कार्पोरेशन, आगरा द्वारा पब्लिशिड है का प्रयोग किया गया है। शैक्षिक उपलब्धि का मापन हेतु स्नातक स्तर पर 'शैक्षिक उपलब्धि मापनी' का मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में मापनी/उपकरण उपलब्ध न होने के कारण शोधकर्त्री द्वारा स्नातक स्तर के (बी0ए0/बी0एस–सी0) की तृतीय वर्ष की छात्राओं को सम्मिलित किया गया जिसमें पिछले दो वर्षों की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत को शैक्षिक उपलब्धि के रूप में सम्मिलित किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण–

आँकड़ों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या हेतु एनोवा एवं टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. स्नातक स्तर के शहरी क्षेत्र की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

H_1 स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।

H_{01} स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 1

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का एफ–मान

स्रोत	स्वतंत्रांश (df)	वर्ग योग (SS)	माध्य वर्ग योग (MS)	प्रसरण–मान (F-Value)
समूहों के मध्य	2	151.09	75.54	1.11*
समूहों के अन्दर	198	13519.37	68.28	

कुल	**200**	**13670.46**	**143.82**	

*0.05 स्तर पर असार्थक

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य F–मान 1.11 जो .05 पर असार्थक है। अतः शू0 परि0 ''स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है'', .05 स्तर पर स्वीकृत की जाती है। परिणामतः स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर नहीं हैं स्नातक स्तर के शहरी क्षेत्र की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव नहीं पाया गया।

2. स्नातक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

H_2 स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।

H_{02} स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी सं0 2

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का एफ–मान

स्रोत	**स्वतंत्रांश** (df)	**वर्ग योग** (SS)	**माध्य वर्ग योग** (MS)	**प्रसरण–मान** (F-Value)
समूहों के मध्य	2	308.03	154.02	5.06*
समूहों के अन्दर	197	5990.84	30.41	
कुल	**199**	**6298.87**	**184.43**	

*0.05 स्तर पर सार्थक

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य F–मान 5.06 जो .05 पर सार्थक है। अतः शू0 परि0 ''स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है'', .05 स्तर पर अस्वीकृत की जाती है। परिणामतः स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर हैं।

सारणी सं0 2.1

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का टी–अनुपात

क्र. सं.	विद्यालय	N	M	σ_D	D	t-value
1.	उच्च	11	62.47	1.72	4.94	2.87*
	औसत	147	57.53			
2.	उच्च	11	62.47	1.87	5.92	3.17*
	निम्न	42	56.55			
3.	औसत	147	57.53	0.96	0.98	1.01
	निम्न	42	56.55			

*0.05 स्तर पर सार्थक

उच्च, औसत एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 62.47, 57.53 एवं 56.55 है। उच्च एवं औसत तथा उच्च एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य टी–अनुपात मान 0.05 स्तर पर दिये गये मान से अधिक है, जो सार्थक है। औसत एवं निम्न तथा औसत एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक अन्तर है। औसत एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य टी–अनुपात मान 0.05 स्तर पर दिये गये मान से कम है, जो असार्थक है। औसत एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर वाली ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है। अतः सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र वर्ग की छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है।

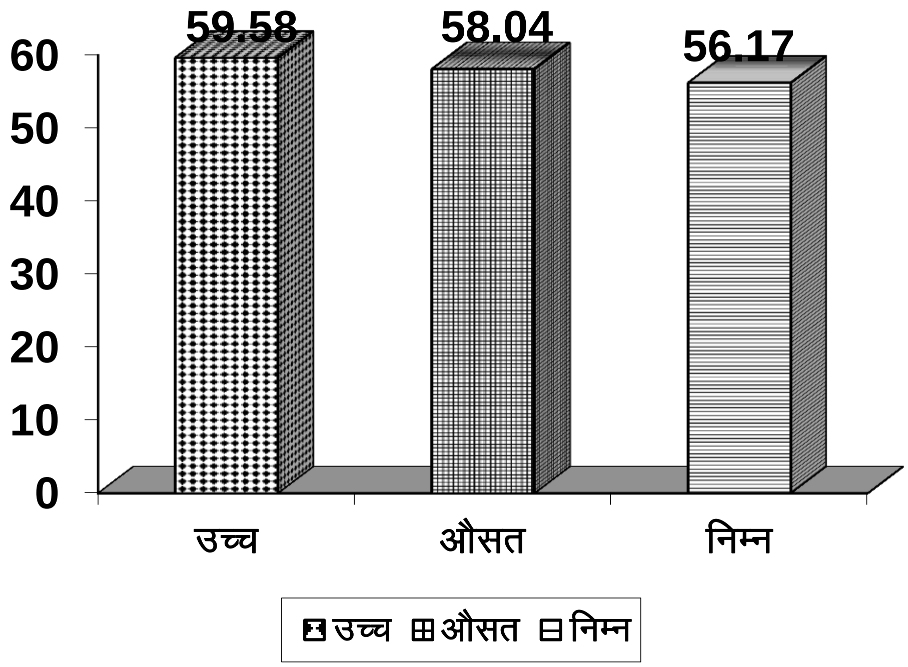

निष्कर्ष–

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एक–दूसरे के समान है। अतः शहरी क्षेत्र की छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक–आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पाया गया। पूर्व अध्ययन **केन, पामेला ई. डेविस (2005)** के अध्ययन में परिवार की आर्थिक स्तर का बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया तथा अभिभावक के शैक्षणिक क्षमता का बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धा पाया गया जबकि अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावक से उम्मीद एवं अभिभावक व्यवहार का भी प्रभाव पाया गया। **बसंल, थंड एवं जसवाल (2006)** ने अध्ययन में प्राप्त हुआ कि घर का स्वस्थ वातावरण उच्च उपलब्धि प्राप्तकर्त्ताओं की उपलब्धि प्रेरणा से सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यह पाया गया कि जिस घर के वातावरण की गुणवत्ता बिगड़ी थी, उनकी उपलब्धि प्रेरणा का स्तर भी बिगड़ा हुआ था। आन्तरिक नियंत्रण की स्थिति, घर के वातावरण की गुणवत्ता से महत्त्वपूर्ण एवं सकारात्मक रूप से सहसम्बन्धित थी। आन्तरिक नियंत्रण की बाह्य स्थिति उपलब्धि से महत्त्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित नहीं थी और आन्तरिक नियंत्रण की स्थिति गुणवत्ता से।

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर का ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का सामाजिक–आर्थिक स्तर उनके शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक–आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। पूर्व अध्ययन **त्रिपाठी (2002)** ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है। छात्राओं के शैक्षिक

पिछड़ेपन पर सामाजिक एवं पारिवारिक कारकों का सार्थक प्रभाव पड़ता है। **पिरिडा (2005)** ने अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे कि उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण सकारात्मक सहसम्बन्ध था। जो छात्र उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर से सम्बन्धित थे वह निम्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के छात्रों से शैक्षिक उपलब्धि में अधिक थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- केन, पामेला ई. डेविस (2005). द इन्फ्लूएन्स ऑफ पैरेन्ट एजूकेशन एण्ड फैमिली इन्कम ऑन चाइल्ड एचिवमेन्ट : द इन्डाइरेक्ट रोल ऑफ पैरेन्टल एक्सपेटेशन्स एण्ड द होम इन्वायर्मेन्ट, जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वाल्यूम–19, नं0 2, पृ0 294–304ए
- बसंल, एस0; थंड, एस0के0 एवं जसवाल, एस0 (2006). रिलेशनशिप बिटविन क्वालिटी ऑफ होम इनवायरमेण्ट, लोकस ऑफ कण्ट्रोल एण्ड एचिवमेण्ट मोटिवेशन एमंग हाई एचिवर अर्बन फीमेल एडोलेसेन्ट्स, J. Hum. Ecal. 19(4), पृ0 253–257
- त्रिपाठी, अरूणा (2002). छात्राओं में शैक्षिक पिछड़ेपन के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, एवं पारिवारिक कारकों का शैक्षिक अध्ययन, पी–एच0डी0 शोध, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।
- पिरिडा, ए.के. (2005). इम्पैक्ट ऑफ सोशियो–इकोनॉमिक स्टे्टस ऑफ द एकेडेमिक परफार्मेन्स ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स। अनपब्लिशड एम0फिल0 डिजर्टेशन, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

मानवाधिकार संरक्षण : एक परिदृश्य

डॉ0 अलका चतुर्वेदी
भूतपूर्व शोध छात्रा
हेमवती नन्दन बहुगुणा
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
गढ़वाल (श्रीनगर), उत्तरखण्ड,भारत।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 70-76
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश – देश में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकारों की स्थापना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वहाँ के लोगों का इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। जनसंचार के आधुनिक व परम्परागत साधनों का उपयोग जागरूकता व प्रसार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

मुख्यशब्द – मानवाधिकार, संरक्षण, आधुनिक, जनसंचार, सामाजिक, राजनीतिक।

''अधिकार सामाजिक जीवन की यह परिस्थितियाँ हैं, जिसके बिना कोई व्यक्ति सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नही कर सकता।'' लास्की के इस कथन से असहमत नहीं हुआ जा सकता। वर्तमान समय में बढ़ती हुयी सामाजिक–राजनीतिक अव्यवस्था ने मानव अधिकारों के प्रति सक्रियता को आवश्यक तथा प्रासंगिक बना दिया है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलने चाहिए, वे अधिकार जो उसमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित है, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अतः मानव अधिकार वे अधिकार है जिन पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार होता है; ताकि वे आज़ादी के साथ अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सके।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी विचार का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ **(U.N.O)** की महासभा द्वारा **10 दिसम्बर, 1948 को ''मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा'' (UDHR)** से प्रारम्भ हुआ। इस घोषणा–पत्र में एक विस्तृत प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद हैं जिन्हें **'मानवता के मैग्नाकार्टा'** के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकारों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकते हैं–

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

1. **नागरिक और राजनीतिक अधिकार**–इन्हें **'प्रथम पीढ़ी'** के मानवाधिकार भी कहा जाता है। इसके अनतर्गत मौलिक स्वतंत्रता की मूल भावना, जीवन एवं राज्य के द्वारा कई हस्तक्षेपों से स्वतंत्रता आदि आते हैं।
2. **आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार–** इन्हें '**द्वितीय पीढ़ी**' के मानवाधिकारों के अन्तर्गत रोजगार का अधिकार, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर की बुनियादी आवश्यकताएं, सामाजिक सुरक्षा आदि आते हैं। घोषणा–पत्र के **अनु0 22, 23, 24, 25, 26, 27** इन्हीं से सम्बन्धित है।
3. **आत्म निर्णय का अधिकार, विकास का अधिकार–** उपेक्षित वर्गों के लोगों के विशेष संरक्षण का अधिकार जैसे नवोदित मानवाधिकार 'तीसरी पीढ़ी' के कहे जाते हैं। जो व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना तथा **'अनु0 1, 13, 55, 56, 62, 68** मानवाधिकारों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है।

मानवाधिकार से आशय

मानवाधिकार से तात्पर्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए सभी व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन–सहन, जीवन–यापन, मान–मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ समाज में रहने के समान रूप से अवसर प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु न्छव् का प्रयास

मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न आयोगों एवं उप–आयोगों की स्थापना की गई है–

- मानवाधिकार आयोग, 1986
- सूचना एवं प्रेस की स्वतंत्रता का उप–आयोग, 1946 (1951 में समाप्त)
- अल्पसंख्यक संरक्षण और विभेद निवारण उप आयोग, 1947
- स्त्री प्रस्थिति आयोग, 1946
- शरणार्थी प्रस्थिति आयोग, 1951
- सामाजिक विकास आयोग
- अपराध निवारण और दण्ड न्याय आयोग

इन आयोगों द्वारा मानवाधिकारों के मामले में अध्ययन करके अनेक प्रसंविदाएँ एवं घोषणायें (Conventions and Declaration) की जाती है जो इस दिशा में लाभदायक सिद्ध हुई है। **प्रोविजनल एजेण्डा, 2001** की इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है। जेनेवा में स्थित **मानवाधिकार केन्द्र** भी मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में सतत् कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **20 दिसम्बर, 1993** को मानवाधिकार संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया।

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु न्छव् के अन्तर्गत अनेक एजेंसियाँ कार्यरत हैं। जैसे, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) 1919, यूनेस्को (UNESCO) 1946, संयुक्त राष्ट्र बाल–कोष 1946।**

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण हेतु अनेक गैर–सरकार संगठन भी क्रियाशील है। जैसे–इंटरनेशन कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स (1952), माइनारिटी राइट्स ग्रुप लंदन (1965), एमनेस्टी इंटरनेशन लंदन (1961), ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयार्क (1978), अफ्रीका वॉच, एशिया वॉच, अमरीका वॉच, हेलसिंकी वॉच, फूडफर्स्ट इनफार्मेशन ऐंड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल(FIAN), 1986, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव(CHRI)]1987, एंटी–स्लेवरी इंटरनेशनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स! विश्वजनीन घोषणा के अलावा अनेक 'अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (Conventions) मानवाधिकार संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण है। यथा–मानवाधिकार सम्बन्धी यूरोपीय अभीसमय 1950, हेल्सिंकी समझौता, 1975, जनवादी एवं मानव अधिकार सम्बन्धी अफ्रीकी अधिकार पत्र, 1981।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण प्रावधान

भारत में मानवाधिकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता तथा व्यक्ति अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा व बंधुता को बढ़ाने के राजनैतिक मूल्यों पर आधारित है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति–निर्देशक सिद्धान्त और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के समझौतों तथा आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की भावना को व्यक्त करते हैं। भारतीय संविधान के **अनु0 14, 15, 16(1), 19(1)(क), 19(1)(ख), 20(1), 21, 23(1), 25(1), 29(1), 30(1)** में मानवाधिकार सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। मानवाधिकारों पर आधारित न्याय–विचार संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों (अनु0 36–51) से स्पष्ट है।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण हेतु विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जैसे–**संविधान के 65वें संशोधन अधि0 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग, 1991 में गठित 'राष्ट्रीय महिला आयोग' राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 तथा 14 अगस्त, 1993 को गठित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग** इत्यादि।

विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के संदर्भ में बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए **मानवाधिकार संरक्षण अधि0 1993**, के आधार पर **27 सितम्बर, 1993 को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NCHR)] 'राज्य मानव अधिकार आयोग' (SHRC)** की स्थापना की गई। इस सम्बन्ध में 'विधि आयोग' की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर अनेकों स्वैच्छिक संस्थाएं मानवाधिकार संरक्षण के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधि0 1993 की धारा 12(1) में गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। पी0यू0सी0एल0 (1976), पी0यू0डी0आर0 (1977), पैरवी (नई दिल्ली), एन0सी0पी0एन0आर0 (केरल), सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी (गोवा), बेटी फाउंडेशन, वात्सल्य (लखनऊ), प्रयास (दिल्ली), बंधुआ मजदूर मोर्चा प्रमुख गैर–सरकार संगठन है जो मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्यरत है।

मानवाधिकार संरक्षण :

9 दिसम्बर, 1998 को महासभा के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अनुसंशा पर एक प्रस्ताव अंगीकार किया गया जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों की अभिवृद्धि, संरक्षण एवं सूचना पाने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को सम्मेलन करने, संगठनों, संघों इत्यादि को गठित करने तथा भागीदारी का अधिकार होगा तथा साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन के विषय में संगठित होने का अधिकार होगा।
- प्रत्येक राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह सभी प्रकार के मानवाधिकारों का संरक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण** हेतु निम्न मोर्चो पर सक्रियता है–

1. **वैश्विक विवेक के रूप में,** संयुक्त राष्ट्र ने देशों द्वारा स्वीकार्य आचरण के अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।

2. **कानून–निर्माता के रूप में,** अंतर्राष्ट्रीय कानून को अभूतपूर्व ढंग से संहिताबद्ध किया है। अपील मंच के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है।
3. संयुक्त राष्ट्र यह भी भूमिका अदा करता है कि मानवाधिकारों की मात्र सिद्धान्त के तौर पर परिभाषा करके इतिश्री न मान ली जाए बल्कि उन्हें व्यवहार में भी अपनाया जाए।
4. **शोधकर्ता के रूप में,** संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ब्ब्त संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा मानवाधिकारों मुद्दों पर मांगी गई रिपोर्ट और अध्ययन तैयार करता है और विश्लेषण करता है कि किस तरह की नीतियाँ, प्रणलियाँ, संस्थाएँ मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ा सकती है।
5. मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं पर नजर रखने के लिए तंत्र स्थापित करते हैं तथा मानवाधिकार को मजबूत बनाने के उपायों का सुझाव देते हैं।
6. महासचिव और मानवाधिकार उच्चायुक्त कैदियों की रिहाई, मृत्युदण्ड की जगह साधारण कैद की सजा लागू कराने और अन्य मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ मानवाधिकार मुद्दों पर अत्यन्त गोपनीय ढंग से बात करते हैं। महासचिव विवेकशील राजनयिक के रूप में भूमिका अदा करते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी चिंता को उचित ठहरा सके।

मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्य प्रयास

1. देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक हितों के कल्याण हेतु **1978 में अल्पसंख्यक आयोग** का गठन।
2. अनुसूचित–जाति तथा जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन**।
3. महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियानवयन तथा उल्लंघन के परीक्षण हेतु **1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।**
4. कारखानों तथा जोखिम उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके पुनर्वास हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत **बाल श्रमिक पुनर्वास कोश की स्थापना।**
5. 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देना।
6. अभी हाल हीं में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने सम्बन्धी विधेयक भी पास किया गया है।

मानवाधिकार के समुचित संरक्षण हेतु उपयोगी सुझाव

1. वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह प्रताड़ित हो अथवा अभियुक्त हो, दोनों के मानवाधिकारों की सुरक्षा की ओर बराबर ध्यान दे।
2. मीडिया से अपेक्षित है, कि वह मानवाधिकार के सम्बन्ध में सामान्य लोगों को अधिक से अधिक जानकारी विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, रेडियों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से पहुँचाएं।
3. स्वयंसेवी एवं महिला संगठनों से अपेक्षित है कि जन–जागरण, जन सहभागिता और जनान्दोलन के रूप में इस विषय पर जनता को विभिन्न माध्यमों से शिक्षित करने का प्रयास करें। ताकि जनता मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए अनुकरणीय कदम उठा सके।
4. सरकार द्वारा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के साथ–साथ ''मानवाधिकार शिक्षा'' को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए इससे निकट भविष्य में निश्चित ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।
5. देश के सभी नागरिकों को मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम सुरक्षा बलों जैसे–पुलिस, सी0बी0आई0, सी0आई0डी0, आई0बी0 सेना आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मानवाधिकारों के सम्बन्ध में कानून–सम्मत्, तथ्यपरक और व्यवहारिक जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
6. मानवाधिकार सम्बन्धी समस्त प्रावधान जो सिर्फ दस्तावेजों, अधिनियमों तथा संविधान के पन्नों में ही बंद हैं, उन्हें व्यवहारिक धरातल पर लागू किया जाए।

निष्कर्ष. कहा जा सकता है कि किसी भी देश में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकारों की स्थापना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वहाँ के लोगों का इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। जनसंचार के आधुनिक व परम्परागत साधनों का उपयोग जागरूकता व प्रसार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। प्रतिवर्ष ''10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस' को अधिकारिक रूप से मनाकर चर्चाएं और भाषणबाजी करके हम अपने कर्त्तव्यों और भाषणबाजी करके हम अपने कर्त्तव्यों को इतिश्री मान लेते है, जबकि आवश्यकता इस दिशा में व्यवहारिकता और ठोस कदम उठाने की है, ताकि इस दिशा में कुछ सार्थक कार्य सम्पादित हो सके।

संदर्भ सूची

1. G. Aifredson; The University Declaration of Human Rights, A Commentary; OSLO, 1992: F
2. D. Beetham: "Politics and Human Rights', Oxford 1995.
3. T.V. Boven: "The United Nations and H. Rts, A Critical Appraised'. 1977.
4. M.M.J. Chan: "The rights to a Nationality as a Human Rights," HRLR 1991
5. J. Donnelly: "The concept of Human Rts," London, 1985
6. Darren J0' Byrne: "Human Rights A Introduction'.
7. Human Rights Commission Reports.
8. Dr. DAD. Basu: "An Introduction of Indian Constitution."
9. UNESCO, "Human Rights," Comments and interpretations, by Jacques Maritain, 1949
10. S. Subramanian, Human Rights: "International challenges Delhi" 1997.
11. Dr. H.K. Sharma & Prof. Rop. Joshi; "Human Rights and Duties" (2003)
12. Dr. HO. Agarwal: "Human Rts International Law"
13. Dr. 5K. Kapoor: "Human Rights."
14. TN. Dhar : "Goverance, Policing and Human Rights" IJPA 2000
15. Sankar Sen: "Human Rights in Developing Society," Delhi 1998
16. न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह डॉ0 नेमा एवं डा0 शर्मा : मानव अधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार।
17. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता : नारीवादी राजनीति (संघर्ष एवं मुद्दे)

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

श्रीमद्भागवतमहापुराण के कपिलोपाख्यान में वर्णित सांख्यदर्शन

दीपक तिवारी
शोधच्छात्र,
संस्कृत विभाग, सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय बारला, रायसेन, (मध्य प्रदेश)

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 77-83
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश – सांख्य दर्शन में सृष्टि के सकल तत्त्वों का उपदेश किया गया है। सद्गुरु के उपदेश से प्रबोध प्राप्त करके मनुष्य समत्व में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता था। श्रीमद्भागवतमहापुराण के अन्तर्गत कपिलोपाख्यान में मूल तत्त्वों का ज्ञान अत्यन्त सरल, सहज एवं प्रांजल शैली में किया गया है। सांख्य दर्शन के 25 तत्त्वों का वर्णन यथावत् श्रीमद्भागवतमहापुराण में प्राप्त होता है।

मूलशब्द – सांख्य दर्शन – 25 तत्त्व ।

प्रस्तावना– श्रीमद्भागवतमहापुराण पुराण परम्परा में वैष्णव पुराण है। इस पुराण में प्रमुख रूप से भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का वर्णन किया गया है। इसके प्रणयन कर्ता महर्षि वेदव्यास है। भागवत महापुराण को सभी शास्त्रों के सार रूप में स्वीकार किया गया है यथा – **सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्।**[1] इसमें सांख्य, योग, वेदान्त आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवतमहापुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि कपिल मुनि ने माता देवहूति को सांख्यशास्त्र का उपदेश किया था। यथा –

विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं
जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः
तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं
प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम्।।[2]

सांख्य शब्द की निष्पत्ति व्याकरण द्रष्ट्या 'संख्या' शब्द से 'अण्' प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न होती है।[3] **'सम्यक् ख्याति'** अर्थात् सत्य ज्ञान इसका अर्थ प्रतिपादित होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है **''विचार्यते अनेन इति दर्शनम्''** अर्थात् जिस माध्यम से सद् असद् वस्तु का विचार किया जाय उसे दर्शन कहते है। किसी पदार्थ के तात्त्विक स्वरूप का ज्ञान करना ही दर्शन शब्द का प्रयोजन माना गया है। सांख्य दर्शन

[1] भा. पु. 1/3/42
[2] भा. पु. 3/25/31
[3] सं. हि. को. पृ. 1093

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शब्द का वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है कि ''जो संख्या अर्थात् प्रकृति और पुरुष के विवेक – ज्ञान का उपदेश करते हैं, जो प्रकृति का प्रतिपादन करते है तथा जो तत्त्वों की संख्या चतुर्विंशति निर्धारित करते है वे सांख्य कहलाते है'' यथा –

संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृति च प्रचक्षते।

तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्या प्रकीर्तिता।।[4]

सांख्यदर्शन के प्रणेता कपिल मुनि माने जाते है। इस दर्शन में 25 तत्त्वों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। श्रीमद्भागवत में वर्णित इन्हीं 25 तत्त्वों का अध्ययन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रयोजन– ईश्वर विरचित सांख्य दर्शन के सांख्य कारिका ग्रन्थ में सांख्य दर्शन का प्रयोजन दुःखत्रय के आघात से मुक्ति प्राप्त करना है।[5] कपिल मुनि कहते है कि प्रकृति के गुणों को जानने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है।[6] प्रकृति के गुणों के ज्ञान से आत्मदर्शनरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे अहंकार रूप हृदयग्रन्थि का भेदन हो जाता है जो मोक्ष का कारण है।[7] श्रीमद्भागवत में सांख्य दर्शन के प्रयोजन का वर्णन प्राप्त होता है।

सांख्य के पंचविंशतितत्त्व – श्रीमद्भागवतमहापुराण के अन्तर्गत सांख्यदर्शन के तत्त्वों का वर्णन किया गया है। जिसके अन्तर्गत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचमहाभूत, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पंचतन्मात्रा, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु ये दस इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार अन्तःकरण और काल ये पंचविंशति तत्त्व प्राप्त होते है। काल को ही ईश्वर कहते है यथा – **स भगवान् काल इत्युपलक्षितः।**[8]

महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः। तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे।।

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वग्दृग्रसननासिकाः। वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते।।

मनो बृद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया।।

एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशकः।।[9]

प्रकृति का लक्षण – त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य–कारणरूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस तम प्रधान नामक तत्त्व को ही प्रकृति कहते है।[10] सांख्य कारिका में

[4] महाभा. 12/31/42

[5] दूःखात्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हैतो। दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्।। सां. का. क्र. 1

[6] अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्। यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः।। भा. पु. 3/26/1

[7] ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम्। यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्।। भा. पु. 3/26/2

[8] भा. पु. 3/26/17

[9] भा. पु. 3/26/11–15

[10] यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्।। भा. पु. 3/26/10

प्रकृति के लक्षण प्राप्त होते है कि वह प्रकृति तत्त्व मूल तत्त्व है जो किसी का कार्य नहीं है और वह प्रकृति महत् आदि विकृतियों की जननी है।[11]

प्रकृति के कार्य – पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस इन्द्रियां प्रकृति के प्रधान कार्य है।[12] प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से षोडश गण सहित पंचमहाभूत उत्पन्न होते है।[13]

महत्–महत्–तत्त्व की उत्पत्ति के विषय में श्रीमद्भागवत में वर्णन प्राप्त होता है कि परमात्मा ने जब प्रकृति के गर्भ में अपने तेज को स्थापित किया तब हिरण्यमय महत्–तत्त्व उत्पन्न हुआ।[14] उत्पन्न होते ही महत् ने जिस अन्धकार से आच्छादित था उस अन्धकार को ग्रहण कर लिया।[15]

चित्त– जो सत्त्वगुणमय, स्वच्छ, शान्त और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप है जो सामान्यतः वासुदेव या चित्त कहलाता है वह महत्तत्त्व में प्रकट होता है।[16] चित्त के लक्षण के विषय में प्राप्त होता है कि जिस प्रकार जल स्वभाविक अवस्था में विकारशून्य, शुद्ध और शान्त होता है उसी तरह चित्त भी स्वच्छत्व, अविकारित्व, और शान्तत्व गुणों से युक्त होता है।[17]

अहंकार– अहंकार महत् का कार्य है अर्थात महत् तत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है। जो ईश्वर की निज शक्ति से उद्भूत है। वह अहंकार वैकारिक (सात्त्विक), तैजस और तामस भेद से त्रिविधात्मक है अर्थात् सत्त्वगुणात्मक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और अहंकार के इन्हीं त्रिविध भेदों से मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां और पंचमहाभूत भी उत्पन्न होते है।[18] श्रीमद्भागवत में पंचमहाभूतेन्द्रियमनोमय अहंकार को ही सहस्त्र शिर वाले संकर्षण अनन्त नाम वाले पुरुष के रूप में वर्णन किया गया है।[19] कर्ता, करण तथा कार्य इन लक्षणों से युक्त यह अहंकार होता है तथा सात्त्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के साथ पृथक – पृथक मिलकर ही यह शान्त, क्रियावान, तथा विमूढ लक्षणों वाला होता है।[20]

मन – कपिल मुनि ने बन्धन और मोक्ष का प्रमुख कारण मन को स्वीकार किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब मन विषयों में आसक्त होता है तब वह बन्धन का कारण होता है और जब वह परमात्मा में

---

[11] सां. का. 3
[12] पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा। एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः।। भा. पु. 3/26/11
[13] सां. का. 22
[14] दैवात्क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान्। आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्।। भा. पु. 3/26/19
[15] विश्वमात्मगतं व्यंजन् कूटस्थो जगदङ्कुरः। स्वतेजसापिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः।। भा. पु. 3/26/20
[16] यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्। यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। भा. पु. 3/26/21
[17] स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः। वृत्तिभिलक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा।। भा. पु. 3/26/22
[18] महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यसम्भवात्। क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत।।
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः। मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। भा. पु. 3/26/23, 24
[19] सहस्त्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते। सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्।। भा. पु. 3/26/25
[20] कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्। शान्तधोरविमुढत्वमिति वा स्यादहंकृतेः।। भा. पु. 3/26/26

अनुरक्त होता है तब वह ही मुक्ति या मोक्ष का कारण बन जाता है।[21] यह अपने ममत्व, काम–क्रोधादि विकारों से मुक्त होकर ही शुद्ध चेतनत्त्व से युक्त समत्व की स्थित को प्राप्त करता है।[22]

मन के प्रादुर्भाव के विषय में प्राप्त होता है कि जब अहंकार वैकारिक (सत्त्वगुण) के साथ समन्वित होता तब मन की उत्पत्ति होती है और यह संकल्प, विकल्प लक्षणों वाला होता है जिससे इसमें कामनाओं का उदय होता है।[23] श्रीमद्भागवत में मन को अनिरुद्ध के नाम से व्याख्यायित किया गया है और इनके वर्ण के विषय में वर्णन प्राप्त होता है कि शरद्कालीन कमल के समान श्याम वर्ण वाले है, योगी जन इनकी शनैः शनैः आराधना करते है।[24]

बुद्धि – रजोगुणी अहंकार में विकार उत्पन्न होने पर बुद्धि की सृष्टि होती है। प्रत्यक्ष रूप दृष्ट जगत के पदार्थ से साक्षात्कार होने पर उस पदार्थ की प्रकृति के निर्धारण में इन्द्रियों की सहायता करना है बुद्धि का कार्य है।[25] संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति, और निद्रा ये बुद्धि के लक्षण कहे गये है।[26] सांख्यकारिका में भी बुद्धि के इन्हीं लक्षणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है – किसी वस्तु के निश्चय करने को बुद्धि कहते है, और बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सात्विक धर्म है।[27] सांख्य सूत्र में भी बुद्धि की यही परिभाषा प्राप्त होती है यथा – **अध्यवसायो बुद्धिः**।[28]

इन्द्रियां, महाभूत एवं तन्मात्रा – रजोगुणी अहंकार के क्षुब्ध होने पर इन्द्रयों की उत्पत्ति होती है। ये इन्द्रियां दो प्रकार की होती है। प्रथम ज्ञानेन्द्रियां द्वितीय कर्मेन्द्रियां। ज्ञानेन्द्रियों का सम्बन्ध प्राणशक्ति से तथा कर्मेन्द्रियों का सम्बन्ध बुद्धि से होता है।[29]

शब्द, आकाश और श्रोत्र – ईश्वरीय तेज से प्ररित होने पर तामसिक अहंकार में विकार उत्पन्न होता है जिससे शब्दतत्त्व प्रकट होता है, शब्द से आकाश तथा उससे श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होती है।[30]

शब्द का लक्षण– जिसके द्वारा किसी शब्द के अर्थात्मक विचार का वहन किया जाता है, जो वक्ता की उपस्थिति का सूचक होता है तथा आकाश का सूक्ष्म रूप होता है उसको शब्द कहते है।[31]

---

[21] चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्। गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये।। भा. पु. 3/25/15
[22] अहंममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः। वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्।। भा. पु. 3/25/16
[23] वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत। यत्सङ्कल्पविक्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः।। भा. पु. 3/26/27, सां. का. 27
[24] यद्विदुर्ह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरम्। शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः।। भा. पु. 3/26/28
[25] तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति। द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः।। भा. पु. 3/26/29
[26] संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्।। भा. पु. 3/26/30
[27] अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्। सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्।। सां. का. 23
[28] सां. सू. 2/13
[29] तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धेर्विज्ञानशक्तिा। भा. पु. 3/26/31
तामसाच्च विकुर्वाणाद्भगवद्वीर्यचोदितात्। शब्दमात्रमभूत्तस्मान्नभः श्रोतुं तु शब्दगम्।। भा. पु. 3/26/32
[31] अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च। तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः।। भा. पु. 3/26/33

आकाश का लक्षण – सकल जीव राशि को बाह्य तथा आन्तरिक अस्तित्व के लिए स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इन्द्रिय एवं मन का आश्रय होना ये आकाश के लक्षण कहे गये है।[32]

त्वचा – शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा का उद्भव हुआ तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वगिन्द्रिय उत्पन्न हुई।[33]

वायु का लक्षण – कोमलत्व, कठिनत्व, शीतत्व, उष्णत्व तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण कहे गये है।[34] गति कराना, हिलाना, मिश्रण, शब्द को पदार्थो तथा अन्य इन्द्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इन्द्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराना ये वायु के कर्म लक्षण है।[35]

तेज, नेत्र

स्पर्शतन्मात्रविशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्रा का उदय हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हुआ।[36] वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अन्तः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखलाई देते है।

रूप की वृत्तियां– वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना – द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार – प्रकार और परिमाण आदि हो, उसी रूप में लक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना ये सब रूपतन्मात्रा की वृत्तियां है।[37]

तेज की वृत्तियां –प्रकाशित होना, पाचन करना, क्षुधा – पिपासा उत्पन्न करना, शीत को दूर करना, जल को वाष्प में परिवर्तन करना ये तेज के कार्य है।[38]

जिह्वा, रस – अग्नि तथा दृष्टि की अन्तःक्रिया से दैवीय व्यवस्था के अन्तर्गत रूपतन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रसतन्मात्र की तथा उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा प्रकट हुई।[39] रस स्वस्य शुद्ध स्वरूप में एक ही है किन्तु अन्य भौतिक पदार्थों के संसर्ग से यह कषैला, मधुर, तिक्त, कटु, अम्लीय आदि अनेक प्रकार का हो जाता है।[40]

---

[32] भा. पु. 3/26/34
[33] भा. पु. 3/26/35
[34] भा. पु. 3/26/36
[35] भा. पु. 3/26/37
[36] भा. पु. 3/26/38
[37] भा. पु. 3/26/39
[38] भा. पु. 3/26/40
[39] भा. पु. 3/26/41
[40] भा. पु. 3/26/42

जल की वृत्ति –गीला करना, मिट्टी आदि को पिण्डाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थो को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और जलागारों की निरन्तर पूर्ति करते रहना ये जल की वृत्तियां है।[41]

गन्ध, घ्राणेन्द्रिय – रसस्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गन्ध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। यद्यपि गन्ध एक है किन्तु सम्बद्ध पदार्थो के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है यथा – मिश्रित, दुर्गंध, सुगन्धित, मृदु, तीव्र, अम्लीय आदि।[42]

पृथ्वी का लक्षण – ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। अन्य शब्दों में, पृथ्वी सकल चराचर समस्त तत्त्वों का आश्रय स्थल है। ये पृथ्वी के कार्य लक्षण है।[43]

इन्द्रियां और उनकी परिभाषा – वह इन्द्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवणेन्द्रिय और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वगिन्द्रिय कहलाती है। जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्रेन्द्रिय कहलाती है। जल का विषय जिस इन्द्रिय का विशेष गुण है वह रसनेन्द्रिय के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी का विशिष्ट गुण जिस इन्द्रिय का विषय वह घ्राणेन्द्रिय के नाम से कही जाती है।[44]

सृष्टि का कर्म एवं क्रम – श्रीमद्भागवतमहापुराण में विराट् पुरुष की उत्पत्ति के विषय में वर्णन प्राप्त होता है कि जब ये महतादि सभी तत्त्व अपने अपने कारण से उत्पन्न हो गये तब ये पृथक – पृथक तथा स्वतन्त्र थे। ये एक साथ साम्यावस्था में नहीं होने के कारण ये सभी तत्त्व सृष्टि करने में समर्थ प्रतीत नहीं हुए तब ईश्वर काल, कर्म और गुण सहित जगत् की उत्पत्ति के उद्देश्य से उनमें प्रवेश किया। तब एक अण्डा उत्पन्न हुआ और उसी अण्डे में ये महतादि तत्त्व स्थित थे जिससे इन तत्त्वों ने अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए स्थान का निमाण ि किया तब अण्ड में से विराट् पुरुष के समस्त अंग प्रकाशित होने तब उन उन तत्त्वों ने स्वस्य स्वस्य अभिमानी देवताओं सहित अपने अपने स्थानों को सुनिश्चित किया तथा इसे चलायमान करने का प्रयास किया परन्तु ये असफल रहे तब अन्त में चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तभी वह विराट् पुरुष चेतन की अवस्था को प्राप्त हो गया।[45]

पुरुष – जिस प्रकार जल यथार्थ सूर्य में प्रतिबिम्बित सूर्य से भिन्न रहता है उसी तरह पुरुष (जीवात्मा) शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है क्योकि पुरुष अपरिवर्तित, निर्विकार, अकर्ता और

---

[41] भा. पु. 3/26/43
[42] भा. पु. 3/26/44, 45
[43] भा. पु. 3/26/46
[44] भा. पु. 3/26/47, 48
[45] भा. पु. 3/26/50–72

निगुर्ण होता है।[46] पुरुष जब प्रकृति के गुणो से युक्त होता है तब वह अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को कर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है।[47]

उपसंहार – श्रीमद्भागवतमहापुराण में कपिलोपाख्यान के अन्तर्गत सांख्य दर्शन का वर्णन किया गया है। सांख्य कारिका में प्रकृति, पुरुष, महत्, अहंकार, मन, पंचज्ञानेन्द्रियां, पंचकर्मेन्द्रियां, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत इन 25 तत्त्वों का वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवत में वर्णित सांख्यदर्शन के 25 तत्त्वों के अन्तर्गत पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, चार अन्तः करण, दश इन्द्रियां, और काल इनकों ही स्वीकार किया है। यहां काल को ही पुरुष कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनके संयुक्त रूप को अन्तः करण कहा गया है एवं सांख्य कारिका में बुद्धि–अहंकार और मन इन तीनों के संयोग को अन्तःकरण कहा गया है इस प्रकार श्रीमद्भागवत में वर्णित सांख्यदर्शन के अन्तर्गत अन्तःकरण में चार तत्त्वों को समाविष्ट किया गया है और सांख्य कारिका में अन्तः कर में तीन तत्त्वों का समावेश किया गया है जिससे दोनों में वर्णित सांख्य दर्शन में भेद को उपस्थित करता है। यहां साख्य के 25 तत्त्वों में महत्, अहंकार, मन को गिना गया है परन्तु चित्त को नहीं गिना गया है। श्रीमद्भागवत में चित्त को भी इन 25 तत्त्वों में गिना गया है। जो कि सांख्य के 25 तत्त्वों में से ये एक अधिक तत्त्व के रूप में प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत में सांख्य की उसी सृष्टि प्रक्रिया का क्रम सहित वर्णन किया गया है जो कि सांख्य दर्शन में प्राप्त होता है। भागवत में सृष्टि के इन्हीं तत्त्वों को जैसे – महत् को वासुदेव, अहंकार को संकर्षण, मन को अनिरुद्ध, और बुद्धि तत्त्व को प्रद्युम्न नाम से वर्णित किया है। यहां तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ ही उन्हीं तत्त्वों के संयोग से विराट् पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन भी सविस्तार से किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- श्रीमद्भागवतमहापुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2072
- महाभारत, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2073
- सांख्यसूत्रम्, भट्टाचार्य, रामशंकर, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 1977
- सांख्यकारिका, (व्याख्याकार) गौढ., ज्वालाप्रसाद, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2013
- संस्कृत–हिन्दी–कोश, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली, 2012

[46] भा. पु. 3/27/1
[47] भा. पु. 3/27/2

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना

देव अमर सिंह
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
डॉ. अनुराग मिश्र
एसो. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, (उत्तर प्रदेश)

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 84-90

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोध–सारांश – आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक कवयित्री के तौर पर सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविताएँ अंग्रेजी साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोध में भारतीय आकांक्षाओं को बेहद तीव्रता व गहनता से मूर्त रूप प्रदान करती हैं। 'झाँसी की रानी' व अन्य राष्ट्रवादी कविताओं की व्यापक प्रसिद्धि के कारण उनकी पहचान मुख्यतः कवयित्री की ही रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ भी लिखी हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना उनका काव्य–लेखन। वास्तव में, उनकी कहानियाँ काव्य–संवेदना के पूरक और अनेक संदर्भों में विस्तार के आयामों को प्रस्तुत करती हैं। स्वतन्त्रता–आन्दोलन के समय की भारतीय स्त्रियों की पहचान, उनकी सक्रियता और उनकी संभावनाओं का वृहद परिदृश्य सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों से ही बनता दिखाई देता है। वह नारी–मुक्ति की आकांक्षा को स्वाधीनता–मुक्ति के बृहत परिप्रेक्ष्य में ही रखकर देखती हैं और सामाजिक ढांचे के यथास्थितिवादी चिह्नों की सटीक पहचान प्रस्तुत करती हैं। भारतीय मूल्यों की प्रतिस्थापना, सामाजिक सार्थकता और सामयिक जीवन–स्थितियों का निवेश उनकी कहानियों को ऐतिहासिक महत्व तो प्रदान करता ही है, उसे उत्तरवर्ती भारतीय जीवन के लिए भी प्रासंगिक बनता हैं।

बीज शब्द – स्वतंत्रता– आन्दोलन, औपनिवेशिक चेतना, महादेवी वर्मा, बच्चन सिंह, डॉ. नगेन्द्र, असहयोग आन्दोलन, स्त्री–चेतना।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में राष्ट्रीय चिंगारी धधक रही है। सुभद्रा का साहित्य उस समय का है जब हमारा देश परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्रता के लिए वीरों के पैर डगमगा रहे थे। उस समय सुभद्रा जी समस्त जनता में अपनी कविताओं के माध्यम से प्राण फूँक रही थीं। राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत इनकी कुछ कविताएँ इस प्रकार हैं– ''झाँसी की रानी', 'झाँसी की रानी की समाधि', 'जलियावाला बाग में बसंत', 'मेरी कविता', 'खिलौने वाला', 'राखी की चुनौती', 'राखी', 'विजय दशमी', 'मातृ मंदिर', 'सेनानी का स्वागत', 'मेरी टेक', 'विदा', 'स्वदेश के प्रति', 'पुरस्कार कैसा', 'वीरों का कैसा हो बंसत', 'लोहे को पानी कर देना' आदि।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भारत की स्वतंत्रता के लिए पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी बढ़–चढ़कर भाग लिया था। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये थे। बुन्देलखण्डी लोक शैली में लिखी गयी 'झाँसी की रानी' कविता का अंश इस प्रकार है:–

''इनकी गाथा छोड़ चले हम 'झाँसी के मैदानों में,
जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में,
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वन्द्व असमानों में,
जख्मी होकर वॉकर भागा
उसे अज़ब हैरानी थी।
बुन्देले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो
'झाँसी वाली रानी थी।।''[1]

इस कविता में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई के बचपन, यौवन, विवाह, विधवा, अंग्रेजों से विद्रोह, युद्ध और अन्त में शहीद होकर वीरगति प्राप्ति की घटना का बड़ा सटीक और सुन्दर ओजपूर्ण वर्णन किया है। झाँसी की रानी के विषय में डॉ. सुमन राजे ने इस प्रकार लिखा है– ''प्रसिद्ध 1857 की क्रान्ति में 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अहम् भूमिका निबाही। इतिहास में सम्भवतः पहली बार उन्होंने 'स्त्री सेना' का गठन किया और अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिये। अपनी शहादत से इन्होंने स्वतन्त्रता की नींव रखी।''[2]

श्रीमती सुभद्रा जी ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर 'झाँसी की रानी की समाधि पर' शीर्षक से कविता लिखा। इस कविता से रानी की गौरव गाथा का स्मरण होता है। इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं–

''इस समाधि में छिपी है, एक राख की ढेरी।
जल कर जिसने स्वतन्त्रता की, दिव्य आरती फेरी।।
यह समाधि, यह लघु समाधि, है झाँसी की रानी की।
अन्तिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की।।
....
पर कवियों की अमर गिरा में, इनकी अमिट कहानी।
स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं, वीरों की बानी।।
बुन्देले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी।
खूब लड़ी मर्दानी वह थी, झाँसी वाली रानी।।

रौलट एक्ट के विरोध में अनेक स्थानों पर जनसभाएँ आयोजित की गयी थीं। इस समय अंग्रेजी सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉ. सैफुदीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को गिरफ्तार कर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजर बन्द कर दिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन् 1919 ई. को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी। यह बाग तीन ओर से ऊँची–ऊँची दीवारों से घिरी हुई थी और जिस ओर मुँह खुला हुआ था उसी ओर से जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जिसमें सैंकड़ों की

संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मारे गये। इस घटना से क्षुब्ध होकर ''शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, महात्मा गांधी ने 'कैसर–ए–हिन्द' की उपाधि, जमनालाल बजाज ने 'राय बहादुर' की उपाधि और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'सर' की उपाधि वापस कर दिया।''[4] इस नरसंहार के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गयी कविता 'जलियावाला बाग में बसंत' भारतीयों के हृदय–पटल को झकझोर देती हैं, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं–

''परिमल–हीन पराग दाग–सा बना पड़ा है।
हा! यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है।।
आओ प्रिय ऋतुराज ! किन्तु धीरे से आना।
यह है शोक–स्थान यहाँ मत शोर मचाना।।

....

कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा–खाकर।
कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर।।

....

तड़प–तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर।
शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर।
यह सब करना, किन्तु बहुत धीरे से आना।
यह है शोक–स्थान यहाँ मत शोर मचाना।।''[5]

सुभद्रा जी की दूसरी कविता जलियावाला बाग, एक नववधू की मनोदशा का वर्णन करती है। यह नवविवाहिता स्त्री है जिसका पैर महावर से अभी लाल है और साथ ही लाल रंग की साड़ी पहने है। इस नवेली स्त्री का पति इसी बाग में शहीद हो गया था। यह जो साड़ी पहने है उसका लाल रंग खून के धब्बे से रंगा प्रतीत हो रहा है एवं आँचल आँसुओं से गीला हो गया है। सुभद्रा की 'मेरी कविता' का मार्मिक अंश इस प्रकार है–

''उसका छोर लाल! सम्भव है, हो वह खूनी रंग से लाल।
है सिन्दूर–बिन्दु से सज्जित, अब भी कुछ–कुछ उसका भाल।
अब भी है उसके पैरों में, बनी महावर की लाली।
हाथों में मेंहदी की लाली, वह दुखिया भोली–भाली।।''[6]

सुभद्रा कुमारी की कविताओं में राष्ट्रीयता के साथ–साथ पारिवारिक प्रेम है। राष्ट्र–प्रेम का सुन्दर समन्वय इनकी कविताओं में दिखाई देता है। सुभद्रा जी के विषय में डॉ. सुमन राजे ने लिखा है– ''सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं कई अर्थों में विशिष्ट हैं...... स्त्री के सभी रूप बालिका, प्रेमिका, पत्नी, बहिन और मां उनके जीवन में भी और कविता में भी पूरे वैभव के साथ उतरे हैं। सभी में सूत्रबद्धता राष्ट्रीय भावना की है। जीवन और कविता की ऐसी पारस्परिकता बहुत कम देखी जाती है।''[7]

सुभद्रा कुमार चौहान की कविताओं में उथल–पुथल नहीं है। इनकी पारिवारिक कविताओं में भी देश–प्रेम का जोशपूर्ण वर्णन है। साधारण से साधारण कविताओं में राष्ट्रीयता की मनोरम छटा दिखाई पड़ी है। सुभद्रा जी बच्चों के बचपन में ही राष्ट्रीयता का बीज बो देती हैं। इन्होंनें 'खिलौनेवाला' कविता में पौराणिक प्रसंग के साथ–साथ राष्ट्रीय चेतना का वर्णन इस प्रकार किया है–

''वह देखों माँ आज खिलौने वाला, फिर से आया है।
कई तरह के सुन्दर–सुन्दर, नये खिलौने लाया है।।
छोटे–छोटे धनुष बाण हैं, छोटी–छोटी तलवार।
नये खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार।।

....

तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता,बिल्ली, मोटर,रेल।
पर माँ, यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं, बच्चों के खेल।।
मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मै लूंगा, तीर कमान।
जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान।।''[8]

कवयित्री की कविताओं का पाठ करने से देश की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीयों की एकजुटता के सम्मुख अंग्रेजों की तोपें काम नहीं कर पायीं। सुभद्रा जी उस दौर की थी जब क्रान्तिकारियों ने अपनी कुर्बानी हँसते–हँसते दिया था। इन वीरों का बलिदान सुभद्रा के साहित्य में बहुतायत दृष्टिगोचर होता है। श्रीमती सुभद्रा जी के विषय में डॉ. बच्चन सिंह जी ने इस प्रकार लिखा ''राष्ट्रीय संग्राम में कई कवियों ने सक्रिय योग दिया था। उनकी कविताओं में जोश है, प्रलयाग्नि है, दीवानगी है, अराजकता है, पर सुभद्रा जी राष्ट्रीय संग्राम में कूदकर भी परिवार से बंधी रहीं। इसीलिए उनमें गहन माननीय प्रेम है, संयम है, व्यवस्था है।''[9]

सुभद्रा ने देश की सोयी हुई जनता को जगाने के लिए अपनी कविताओं में भारतीय त्यौहारों का बड़े सुन्दर ढंग से वर्णन किया है। यह पर्व भारतीय जनमानस की श्रद्धा का केन्द्र है जो साल भर में क्रमशः आते रहते हैं। कवयित्री की रक्षाबन्धन पर्व पर लिखी गयी कविता 'राखी की चुनौती' का भाग द्रष्टव्य है–

''मैं हूँ बहिन किन्तु भाई नहीं है।
है राखी सजी पर कलाई नहीं है।।
है भादो, घटा किन्तु छाई नहीं है।
नहीं है खुशी पर रूलाई नहीं है।।

....

मेरा बन्धु माँ की पुकारों को सुनकर,
के तैयार हो जेलखाने गया है।
छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को
वह जालिम के घर से लाने गया है।।''[10]

सुभद्रा जी की रक्षाबन्धन विषय पर लिखी गयी दूसरी कविता में भाई–बहन के प्रेम का चित्रण है। प्रत्येक भाई अपनी बहन से राखी का सूत कलाई पर बंधवाता है और बहन की रक्षा का प्रण लेता है। सुभद्रा कुमारी भारतमाता को आजाद कराने वाले उन भाईयों को राखी बाँधना चाहती हैं। कवयित्री द्वारा लिखी गई ''राखी'' कविता इस प्रकार है–

''बोलो, सोच–समझकर बोलो, क्या राखी बँधवाओगे?
भीर पड़ेगी, क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे?
यदि हाँ, तो यह लो मेरी, इस राखी को स्वीकार करो।

आकर, भैया, बहन सुभद्रा के कष्टों के भार हरो।।''[11]

धीरे–धीरे समय परिवर्तन होता रहता है एक के बाद दूसरा त्यौहार आता रहता है। श्रीमती सुभद्रा जी ने अपनी एक कविता मे 'विजयादशमी' का उल्लेख किया है। इस पर्व के माध्यम से कवयित्री ने असत्य पर सत्य की विजय का संघोष किया है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा ने भारतवर्ष की सोयी हुई जनता को जगाना चाहा है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं–

''सबल पुरुष यदि भीरु बने, तो हमको दो वरदान सखी!
अबलाएँ उठ पड़े देश में, करे युद्व घमासान सखी!
पन्द्रह कोटि असहयोगिनियाँ दहला दे ब्रह्माण्ड सखी!
भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंकाकाण्ड सखी।
खाना, पीना, सोना, जीना,हो पापी का भार सखी!
मार–मार कर पापों का कर दें, हम जगती से छार सखी।''[12]

सुभद्रा कुमारी चौहान देश की परिस्थितियों से पूर्ण रूप से परिचित थीं। महात्मा गाँधी जी के कहने से उन्होंने असहयोग आन्दोलन, झण्डा आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी और अनेक बार जेल यात्रा किया। सुभद्रा पहली सत्याग्रही महिला थीं जो झण्डा आन्दोलन में जेल गयी थीं। इस घटना पर राजगोपालाचारी ने सुभद्रा की प्रशंसा करते हुए आम जनता को इनसे सीखने के लिए प्रेरित किया था।

सुभद्रा कुमारी की कहानियाँ मन को झकझोर देती हैं। अधिकतर कहानियाँ सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। सुभद्रा ने कहानियों का लेखन अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए किया था। कुछ कहानियों में राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी है। जो इस प्रकार हैं– 'पापी पेट, 'अमराई', 'चढ़ा दिमाग', 'ताँगे वाला', 'हींग वाला', 'गुलाब सिंह', 'राही' आदि। लेखिका ने लगभग पन्द्रह कहानियाँ जेल–यात्रा के समय लिखी थीं।

सुभद्रा की 'पापी पेट' कहानी राष्ट्रीय चेतना से ओत–प्रोत है जिसका पाठन करने पर भारतीयों की नाड़ियों में गर्म रक्त का संचार होने लगता है। अंग्रेजों के शासन में अधिकतर कर्मचारी से अधिकारी तक सभी भारतीय थे। उनके मन में भी भारत माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। लेकिन अंग्रेजों के नौकर होने के कारण आदेशों का पालन करते थे। इस कहानी में भी सिपाही राम खेलावन, कोतवाल बखतावर सिंह और न्यायाधीश राय साहब कुन्दन लाल आदि के मन में राष्ट्र–प्रेम की भावना है। इसी कारण राय साहब मुल्जिम से माफी माँगते हैं– ''क्षमा करना, भाई इस पापी पेट के कारण लाचार हैं वरना क्या हमारे दिल में देश–प्रेम नही है?।'[13]

सुभद्रा कुमारी चौहान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अथक परिश्रम किया जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। सुभद्रा जी की प्रिय सहेली महादेवी वर्मा जी ने उनकी घर–गृहस्थी के विषय में इस प्रकार लिखा हैं– ''अपने निश्चित लक्ष्य पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते–हंसते सहना उनका स्वभावजात गुण था .... वस्तुतः जिस विवाह में मंगल–कंकण ही रण–कंकण बन गया, उनकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी वहीं।''[14]

राष्ट्रीय चेतना को धार देने वाली लेखिका की एक कहानी 'अमराई' है। इस कहानी में ठाकुर साहब की बाग में झूला पड़ा हैं, जहाँ अधिकतर बच्चे और महिलाएँ हैं। बहनें अपने–अपने भाई की कलाई पर राखी बाँध रही हैं। ठाकुर साहब के घर के बच्चे और महिलाएँ हैं। किसी अंग्रेज सिपाही को लगा कि–यह

क्रान्तिकारियों का अड्ड़ा है उसने कहा कि–दस मिनट के अन्दर बाग खाली कर दो, नहीं तो लाठी चल जायेगी। उसने ऐसा ही किया। जिसमें ठाकुर का पोता भयंकर रूप से घायल हो गया। जिसके विरोध में ठाकुर साहब ने राय साहिबी और आनरेरी मजिस्ट्रेटी से त्यागपत्र दे दिया।

सुभद्रा जी की 'चढ़ दिमाग' कहानी राष्ट्र के प्रति समर्पित है। इस कहानी में शीला लेखिका और केन्द्रीय पात्र है। इसके पति स्वतन्त्रता संग्राम के समय जेल चले गये थे और दो सौ रूपये जुर्माना लगा था। इस दण्ड के लिए तत्कालीन सरकार ने घर की वस्तुओं को नीलाम कर दिया।

'ताँगे वाला' कहानी में ताँगा हाँकने वाला रामदास खद्दरधारी है। उसने अपने ताँगे पर किसी अंग्रेज को न बैठाने का शपथ ग्रहण किया है। ताँगे पर बैठने वाला व्यक्ति रामदास के विचारों से प्रभावित होकर उसके विषय में पूछता है, तब रामदास ने इस प्रकार उत्तर दिया– ''महात्मा गॉधी के सत्याग्रह आन्दोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। दो बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबियत नहीं मानती। मेरे अन्दर से तो जैसे काई पुकार उठता है 'गदर'! सन् सत्तावन का सीन फिर एक बार दुहराया जाये। इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाय, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा।''[15]

सुभद्रा कुमारी चौहान की 'हींगवाला' कहानी हिन्दू–मुस्लिम दंगे पर आधारित है। होली के समय में भारी दंगा हुआ था जिसमें सरकार ने धारा–144 लागू कर दिया था। दशहरे के दिन दंगा हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में हिन्दू–मुस्लिम मौत के घाट उतार दिये गये। इसमें हींगवाला विक्रेता भी खान मुस्लिम था। उसकी सद्भावना के कारण सावित्री के बच्चे सलामत घर पहुँच सके।

'राही' कहानी में लेखिका ने यह दिखाया है जो वास्तव में गरीब, किसान, मजदूर, नंगे भूखे, अशिक्षित हैं, उनके पास न तो तन का कपड़ा है और न ही भरपेट खाना। अधिकतर खद्दरधारी अपने आपको सच्चा देश–प्रेमी, समाज–सुधारक मानते हैं वह केवल प्रोन्नति के लिए 'ए' और 'बी' क्लास की जेल–यात्रा को सुखमय मानते हैं। इस प्रकार सुभद्रा ने झूठ का पर्दाफाश इस कहानी में किया है।

श्रीमती सुभद्रा जी 'गुलाब सिंह' कहानी में बालक गुलाब सिंह के साहस और बलिदान का वर्णन करती हैं। इसकी बहन ने अपने भैया के मस्तक पर रोली का तिलक लगाकर हाथ में पान का बीड़ा और अपनी ओढ़नी का झण्डा देकर हंसते–हंसते विदा कर दिया। बादशाह के कहने पर गोलियाँ चल गयीं और गुलाब सिंह शहीद हो गया। इस कहानी में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है– ''यह फ्रांस की राज्य–क्रान्ति हो सकती है। यह रूस की राज्य–क्रान्ति हो सकती है। यह हिन्दुस्तान की सन् 42 की क्रान्ति भी हो सकती है। क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनन्त है। यह जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है।''[16]

इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का समग्र साहित्य भारत माता के हृदय का हार है, जिसमें नाना प्रकार के पुष्पों की भाँति कविताएँ गुथी हुई हैं। उस मनमोहक हार की सुगन्ध आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। जहाँ कविताओं में सिंह की दहाड़ है वहाँ कहानियों में समाज का यथार्थ रूप है। इनके विषय में डॉ. बच्चन सिंह जी ने इस प्रकार लिखा है– ''माखनलाल चतुर्वेदी और नवीन की भाँति राष्ट्रीय आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। इस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।''[17]

राष्ट्रीय काव्यधारा के अन्दर और बाहर उथल–पुथल चल रही थी, अन्दर कुछ और था तो बाहर कुछ और। जहाँ कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने के लिए जनमानस को एकत्र होने का आह्वान किया वहाँ दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए स्वाधीनता संग्राम की ओर प्रेरित

किया। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य के विषय में डॉ. नगेन्द्र ने इस प्रकार लिखा है– ''भाव की दृष्टि से कविताओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में राष्ट्र–प्रेम की कविताएँ रखी जा सकती है जिसमें इन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को विषय बनाया है .... दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे कविताएँ रखी जा सकती हैं, जिनकी प्रेरणा इन्हें अपने परिवारिक जीवन से प्राप्त हुई है।''[18]

हिन्दी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान का विशेष योगदान है। इनके साहित्य में वीर, शृंगार और वात्सल्य रस की त्रिवेणी है। सुभद्रा जी की कविताओं को पढ़ने पर स्वतन्त्रता–आन्दोलन और भारत माता के अमर सपूतों की कुर्बानियाँ जीवित हो जाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :

1. मुकुल : सुभद्रा कुमारी चौहान, ओझा बन्धु आश्रम, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या–82।
2. हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास : डॉ. सुमन राजे, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–227।
3. सुभद्रा समग्र : सुधा चौहान, द्वितीय संस्करण, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 146,147।
4. सामान्य ज्ञान : सुनील कुमार सिंह, लूसेंट पब्लिकेशन, पटना (बिहार), पृष्ठ संख्या–48।
5. सुभद्रा समग्र : सुधा चौहान, द्वितीय संस्करण, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 70,71।
6. वही, पृष्ठ संख्या– 74।
7. हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास : डॉ. सुमन राजे, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या– 252।
8. सुभद्रा समग्र : सुधा चौहान, द्वितीय संस्करण, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 182,183।
9. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास : डॉ. बच्चन सिंह, दसवां संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ संख्या–404।
10. सुभद्रा समग्र : सुधा चौहान, द्वितीय संस्करण, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 66।
11. वही, पृष्ठ संख्या– 78।
12. वही, पृष्ठ संख्या– 81,82।
13. बिखरे मोती : सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वितीय वृत्ति, उद्योग मन्दिर प्रकाशन, जबलपुर, पृष्ठ संख्या– 35।
14. पथ के साथी : महादेवी वर्मा, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद,पृष्ठ संख्या–35।
15. सुभद्रा समग्र : सुधा चौहान, द्वितीय संस्करण, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या– 199।
16. वही, पृष्ठ संख्या– 225।
17. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ. बच्चन सिंह, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या–238।
18. हिन्दी साहित्य का इतिहास : सं. डॉ. नगेन्द्र, द्वितीय संस्करण, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, पृष्ठ संख्या–519।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

प्रेमचंद की कहानियों के जीवंत पात्र

डॉ.रमेश कुमार गोहे
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग, गुरू घासीदास वि.वि.बिलासपुर (छ.ग.)

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 91-98

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज और परिस्थितियों का समूल आंकलन किया है और उसी के अनुरूप पात्रों की संरचना कर उनके अंदर उन चरित्रों को भरने की भरपूर कोशिश की है। किंतु कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको हम सभी भारतीयों ने अपने स्कूली कक्षाओं में अध्ययन के दौरान पढ़ा है और समाज में वे हमें यदा-कदा दिखाई दे जाते हैं। मेरे इस आलेख का अभिधेय यही है कि हम उन पात्रों पर यहां चर्चा करके उनको याद कर सकें। यह आलेख अपने इस उद्देश्य में कितना सफल हुआ ? आपके सुझाव और आगे के लेखन के लिए दिशा निर्देश हमेशा आमंत्रित हैं।

मुख्य शब्द– प्रेमचंद, कहानियां, समाज, पात्र, वातावरण, जीवन, रचना।

मुंशी प्रेमचंद कहानियां का सरोकार तत्कालीन समाज विशेष रूप से ग्रामीण समाज को यथार्थ एवं आदर्श का मिश्रण कर प्रस्तुत किया है। वे उस वातावरण से भली-भांति परिचित है उन्होंने उस वातावरण को स्वयं भोगा, समझा और परखा था। अपने युग की संपूर्ण संभावनाएं और उपलब्धियां उनकी कहानियों में व्याप्त हैं। कथा शिल्पी के रूप में जितना उदात्त उनका अनुभूति पक्ष है उतना ही श्रेष्ठ एवं उदात्त उनका अभिव्यक्ति पक्ष है अर्थात् वे अनुभूति एवं अभिव्यक्त में सदैव सफल रहे। कहानी के बारे में वे कहते हैं , 'कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है।' प्रेमचंद ने अपने साहित्य में सभी पात्रों को बहुत ही जीवंत के करीब रखा है इसलिए यह कोई नहीं कह सकता कि इनमें से सबसे अच्छा पात्र कौन है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं।

बूढ़ी काकी - प्रेमचंद ने वृद्धावस्था पर बूढ़ी काकी एक ऐसी कहानी लिखी है कि जहाँ भी कहीं वृद्धावस्था की दुर्दशा देखने में आती हैं वहीं बूढ़ी काकी पात्र आँखों के सामने आ जाती है और उसी कहानी से जुड़े पात्र, बुधीराम, रूपा और लाड़ली। बुधीराम बूढ़ी काकी की संपत्ती का मालिक है, रूपा उसकी बहू है और लाड़ली पोती। परिवार में अब बूढ़ी काकी का कोई स्थान नहीं है। न तो निणर्यो में, न घर में । उसके रहने की एक अलग कोठरी है और खाने के लिए रूखा-सूखा या बचा हुआ बासी भोजन। प्रेमचंद ने बुढ़ापा के समय की चित्तवृत्तियों को बड़ी बारीकी से उल्लेख किया है। "बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएँ एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केन्द्र उनकी स्वादेन्द्रिय थी।''[i]

इस कहानी की शुरूआत में ही प्रेमचंद ने बुढ़ापा का विधिवत उल्लेख किया है। यह अंश पठनीय है कि "बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिहवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियाँ नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं।''[ii]

पात्र बूढ़ी काकी आज भी हमारी सभ्यता में, घर परिवारों में, गली मोहल्लों में कई बार देखने को मिल जाती हैं। ठीक इसी तरह की यातनाओं को भोगने वाली बूढ़ी काकीयाँ और यातना देने वाले बुधिराम और रूपा कई रूपों में देखने को मिल जाते हैं। पात्र बूढ़ी काकी इस सभ्यता में तब तक जीवंत रहेंगी जब तक मानवता के मूल्यों का हास् होता रहेगा। बूढ़ी काकी वृद्धावस्था पर एक उद्देश्यपरक और त्रासदीपूर्ण कहानी है । जीवन के अंत में कोई काम नहीं आता सिवाय दूसरों (जिन्हें हम अपना कहते हैं।) की दया के।

ठाकुर का कुंआ - जोखू और गंगी - जाति–प्रथा इस समाज का ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता। समाज में जब से जातियाँ बनी हैं, ऊँच–नीच, पूज्य अस्पृश्य, और तमाम विडम्बनाएँ निर्मित हुई हैं। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश कहानियों में इन कुप्रथाओं का अपने लेखन से पुरजोर विरोध किया है। ठाकुर का कुंआ प्रेमचंद की लिखी एक ऐसी ही कहानी है जिसके पात्र (पति–पत्नी) जोखू और गंगी जाति प्रथा का जुल्म सहते हुए ही अपना जीवन जीते हैं। बीमार अवस्था में भी जोखू के लिए ठाकुर के कुएँ का साफ पानी नहीं निकाला जा सकता और जोखू को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

खानपान को लेकर या कहीं भी पानी के कुएँ को लेकर जब कोई घटना घटती है तब जोखू और गंगी बरबस ही याद आ जाते हैं। जातिप्रथा की पूरी विडम्बना जोखू के इस कथन से स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है कि जब गंगी ठाकुर के कुएँ से पानी लेने जाती है तब जोखू कहता है। "हाथ पाँव तुड़वा आयेगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक का पाँच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है! हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झाँकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे।''[iii]

कहानी की पात्र गंगी इस सामाजिक छुआछूत और अस्पृश्यता की विडम्बना पर तंज कसती है। "हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊँच है?[iv] गंगी का यह प्रश्न आज भी उसी तरह अनुत्तरीत है। यह कहानी स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। इसमें ठाकुर के परिवार की औरतें पुरूषों के अत्याचार को कुंए पर पानी भरते हुए एक दूसरे से बतियाती हैं और अपना जी हल्का कर लेती है। "हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुकुम चला दिया कि ताजा पानी लाओं जैसे हम लौडियाँ ही तो हैं।''[v]

कफ़न कहानी के पात्र– घीसू और माधव- कफन कहानी के दो पात्र घीसू माधव तो सभी को याद होंगे? अपनी कई प्रवृत्तियों और आदतों के लिए याद किये जाने वाले ये दो पात्र समाज में मजदूर, किसान और दलित जाति की विडम्बनाओं को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। जहाँ एक ओर अंग्रेजी शासन, जमींदारी व्यवस्था किसान का शोषण करती है, वहीं सामाजिक रूप से जाति आधारित शोषण और गुलामी की पीड़ा शताब्दियों से ये जातियाँ झेल रही हैं।

प्रेमचंद ने कफन कहानी के माध्यम से तत्कालीन समाज में इन जातियों की सामाजिक और मानसिक अवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद ने घीसू और माधव का चित्रण करते हुए लिखा है कि "विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के दो–चार बर्तन के सिवा कोई सम्पत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त और कर्ज से लदे हुए।''[vi] प्रेमचंद ने यह चित्रण लगभग उन तमाम लोगों की जीवनचर्या को देखने और महसूस करने के बाद किया होगा, जिनकी सामाजिक दशा उस तरह के जीवन की जहालतों से संघर्ष करती, पीड़ा भोगती अपनी मानसिक दशा का संतुलन खो देती है। फिर उन्हें अच्छा, बुरा या सही गलत जैसी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। घीसू–

माधव की दशा इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। भूख, प्यास के समय उनकी मानवीय संवेदना को इस कहानी में बड़ी विडम्बना पूर्ण ढंग से बताया है। दोनों भूख के मारे तड़पते हुए पेट की आग बुझाने की इच्छा लिए अलाव के पास बैठकर भूने हुए आलू-मटर खा रहें हैं और अंदर माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही है। इस संदर्भ में प्रेमचंद अपना तक देते हैं कि "जिस समाज में रात-दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा सम्पन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा को जाना कोई अचरज की बात न थी।''[vii]

और फिर जहाँ कहानी का अंत दिखाया जाता है वहाँ भी कोई अचरज नहीं होता। पाठक तब तक इन पात्रों के चरित्र की तमाम अवधाणाएँ निर्मित कर लेता है और पात्र घीसू और माधव उनको सहज लगने लगते हैं बल्कि उनके पक्ष में पाठक की संवेदना भी जुटने लगती है। फिर कफन के पैसों से दारू पीना और चखना में अचार-पूड़ी खा लेना, किसी भी स्थिति में खराब नहीं लगता। यहाँ स्वर्ग की तमाम अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य भी है। जिसमें यथार्थ को महत्व प्रदान करते हुए उसकी जहालतों में फंसा व्यक्ति जब स्वर्ग की बातें करता है तो वह दृश्य और भी वीभत्स लगता है। घीसू-माधव का स्वर्ग की चिंता करने वाला दृश्य ऐसा ही है जिनको इस लोक की चिंता न होकर भी परलोक में जाने के बाद का डर सता रहा है। लेकिन कथाकार ने बड़े ही व्यंजना पूर्ण ढंग से यहाँ कथा को पिरोया है। माधव की परलोक गमन के बाद की चिंता के लिए घीसू के पास कोई उत्तर नहीं है। "घीसू ने इस भोले-भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था।''[viii]

प्रेमचंद इस पर लिखते हैं "न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था।''[ix] लोक परलोक की सारी चिंताओं से मुक्त घीसू-माधव दारू पी रहे हैं, पूड़िया खा रहे हैं, चटनी-अचार और कलेजियां का चखना कर रहे हैं। और प्रेमचंद ने जहाँ कहानी का अंत किया है, वहाँ कोई आदर्शवाद की स्थापना नहीं की बल्कि एक यथार्थ की विडंबना पर ही यह कहानी खत्म हो जाती है। पाठक घीसू-माधव के द्वारा गाए जाने वाले कबीर के पद की उस पंक्ति खोजने और लोक परलोक की विडम्बना उस पंक्ति के अर्थ खोजने और लोक परलोक की विडम्बना में डूबने उतराने लगते हैं- "ठगिनी क्यों नैना झमकावे ! ठगिनी।"[x] यह गाते-गाते दोनों वहीं गिर जाते हैं।

घीसू-माधव दोनों ऐसे पात्र हैं जो अकर्मन्यता के लिए, लाचारी के लिए, जहालत का जीवन जीने के लिए मजबूर और संवेदना शून्यता के लिए हमेशा ही जाने जायेंगे पर हाँ इनकी मनोवृत्ति के इस रूप में बदल जाने के लिए यह व्यवस्था, समाज और उनका वर्तमान जीवन ही जिम्मेदार रहेगा,जिसने उन्हें इस मनोदशा तक पहुंचा दिया था ।

पंच परमेश्वर कहानी के पात्र- अलगू चौधरी और जुम्मन शेख- प्रेमचंद ने ऐसे कई पात्रों का सृजन किया है जो हमारी स्मृति में अमिट रहते हैं । समाज में इस तरह के तमाम पात्र कई बार मिलते हैं, जो प्रेमचंद के लेखन को सहज ही याद दिला देते हैं। ऐसे ही पात्रों में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्र जोड़ी सभी को हमेशा याद रहती है।

कहानी पंच परमेश्वर के अलगू चौधरी, जुम्मन शेख खालाजान और समझू साहू ऐसे पात्र हैं जो समाज मे यदा-कदा हर जगह दिखाई दे जाते हैं। जहाँ अलगू चौधरी न्याय का आदर्श खड़ा करते हैं, वहीं जुम्मन शेख को भी इस आदर्श का भान पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद हो जाता है। वृद्धावस्था में दुख भोग रही बूढ़ी खालाजान जो रूखा-सूखा खाती है, बहू की गालियाँ सुनती है। ऐसी कई वृद्धा खालाएँ आज भी समाज में दिखाई दे जाती हैं। उधारी करके धोखा देने वाले कई समझू साहू आज भी समाज में जिंदा हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में न्याय के पक्ष में पंच के आदर्श स्थापित किए हैं, वहीं नैतिकता के बल को और श्रेष्ठ भी किया है। जब खालाजान की बात पर अलगू स्पष्ट जवाब नहीं देता तो खालाजान का कथन "क्या की बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?''[xi] उसे बार-बार ललकारता है। प्रेमचंद यहाँ इस कथन को और विस्तार देते हुए

स्पष्ट करते हैं– "हमारे सोये हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाये तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके ह्दय में ये शब्द गूंज रहे थे: "क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?'[xii] न्याय और नैतिकता उच्च आदर्श स्थापित करने वाली यह कहानी बेहद पठनीय है।

प्रेमचंद ने यह कहानी ग्रामीण परिवेश पर लिखी है और सभी पात्रों का सृजन गांव की संस्कृति के अनुरूप ही किया है। ग्रामीणों की बोली, रहन–सहन, रीतिरिवाज, परंपराएँ, आदतें ये सब ग्रामीण पात्रों के अनुरूप है। भाषा शैली और कथा को बेहद बारिकी से ग्रामीण मूल्यों में पिरोया है। गाँव में जिन्हें स्वार्थ और लालच की भूख लगी हों वे आज भी नैतिकता और न्याय को पसंद करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण वातावरण में सद्भावनापूर्ण जीवन के आदर्श को भी उच्च स्थान पर खड़ा किया गया है। अलगू और जुम्मन की मित्रता में "न खानपान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है।[xiii]

प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से पंचों के लिए जो आदर्श स्थापित किए हैं, वें स्वार्थ, मित्रता और किसी भी अपनों से नितांत परे हैं। वे पंच होने की स्थिति में सिर्फ पंच होते हैं और सिर्फ न्याय के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। 'दोस्ती के लिए कोई अपना अपना ईमान नहीं बेचता।' 'पंच के दिल में खुदा बसता है।' 'पंचों के मुंह से जो बात निकलती हैं, वह खुदा की तरफ से निकलती है।' ये कहानी के आदर्श वाक्य हैं ।

यह कहानी वृद्धजन विमर्श की दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ कहानी है। जिसमें खालाजान की वृद्धावस्था में उन्हें, रोटी–कपड़ा और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं और अपनेपन के स्नेह की बेहद कमी के साथ जूझना पड़ता है। वह मरते दम तक भी अपने अधिकारों के लिए तड़पती है। "इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिये आसपास के गाँवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमाने हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी । उसका निर्णय करना जरूरी था।''[xiv]

जैसा गाँव का माहौल होता है वृद्धजन को जिन तरीकों से देखा और महसूस किया जाता है, जिसमें थोड़ा हास–परिहास और थोड़ी सलाह मशवरा होता है उसी के अनुरूप खालाजान के साथ भी सभी ग्रामीण अलग–अलग तरीकों से पेश आते हैं। कोई हँसी उड़ाते हैं और कोई वृद्धावस्था में जमीन आदि के चक्कर में ना पड़कर अल्लाह का नाम लेते हुए बुढ़ापा गुजारने की सलाह देते हैं। "कब्र में पाँव लटके हैं, आज मरे, कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती । अब तुम्हें क्या चाहिए ? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है? कुछ सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी कमर, पोपला मुंह, सन के–से बाल–इतनी सामग्री एकत्र हो, तब हंसी क्यों न आवे? ऐसे न्याय प्रिय दयालु, दीन–वत्सल पुरूष बहुत कम थे, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और सांत्वना दी हो।''[xv]

जुम्मन और अलगू का अलग अलग अवसरों पर पंच बनना और पंच बनकर "पंच की जबान से खुदा बोलता है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं।''[xvi] जैसे वाक्यों को सार्थक किया।

उपर्युक्त न्याय प्रिय पात्रों के अलावा कहानी का एक पात्र समझू साहू भी स्मरणीय पात्र है जो अपनी दुष्टता और अमानवीयता के लिए याद रहता है । वह यदा–कदा कई अवसरों पर सामने भी आ जाता है। ऐसे पात्र सभी गांवों में रहते हैं और कईयों से उधार लेकर वापस नहीं करते बल्की वापस ना करने के लिए उल्टी जिरह करते हैं। यहाँ समझू साहू इस चरित्र से ज्यादा पशु पर अत्याचार करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। जिस बैल को उसने अलगू से एक माह की उधारी पर खरीदा था वह उससे भूरपूर काम लेकर, बिना खिलाए–पिलाये लगातार काम करवा कर मार देता है। और एक दृश्य "एक दिन चौथी

खेप में साहूजी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहूजी कोड़े फटकारने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अबकी बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथूनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है?''[xvii]

यहाँ कहानी में समझू साहू की निर्दयता की प्रवृत्ति का उल्लेख है। हम जब भी कभी इस तरह का प्रसंग देखते हैं तो समझू साहू बरबस ही याद आ जाते हैं। कहानी के कुछ कथन और कहावतें हमेशा ही प्रासंगिक लगते हैं जिनमें व्यंजना भरी है। जैसे: "सुंदर संतान को कदाचित उसके माता-पित भी अधिक चाहते हैं।''[xviii]

"जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा-जरा सी बात पर तिनक जाता है।''[xix]

"स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है।[xx]

"मन का मैल धोने के लिए नयन जल और उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है।''[xxi]

इस कहानी में प्रेमचंद ने नायिका के चरित्र में कई उच्च्च आदर्शों की स्थापना भी की है।

पूस की रात : हल्कू और जबरा की अनोखी मित्रता- किसान जीवन की समस्याएं और किसान जीवन में पशु-पालन तथा पशु-प्रेम आदि तमाम समस्याओं और वातावरण पर केन्द्रित यह कहानी किसान जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के यथार्थ का चित्रण करती है। किसान हल्कू और उसका साथी जबरा (एक पालतू कुत्ता) इस कहानी की ऐसी जोड़ी है जिसे ग्रामीण और किसान जीवन जगत में अमिट पहचान मिली। ठंड की समस्या, लगान चुकाने की समस्या, लगातार मेहनत करने के बाद भी लगान देने भर की पैदावार नहीं होना, फसल की रखवाली करना, नीलगायों के द्वारा रातों में फसल चर लेना। इसके साथ ही और भी अनेक समस्याओं को कहानी में प्रेमचंद ने उठाया है।

हल्कू एक छोटी कास्त का किसान है, जो लगान चुकाने भर की फसल भी पैदा नहीं कर पाता और ठंड की रातों में ठिठूरता हुआ फसल की रखवाली करता पाया जाता है। कहानी के केन्द्र में फसल की रखवाली करता किसान हल्कू और उस रात में उसका साथी कुत्ता जबरा ही है। अंधेरी काली, ठिठुरती रात में इन दोनों का संवाद हम सब की संवेदनाओं को टटोलने लगता है। जब हल्कू जबरा से कहता है- "क्यों जबरा, जाड़ा है? कहता तो था, घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओं ठंठ मैं क्या करूँ। जानते थे, मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े-दौड़े आगे-आगे चले आये। अब रोओं नानी के नाम को।''[xxii] प्रेमचंद ने किसानों के पशु-प्रेम पर लिखते हुए किसान जीवन में जबरा नामक कुत्ते को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी कोई किसान अपने कुत्ते के साथ खेत में आता-जाता दिखाई पड़ता है तो बरबस ही जबरा की याद आ जाती है।

किसान हल्कू के मन में जबरा के प्रति अथाह प्रेम है। वह उससे रात भर बातें करता है, जैसे जबरा सब कुछ समझता हो। वह उसे अपनी बाहों में भरकर गोद में भी सुला लेता है और एक अनोखे प्रेम और मैत्री को महसूस करता है। यहाँ कहानी का वह अंश बेहद पठनीय मालूम पड़ता है, जहाँ प्रेमचंद ने किसान हल्कू और उसका साथी कुत्ता जबरा के प्रेम को एक आदर्श रूप में खड़ा किया है। "जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गन्ध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाये हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी

ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उसका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था।''[xxiii]

इतना ही नहीं किसान हल्कू आधी रात में पत्तियाँ इक्ट्ठी करके अलाव जला लेता है। थोड़ी गरमाहट आ जाती है तो अलाव के ऊपर से कूदने का खेल भी जबरा के खेलने लगता है। वह जबरा से बात करता है, उसे कूदने की चुनौती देता है और जबरा कूं-कूं करता उसके पैरों के आसपास मंडराता रहता है "अच्छा आओं इस अलाव को कूदकर पार करें। देखें, कौन निकल जाता है। अगर जल गये बच्चा, तो मैं दवा न करूंगा।" हल्कू के संवाद ऐसे हैं जैसे वह किसी अपने प्रिय से बात कर रहा है। जैसे जबरा सब समझ रहा हो।

गरीबी, जहालत और गुलामी की दासता में मनुष्य की क्या स्थिति हो गयी थी, किसान जीवन कैसा बीत रहा था। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने जैसे सब कुछ लिख दिया हो। जो नहीं भी लिखा उस दृश्य से सारी बातें अपने आप समझ आने लगती हैं। और कहानी का अंत एक त्रासदी के रूप में ही होता हैं। नील गाएं फसल चर जाती हैं। पर हल्कू इस पर भी खुश है कि कल से रात में ठिठुरते हुए फसल की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। "मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा-रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।''[xxiv]

ईदगाह कहानी का पात्र हामिद और दादी अमीना

प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी सामाजिक सद्भाव के लिए लिखी थी पर वह हामिद के बालमन की संवेदना के लिए ज्यादा जानी गई। ईदगाह कहानी बुढ़ी दादी अमीना की वृद्धावस्था में रोटी बनाते हुए हाथ की उंगलियाँ जलने की पीड़ा और हामिद के बाल मन में उसके लिए संवेदना या करूणा उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है। हामिद ईदगाह मेले के लिए ले गए तीन पैसों को खर्च करने के लिए अपना सारा तर्क लगा लेता है कि मेले में से उसे क्या खरीदना चाहिए। उसके जीवन में खिलौनें और चिमटा का कितना महत्व है। खिलौने या मिठाई छोड़कर उसे चिमटा क्यों खरीदना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रेमचंद अपनी लेखनी से कई तर्क खड़े करते हैं, जो हामिद के बाल मन की संवेदना के साथ ही सबके मन से जुड़ जाती है। कहानी के कुछ अंश बेहद पठनीय और हृदयस्पर्शी हैं। "हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। आने कोष का तिहाई जरासा चक्कर आने के लिए नहीं दे सकता।''[xxv]

"हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं; इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े, तो चूर-चूर हो जाय। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाये। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के।''[xxvi]

"खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलुआ। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास तीन पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचायी आँखों से सबकी ओर देखता हैं''[xxvii]

"चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ पुर्सत है कि बाजार आयें, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं।''[xxviii]

"मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।''[xxix]

चिमटा पाकर अमीना सोचती है-"बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवके है! दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया।''[xxx]

बड़े भाई साहब कहानी के दोनों भाई - यह प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसके पात्र बड़े भाई साहब के रूप में लगभग सभी घरों में मिल जाते हैं। शायद कहानी का शीर्षक भी प्रेमचंद ने इसीलिए यह रखा हो। प्रेमचंद ने इस कहानी में तमाम आदर्शों, उपदेशों का उल्लेख करते हुए बड़े भाई को अपने जीवन में पढ़ाई के दर्जे में असफल होने पर भी इन्हीं उपदेशों को हमेशा देते – दोहराते बड़े भाई का चरित्र निर्मित किया है। पूरी कहानी पढ़ने के दौरान भले ही एक असफल विद्यार्थी दिखाए जाते हैं। लेकिन कहानी के अंत में सभी पाठकों की संवेदना बड़े भाई से जुड़ती दिखाई देती है। वास्तव में लगने लगता है कि बड़े भाई का त्याग और एक आदर्श जीवन छोटे भाई को जीवनचर्या से देने वाला उपदेश था जो बोलकर या हिदायत देकर नहीं दिया गया था। शायद उन्हीं कारणों से छोटा भाई लगातार सफल होते रहा हो।

जीवन–जगत में इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि छोटे भाइयों के कारण बड़े कारण बड़े भाई कई त्याग करते हुए एक आदर्श, जीवन जीने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे भाई उनके जीवन से कोई गलत शिक्षा न ले सकें। यह कहानी बड़े भाई को एक रक्षक और हितैषी के रूप में ही नहीं दिखाती बल्कि छोटे भाई की शैक्षिक उन्नति के लिए भी बड़े भाई को हमेशा चिंतित दिखाती है। कहानी का कौन सा अंश यहां उद्धृत करूँ, बड़ा असमंजस है। पूरी कहानी का हर प्रकरण और वाक्यांश पठनीय है।

निष्कर्ष - प्रेमचंद ने 307 कहानियाँ लिखी हैं। जो मानसरोवर के आठ भागों में समूल प्रकाशित हैं। सभी कहानियों में प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज और परिस्थितियों का समूल आंकलन किया है और उसी के अनुरूप पात्रों की संरचना कर उनके अंदर उन चरित्रों को भरने की भरपूर कोशिश की है। किंतु कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको हम सभी भारतीयों ने अपने स्कूली कक्षाओं में अध्ययन के दौरान पढ़ा है और समाज में वे हमें यदा–कदा दिखाई दे जाते हैं। मेरे इस आलेख का अभिधेय यही है कि हम उन पात्रों पर यहां चर्चा करके उनको याद कर सकें। यह आलेख अपने इस उद्देश्य में कितना सफल हुआ ? आपके सुझाव और आगे के लेखन के लिए दिशा निर्देश हमेशा आमंत्रित हैं।

संदर्भ सूची :

[i]. प्रेमचंद की 51 अनमोल कहानियां, प्रथम संस्करण 2010, मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 259

[ii]. वही, पृष्ठ संख्या 253

[iii]. वही, पृष्ठ संख्या 261

[iv]. वही, पृष्ठ संख्या 262

[v]. वही, पृष्ठ संख्या 262

[vi]. वही, पृष्ठ संख्या 133

[vii]. वही, पृष्ठ संख्या 134

[viii]. वही, पृष्ठ संख्या 138

[ix]. वही, पृष्ठ संख्या 138

[x]. वही, पृष्ठ संख्या 139

[xi]. प्रेमचंद द्वादशी (कहानी संग्रह) प्रथम संस्करण, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, पृष्ठ संख्या 99

[xii]. वही, पृष्ठ संख्या 99

xiii. वही, पृष्ठ संख्या 97

xiv. वही, पृष्ठ संख्या 98

xv. वही, पृष्ठ संख्या 99

xvi. वही, पृष्ठ संख्या 105

xvii. वही, पृष्ठ संख्या 103

xviii. वही, पृष्ठ संख्या 91

xix. वही, पृष्ठ संख्या 92

xx. वही, पृष्ठ संख्या 92

xxi. वही, पृष्ठ संख्या 95

xxii. प्रेमचंद की 51 अनमोल कहानियां, प्रथम संस्करण 2010, मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 116

xxiii. वही, पृष्ठ संख्या 197

xxiv. वही, पृष्ठ संख्या 199

xxv. वही, पृष्ठ संख्या 214

xxvi. वही, पृष्ठ संख्या 215

xxvii. वही, पृष्ठ संख्या 215

xxviii. वही, पृष्ठ संख्या 216

xxix. वही, पृष्ठ संख्या 217

xxx. वही, पृष्ठ संख्या 221

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Prince Ahmed : Accession, Situations and Challenges : A Critical Study

Dr. Refaq Ahmad
Assistant Professor, Medieval and Modern History, ISPGC, University of Allahabad.

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 99-102
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

Abstract : In reference to the accession of Prince Ahmed, it is necessary to consider the circumstances under which his accession took place. The tendency of decentralization had started in both the army and the empire, which works to overthrow the existence of any monarchical rule.

Keywords : Accession, Circumstance, Challenges, Prince Ahmad, Ahmad Shah Abdali, Rajputs, Marathas etc.

In reference to the accession of Prince Ahmed, it is necessary to consider the circumstances under which his accession took place. Most historians believe that the circumstance was in favour of Prince Ahmad and he did not face any kind of challenges to get the throne.[1] According to prominent historian Sir Jadunath Sarkar, Ahmad Shah was the only son of Muhammad Shah, so without a doubt, on 18 April 1748, at the age of 22, sat on the throne of Delhi.[2] I do not agree with this idea, further I have denied this idea, but before that I am describing the circumstances relating to the accession of Prince Ahmed as mentioned in the primary and secondary sources.

According to the primary source Tarikh-i-Ahmed, Emperor Muhammad Shah was weak from birth and used to get fever again and again. At this time also he had fever. One day he (Muhammadshah) sat in a palanquin and went to the door of Masjid Sangi, which is inside the fort. There the court was held and the rich and the acolytes were present. Suddenly he became unconscious, then he got some consciousness, but now he could not speak at all and his condition became very bad and he died on the 27th of Rabi Usani on 15 April 1748 AD (1161 Hijri) in the 31st year of his rule. The nobles who were present there decided that the news of the death of the emperor should be kept secret from the people until the arrival of the prince. Then they put his body in a European chest and buried it in Hayatbakhsh Bagh. Wrote a letter to Prince Ahmed that the emperor was seriously ill, so he reached Delhi soon and the death of the emperor was not mentioned in this letter.

After reading this letter, the prince started from Manupur (modern Sirhind) towards Delhi. On reaching beyond Panipat, he saw a procession carrying a golden umbrella and other royal emblems sent by Safdarjung. Seeing this, Prince Ahmed understood that his father had died, yet he did not wish to wear the royal emblem. He continued to march towards Delhi and after reaching there mourned the death of his father for three to four days. The noble Safdarjung knew that delay could cause problems for the throne. So, he suggested Prince Ahmad to ascend the throne soon. Therefore, Prince Ahmed ascended the throne on 18 April 1748, he was coronated on 29 April 1748 in Shalimar Bagh of Red Fort in Delhi and he assumed the title

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

of Abu Naris Mujahiduddin Ahmad Shah Ghazi and conferred his late father the title of Hazrat Firdous Aramgah.[3]

According to historian Ashirwadi Lal Srivastava, Emperor Muhammad Shah became more ill after sending his son Ahmad against Abdali's invasion. Due to which Muhammad Shah died on 25 April 1748 in Moti Mahal of Delhi Fort. So, Malika-e-Zamani sent a letter to his stepson Ahmad to return to Delhi, which was received by Prince Ahmed near Panipat on 28 April 1748 at his camp.[4] There is a difference of opinion regarding the date of death of Emperor Muhammad Shah. Therefore, there is also a difference of opinion regarding the date of coronation of Mirza Ahmad. According to Ishwari Prasad, Muhammad Shah died on 26 April 1748 and after three days of his death on 29 April 1748, Mirza Ahmad became the ruler of Hindustan.[5] According to historian Ashirwadi Lal Srivastava, Muhammad Shah died on April 25, 1747, and on April 28, 1748, Mirza Ahmed was coronated, and he assumed the title of 'Mujahid-ud-Din Ahmad Shah Bahadur Ghazi' and he again coronated his coronation on May 4, 1748, in shalimarg Bagh at Delhi Fort.[6] According to historians B. R. Verma and S. R. Bakhshi, Prince Ahmad was coronated on April 28, 1748 at Shalimar Bagh, north of the Delhi Fort and assumed the title of Ahmad Shah.[7] According to eminent historian Z. U. Malik, he died in the morning of the day (27 Rabbi - Us Sani, 1161 Hijri 15 April 1748) at the age of 49 and the news of his death was kept secret and Mirza Ahmad was in Sirhind at that time.[8]

Eminent historian Sir Jadunath Sarkar states that Prince Ahmad was the only son of Emperor Muhammad Shah due to which he became emperor without a doubt but it is not based on historical facts. In fact Prince Ahmed was not the only son of Emperor Muhammadshah, but rather he was the only son alive at that time, as he had married many and had many sons. But before his death other sons had died and only Ahmad Shah was alive at that time. According to historian Zahiruddin Malik, Emperor Muhammad Shah had four sons, Taj Muhammad, Shahryar Farwanda Akhtar, Mirza Ahmad and a daughter, Hazrat Begum. Taj Muhammad was the son of Fatehpuri, wife of Muhammad Shah, Shahryar was the son of Malika-i-Zamani. Both of these sons died in 1726 AD, Farkhanda Akhtar was the son of Fakhrunisa. He died in 1732. Thus, at the time of the death of Muhammad Shah, he had only one son, Mirza Ahmad (born from Udhambai).[9] This was not single important reason behind Mirza Ahmad to become emperor that he was the only surviving son of Muhammad Shah, but also because he had an important and strong image in the nobles class, which he got in the Battle of Manupur (Sirhind) in March 1748 by defeating Ahmad Shah Abdali and forcing him to return to Kabul.

Abdali's defeat at Manupur (Sirhind) had made Ahmad Shah's position very strong in the eyes of the noble classes and Mirza Ahmad's prestige increased among them and they wanted Mirza Ahmad to be the emperor. Therefore, the important Amir Safdarjung suggested Ahmad Shah to soon ascend the throne and be coronated. According to Sayeed Bashir Hasan, the author of Tarikh-i-Ahmadshah glorifies Safdaejung’s devotion to Prince Mirza Ahmad in the Battle of Manupur in 1748, and Safdarjung also tries to protect the throne of Ahmad Shah at the time of Muhammad Shah’s death.[10]

Challenges of Ahmad Shah: Ahmad Shah’s reign was like a bed of throne, not a bed of roses, because by the time of the late Mughal period, the administrative and economic institutions established by Jalaluddin Akbar had begun to weaken and internal and external problems rapidly gained their footing in the post mughal

period.[11] Facing these problems was a major challenge for the later mughal rulers. Ahmad Shas's had to face these challenges as he became the mughal emperor.[12]

The first major problem under Ahmad Shah's internal challenge was the rise of several independent kingdoms from his father's time, challenging the mughal authority from time to time.[13] The second problem was that of the Bangash Pathan and the Ruhails, the third problem was the deepening of differences between Nawab Bahadur Javed khan and wazir Safdarjung i.e. Turani and Irani faction.[14]

Apart from this, the problem of establishing good relations with Rajputs, Marathas, Jats and Nizams was also a major problem.[15] Ahmad Shah also had to face external challenges as foreign invasion were taking place on the empire since the time of his father.[16] It was not long after the invasion of Nadir Shah and its destruction and plunder that the process of invasion of Nadir Shah's successor Ahmad Shah Abdali had begun.[17] So, facing Ahmad Shah Abdali's attack was also a major problem in front of Ahmad Shah.[18] Ahmad Shah also had to face economic problems, because by the time of the post-mughal period, the economic situation had become very weak and strong economic resources were need to run the empire and administration.[19] So, the pressure on these economic structures became more due to which the economic structures were proving to be weak in carrying the economic burden of the empire.[20]

Ahmad Shah also had to face administrative challenges, because by this time the centralized army had begun to weaken and the decline of the centralized army had begun. As consequence, the tendency of decentralization had started in both the army and the empire, which works to overthrow the existence of any monarchical rule.[21]

References:

1. A.C. Banarjee and D. K. Ghose (ed), *Comprehensive History of India,* Delhi, 1978, Vol. 9, 35.
2. J. N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire,* Bombay, 1932, Vol. 1, 205.
3. *Tarikh-I-Ahmad Shah* trans. in H. M. Elliot and J. Dowson, *The History of India as told by its own Historians,* Delhi, 1867-77, Vol. 8, 111-112.
4. A. L. Srivastava, *First Two Nawabs of Oudh,* Lucknow, 1933, 126.
5. Ishwari Prasad, *India in the Eighteenth century,* Allahabad, 1973, 33.
6. A. L. Srivastava, op.cit., 126-127.
7. B. R. Verma and S. R. Bakshi (ed.), *Foundation of Mughal Empire,* commonwealth, 2005, 223.
8. Z. U. Malik, *The Reign of Muhammad Shah,* Bombay, 1977, 406.
9. Ibid, 407.
10. Syed Bashir Hasan, *Tarikh-i-Ahmad Shahi*, A Critical Assessment, Medieval Indian History, Unpublished source material, Patna, 1988, 121.
11. DR. Refaq Ahmad, Ahmad shah ka shasan (1748-1754), Anamika Publication, New Delhi, 2016, 40.
12. Ibid
13. Ibid
14. Ibid, 40-41.
15. Ibid, 41.
16. Ibid
17. Ibid

18. Ibid
19. Ibid
20. Ibid

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

मोक्ष का स्वरूप एवं जैन–दर्शन में उसकी मूल प्रवृत्तियाँ

डॉ० उमा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, नानकचन्द ऐंग्लो संस्कृत कॉलेज़, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 103-108
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– दर्शन शब्द प्रेक्षण अर्थ वाली दृश् धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है जैन दर्शन जैन धर्म के विचार पक्ष का ही एक रूप है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है तथा जीव के समस्त कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। वस्तुतः कर्म रहित शुद्धावस्था को ही मोक्ष एवं निर्वाण कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय के सम्मिलित सहयोग से सम्भव है।

मुख्य शब्द–मोक्ष, जैन, दर्शन, धर्म, निर्वाण, कर्म, आत्मा।

दर्शन शब्द प्रेक्षण अर्थ वाली दृश् धातु से ल्युट् (अन्) के योग से निष्पन्न होता है।[i] भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा का प्रवाह उद्भूत हुआ, उसने दूर–दूर के मानवों के आध्यात्मिक कल्मष को धोकर उन्हें पवित्र नित्य शुद्ध–बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान किया है। इसी पतितपावनी धारा को लोग दर्शन के नाम से पुकारते है।[ii] भारतीय दर्शन परम्परा में जैन–दर्शन का विशेष महत्त्व है। यह दर्शन जैन धर्म के विचार पक्ष का ही एक रूप है। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव थे जो भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व हुए जैन दर्शन की नींव, अतः उनके द्वारा प्रचलित जैन–धर्म भी बहुत प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के मूल ग्रन्थों (जो आगमकर्त्ता है) में ही पड़ चुकी थी। 'नास्तिको वेदनिन्द[iii] मनुस्मृति के इस कथन के आधार पर जैन–बौद्ध–चार्वाकादि को नास्तिक दर्शन मान लिया जाता है। परन्तु जैन–दर्शन वेद–उपनिषदादि सुव्यवस्थित वाङ्मय से पृथक नहीं है। भारतीय दर्शनों में दुःखों से सर्वथा मुक्त हो जाने को अपवर्ग, परम पुरुषार्थ कैवल्य अथवा मोक्ष कहा गया है।

जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है तथा जीव के समस्त कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है।[पअ] जब आत्मा संवर और निर्जरा के द्वारा पूर्णरूपेण कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है तब अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है।[v] कर्मरहित शुद्धावस्था को ही मोक्ष एवं निर्वाण कहा गया है। कर्म–सिद्धान्त के अनुसार शुभाशुभ कर्म बन्धक होते हैं।

अतः जिन पुण्यों को भोगते हुए नवीन पुण्यों का बन्ध हो उन्हें पुण्यानुबन्धी कर्म कहते हैं। इसके विपरीत यदि पाप–कर्मों को भोगते हुए नवीन पापों का उदय होता रहे तो वे पापानुबन्धी कर्म कहलाते हैं। बन्ध के कारण ही जीव का स्वरूप मलिन होता है। जैनागमों में इसे कर्म–वर्गणा कहा गया है। ये कर्म–वर्गणा के पुद्गल राग, द्वेष मोह–रूप स्निग्धता के कारण आत्म–प्रदेशों में ओत–प्रोत हो जाते हैं। यद्यपि आत्मा शुद्ध–बुद्ध एवं चरित्रमय है परन्तु कर्म के अधीन होकर जीव अनेक कष्टों को भोगता है। 'पाण्डवचरितम्'श में कहा गया है कि जीवन पराधीन होकर अनेक कर्म–संहतियों वशात् कष्टों को भोगता

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

है यदि वह जीव स्वाधीन हो जाए तो बन्धनों से मुक्त हो जाएगा।[vi] अतः जैन–सिद्धान्तानुसार जीव और पुद्गलों का संयोग होना बन्धन है तथा जीव का पुद्गलों से विमुक्त होना मोक्ष है।[vii] एक बार क्षीण हो जाने पर बन्धन पुनः संभव न हो इस हेतु सर्वप्रथम आश्रवों (क्रोध कषायादि) का निरोध करके नवीन आगामी बन्धनों को रोकने के लिये संवर की साधना परमापेक्षित होती है। अवरुद्ध कर्मों के क्षय हेतु निर्जरा की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात् तपोऽग्नि द्वारा कर्म–मल को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है।

जैन दर्शन में मोक्षानुभूति के लिए सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, एवं सम्यक् चारित्र्य तीनों को आवश्यक माना गया है ।

अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति रत्नत्रय के सम्मिलित सहयोग से सम्भव है। 'उमास्वाति' के ये कथन इसके प्रमाण कहे जा सकते हैं–

''सम्यक्–दर्शन–ज्ञानचारित्र्याणि मोक्ष–मार्गः।।''[viii]

मोक्ष का अर्थ–आध्यात्मिक विकास की परिपूर्णता से है जो सहसा प्राप्त नहीं होती। आध्यात्मिक विकास–हेतु जीव क्रमिक विकास की जिन अवस्थाओं को प्राप्त करता है उन्हें गुणस्थान कहा जा सकता है।

गुणस्थान संख्या– 'जिनसेन' आचार्य ने अपनी कृति में चौदह गुणस्थान गिनाये हैं जिनमें से कुछ नाम निम्नलिखित हैं––

1. मिथ्यादृष्टि, 2. सासादन, 3. मिश्र, 4. असंयत सम्यक् दृष्टि, 5. संयतासंयत, 6. प्रमत्तसंयत, 7. अप्रमत्त संयत, 8. अपूर्वकरण, 9. उपशान्त कषाय, 10.क्षीणमोह, 11. सयोगकेवली, और 12. अयोगकेवली।[पग]

योगदर्शन में कहा गया है कि "जब योगी को धर्ममेध समाधि की प्राप्ति हो जाती है तब उसके लिये गुणों का कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस हेतु उनका जो निरन्तर परिवर्तित होते रहना परिणाम–क्रम है, वह उस योगी के लिये समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते।''[x] वस्तु में प्रति–क्षण अज्ञात परिवर्तन होता है। इस प्रकार क्रम का ज्ञान परिणाम के अन्त में होने से उसे 'परिणामापरान्त निग्र्राह्य' कहा है और प्रत्येक क्षण से इसका सम्बन्ध है। एक क्षण के पश्चात् दूसरा ततः तृतीय इस प्रकार क्षणों के प्रवाह में पूर्वापर का व्यापार ही क्रम कहलाता है। अतः इसे क्षण–प्रतियोगी कहा गया हैं अर्थात् क्षणों का विभाजक क्रम।[xi] जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है।[xii]

अयोगी केवली गुणस्थान में जब आयु कर्म के क्षय होने का समय आता है तब साधक योगों को निरोध करके इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। योगरहित रहने से इसे अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। अयोगी केवली शैलेशीकरण को प्राप्त कर अन्तिम समय में वेदनीय आदि **भावोपग्राही** कर्मों को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात् जीव ऋजु गति से एक समय में सीधे ऊपर की ओर सिद्धक्षेत्र अथवा मुक्तिस्थान में चले जाते हैं। वहीं लोकाग्र भाग में ठहर जाते हैं। इनकी संख्या पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच महाविदेह के भेद से 15 है।

'पाण्डवचरितम्' में पाण्डव–समता–सुधा–सागर में समान द्वारा प्रशान्त अन्तःकरण वाले शुक्ल ध्यान धारण कर क्षपणक श्रेणी को प्राप्त हुए तथा उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात् अयोगी गुणस्थान में विश्राम लेकर शीघ्र ही त्रिलोकीकृत मुक्तावस्था को प्राप्त हो गये। इस प्रकार वे श्रुतधर्म का

उपदेश देकर मर्त्यासुर सभा के. क्षणभर योग का सेवन करके क्षणानन्तर, अयोगी गुणास्पद में विश्राम करके मुक्तिपद के अक्षय सुख को प्राप्त हो गये है।[xiii]

मुक्त प्रक्रिया– जैन धर्मानुसार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने पर मुक्तात्मा कर्मलिप्त नहीं होता अपितु शुद्ध–बुद्ध हो जाता है। जैसे बीज के जल जाने पर उसमें पुनः अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती तथैव कर्मदग्ध होने पर संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता।[xiv] अतः जैन धर्म के अनुसार मोक्ष शाश्वत् है। जिस प्रकार बादल हट जाने से जाज्वल्यमान सूर्य प्रकाशित हो जाता है तद्वत् कर्म–आवरण हट जाने से आत्मा अपने मूल ज्योतिर्मय चित्स्वरूप में पूर्ण प्रकाशित हो जाता है इसी का नाम मोक्ष है तथा इसी को आत्मलाभ भी कहा गया है।[xv]

जैनागमों के अनुसार मुक्त आत्माओं की अपुनरावृत्ति ही युक्तिसंगत सिद्ध होती है। वैशेषिक दर्शनानुयाइयों की भाँति जैन–दर्शन आत्मगुणों का सर्वथा उच्छेद नहीं मानता। वह बुद्धि, ज्ञान, गुण से कभी रहित नहीं होता। वह चेतनारहित जड़–पदार्थ नहीं है। अतः जैनों के अनुसार–मोक्ष में सभी आत्मगुण अपने सत्यस्वरूप में विद्यमान रहते हैं। गीतादि के अनुसार भी मुक्तजीव की अपुनरावृत्ति ही सिद्ध होती है।[xvi]

जीव का ऊर्ध्वगमन– जीव द्रव्य का स्वभाव पुद्गल द्रव्य की भाँति गतिशील है परन्तु पुद्गल स्वभावतः अधोगतिशील है और जीवन ऊर्ध्वगतिशील। मुक्तात्मा अपने स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति करता है यथा कुम्भकार चक्र, दण्ड–चालित होने पर पूर्वतः प्राप्त वेगवशात् भ्रमण करता है तथैव कर्ममुक्त जीव भी पूर्वकृत कर्म से प्राप्त आवेश के कारण स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति करता है।[xvii] यथा बन्धनों एवं लेपों से रहित होकर तुम्बा जल के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार कर्ममुक्त आत्मा भी कर्मलेपों से सर्वथा रहित होकर ऊर्ध्वगमन करके लोकाग्रभाग में विराजमान हो जाता है।[xviii]

मोक्ष के साधन– मोक्ष हेतु सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य समन्वित रूप में मोक्ष के साधन है। मोक्ष आत्मा से सम्बद्ध है एवं उसकी चरमोपलब्धि है–

सम्यक् दर्शन– 'तत्त्वार्थसूत्र' में कहा गया है कि तत्त्वभूत पदार्थों का श्रद्धान सम्यक् दर्शन है।[xix] जिनेन्द्र भगवान् ने जीव अजीवादि बहुविध सुतथ्य बताये हैं उनमें से जो हेय हैं उन्हें हेय रूप में और जो उपादेय हैं उनको उपादेय रूप यथातथ्य जानना सम्यक् दृष्टि है।[xx]

"उमास्वाति' के अनुसार– यथार्थ ज्ञान में श्रद्धा–होना सम्यक् दर्शन है। सम्यक् दर्शन में अन्धविश्वास अमान्य है। उनके अनुसार तीर्थकरों के उपदेश अनुभव प्राप्ति के पश्चात् ही इस श्रद्धा में लाये जाते हैं।[गगप]

पंचाध्यायी में कहा गया है कि यदि श्रद्धा, प्रतीति, रुचि आदि गुण स्वानुभूति सहित हों तभी वे सम्यक् दर्शन के गुण मान्य हैं।[xxii]

अतः यह सिद्ध हो जाता है कि सम्यक् दर्शन नितान्त अनिवार्य है। इसके बिना सम्यक्–ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य उसी प्रकार संभव नहीं है यथा बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और फलागम संभव नहीं है।[गगपपप]

सम्यक् ज्ञान– ज्ञान आत्मा का गुण है, जानना उसका पर्याय है। सम्यक् दर्शन से युक्त ज्ञान को सम्यक् ज्ञान और मिथ्यादर्शन से युक्तज्ञान को मिथ्यादर्शन ज्ञान या मिथ्याज्ञान कहते हैं।

सम्यक्त्व के द्वारा सम्यक् दर्शन की साधना हो जाने पर मोक्ष–मार्ग पर बढ़ने के लिए दूसरी साधना ज्ञानोपासना है। सम्यक् दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्त्वों में श्रद्धान उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत् यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है। सम्यक् ज्ञान की परिभाषाएँ आगम में अनेक प्रकार से उपलब्ध होती हैं–

1. जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं, उस प्रकार से उनका जानना सम्यक्ज्ञान कहते हैं।[xxiv]
2. जो वस्तु के स्वरूप को न्यूनतारहित, अधिकता–रहित, विपरीतता–रहित जानता है, उसे सम्यक् ज्ञान कहते हैं।[xxv]
3. आत्मा और अनात्मा का संशय, विपर्यय और अध्यवसाय से रहित ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है।[xxvi]
4. आत्मस्वरूप का जानना ही सम्यग्ज्ञान है।[xxvii]

मतिज्ञान– पाँच इन्द्रियों तथा मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं।[xxviii] यह अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का होता है श्रुतज्ञान–मतिज्ञान के पश्चात् चिन्तन–मनन के द्वारा जो परिपक्व ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। साधक जब साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में अनेक उलझनें आती हैं। कर्त्तव्याकर्त्तव्य, हिताहित, सुमार्ग–कुमार्ग का निर्णय करने में सुशास्त्र मार्गदर्शक होता है।[xxix]

अवधि ज्ञान– आत्मा में एक ऐसी शक्ति मानी गई है, जिसके द्वारा इन्द्रियों के अगोचर अतिसूक्ष्म व इन्द्रियसन्निकर्ष के परे दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान हो सकता है।[xxx]

मनः पर्याय ज्ञान– कर्म क्षीण होने पर जब भाव शुद्ध आत्मा मन द्वारा किसी प्रकार की विचारणा करता है तब चिन्तन प्रवर्तक मानस वर्गणा के विशिष्ट आचार्यों की रचना होती है।

केवल ज्ञान– अन्तिम ज्ञान केवल ज्ञान है। यह केवल ज्ञान, ज्ञानावरणीय चार घाती कर्मों के पूर्णतया नष्ट होने पर जो एक निर्मल परिपूर्ण और अनन्त ज्ञान उत्पन्न होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं।

सम्यक् चारित्र्य– तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट नैतिकता का पालन करना। जैनदर्शन सम्बन्धी नीति–व्यवस्था में पाँच बातों पर विशेष बल दिया गया है–अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मोक्ष के साधनीभूत सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य की त्रिवेणी धारा मुक्ति की ओर प्रवाहित होती है। जो चिदानन्द श्रद्धात्मक तत्त्व है वही सब प्रकार से आराधना करने योग्य है अन्यत् सब हेय है, ऐसी दृढ़ प्रकृति निर्मल प्रगाढ़ श्रद्धा को ही सम्यक्त्व कहते हैं। उसका आचार अर्थात् उक्त स्वरूप परिणमन रूपी आचरण ही दर्शनाचार है। दर्शनाचार की निर्मलता जिनेन्द्र भगवान् ने आठ प्रकार से मानी है।[गगगप] 1. निःशंकित, 2. निष्कांक्षित, 3. निर्विचिकित्सा, 4. अमूढ़ दृष्टि, 5. उपगूहन, 6. स्थितिकरण, 7. वात्सल्य, 8. प्रभावना ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं।

आचार पाँच प्रकार के हैं– ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार।

चारित्र्य के दो रूप हैं– (1) प्रवृत्तिमूलक तथा (2) निवृत्तिमूलक। इन दोनों चारित्र्यों का प्राण अहिंसा और उसके रक्षक–सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है।

सन्दर्भ–

i संस्कृत–हिन्दी कोश–वामन शिवराम आप्टे।

ii भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास पृ० १।

iii मनुस्मृति– 2/11

iv कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः, तत्त्वार्थसूत्र 10/2–3।

v बन्ध हेतोरभावाद्धि निर्जरातश्च कर्मणाम् कात्स्न्र्येन विप्रयोगस्तु मोक्षो निर्गन्थरूपिणः। हरिवंशपुराण– 58/208

vi जीवोऽयं यां पराधीनः सहते दुःखसंहतिम्।
तामेतामात्मतन्त्रश्चेत् किं न मुच्येत् बन्धनात्।। पाण्डवचरितम् – 16/256

vii सांख्य एवं जैनदर्शन की तत्त्वमीमांसा तथा आचारदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। डॉ० रामकिशोर शर्मा, पृ० 107।

viii तत्त्वार्थाधिगम–सूत्र 1/2–3।

ix हरिवंशपुराण, 58/80–83।

x ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्। पातञ्जल योगदर्शन; कैवल्यपाद–32

xi क्षणप्रतियोगी परिणामापरानिर्ग्राह्य क्रमः। पातञ्जलयोगदर्शन, कैवल्यपाद–33

xii पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं। रूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति।। वही, 34

xiii धर्मविशुद्धमुपदिश्य ततः सदैव, मर्त्यासुरे सदसि योगजुषो मुहूर्तम्।
पाण्डोः सुत्ताः क्षणमयोगि गुणास्पदे ते विश्रम्य मुक्तिपद्मक्षयसौख्यमीयुः।। पा०च०, 18/272।

xiv दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुरः।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुरः।। तत्त्वार्थभाष्यकारिका–8

xv आत्मलाभ विदुर्मोक्षं जीवस्यान्तरमलक्षयात्।
नाभावो, वाप्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकम्।। सिद्धिविनिश्चय–पृ० 384

xvi यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। श्रीमदभगवद्गीता, 8/21

xvii पूर्वप्रयोगादसंगत्वात् वधच्छेदात् तथा गतिपरिणमाच्च तद्गतिः। तत्त्वार्थसूत्र–10/5/6

xviii जैनतत्त्वकलिका, पृ० 198

xix सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः। तत्त्वार्थसूत्र– 1/1

xx सुतत्थं जिणभणियं जीवाजीवादि बहुविहं अत्थं।
हेयाहेयं च तहा जो जाणई, सोहु सुहिट्ठी । सूत्रप्राभृत गा० 5

xxi तत्त्वार्थाधिगम सूत्र 1/2/3

xxii स्वानुभूति सनाथाश्चेत्, सन्ति श्रद्धादयो गुणाः।
बिना स्वानुभूतिं तु या श्रद्धा श्रुतमश्नतः।। पंचाध्यायी, 15/421

xxiii विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थिति वृद्धि फलोदयः।
न सन्त्यिसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरपि।। रत्नकरण्ड श्रावकाचार, 32/1

xxiv स्वार्थसिद्धि–11

xxv अन्यूनमनतिरिक्तं यथातथ्यं बिना च विपरीतात्।
निःसंदेह वेद यंदाहुस्तज्ञानमागंमिनः।। रत्नकरण्ड श्रावकाचार, 42

xxvi संशय विमोह विव्भभविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स।
गहणं सम्भं पाणं सायारमणेयमेयं तु।। द्रव्यसंग्रह, गाथा–42।

xxvii आपरूप का जानपनैः सो सम्यग्ज्ञान कला है। छहडाला–3/2

xxviii इन्द्रियानिन्द्रियोत्थंस्यान्मतिज्ञानमनेकथा।
परोक्षमर्थ सान्निध्ये प्रत्यक्षं व्यावहारिकम्।। हरिवंशपुराण, 10/145

xxix तस्माछास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।। श्रीमद्भगवद्गीता, 16/24।

xxx हीरालाल जैन– भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, पृ० 245–246

xxxi तत्त्वार्थसूत्र–1/1

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

समाज के चितेरे कथाकार प्रेमचन्द का उत्स संस्कृत साहित्य में

डॉ0 मधु शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
नानकचन्द ऐंग्लो संस्कृत महाविद्यालय, मेरठ।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 109-116

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश–संस्कृत के नीतिकारों से लेकर आधुनिक भाषा साहित्य के प्रेमचंद आदि साहित्य–शिल्पियों की सर्जन–धर्मी चेतना प्रायः एक समान समाज–चिन्तन से परिचालित रही है। यही कारण हैं कि काव्य का विराट अन्तराल होते हुए भी उक्त दोनों ही प्रकार के कृतिकार आश्चर्यजनक रूप से सामाजिक सम्बन्धों की एक सी ही उष्मा के उपासक रहे हैं, युग के ध्रुवों पर स्थित होते हुए भी वे समाज–सम्बन्धी एक से ही मूल्यों और आदर्शों का आह्वान करते हैं। कहना ही होगा कि इस यात्रा में भारतीय वाङ्मय में अलंकार योजना बदली, काव्य 'सौन्दर्य' विषयक दृष्टि तथा सृष्टि बदली, शिल्प बदले यहाँ तक कि भाषाएँ भी बदल गईं पर समाज–चित्रण–गत जैसी अक्षुण्ण परम्परा यहाँ विद्यमान हैं वैसी निःसन्देह विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं।

मुख्य शब्द–समाज, कथाकार, प्रेमचन्द्र, संस्कृत, साहित्य, काव्यसौन्दर्य, मूल्य, आदर्श।

समाज–चित्रण भारतीय साहित्य की पुराकाल से लेकर आज तक प्रत्येक छोटी बड़ी धारा में अपना स्थान बनाये हुए है। निश्चय ही संस्कृत–वाङ्मय के नीति–वचन उसके द्वारा किया गया मनुष्यता का सर्वोत्तम श्रृंगार है तथा इन नीति–वाक्यों का भी श्रेष्ठ श्रृंगार प्रकृतोपवर्णित सामाजिक यथार्थ तथा तदुचित संदेश में निहित है। विशेष बात यह है कि समाज–चित्रण की यह धारा ऐसा नहीं है कि संस्कृत के नीति–वाङ्मय में ही वर्णित होकर कीर्तिशेष हो गयी हो प्रत्युत् युगों बाद भी अन्य भाषाओं में भी भारतीय साहित्यकार, समान सामाजिक संवेदना से समाविष्ट और सम्प्रेरित परिलक्षित होता है। इसी तथ्य को संस्कृत के नीति–वाक्यों के समानान्तर आधुनिक भाषा–साहित्य के. प्रतिनिधिभूत प्रेमचंद कृत हिन्दी–कथा–वाङ्मय को क्रमबद्ध रूप में रखकर समझा जा सकता है।

इस क्रम में सर्वप्रथम 'मित्रादि' कतिपय सामाजिक सम्बन्धों की अपेक्षा से संस्कृत की नीतियाँ और प्रेमचंद की कथाएँ साथ–साथ द्रष्टव्य है–

सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के जीवन में 'मित्र' का अत्यधिक महत्त्व है **''अमित्रस्य कुतो सुखम्''** का यही अभिप्राय है। पारिवारिक सम्बन्धियों के पश्चात् समाज में मित्रों से सर्वाधिक घनिष्ठता होती है। मित्र पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों की मध्यवर्ती कड़ी सदृश होता है। भारतीय विचारधारा में मित्र को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। वेदों में ईश्वर का एक अभिधान 'मित्र' भी है। परमात्मा को मित्र मानने वाले कथन ऋग्वेद,[i] यजुर्वेद,[ii] सामवेद[iii] तथा अथर्ववेद[iv] में समान रूप से प्राप्त होते हैं।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

'बुद्धचरित' में मित्र उसको माना गया है जो कि आर्थिक संकट के समय सहायक हो, क्योंकि सम्पन्नावस्था में तो सभी मित्र बनने का प्रयास करते हैं, जैसा कि कहा भी गया है—

"ये चार्थकृच्छ्रेषु भवन्ति लोके समानकार्याः सुहृदां मनुष्याः।

मित्राणि तानीति परैमि बुद्धया स्वस्थस्य वृद्धिष्विह को हि. न स्यात्।।"[v]

'शुक्रनीति' का निम्न श्लोक मित्रता के विषय में बहुत ही उपयोगी है—

यः साहाय्यं सदा कुर्यात् प्रतीपन्न वदेत् क्वचित्।

सत्यं हितं वक्ति याति दत्ते गृह्णाति मित्रताम्।।"[vi]

उपर्युक्त श्लोक में 'शुक्राचार्य' ने बताया है कि मित्र वह है जो सदैव सहायता करें, कभी प्रतिकूल न बोले, हितकारी सत्य का कथन करें और बराबर लेता देता रहे। मित्र की जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः उत्तम मित्र का चयन करना अत्यावश्यक होता है।

उत्तम कोटि के मित्र से व्यक्ति का निरन्तर उत्थान होता है इसके विपरीत कुमित्र से व्यक्ति पतन के गर्त में गिरता चला जाता है । 'भर्तृहरि' ने 'नीतिशतकम्' में सन्मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है कि— अच्छा मित्र पाप से बचाता है, हित के कार्यों में लगाता है, छिपाने योग्य बात को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति में पड़े हुए मित्र का परित्याग नहीं करता समय पर धनादि से सहायता प्रदान करता है। सज्जन लोग इसे अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं, यथा—

"पापान्निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति।

आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं निगदन्ति सन्तः।।"[vii]

इसी सन्दर्भ में यदि तुलनात्मक रूप में देखा जाये तो 'मुंशी प्रेमचंद' जी लेखकों के उस समाजशास्त्रीय वर्ग से सम्बन्धित हैं, जो कि नैतिक उपदेशों के एक विशेष स्वर को स्वीकार करता है। जहाँ उन्होंने जड़ता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, अकर्मण्यता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अभिमान में ग्राम्य—जीवन का चित्रण अन्तर्दृष्टि के साथ किया है वहाँ मैत्री सम्बन्धी आदर्शों को भी व्यक्त किया है।

'डिक्री के रुपये' कहानी में नईम ने अदालत में कैलाश पर हुई 20 हजार रु० की डिक्री क्षमा करके मित्रता का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है।[viii]

'माँगे की घड़ी' कहानी में दानू की मित्र के प्रति अद्भुत सहानुभूति और त्याग सराहनीय है। वह अपने मित्र को एक घड़ी माँगने पर देता है और बदले में उस घड़ी की कीमत वसूल करने के बहाने उसको व्यर्थ के खर्चों से बचना तथा बचत करना सिखाता है। "जब तुम्हारी आमदनी कुल तीस रुपये है तो सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें काई अधिकार नहीं।[पग] प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत कहानी में मित्र 'दानू' के माध्यम से मितव्ययी बनने का उपदेश दिया है।" गुजर तो लोग पाँच रुपये में भी करते हैं और 500 रु० में भी इसकी न चलाओ अपनी सामर्थ्य देख लो।[x]

मित्र का कर्त्तव्य है कि वह हर प्रकार से मित्र की सहायता करके मित्र का उत्थान करे। दानू अपने मित्र को उसकी पत्नी सहित अपने घर में पनाह देता है और विदा होते समय उसको 100 रु० देता है— "यह तुम्हारी अमानत है। लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा— मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा— 15 रु० के हिसाब से 6 महीने के 90 रु० 10 रु० सूद।"[xi]

जब वह कहता है कि तुम मुझे चारों तरफ से एहसान से दबाना चाहते हो तो दानू कहता है कि मैंने तुम्हारे उत्थान के लिए यह किया— "हाँ दबाना चाहता हूँ. फिर? तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ, नहीं तो

उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियाँ तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोतीं! कैसी शिक्षा दी है इसका एहसान तो न मानोगे।''[xii]

'डिक्री के रुपये' कहानी में नईम अदालत में कैलाश पर हुई 20 हजार रुपये की डिक्री को क्षमा करता है। इतना ही नहीं वह कैलाश की पत्नी उमा के सामने कैलाश को लज्जित भी नहीं होने देता तथा उससे कहता है– ''अजी आप कहती क्या हैं? मैंने रुपये पाई–पाई वसूल कर लिये। उमा ने चकित होकर कहा–सच! उनके पास रुपये कहाँ थे? नईम– उनकी हमेशा की यही आदत है आपसे कह रखा होगा, मेरे पास कौड़ी नहीं है। लेकिन मैंने चुटकियों में वसूल कर लिया। उमा– रुपया भला क्या दिये होंगे मुझे एतबार नहीं आता। नईम– आप सरल हैं वह एक ही काईयाँ। उसे तो मैं ही खूब जानता हूँ अपनी दरिद्रता के दुखड़े गा–गाकर आपको चकमा दिया करता होगा। . . . उमा मैं रुपये पा गया। इन बेचारे का परदा ढका रहने दो।''[xiii]

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संस्कृत के नीति–ग्रन्थों, महाकाव्यों आदि में मित्रता के जिस आदर्श का मुहुर्मुहुः उद्घोष किया गया है वहीं कथासम्राट् मुंशी प्रेमचंद के कथा–साहित्य में अनेक रूपों और आधुनिकीकृत आयामों में स्थान–स्थान पर प्रतिध्वनित होता रहा है।

अतिथि–सत्कार भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्परा रही है। यहाँ अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है–

'अतिथि देवो भव' अर्थात् अतिथि को देवता के समान समझने वाले बनो। 'आपस्तम्ब धर्मसूत्रों में कहा गया है कि जो गृहस्थ के पास केवल भिक्षा धर्म के उद्देश्य से आता है वह अतिथि होता है यथा–

''स्वधर्मयुक्तं कुटुम्बिनमभ्यागच्छति धर्मपुरस्कारो।

नाऽन्यप्रयोजनः सोऽतिथिर्भवति।''[xiv]

मनुस्मृतिकार ने कहा है कि– स्वयं आये अतिथि का आसन, जल और यथाशक्ति अन्न से सत्कार करें–

''संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके।

अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्।।''[xv]

'हितोपदेश' में कहा गया है कि– अतिथि–रूप में आये हुए शत्रु का भी यथोचित आदर करना चाहिए–

''अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते।

छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः।।''[xvi]

संस्कृत की शब्दनिधि में निहित उक्तविध नीति–वचनों में व्याप्त आतिथ्य–धर्म तदितर भारतीय वाङ्मय में भी प्रायः समानभावेन अनुस्यूत दिखायी देता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि कथा–सम्राट प्रेमचंद (जो शेष भारतीय वाङ्मय के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपात्त हैं) की कहानियों को देखा जाए तो संस्कृत की परम्परा से प्राप्त अतिथि–परिचर्या–सम्बन्धी उक्त उच्चतम मूल्य ही साक्षात् संगुम्फित मिलते हैं, जैसे उनकी 'बाबा जी को भोग' नामक कहानी में रामधन नाम का अहीर निर्धनता की पराकाष्ठा को भोगते हुए भी अभ्यागत साधु के लिए किस प्रकार सामग्री जुटाता है, यह द्रष्टव्य है।[xvii]

इसी प्रकार 'ममता' कहानी में बाबू साहब अतिथि सत्कार के लिए इतने व्यग्र रहा करते थे कि उन्हें अपनी दुकानों की देखभाल करने का भी अवसर न मिलता था। उदाहरणार्थ– ''अतिथि सत्कार एक पवित्र

धर्म है। वे सच्चे देशहितैषिता की उमंग से कहा करते थे– अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम सब कुछ खो बैठे हैं किन्तु जिस दिन हममे यह गुण शेष न रहेगा, वह दिन हिन्दू जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन होगा।''[xviii]

निर्धन से निर्धन भारतीय जो मात्र चने–चबैने पर जीवन–निर्वाह करता है, अतिथि सत्कार से वह भी अनभिज्ञ तथा विमुख नहीं रहता। 'सवा सेर गेहूँ' कहानी में शंकर नाम का कुरमी जो कभी–कभी चने भी न मिलने पर पानी पीकर सो जाता था परन्तु अतिथि के आने पर उसका स्वागत सत्कार अपना धर्म समझकर जुट जाता था।[xix]

'डिक्री के रुपये' कहानी में प्रेमचंद जी ने यह दर्शाया है कि भारतीय विषम परिस्थितियों में भी तथा अप्रिय व्यक्ति का भी घर आने पर आतिथ्य करते हैं। ''कैलाश की पत्नी इस चिन्ता में डूबी है कि 'नईम' के डिक्री के रुपये न देने के कारण सरकारी कुर्क मुनीम घर बार नीलाम कर देगा और हम बेघर हो जायेंगे'' किन्तु तभी नईम को देखकर मधुर शब्दों में उसका स्वागत करती है। ''कैलाश के घर में परदा न था। उमा चिन्ता–मग्न बैठी हुई थी सहसा नईम और कैलाश को देखकर चौंक पड़ी। बोली– आइए मिरजा जी! अबकी तो बहुत दिनों में याद किया।[xx]

मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में उपलब्ध अतिथि सत्कार के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ नीति और सामाजिकता उनकी कहानियों के प्राण हैं वहाँ अतिथि–धर्म की परिपालन–रूप सभ्यता से भी ओतप्रोत हैं।

सत्संगति, परोपकार तथा दया आदि सामाजिक मूल्यों और भावों के चित्रण में भी संस्कृत के नीति–वचनों का ऐसा ही प्रभाव शेष भारतीय वाङ्मय में प्रतिबिम्बित हुआ है जिसे संस्कृत नीति–वचनों तथा प्रेमचंद की कथाओं के सापेक्ष अनुशीलन से समझा जा सकता है।

संगति का प्रभाव व्यक्ति के उत्थान–पतन पर बहुत पड़ता है। मनुष्य जैसे सम्पर्क में रहता है वैसा ही हो जाता है। संस्कृत कवि 'भर्तृहरि' ने 'नीतिशतकम्' में सत्संगति को व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति का माध्यम बताया है–

जाड्यं धियो हरति, सिञ्चति वाचि सत्यं,
मानोन्नतिं दिशति, पापमपाकरोति,
चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्तिं
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्।[गगप]

निर्मल गुणों की परिगणना करते समय उन्होंने कहा है, सज्जनों की संगति की इच्छा करनी चाहिए– "वाञ्छा सज्जनसङ्गमः''[xxii] उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्ति को गुणवान् लोगों की संगति में रहकर लाभ होता है– ''को लाभो? गुणिसङ्गमः''[xxiii]

'हितोपदेश' में कहा गया है कि सत्संगति का ऐसा अनोखा प्रभाव होता है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वज्रमूर्ख भी सत्संगति से सुबुद्धि बन जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे सोने के संसर्ग से काँच की शोभा मरकतमणि जैसी हो जाती है–

काचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्।
तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्।।[xxiv]

निम्न श्रेणी के लोगों के साथ रहने से बुद्धि घट जाती है, समान पुरुषों के साथ रहने से समान रहती है तथा बुद्धिमानों के साथ रहने से बढ़ जाती है, यथा च

हीयते हि मतिस्तात! हीनैः सह समागमात्।

समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्।।[xxv]

कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी एक प्रगतिशील लेखक थे। वे व्यक्ति के चहुँमुखी विकास के लिए सदैव सजग रहते थे। सत्संगति के द्वारा भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अतः उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से कुसंग से बचने तथा सत्संगति में रहने की प्रेरणा दी है जिससे जनजीवन प्रगति की ओर उन्मुख हो सके।

मुंशी प्रेमचंद सत्पुरुषों के सत्संग को मनुष्य के आचरण का शोधक मानते हैं उनका यह मन्तव्य है कि– दुराचारी व्यक्ति भी सत्संगति से सदाचारी बनकर प्रगति–मार्ग पर चलने लगता है । 'अग्नि समाधि' कहानी में कुसंग के कुप्रभावों का वर्णन करते हुए विषयान्तर से सत्संग की महिमा बतायी है– ''साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किन्तु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गाँजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा।''[xxvi] इसका कारण यह है कि साधु सच्चे अर्थों में साधु नहीं था। क्योंकि वह चरस इत्यादि मादक–द्रव्यों का उपभोग करके जनसाधारण को दिग्भ्रमित करता था। **'सर्वभूतहितेरतः साधु'** के अनुसार साधु जगत् कल्याण में तल्लीन रहता है।

'माँगे की घड़ी' कहानी में सत्संग का यह प्रभाव दर्शाया गया है कि सत्संगति के प्रभाव से एक ऐसा व्यक्ति, जो अपना पूरा वेतन अपने ही ऊपर खर्च कर लेता था तथा पत्नी को श्वसुरालय में छोड़ रखा था, मितव्ययिता सिखा गया और एक महीने में 15 रु० बचाकर घड़ी की किश्त जमा कर आया। यह था सत्संगति का प्रभाव– ''मैं दूसरे ही दिन सस्ते होटल में उठ गया। यहाँ 12 रु० में ही प्रबन्ध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाँक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपये तो यों बचे। पान, सिगरेट आदि की मद में 3 रुपये और कम किये और महीने के अन्त में साफ 15 रुपये बचा लिये।''[गगअपप] इतना ही नहीं दानू बाबू अपने मित्र को सुबह के खाली समय में काम करने के लिये प्रेरित करते हैं। सुबह तो अब भी खाली रहते हो? आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते?[xxviii]

'शंखनाद' कहानी में सत्संगति के अभाव और कुसंगति के प्रभाव से बांके गुमान अपनी दुकान पर दोस्तों के साथ चरस पीते रहे और दुकान में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। सौदा बिके या न बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, दस–पाँच गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस की दम और ख्याल की तानें उड़ रही हैं–

चल झटपट री, जमुना तट री, खड़ो नटखट री। बांके गुमान ने खूब दिल खोलकर निकाले, यहाँ तक की सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा कुछ न बचा।[xxix]

भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव–मात्र की कल्याण–भावना निहित है। यहाँ जो कुछ कार्य होते थे वे सदैव 'बहुजनहिताय' और 'बहुजनसुखाय' की दृष्टि से ही होते थे। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति रही है। इस संस्कृति की मूल भावना ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' के पवित्र उद्देश्य पर आधारित थी। इसलिए भारतीय ऋषियों ने विश्वकल्याण की कामना करते हुए लिखा था–

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।

कवियों तथा नीतिकारों ने सदैव परोपकार की सराहना की है। 'कालिदास' ने मूक प्रकृति में भी परोपकार की भावना के दर्शन किये हैं— वृक्ष अपने ऊपर आतप सहकर भी दूसरों को छाया प्रदान करते हैं—

शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्।[xxx]

व्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना की, परन्तु उन सबका सार उन्होंने केवल दो शब्दों में कह दिया कि पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए परपीड़न अर्थात् परहित साधन ही पुण्य है—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।[xxxi]

संस्कृत कवि 'भर्तृहरि' का मन्तव्य है कि मनुष्य के शरीर की शोभा परोपकार से बढ़ती है, प्रसाधनों के प्रयोग से नहीं—

विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन।[xxxii]

परोपकारियों का स्वाभाविक गुण है, स्वतः कष्ट सहकर भी दूसरों को सुखी करना। महाराज 'भर्तृहरि' ने ऐसे ही पुरुषों को मनुष्यत्व की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में रखा था—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाऽविरोधेन ये।
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे।[xxxiii]

'मुंशी प्रेमचंद' जी की दार्शनिक विचारधारा, गाँधीवादी विचारधारा है। अपकार करने वाले को जीतने के लिए अपकार से नहीं जीता जा सकता। मल का प्रक्षालन मल से नहीं होता उसे धोने के लिए शुद्ध जल चाहिए। 'शाप' नामक कहानी में उस पतिव्रता रमणी ने अपने पति को शाप देने वाली श्रीधर की पत्नी के साथ कभी अपकार नहीं किया अपितु उसके पति को रानी से प्राप्त राज्य का भार सौंप दिया। मुंशी जी का कहना है कि शाप देने वाली श्रीधर की पत्नी उस उपकार करने वाली रमणी से आँख नहीं मिला सकती थी बल्कि अपने अपकारों के लिए लज्जित हो जाती थी अतः अपकारी के साथ भी उपकार करना चाहिए—

''मुझे देखते ही उस पर घड़ों पानी पड़ जाता है और उसके माथे पर जलबिन्दु दिखायी देने लगते हैं।''[xxxiv]

मुंशी प्रेमचंद जी ने परोपकार को धर्म माना है। वे कहते हैं कि 'परोपकार' के लिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करना पड़े उसे धर्म समझकर करना चाहिये। "त्यागी का प्रेम" कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि परोपकार के लिए माँगी गयी भिक्षा भी दान कहलाती हैं, यथा—

"परोपकार के लिए भिक्षा माँगना दान है। अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है।"[xxxv]

लाला गोपीनाथ परोपकार के लिए एक कन्या—पाठशाला खोलते हैं। "दो साल हो गये हैं। लाला गोपीनाथ ने एक कन्या—पाठशाला खोली है और उसके प्रबन्धक हैं।"[xxxvi]

मुंशी प्रेमचंद जी ने परोपकार को भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण बताया है। 'शाप' कहानी में श्रीधर पंडित को बचाने वाली स्त्री ने परमार्थ को मनुष्य कर्त्तव्य बताया है। पंडित को गंगा में गिरता हुआ देखकर

भी किसी का उसे बचाने का साहस न हुआ तो वह सोचती है कि परमार्थ तो भारतीयों का प्रथम धर्म है। फिर यह निर्बलता असह्य है।

"भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा संवेदनाशून्य और कौन देश होगा और वह यह देश है जहाँ परमार्थ मनुष्य का कर्त्तव्य बताया गया है लोग बैठे हुए अपंगों की भाँति तमाशा देख रहे थे।"[xxxvii]

'हिंसा परमो धर्मः' कहानी में जामिद मुसलमान होते हुए भी एक स्त्री को काजी के हाथों से छुड़ाकर उसके घर पहुँचाता है तब वह और उसकी नेकदिली तथा परोपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।" इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी नहीं भूलूँगी।"[xxxviii]

इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद आदि परवर्ती साहित्यकारों ने भी संस्कृत लेखकों की भाँति परोपकार को मनुष्य का प्रथम धर्म सिद्ध किया है।

सन्दर्भ–

[i] ऋग्वेद–8/18/11

[ii] यजुर्वेद– 32/10

[iii] सामवेद–184

[iv] अथर्ववेद–11/1/3

[v] अश्वघोष बुद्धचरित– 11/4

[vi] शुक्रनीति– 3/257

[vii] प्रेमचन्द–मानसरोवर भाग–3, 'डिक्री के रुपये'

[viii] प्रेमचन्द–मानसरोवर भाग–4, 'माँगे की घड़ी'

[ix] वही

[x] वही

[xi] वही

[xii] वही

[xiii] प्रेमचन्द–मानसरोवर भाग–3, 'डिक्री के रुपये'

[xiv] आपस्तम्बधर्मसूत्र–3–65

[xv] मनुस्मृति– 3/99

[xvi] हितोपदेश, मित्रलाभ–63

[xvii] प्रेमचन्द–मानसरोवर भाग, बाबा जी का भोग

[xviii] वही, भाग–5, ममता

[xix] वही, भाग–4, सवा सेर गेहूँ

[xx] वही, भाग–3, डिक्री के रुपये

xxi भर्तृहरि– नीतिशतकम्–श्लोक–23

xxii भर्तृहरि– नीतिशतकम्–श्लोक–62

xxiii भर्तृहरि– नीतिशतकम्–श्लोक–104

xxiv हितोपदेश– श्लोक–41, प्रस्ताविका– 33–42

xxv हितोपदेश–श्लोक–42

xxvi प्रेमचन्द–मानसरोवर भाग–5, अग्नि–समाधि

xxvii वही, भाग–4, माँगे की घड़ी

xxviii वही, भाग–4, माँगे की घड़ी

xxix वही, भाग–7, शंखनाद

xxx कालिदास ग्रंथावली–पं० सीताराम चतुर्वेदी–सूक्तियाँ–पृ० 41

xxxi वेदव्यास

xxxii भर्तृहरि– नीतिशतकम्, श्लोक 63

xxxiii वही–श्लोक, 65

xxxiv प्रेमचन्द–मानसरोवर–भाग–6, शाप

xxxv वही, भाग–6, त्यागी का प्रेम

xxxvi वही

xxxvii वही, शाप

xxxviii वही, भाग–5, हिंसा परमो धर्मः।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

आलाप और तान की भूमिका में 'रस' का महत्व

डा० अनिल कुमार शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी), सी०एस०एस०एस० (पी०जी०) कॉलिज, माछरा (मेरठ)।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 117-123

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– 'रस' शब्द का सम्बन्ध भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत से अनादि काल से जुड़ा हुआ है। यह मानव के अंतःकरण में निवास करने वाली विशिष्ट भावनाओं के चरमोत्कर्ष से उत्पन्न होता है अर्थात् जब कोई स्वाभाविक वस्तु अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर मन में असाधारण नवीनता पैदा कर देती है तब उसे 'रस' कहते हैं। 'भाव' से 'रस' की निष्पत्ति होती है इसलिए इसे 'भाव' के अधीन माना गया है। 'रसात्मकता' ही संगीत का प्राण है। 'भाव' तथा 'रस' की ही प्रधानता 'संगीत' में रहती है। 'रस' न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण रागात्मक वृत्ति है रस और सौन्दर्य का परस्पर अटूट सम्बन्ध है। संगीत के क्षेत्र में स्थाई स्वर यानि अंश स्वर पर आश्रित समवादी स्वरों द्वारा उद्दीप्त, अनुवादी स्वरों से अभिव्यक्त माधुर्य की चेतना का 'रस' कहा गया है। अतः 'रस' एक विशेष प्रकार की आत्मतृप्ति है, आत्मसन्तोष है, जिसके प्रभाव में रजोगुण तमोगुण जैसे एक ऐसे सत्य का अनुभव कराते हैं। हमारे प्रचलित शास्त्रीय संगीत में राग प्रधान है। राग गायन में आलाप के अन्तर्गत भाव प्रदर्शन की प्रमुखता रहती है इसीलिए संगीत जैसी अमूर्त कला को रसोत्पत्ति, रसास्वादन का सशक्त साधन माना गया है। आलाप किसी भी राग को प्रस्तुत करने का प्रथम माध्यम है। प्राचीन काल में गायन को निबद्ध तथा अनिबद्ध इन दो प्रकारों में बाँटा गया था और उस समय का अनिबद्ध गान आज के आलाप–गायन के समान था। अतः संगीत श्रोताओं के हृदय में आलाप तान व बंदिश के माध्यम से रस सृष्टि करने में उचित योगदान देता है।

मुख्य शब्द– आलाप, तान, रस, काव्य, महाकाव्य, भाव, रसात्मकता, संगीत, मन।

'रस' शब्द का सम्बन्ध भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत से अनादि काल से जुड़ा हुआ है। यह मानव के अंतःकरण में निवास करने वाली विशिष्ट भावनाओं के चरमोत्कर्ष से उत्पन्न होता है अर्थात् जब कोई स्वाभाविक वस्तु अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर मन में असाधारण नवीनता पैदा कर देती है तब उसे **'रस'** कहते हैं। **'भाव'** से **'रस'** की निष्पत्ति होती है इसलिए इसे **'भाव'** के अधीन माना गया है। **'रसात्मकता'** ही संगीत का प्राण है। **'भाव'** तथा **'रस'** की ही प्रधानता **'संगीत'** में रहती है। डॉ० सुरेश व्रत राय ने कहा है,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

''रस अनिवार्यतः अनुभवजन्य'', चाहे संगीत रस हो चाहे काव्य रस हो सभी अनुभूतिजन्य है। **'रस'** न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण रागात्मक वृत्ति है यह एक समग्र, सम्पूर्ण मानसिक चेतना है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है इसलिए 'रस' का मूलाधार 'भा' है। इसी भाव को कलाकार अपनी कृतियों में अभिव्यक्त करता है तो दूसरों का सुख देता है आनन्द देता है वह 'रस' है। यही कारण है कि रस और सौन्दर्य का परस्पर अटूट सम्बन्ध है।

पहले कोई भी कला, कोई भी वस्तु हमें सुन्दर प्रतीत होती है और हमें सुखानुभूति होती है, यही अनुभूति रस है। अतएव **'रस'** मन की दशा कही गई है जैसा **'पंड़ित बलदेव उपाध्याय'** ने भारतीय बाङ्मय में **'श्रीराधा ग्रन्थ'** में उल्लेख किया है, 'रस' भाव की एक दशा है और वह भावमयी अवस्था एक अखण्ड, अनन्य मनोवस्था है। संगीत के क्षेत्र में स्थाई स्वर यानि अंश स्वर पर आश्रित समवादी स्वरों द्वारा उद्दीप्त, अनुवादी स्वरों से अभिव्यक्त माधुर्य की चेतना का 'रस' कहा गया है। अत' 'रस' एक विशेष प्रकार की आत्मतृप्ति है, आत्मसन्तोष है, जिसके प्रभाव में रजोगुण तमोगुण जैसे विषयगत विकार समाप्त होकर एक ऐसे सत्य का अनुभव कराते हैं जो शिव भी है सुन्दर भी है। अतः सत्यं शिवम् सुन्दरम् कहा भी गया है।

हमारा मानव मन बुद्धि तथा भावना दोनों से ही सम्बन्ध रखता है और इसीलिए कला की दृष्टि से संगीत में केवल भावना ही बुद्धि का स्थान भी सर्वोपरि है। विशेषकर हमारे प्रचलित शास्त्रीय संगीत में जो कि राग प्रधान है। राग प्रस्तुतीकरण में भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों का ही महत्व है। भाव तथा कला, दोनों ही रस सृष्टि का आधार हैं। एक कुशल गायक अपने गायन द्वारा ऐसे वातावरणस की रचना करना चाहता है जिससे श्रोताओं को ऐसे 'आनन्द' की प्राप्ति हो जो अलौकिक हो तथा कार्य स्वरों का सहारा लेकर ही पूर्ण होता है अर्थात् जब कलाकार अपने व्यक्तित्व को संगीत में घोल देता है। क्योंकि दर्शकों में रसमय अवस्था उत्पन्न करना कलाकार का लक्ष्य होता है जो कलाकार जितनी जल्दी इस अवस्था को उत्पन्न करने में सहायक होता है वह उतना ही उच्च कलाकार माना जाता है।

आपालचारी को संगीत के भाव पक्ष के साथ तथा तान को कला पक्ष के साथ जोड़कर एक कलाकार अपने कला प्रदर्शन में स्वर्गीय आनन्द एवं चमत्कार प्रदर्शन दर्शकों को दे सकने में सक्षम रहता है। दूसरों शब्दों में भावपक्ष संगीत का आन्तरिक पक्ष है और कला पक्ष बाह्य।

राग गायन में आलाप के अन्तर्गत भाव प्रदर्शन की प्रमुखता रहती है जिसका सम्बन्ध हृदय से होात है और तान के अन्तर्गत कलापक्ष या चमत्कार प्रदर्शन का प्राधान्य रहता है जो बुद्धि से सम्बन्ध रखता है। इसीलिए भक्तगण ऐसे माध्यम की तलाश करते हैं जहाँ रसानन्द स्वतः मिलने लगे जिसमें वह अपने समस्त

रजोगुणी ओर तमोगुणी विकारों से परे होकर केवल एक परम तत्व का अनुभव कर सके। इसीलिए संगीत जैसी अमूर्त कला को रसोत्पत्ति, रसास्वादन का सशक्त साधन माना गया है।

शास्त्रानुसार आलाप किसी भी राग को प्रस्तुत करने का प्रथम माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार राग के स्वरूप को श्रोता के समक्ष रखता है पं० भातखंडे ने कहा है, ''हमारे गायक कोई भी गीत गाने के पहले उस गीत में लगने वाले राग स्वरूप का थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं। इसी को प्रचार में 'आलाप' कहते हैं। प्राचीन काल में गायन को निबद्ध तथा अनिबद्ध इन दो प्रकारों में बाँटा गया था और उस समय का अनिबद्ध गान आज के आलाप–गायन के समान था, जिसमें प्रारम्भ में बिना ताल तथा गीत के शब्दों के केवल राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों द्वारा आलाप किया जाता है।

पं० भातखंड़े जी ने कहा है, ''कि राग के आलाप में निम्नलिखित बातें दृष्टिगोचर होनी चाहिए ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, तार स्थान विधि, मंद स्थान विधि, स्वरों का अल्पत्व तथा बहुत्व, राग का औडवत्व तथा बाडवत्व इत्यादि। इसीलिए प्राचीनकाल से लेकर आज तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों का आधार स्वर विस्तार, आलाप या आलापचारी अथवा प्राचीन रागालाप्ति को माना गया। अतः किसी राग विशेष के स्वरों को जब शास्त्रीय नियमों (वर्जित, अवर्जित, कोमल, तीव्र) आदि स्वरों का पालन करते हुए नायक, विलम्बित लय में विस्तार करता है तब उसे स्वर–विस्तार या आलाप या आलापचारी कहा जाता है जिसका उद्‌देश्य राग–विशेष के स्वरूप को आकार देना है। संगीत का एक कलाकार किसी राग की बन्दिश को प्रस्तुत करने से पूर्व, उस राग के विशिष्ट स्वरों द्वारा पहले राग को आकृति प्रदान करता है अर्थात् रागमय वातावरण निर्मित करता है। हमारे यहाँ संगीत को सम्पूर्ण रूप से आध्यात्म से जुड़ा हुआ स्वीकार किया जाता रहा है और रागों को देवी–देवताओं के रूप में माना गया है। जिस प्रकार देवताओं का आवाहन करने के लिए पूजा–अर्जन, हवन आदि धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती है ठीक उसी प्रकार रागरूपी देवता का आवाहन करते के लिए उस राग विशेष के स्वरों का नियमानुसार धीरे–धीरे विस्तार करते हुए संगीत का ऐसा वातावरण बनाया जाता है, जिसमें रागरूपी देवता का अवतरण स्वतः होने लगता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत में पहले रागालाप्ति, फिर रागालाप, आलाप और स्वर विस्तार का महत्व आज भी मान्य है। राग का समस्त सौन्दर्य आकर्षण एवं रसात्मकता विभिन्न प्रकार के स्वरों के लगाव पर निर्भर है।

पं० रविशंकर के अनुसार कुछ राग विशिष्ट भाव स्थिति से जुड़े हुये होते रहते हैं जैसे ललित भक्ति प्रधान है, भैरव साधन का प्रतीक है तो मारवा वैराग्य भाव का सूचक है। बसंत व बहार बसंत–ऋतु के प्रतीक है तो मल्हार वर्षा ऋतु का। एक ही राग में अनेक रस निर्माण हो सकते हैं। कुशल गायक, वादक करूण, वीर आदि रागों में स्वर, लय की सहायता से श्रृंगार आदि रस का निर्माण कर सकते हैं।

आलाप के स्थायी भाग में मध्यसप्तक के षड्ज को भली–भाँति लगा देने के पश्चात राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को मन्द्र–सप्तक में भिन्न–भिन्न तरह से विस्तार करते जाते हैं। मध्यसप्तक के निषाद तक विस्तार कर लेने के पश्चात् तार षड्ज का स्पर्श करते हुए मध्य सप्तक के षड्ज में आकर स्थायी का आलाप समाप्त करते हैं। यदि राग पूर्वांगवादी हुआ तो प्रायः वादी स्वर से ही आलाप का स्थायी भाग आरम्भ करते हैं। इसके पश्चात आलाप का अंतरा–भाग मध्य सप्तक के गन्धार या पंचम के आरम्भ करके विभिन्न छोटे–छोटे स्वर समुदायों को लेते हुए आगे बढ़ते है और अधिकांश आलाप तार–सप्तक के षड़ज पर जाकर समाप्त करते हैं और फिर छोटे–छोटे मध्य षड़ज की ओर उतरते हुए आलाप का अन्तरा समाप्त करते है। पूर्वांगवादी रागों का आलाप–विस्तार पूर्वांग में तथा उत्तरांगवादी रागों का उत्तरांग में अधिक किया जाना चाहिए। इस तरह के गायन का जो परिणाम मन पर होता है उसे 'नाद मोह' कह सकते हैं वह अवर्णनीय होता है। राग सुगन्धित फूलों के समान है। फूलों की सुगन्ध से रस की उत्पत्ति नहीं होती फिर भी मन को एक प्रकार का अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है। मधुर संगीत–श्रवण के साथ–साथ मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।

इस प्रकार राग गायन प्रस्तुत करने से पूर्व गायक राग का विस्तार करने के बाद तुरन्त ही बंदिश गाना प्रारम्भ करते हैं जिसके साथ ताल की संगत भी प्रारम्भ हो जाती है। बंदिश की स्थायी गा लेने के पश्चात् आलाप करना प्रारम्भ करते हैं। परन्तु वह आलाप प्रायः गीत या बंदिश के शब्दों को लेकर किया जाता है, जिसे बोल आलाप कहा जाता है। आज गायन में बोलालाप का ही प्रचलन है। इस प्रकार कल्पना शक्ति द्वारा विभिन्न स्वर समुदायों में पिरोकर आलाप का विस्तार किया जाता है। आचार्य बृहस्पति ने भी कहा है–''राग में भाव प्रकाशन की शक्ति सीमित है परन्तु है अवश्य।''

गोविन्दराव है वे ने शुद्ध–विकृत स्वरों की स्थिति का विवेचन इस प्रकार किया है, ''षड्ज अपरिवर्तनीय, एकाग्रचित योगी रूप है, कोमल ऋषभ की स्थिति अर्द्ध–निद्रावस्था जैसी है, शुद्ध ऋषभ की स्थिति पूर्ण जाग्रतावस्था जैसी है, कोमल गंधार करूणावस्था का है। शुद्ध गंधार की स्थिति एक चंचल बालक के समान प्रसन्नतापूर्ण है, शुद्ध मध्यम की स्थिति गम्भीर और शक्तिशाली है जो वातावरणकों प्रभावित करने में सक्षम हैं, तीव्र मध्यम भावुकतापूर्ण और चपलतापूर्ण है, पंचम आत्मविश्वासी और प्रसन्न है कोमल धैवत गहरी उदासी को व्यक्त करता है शुद्ध धैवत हृष्ट–पुष्ट वीर पुरुष के समान है, कोमल निषाद नम्र, प्रसन्न और स्नेही है साथ ही करूण भी है। यही वीरता, कारूण्य प्रसन्नता आदि संवेगों के लिए सहायक बन सकता है।''

इस प्रकार बोल आलाप ने ही आज के युग में आलाप का स्थान ग्रहण कर लिया है तो अश्यियोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इसमें बोल या शब्द या पद लेकर जो अवतारणा की जाती है उसके द्वारा निःसन्देह सौन्दर्य–सृष्टि होती है। प्राचीनकाल से ही संगीत (गान्धर्व) का स्वरूप स्वर ताल पदात्मक माना गया है। जिसमें स्वर लय और ताल के साथ पद का उतना ही महत्व है, क्योंकि स्वरों द्वारा रागात्मक अनुभूति जगाने की क्षमता तो है परन्तु पद का भाव रसानुभूति को और भी स्पष्ट कर देता है।

पदों के भाव ही व्यक्ति को रस की उस दशा तक पहुँचाता है जहाँ रजोगुण–तमोगुण दबकर सात्विक भाव जागृत हो जाता है। इसीलिए भजन–कीर्तन और विष्णु पदों का भक्ति संगीत में महत्व माना गया है। फिर स्वयं नारायण ने गीता में घोषणा की है,

''नाहं वलामि वैकुण्ठे, योगीनां ह्रदये न च,

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रा निष्णभि नारद।।''

इसलिए गायन, वादन और नृत्य में गायन की अधिक प्रधानता दी है क्योंकि गायन में स्वर आलाप, ताल के साथ पद भी शामिल है। जैसा श्रीमान् कान्ट ने लिखा है–ष्च्मतबमचजे ूपजीवनज बवदबमचजहे ंतम इसपदक ंदक बवदबमचजे ूपजीवनज चमतबंचजे ंतम मउचजलष्

'तान' का विस्तार राग गायन में चमत्कारिकता, बुद्धि कौशल बढ़ाना रहता है। पं० भातखंड़े ने कहा है, ''तानों का मुख्य प्रयोजन गायन का वैचित्र्य अधिकाधिक बढ़ाना ही है। तानें यदि योग्य रीति से वे योग्य प्रमाण से ली जाएँ, तो सुनने वालों को सचमुच आनन्द आता है।

जिस प्रकार कोई प्रसिद्ध वक्ता एक ही कल्पना भिन्न–भिन्न शब्दों से व भिन्न–भिन्न ध्वनियों द्वारा हाव–भावों से अपने श्रोताओं के सम्मुख रखकर उत्तम रीति से उनके मन पर प्रभाव डालता है। उसी प्रकार उत्तम गायक भिन्न–भिन्न स्वर समुदायों व भिन्न–भिन्न शब्दा रचनाओं से अपनी भावना की छाप दर्शकों के मन पर बैठाता है। मुख्य राग को शोभा देने वाली तानें ली जाएँ तो बहुत ही आनन्द आता।''

तानों का प्रयोग चमत्कारवर्द्धक तो होता ही है, किन्तु यह चमत्कार गायक या वादक की सुरीलेपन की सीमा तक ही उत्पन्न किया जाना चाहिए तानों में नवीनता पैदा होनी चाहिए, इसके साथ राग का स्वरूप देखते हुए उसकी प्रकृति पर दृष्टि रखते हुए तानें गाई और बजानी चाहिए। ग्वालियर तथा रामपुर घराने में आलाप के साथ मध्य लय में छोटी–छोटी तानों को लेकर 'बहलावा' करने की पद्धति को स्वीकार किया जाता है। जो कि बड़े ख्याल में आलाप और तान के मध्य की स्थिति है जो इन दोनों को जोड़ने में सेतु का काम करती है। छोटे ख्याल की गति चपल होने के कारण उसमें चपल तानों का प्रयोग

सुन्दर प्रतीत होता है। कंठ में यदि मधुरता हो तो सरल तानों को अत्यन्त सरलता से सुर में गाया जाए तो वास्तविक आनन्द आता है।

पं० जगदीश नारायण पाठक के शब्दों में, ''यदि सरल तानों द्वारा कंठ में मधुरता और सरलता ने स्थान बना दिया है तो गमक की तान हृदय में इस प्रकार चलती है जैसे जल में मस्त होकर मगर तैरता है और तान का प्रत्यक्ष आनन्द इस प्रकार होता है जैसे कि जलप्रताप की घोर–गर्जना और जल का कल–कल निनाद हो।''

निःसन्देह भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल आधार आलाप है क्योंकि इसी से राग की आकृति बन पाती है। यही संगीत का शुद्ध स्वरूप है। गायक–वादक अपनी कल्पना और योग्यता के अनुसार आलाप के द्वारा श्रोता वर्ग में रस की सृष्टि करता है। इसलिए प्राचीन संगीत में रागालाप–रूपकालाप आलाप्ति और स्वस्थान के रूप में आलाप गायन की शास्त्रोक्त तकनीक पर जोर दिया गया।

जैसा कि डॉ० उभा गर्ग दिल्ली विश्वविद्यालय की संगीत प्रोफेसर ने उल्लेख भी किया है, ''आलाप राग का आधार स्तम्भ है। इसी पर रागरूपी भवन टिका हुआ है। राग की आकृति बनी बनाई नहीं होती, धीरे–धीरे बनती चली जाती है। जब एक–एक स्वर रूपी ईंट को कलाकार बढ़ाते जाते हैं तो रागरूपी भवन का निर्माण होता चला जाता है। आलाप, राग का परिचय कराता है। यह एक संगीतात्मक सीढ़ी है, ''इसी सीढ़ी का आधार लेकर कलाकार रागरूपी भवन तक पहुँच जाता है। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में आलाप का सर्वाधिक महत्व रहा, जिसे प्राचीन संगीत में रागालाप्ति, आलाप्ति, स्वस्थान नियम तथा अनिबद्ध गान जैसी संज्ञाएँ प्राप्त हुई है।''

डॉ० सुरेश व्रत राय ने लिखा है, ष्डनेपब पे मेमदजपंससल तमंसजमक जव ीनउंद`मदजपउमदजेए टें पे दवज उमतमसल जीम`वनस वि ंतज इनज तंजीमत जीम`नचतमउम ीमतेमसण् डनेपब पे तमंससल जीम `बपमदबम वि`वनदकण् अर्थात् संगीत मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है इसमें रस ही नहीं बल्कि परम रस विद्यमान है। फिर संगीत वैज्ञानिक रूप से ध्वनि विज्ञान का विषय है क्योंकि समस्त ब्रह्मांड ध्वनि और गति से चलायमान है। ध्वनि अर्थात् नाद और गति यानि लय, नाद और लय के संयोग से संगीत कला की निर्मित होती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि–मुनियों ने संगीत को ब्रह्म विद्या या नाद–ब्रह्म की संज्ञा दी है।

''नाद रूपः स्मृतो ब्रह्मा''

प्राचीन जितने भी काव्य, महाकाव्य, बाल्मिकीकृत रामायण, महाभारत, तुससीदासकृत रामचरितमानस और संस्कृत भाषा के अनेक ग्रन्थ सभी गेय है यदि इनमें संगीत का पुट नहीं होता तो ये अभी तक काल के

गर्भ में समा गये होते। यह संगीत के सुर और लय का प्रवाह है कि आज तक इन महाकाव्यों के प्रति पूर्णतः रसानुभूति है। इसलिए माधुर्य ओजस और भाव प्रवणता इसके विशेष गुण माने गये हैं।

आज इलैक्ट्रोनिक और कम्प्यूटर की दुनिया में विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो परन्तु आज भी सह्दयता, करूणा, सदयता और परस्पर सहयोग साह्चर्य के लिए संगीत के सुरों की नितान्त आवश्यकता है। स्व० आचार्य बृहस्पति ने लिखा है—भाषा भले ही कभी—कभी मनोभावों की अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाए, परन्तु नाद कभी भी असफल नहीं होता है।

संगीत द्वारा रस निष्पक्ति सरलता से की जा सकती है। अतः संगीत श्रोताओं के ह्रदय में आलाप तान व बंदिश के माध्यम से रस सृष्टि करने में उचित योगदान देता है।

सन्दर्भ—

1.संगीतायन — सीमा जौहरी

2.संगीत मणि — डॉ० महारानी शर्मा

3.निबन्ध संगीत — लक्ष्मीनारायण गर्ग

4.संगीत पत्रिका — हाथरस

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानो का विधिक अध्ययन

डाँ स्नप्निल त्रिपाठी

सहायक आचार्य, विधि संकाय, नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

श्रीप्रकाश यादव

शोध छात्र, नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 124-129
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

संक्षेप-इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय दंड संहिता,1860 के अन्तर्गत महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए किए गए विधिक प्रावधानो का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त लज्जा भंग को रोकने के लिए जो न्यायिक निर्णय आये उनका भी अध्ययन करना है। लज्जा भंग को रोकने के लिए अपने सुझाव देना है।

संकेत शब्द- स्त्री,घर,छेड़छाड़,कार्यस्थल,सार्वजनिक स्थल, लज्जा भंग,लैंगिक टिप्पणी, विवस्त्र दृश्यरतिकता,पीछा करना।

प्रस्तावना - प्राचीन काल में स्त्री को शक्तिस्वरूपा माना जाता था।स्त्रियो को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मनु ने मनुस्मृति मे कहा है-

यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता[1]।

अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते है।

इसके वावजूद भी प्राचीन काल मे स्त्रियो के लज्जा भंग के सम्बन्ध मे अनेक उदाहरण मिलते है जैसै-भगवान इन्द्र द्वारा वेश बदलकर अहल्या का बलात्संग करना,राजा बलि द्वारा अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना,भरी सभा मे द्रोपदी का चीरहरण करना आदि।

प्राचीन काल मे विवाह के जो अमान्य प्रकार थे जैसे-असुर विवाह,राक्षस विवाह,पैसाच विवाह के माध्यम से भी स्त्रियों की लज्जा भंग किया जाता था।

मुगल काल मे स्त्रियो को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। बादशाहों तथा अमीर वर्ग के अपने हरम होते थे।इन हरम मे स्त्रियो का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता था।इस काल मे स्त्रियो की दशा मे अत्यधिक गिरावट आयी।जिसके परिणाम स्वरुप बाल विवाह,पर्दा प्रथा,सती प्रथा का प्रचलन हुआ।जिससे पुरुष अपनी महिलाओ,बच्चियों का लज्जा भंग से बचाव कर सके।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अन्तर्गत कुंवारी कन्याओं को धर्म के नाम ईश्वर के साथ विवाह कराकर मंदिरो को दान कर दिया जाता था।कलान्तर मे देवताओ से ब्याहीं इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता था। बाद मे इन महिलाओ का भी यौन उत्पीड़न किया जाने लगा।

जिस वजह से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1934 मे बाम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।1982 मे कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और 1988 मे आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इसे अवैध घोषित कर दिया।

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए ब्रिटिश काल मे अनेक कानून बनाये गए। जब भारत को 1947 मे स्वतत्रंता मिली तो भारतीय संविधान के अन्तर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार देने के साथ –साथ महिलाएं भी मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके इसके लिए भी विशेष उपबन्ध किए गए।

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए और इन अधिनियमों को समय-समय पर बदलते हुए परिवेश के अनुसार संशोधन किया। वे अधिनियम निम्नलिखित है-

1.भारतीय दंड संहिता,1860

2.भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872

3.अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम,1956

4.स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम,1986

5.बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006

7.यौंन अपराधों से बच्चो का संरक्षण अधिनियम,2012

8.महिला को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध,प्रतिशोध) अधिनियम,2013

9.आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2013

10. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2018

भारतीय दंड संहिता,1860- महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने सम्बन्धित प्रावधान

भारतीय दंड संहिता,1860 के अन्तर्गत "लज्जा" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 292,293,354,509 तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2013 के तहत 354-क,354-ख,354-ग,354-घ को अन्तःस्थापित किया गया ।

शाँटर आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (तृतीय संस्करण) के अनुसार लज्जा,लज्जावान होने का गुण है और स्त्री के संदर्भ मे इससे अभिप्रेत व्यवहार की स्त्रियोचित शीलता,विचार,वाणी तथा आचरण की नैतिक सतर्कता से शुद्वता से है।[2]

धारा 354- स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संम्भाव्य जानते हुए कि तद्‌द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा,उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनो मे से किसी भाँति के कारावास,जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

सेवा शेट्टी का मामला[3] के वाद मे कहा गया कि अशिष्ट हमले की कोटी मे क्या आता है,यह जनता के रीति रिवाजो,आदतो तथा सम्बन्धित महिला कि आयु पर निर्भर करेगा । जो कृत्य नैतिकता को भंग करने वाले है,स्वभाविकताः वे ही कृत्य किसी महिला की लज्जा भंग करने वाले होगे।वैसे मात्र शब्द हमले की कोटी मे नहीं आते ।यदि कोई महिला सहमत पक्षकार है,तब उसकी लज्जा भंग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध गठन के लिए आपराधिक आशय या जानकारी आवश्यक है।किसी स्त्री का हाथ पकड़कर शारीरिक सम्पर्क के लिए निवेदन करना उक्त महिला की लज्जा भंग करने की कोटि मे आ सकेगा।

लज्जा भंग से सम्बन्धित कुछ उदाहरण- विभिन्न निर्णयो के आधार पर निम्न तथ्यो एवं परिस्थितियों मे किए गए कृत्य किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की परिधि मे आते है-

दामोदर बनाम उड़ीसा राज्य[4] के वाद मे कहा गया कि किसी महिला का एक अभियुक्त द्वारा हाथ पकड़ना तथा अन्य द्वारा उसकी साड़ी हटाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

केशव बाली राम नाईक बनाम महाराष्ट्र राज्य[5] के वाद मे कहा गया कि किसी सोती हुई महिला का हाथ स्पर्श करना तथा उसके ऊपर से ओढी हुई चादर हटाना और उसकी मेक्सी मे हाथ डालना महिला की लज्जा भंग की कोटी मे आयेगा।

केरल राज्य बनाम हमसा[6] के वाद मे कहा गया कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को देखकर ऑख मारना भी महिला की लज्जा भंग माना जायेगा।

कोमती राजम बनाम आन्ध्र प्रदेश[7] के वाद मे कहा गया कि किसी स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे खींचना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य[8] के वाद मे कहा गया कि किसी स्त्री कि सहमति के बिना चुम्बन लिया जाना या अशिष्ट व्यवहार किया जाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

बलदेव प्रसाद बनाम राज्य[9] के वाद मे कहा गया कि किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री को बांहो मे भरकर उसके आपराधिक मन से वक्षस्थल को दबाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

श्रीमती रुपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल[10] के वाद मे श्रीमती बजाज पंजाब कैडर की एक अधिकारी थी घटना के समय वे पंजाब राज्य मे कार्यरत थी दिनांक 18 जुलाई 1988 मे एस. एन. कपूर के यहां एक पार्टी मे गयी हुई थी उस दावत मे पंजाब पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल भी आमंत्रित किए गए थे। देवल का यह कहना था कि रात करीब 10 बजे केपीएस गिल उसके पास आये और उसके कूल्हे पर हाथ मारा देवल को यह बहुत बुरा लगा उसके द्वारा केपीएस गिल के विरुद्व आईपीसी की धारा 341,342,352,354 और 509 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया। केपीएस गिल ने इसे सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी।सुप्रीम कोर्ट ने

आईपीसी की धारा 354 और 509 का अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला माना और विचारण के निर्देश दिए और धारा 354 का दोषी पाया।

राजस्थान राज्य बनाम विजय राम[11] के वाद मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या रिश्तेदारों के सामने पति द्वारा पत्नी को बार-बार चूमना या शरीर के ऐसे स्थान को छुना जिससे लज्जा भंग होती है धारा 354 के अन्तर्गत अपराध है।

लज्जा भंग की परिधि मे न आने वाले मामले-विभिन्न विधि निर्णयो के आधार पर कुछ कृत्य महिला की लज्जा भंग की परिधि मे नही आते-

सेवाशेट्टी का मामला[12] के वाद मे कहा गया कि जब महिला सहमत पक्षकार हो तो ऐसी स्थिति मे उसकी लज्जा भंग नहीं होती।

बैजनाथ का मामला[13] के वाद मे कहा गया है कि जब किसी स्त्री के वस्त्र संघर्ष में स्वयं ढीले हो गये थे और स्वयं उसके द्वारा हिंसा भी की गयी हो तो अभियुक्त को लज्जा भंग का दोषी नहीं माना जायेगा।

श्रीमती रुपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल[14] के वाद मे कहा गया है कि धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 95 भारतीय दण्ड संहिता,1860 किसी स्त्री की लज्जा भंग करने वाले के ऊपर लागू नहीं होगी क्योकि किसी भी परिस्थिति मे स्त्री की लज्जा भंग करने वाले अपराध तुच्छ नहीं हो सकता। इस वाद मे यह भी कहा गया कि जब किसी स्त्री के पेट पर बिना कुछ और हरकत किए मात्र हाथ प़ड़ गया था तो आपराधिक आशय के अभाव मे लज्जा भंग नहीं माना जायेगा।

दण्ड-धारा 354 के अन्तर्गत जो दण्ड दिया जाता है वह किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354-क[15]**लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड-(1)**ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य,अर्थात

(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाए करने,जिनमे अनांछनीय और लैंगिक सम्बन्ध बनाने सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो,

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई माँग या अनुरोध करने,या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्व बलात् अश्लील साहित्य दिखाने,या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने

वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष जो उपधारा (1) का खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) मे विनिर्दिष्ट अपराध करेगा,वह कठोर कारावास से ,जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से,या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष,जो उपधारा (1) के खंड (iv)मे विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से या दोनो से दंण्डित किया जायेगा।

धारा 354-ख[16] विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

ऐसा कोई पुरूष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान मे विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य को दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354-ग[17] दृश्यरतिकता- ऐसा कोई पुरूष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को,जो उन परिस्थितियो के अधीन,जिनमे वह यह आशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा किसी प्राइवेट कृत्य मे लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खिचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा,प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगीं किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-1 इस धारा के प्रयोजनो के लिए "प्राइवेट कृत्य" के अन्तर्गत ऐसे किसी स्थान मे देखने का कार्य किया जाता है जिसके सम्बन्ध मे,परिस्थितियो के अधीन युक्तियुक्त रुप से यह आशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों,नितम्बो या वक्षस्थलो को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रहीं है,या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता हैं।

धारा 354-घ[18] पीछा करना-(1) ऐसा कोई पुरुष जो-

(i)किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए,उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रुप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के वावजूद,बारबांर पीछा करता है अथवा सम्पर्क करता है या सम्पर्क करने का प्रयत्न करता है,अथवा

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट,ई-मेल या किसी अन्य प्ररुप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मॉनीटर करता है,पीछा करने का अपराध करता है,

परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि मे नही आयेगा यदि वह पुरुष,जो ऐसा पीछा करता है,यह साबित कर देता है कि-

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौपा गया था,या

(ii)ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था,या

(iii)विशिष्ट परिस्थितियो मे ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(2)जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनो मे से किसी भाँति के कारावास जिसका अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दोनो मे से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 509-शब्द, अंग विछेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा,कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा,इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विछेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा।

निष्कर्ष-महिलओ की लज्जा भंग को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता,1860 मे अनेक प्रावधान किए गये है।जिसमे समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन भी किया जाता है। लेकिन केवल विधि बना देने से महिलओ की लज्जा भंग नहीं रुकेगी जब तक कार्यपालिका द्वारा अतिशीघ्र ऐसे मामलो मे निष्पक्ष अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहीं किया जायेगा। अतिशीघ्र ऐसे मामलो का विचारण करना होगा । तभी इस प्रकार के अपराधो की रोकथाम संभव है।

संदर्भ सूची

1.मनुस्मृति 51 56
2.शार्टर आक्सफोर्ड डिक्शनरी(तीसरा संस्करण)
3.1953 राज.एल.डब्ल्यू 343
4.1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 960 (म.प्र.)
5.1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 111(बम्बई)
6. 1988(3) क्राइम्स 161(163) केरल
7. 1994 (2) क्राइम्स 511
8. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल 257(262) राज.
9. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल (एन.ओ.सी.)122 उड़ीसा
10. 1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 381
9.1988(3) क्राइम्स161(163) केरल
10.1994 (2) क्राइम्स 511
11. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल 257(262) राज.
12.1953 राज.एल.डब्ल्यू 347
13. ए.आई.आर.1936 अवध 379
14.1982 क्रिमनल लाँ जर्नल 19(22)
15.आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
16. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
17. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
18. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

"दौड़" उपन्यास में बदलते सामाजिक संबंधों का चित्रण

पुष्पा यादव
शोध छात्रा,
पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब, बठिंडा।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 130-135

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोध सारांश- आजादी के बाद भारतीय जीवन में जिस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा-दीक्षा से सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। परम्परागत एवं नवीन मूल्यों में टकराव संघर्ष एवं संक्रमणशीलता दिखाई दे रहा है। इस उपन्यास में स्त्री-पुरुषों के प्रेम, विवाह एवं दाम्पत्य जीवन के बदलते हुए प्रतिमान सैटेलाइट पर चलते हुए दिखाई दे रहें हैं। स्त्री-पुरुषों की दासता को अस्वीकार करते हुए बराबरी का सम्मान तथा समानाधिकार पाना चाहती हैं साथ ही लिव इन रिलेशनशिप जैसी पश्चिमी समाज की प्रवृत्ति भी भारतीय समाज में प्रवेश कर चुकी है। वैश्विकरण, उदारीकरण, बाजारवाद तथा उपभोक्तावादी संस्कृति ने जब से समाज पर अपना वर्चस्व कायम किया तब से लोगों का जीवन उसकी चमक-धमक में सिमटता चला गया है।

मुख्य शब्द- दौड़ उपन्यास, सामाजिक संबंध, आर्थिक स्थिति, वैश्वीकरण, हिंदी कथा साहित्य।

इक्कीसवीं सदी सामाजिक संबंधों के परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है, जिसमें परंपरागत एवं नवीन मूल्यों में टकराव, संघर्ष एवं संक्रमणशीलता दिखाई देती है। मनुष्य का भौतिक साधनों के प्रति आसक्ति एवं बढ़ते हुए पूँजीवाद तथा वैश्विकरण ने एक नयी अर्थ संस्कृति को जन्म दिया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, अधिकारों का दुरुपयोग, अकर्मण्यता आदि विकृतियों से समाज आक्रांत होता जा रहा है, जिनसे जीवन के प्राय: सभी क्षेत्रों में इन विकृतियों का प्रभाव गहराई तक पड़ा है। प्रेम विवाह एवं दांपत्य के प्रतिमान भी बदल रहे हैं। स्त्री-पुरुषों की तथाकथित आधुनिक सोच के कारण सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। समाज के कुछ प्रतिशत पुरुष स्त्रियों को बराबरी सम्मान तथा समानाधिकार देने के पक्ष में हैं तो कुछ नहीं। नयी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में आधुनिकता एवं परम्परा का अंतर आता जा रहा है। आधुनिक समाज में नारियां अपने अस्तित्व के प्रति सजग और सचेत होकर स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं। दौड़ उपन्यास में ममता ने नारी स्वातन्त्र्य, नारी-पुरुष संबंध, प्रेम विवाह, वृद्ध जीवन तथा दांपत्य जीवन संबंधी एवं बदलते सामाजिक संबंधों का वर्णन किया है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ममता कालिया स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रतिनिधि साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा समाज को एक नयी दिशा प्रदान की है। ममता कालिया ने अपना अध्ययन कई स्थानों पर किया जिसके फलस्वरूप उनके साहित्य में अनेक प्रकार के अनुभव दिखलाई देते हैं। वे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की रचनाकार हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं और विषमताओं पर अपनी पैनी नज़र रखते हुए ममता कालिया के प्रत्येक रचना के केन्द्र में आज का समाज है। विकासशील समाज में बनते-बिगड़ते सम्बन्ध, प्रगति के आर्थिक-सामाजिक दबाव, स्त्री की प्रगति को देखकर पुरुष मनोविज्ञान की कुण्ठाएँ और कामकाजी स्त्री के संघर्ष आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें हम उनके कथा साहित्य में देख सकते हैं।

ममता कालिया कृत 'दौड़' उपन्यास में बदलते सामाजिक संबंध को पूरे यथार्थ के साथ चित्रित किया गया है। समाज में आज का आपसी संबंध वही नहीं है जो एक दशक पूर्व था। भूमंडलीकरण, बाजारीकरण और आर्थिक उदारीकरण के कारण समाज में ऐसा परिवर्तन आया कि पारंपरिक जीवन दर्शन और मूल्यों का महत्त्व समाप्त होता जा रहा है। ममता ने इस उपन्यास के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि "आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय बाजार को शक्तिशाली बनाया। इसने व्यापार प्रबंधन शिक्षा के द्वार खोले और छात्र वर्ग को व्यापार प्रबंधन में विशेषता हासिल करने के अवसर प्रदान किये। युवा वर्ग ने अपने कैरियर को सफलता दिलाने के लिए इसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। इस तरह वर्तमान सदी में समस्त वाद के साथ एक नया वाद प्रारंभ हो गया-बाजारवाद और उपभोक्तावाद अर्थात 21वीं सदी की आहट ने समाज में बाजारवाद को अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया जिसकी प्रभाव क्षमता के सामने सबकी शक्ति क्षीण पड़ गयी और सारे रिश्ते-नाते मूल्य परंपराएं तथा संस्कृति बाजार के सामने छोटे लगने लगे। बीसवीं सदी का सीधा-सादा खरीददार एक चतुर उपभोक्ता बन गया। जिन युवा-प्रतिभाओं ने यह कमान सँभाली उन्होंने कार्यक्षेत्र में तो खूब कामयाबी पायी पर मानवीय सम्बन्धों के समीकरण उनसे कहीं ज्यादा खिंच गये, तो कही ढीले पड़ गये। दौड़ इन प्रभावों और तनावों की पहचान कराता है।......व्यावसायिकता से आजीविकावाद (कैरियरिज़्म) पैदा होता है और यह आजीविकावाद पारिवारिक सम्बन्धों को और सम्बन्धों की भावात्मकता आदि को नष्टप्राय कर देता है।"[1]

ममता कालिया ने 'दौड़' उपन्यास में आधुनिक भारतीय समाज के बदलते सामाजिक संबंधो और भारतीय समाज एवं जीवन में व्यवसाय जगत् के प्रभाव तथा बढ़ते दबाव की कथा को दर्शाया है। प्रस्तुत उपन्यास के पात्र पवन, सघन, राकेश, रेखा, स्टेला जैसे लोग आज व्यवसाय जगत् की परिस्थितियों में घिरकर यथास्थितिवादी बनकर रह गये हैं। सभी यह जानते हैं कि इस तेज़ दौड़ती ज़िन्दगी में किसी एक जगह बैठे रहकर अपना आगे के जीवन का नियोजन करना सम्भव नहीं है। फिर भी इन चीज़ों के लिए सामाजिक सम्बन्धों में जिस तेजी से बदलाव आया है और रिश्तों से अधिक महत्त्व व्यावसायिक जीवन हो गया है। इससे यही प्रमाणित होता है कि आज के आधुनिक जीवन में वास्तव में रोजगार और सुख सुविधा की ज़िन्दगी ही सब कुछ है। आज की नयी पीढ़ी बाकी सबको गौण मानती है। उपन्यास में पवन के सामंतशाही सोच और अपने माँ-बाप के साथ किये गये महाजनी बर्ताव से माँ रेखा और पिता राकेश बहुत आहत होते हैं। इतना ही नहीं ममता कालिया ने उपन्यास में कुछ गौण पात्रों के जरिए ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसमें आहत होते माताओं तथा पिताओं की विवशता स्पष्ट झलकती है।

उपन्यास में पवन, शरद, अभिषेक जैसे पात्रों के जरिए बाज़ार तथा मार्केटिंग की नीतियों का परिचय दिया है। उपन्यास के प्रारम्भिक अध्यायों में सभी कम्पनियों के प्रोडक्ट्स एवं उन्हें बेचने की चुनौतियों और अन्य व्यवसाय जगत् की समस्याओं का चित्रण किया है। सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों के टूटन एवं खिंचाव को पवन, सघन तथा स्टेला के जरिए उन्होंने बखूबी चित्रित किया है। जब पवन इलाहबाद अपने माँ-बाप से मिलने जाता है तो वे लोग उसेइलाहाबाद के आस-पास ही कही नौकरी ढूंढने को कहते हैं। उन्हें आशा थी कि इस तरह वे अपने बेटे के कैरियर में रुकावट भी नहीं बनेंगे और पवन भी उनके पास रह सकेगा, लेकिन पवन की सोच और दृष्टिकोण कुछ अलग ही होते हैं। वह अपने पिता के कलकत्ते जाकर बसने के सलाह पर कहता है .."पापा मेरे लिए शहर महत्त्वपूर्ण नहीं है, कैरियर है। अब कलकत्ते को ही लिजिए। कहने को महानगर है पर मार्केटिंग की दृष्टि से एकदम लद्धड़। कलकत्ते में प्रोड्यूसर्स का मार्केट है, कंज्यूमर्स का नहीं। मैं ऐसे शहर में रहना चाहता हूँ जहाँ कल्चर हो न हो, कंज्यूमर कल्चर जरूर हो। मुझे संस्कृति नहीं उपभोक्ता संस्कृति चाहिए, तभी मैं कामयाब रहूँगा।"[2] उसके इस एक जवाब ने माता-पिता को स्तंभित कर दिया। वह आदर्श से ज्यादा यथार्थ की ओर झुका हुआ था। इतना ही नहीं जितने दिन वह घर पर रहता है उतने दिन उसका व्यवहार अपने माता-पिता से, विशेषकर माँ से एक पराए व्यक्ति जैसा रहता है। यहाँ तक कि धोबी से इस्त्री होकर आए कपड़ों के लिए पवन ज्यादा पैसे दे देता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि यदि वह टूरिस्ट की तरह पैसे देता रहेगा तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। लेकिन पवन अपनी माँ की इस बात पर हंगामा खड़ा कर देता है। अपने दफ्तर में मिल रही इज़्ज़त का हवाला देकर माँ को ताने दे बैठता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि उसके जन्मदिन पर उसे ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा गया, जिससे उसके ऑफिस के लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं। पवन जानता था कि उसकी माँ किस प्रकार उसका जन्मदिन मनाती है लेकिन उसके ताने से"माँ को लगा उन्हें अपने बेटे को प्यार करने का नया तरीका सीखना पड़ेगा।"[3]

पवन शहर में आने के बाद इस बात से नाराज होता है कि अब उसके कोई भी दोस्त शहर में नहीं रहे, सब-के-सब कैरियर के लिए बाहर जा चुके हैं। वह स्वयं यथार्थवादी है, परन्तु उसी के जैसा व्यवहार दूसरों से मिले ये उसे मंजूर नहीं। अपने पिता से भी वह बिना बात के बहस करता है। उसके पिता के विचार उससे मेल नहीं खाते। उसके पिता जहाँ आध्यात्मिकता, नयी और पुरानी चीज़ों तथा व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए पुराने के समर्थन में बोलने लगते हैं तो पवन उनकी यह कहकर आलोचना कर देता है कि उसके पिता नई चीज़ों का फायदा भी उठाते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। पवन अपने विचारों से न केवल माता-पिता को आहत करता है बल्कि उसके जीवन साथी के चयन तथा उसके साथ वैवाहित जीवन के एक अजीब तरीके से भी वह उन्हें दुख पहुँचाता है।

भारतीय विवाह व्यवस्था को चुनौती देने वाली पश्चिमी समाज प्रवृत्ति भारतीय समाज में भी प्रवेश कर चुकी है। जिसका चित्रण ममता ने उपन्यास में बखूवी चित्रित किया है। लिव इन यानी एक साथ रहने की सहमति, जिसमें कोई तीसरा नहीं होता। यह दो के बीच मौखिक संबंध होता है, जो धीरे-धीरे दैहिक संबंध में बदल जाता है। उपन्यास की पात्र स्टेला विवाह से पहले ही पवन के साथ रहती है। स्टेला पवन की बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और रूम पार्टनर तीनों है। पवन की माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती तब यह माँ को ही समझाता है कि "तुमने देखा क्या है माँ ? इलाहाबाद से निकलोगी तो देखोगी न यहाँ गुजरात सौराष्ट्र में शादी तय होने के बाद लड़की महीने भर ससुराल में रहती है। लड़का-लड़की एक-

दूसरे के तौर–तरीके समझने के बाद ही शादी करते हैं।"[4] इतना ही नहीं जब स्टेला के दिये गये उपहार को भी रेखा अस्वीकार कर देती है तो पवन कहने लगता है कि वह बहुत मंहगा उपहार था, जो अब व्यर्थ जा रहा है। पवन स्टेला के मामले में अपनी माँ से यहां तक कह देता है कि जब उसके पिता ने उनसे विवाह करने की ठानी थी तब उसकी दादी ने भी रेखा को पसन्द नहीं किया था तब क्या पिता जी रुके थे। रेखा को अपने ही बेटे से यह बात सुनकर धक्का लगता है। किसी प्रकार पवन स्टेला से शादी करने के लिये अपने अभिभावकों को मना लेता है फिर अपने स्वामी जी द्वारा लगाये ग्ये रामकृष्णपुरम में सामूहिक विवाह आयोजन में विवाह कर लेता है। रेखा और राकेश को इससे थोड़ा दुख भी होता है। पवन और स्टेला मुश्किल से कुछ दिन घर पर रहते है कि तभी पवन के चेन्नई जाने और स्टेला के राजकोट और अहमदाबाद में बिजनेस की बागडोर सम्भालने की बात सामने आती है। रेखा और राकेश दोनों पवन को समझाते हैं कि शादी के बाद साथ रहना जरूरी होता है। उसे विवाह के वचनों का भी वास्ता देते हैं, पर पवन फिर से अपने आधुनिक यथार्थवादी विचार उनके सामने यह कहकर रखता है कि "पापा आप भारी–भरकम शब्दों से हमारा रिश्ता बोझिल बना रहे हैं। मैं अपना कैरियर, अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ूँगा। स्टेला चाहे तो अपना बिजनेस चेन्नई ले चले।"[5]पवन के लिए कैरियर इतना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि वह शादी की ज़िम्मेदारियों को भी परे हटा देना चाहता है। रेखा और राकेश को यह अजीब सा लगता है कि उनका दाम्पत्य जीवन सेटेलाइट और इंटरनेट के जरिए चलेगा।अर्थात अब शादी–ब्याह के मामले में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। नई पीढ़ी पुराने संस्कारों को त्यागकर अपनी मर्जी से नवीनता का अपना रही है। स्वतंत्र विचार वृत्ति और उन्मुक्त जीवन जीने की ललक से सहजीवन का नया तरीका आ गया है। सामाजिक जीवन–मूल्यों के परिवर्तन से विभिन्न समस्याएँ भी उपस्थित हो रही है। स्त्री के साथ शारीरिक मानसिक दुर्व्यवहार की संभावनाएं बढ़ गयी हैं।

पवन और स्टेला के चले जाने के बाद सघन (पवन का छोटा भाई) भी अचानक उन्हें यह सूचना देता है कि उसे ताइवान में नौकरी लग गयी है और वह भी चला जाता है। रेखा और राकेश अब अकेले हो जाते है। रेखा और राकेश जिस बात से घबरा रहे थे आखिर वही बात होती है। वे जिस गली में रहते थे उसे बुढ्ढा–बुढ्ढी गली कहा जाता है क्योंकि सभी के घरों के चिराग अपने माँ–बाप को छोड़कर कैरियर बनाने के लिए दूसरे शहरों तथा विदेश चले जाते हैं। रह जाते है तो सिर्फ बूढ़े माँ–बाप, एक कार, एक कुत्ता और उनके घरों में उनके बच्चों द्वारा भेजी गयी महंगी चीज़े। रेखा को भी पवन माइक्रोवेब और वीसीडी दे जाता है लेकिन रेखा को इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो बस इस बात की कि उसके घर में बसे सन्नाटे को तोड़ने की, खालीपन और अकेलेपन के ऊब से वह बाहर आना चाहती थी। फिर दोनों बच्चों के चले जाने पर इतना काम नहीं रह गया था कि वह किसी में व्यस्त रहकर अपना समय काट लेती। उन्हें इस बात के लिए अब खुद पर ही जैसे एक क्षोभ सा होने लगा था कि बचपन में उसी ने बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा दी थी और आज जब वे आगे निकल गए हैं तो उनसे दूर होने का गम सता रहा है। वह अजीबों–गरीब उलझनों में फंसी हुई थी। उन्हें अब रह–रहकर अपने बच्चों के बचपन और उनके किस्से याद आ रहे थे।"उसका मन बार–बार बच्चों के बचपन और लड़कपन की यादों में उलझ जाता। घूम–फिरकर वही दिन याद आते जब पुन्नू छोटू धोती से लिपट–लिपट जाते थे।.....क्या दिन थे वे। तब इनकी दुनिया की धुरी माँ थी, उसी में था इनका ब्रह्मांड और ब्रह्म। ...... रेखा के कलेजे में हूक–सी उठती , कितनी जल्दी गुजर गये वे दिन अब तो दिन महीने में बदल जाते हैं और महीने साल में, वह अपने बच्चों को भर नजर देख भी नहीं पाती।

वैसे उसी ने तो उन्हें सारे सबक याद कराए थे। इसी प्रक्रिया में बच्चों के अन्दर तेजी, तेजस्विता और त्वरा विकसित हुई प्रतिभा, पराक्रम और महत्त्वकांक्षा के गुण आए। वही तो सिखाती थी उन्हें जीवन में हमेशा आगे-ही-आगे बढ़ों, कभी पीछे मुड़कर मत देखो।"[6]

ममता कालिया ने पवन, सघन और स्टेला के जरिए जहाँ एक ओर बदलते पारिवारिक सम्बन्धों को दर्शाया है वही दूसरी ओर एक ऐसे कटु सत्य के भी दर्शन कराए हैं, जिसमें समाज के प्राय: वे सभी परिवार भुगत रहे हैं जिनके बच्चे प्रवासियों के तरह हो गये है, जिनके लिये पराया देश और वहां की सुख-सुविधा तथा नौकरी के लालच में फंसे हुए हैं। मिस्टर और मिसेज सोनी ऐसे ही दो मजबूर माता-पिता हैं। उनका बेटा सिद्धार्थ विदेश में जा बसा है। मिस्टर सोनी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वे गुज़र जाते हैं। जब सिद्धार्थ को उसके फ़र्ज़ के लिए बुलाया जाता है तो बहाने बनाता है कि उसके घर तक आने में हफ्ते भर से अधिक लगेगा। वह अपनी माँ को समझाते हुए कहता है-'हम सब तो आज लुट गये ममा। लोग बता रहे हैं मेरे आने तक डैडी को रखा नहीं जा सकता। आप ऐसा कीजिए, इस काम के लिए किसी को बेटा बनाकर दाह-संस्कार करवाइए। मेरे लिए तेरह दिन रुकना मुश्किल होगा।' मिन्हाज साहब के समझाने पर वह यह भी कहता है कि विदेश के मुर्दा घरों में माँ-बाप के शव महीनों पड़े रहते है और जब बच्चों को फुर्सत होती है तभी वे जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भारतीय जीवन में जिस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा-दीक्षा से सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। परम्परागत एवं नवीन मूल्यों में टकराव संघर्ष एवं संक्रमणशीलता दिखाई दे रही है। इस उपन्यास में स्त्री-पुरुषों के प्रेम, विवाह एवं दांपत्य जीवन के बदलते हुए प्रतिमान सैटेलाइट पर चलते हुए दिखाई दे रहें हैं। स्त्री-पुरुषों की दासता को अस्वीकार करते हुए बराबरी का सम्मान तथा समानाधिकार पाना चाहती हैं साथ ही लिव इन रिलेशनशिप जैसी पश्चिमी समाज की प्रवृत्ति भी भारतीय समाज में प्रवेश कर चुकी है। वैश्विकरण, उदारीकरण, बाजारवाद तथा उपभोक्तावादी संस्कृति ने जब से समाज पर अपना वर्चस्व कायम किया तब से लोगों का जीवन उसकी चमक-धमक में सिमटता चला गया है। बाजारवाद तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते आज लोग रिश्तों से अधिक महत्त्व नौकरी को देने के लिये विवश हैं और व्यक्ति एक मशीन बनता जा रहा है, जहां न ही नैतिकता बची है और न ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास। आधुनिक समाज में चलते बाजारवाद तथा उपभोक्तावाद में सिमटती ज़िन्दगियों का परिचय कराता हुआ यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें ममता ने बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों को बखूबी चित्रित किया है।

सन्दर्भ सूची-

1. कालिया,ममता, दौड़, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्कण, 2000, पृष्ठ संख्या, 5-6
2. वही..... पृष्ठ संख्या 40-41
3. वही..... पृष्ठ संख्या 43
4. वही..... पृष्ठ संख्या 52
5. वही..... पृष्ठ संख्या 65
6. वही..... पृष्ठ संख्या 76

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Non-Performing Assets (NPA) and Their Effects on Countries Progress

Dr. Angrej Singh[1], **Anshu Chaudhary**[2]
[1]Associate Professor and HOD, Economics, Upadhi Mahavidyalaya Pilibhit, Uttar Pradesh, India
[2]Ph.D. Scholar, Economics, M.J.P.R.U. Bareilly, Uttar Pradesh, India

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 136-148

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

Abstract - Most people associated with banks are familiar with NPAs. NPA means non-performing assets, that is, when a person takes any kind of loan and does not give it on time or its instalment, interest etc. remains overdue for three consecutive months, then that account becomes NPA. In this paper, we have given detailed information about your NPA. What is NPA? What are the types of NPAs? We have given information about all the things like what is banking properties etc. in this paper. NPA accounts have a very bad effect on the profit of the banks and this also has a bad effect on the country. Therefore, the bankers should make continuous efforts to secure the accounts before they become NPA.

Keywords :- Bank, NPA, Assets, Properties, Bad loan, Cash credit

Concepts of NPAs- During the few decades before the rapid expansion and nationalization of the bank in 1969, the growth of the financial industry was truly extraordinary in terms of existence. As the branch network of the banking system grew at a rapid and massive rate in the early 1990s, it became clear that the efficiency of the monetary system was assessed not only in terms of quantitative growth (increased bank branch growth and deposits or advances), but also in terms of qualitative development (fulfilment of social responsibility). After the first phase of economic liberalization in 1991, significant changes took place in the banking industry and therefore in debt management. Whereas the main objective of banks is to lend money to various industries including agriculture, small scale industries, micro loans, education loans, personal loans, housing loans and industrial loans.

"Proverb" Without money, a person is like a bird without wings; it highlighted the importance of money. A bank is a type of financial institution that specializes in dealing with money. Accepting and lending money are the basic activities of all commercial banks. Banks play a vital role in raising capital and allocating them to priority and non-priority sectors for the growth and development of the economy. The major issue of commercial banks is to successfully disburse funds to high quality assets (loans and advance), lest they become NPAs. A bank is considered efficient when it is able to manage or overcome both external and internal factors and constraints, as well as keep up with the development of new technology. A sound financial system of a country is an important component of that country's economic prosperity.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

The primary role of the banking industry is to receive customer deposits to lend money. As a result, it raises cash and then loans them to others, resulting in bank assets. The money that is raised is lent out in the form of loans and advances, which is the prime and major activity of banking and is the biggest asset of the bank. The money lent is referred to as loan or advance, and it helps the bank to earn income in the form of interest. In addition, the bank invests a portion of its funds in securities or equipment (debt as well as equity), and a smaller portion of the total funds available is invested in real assets such as land and buildings, office equipment and other banking-related property, goes.

Funds are supplied in the form of loans with the intention of receiving interest payments at fixed regular intervals, as per the contractual responsibilities of the lender and the borrower. An asset that fulfills its contractual responsibilities, such as payment of interest on time and repayment of principal when it is due, is referred to as a performing asset or a standard asset. Non-performing or non-standard assets are assets that fail to meet their commitments of timely interest payment and principal repayment within a specified time period.

Reserve Bank of India defines a non-performing asset as one that fails to generate income for the bank within the specified time frame. In other words, if the interest or principal installments are not paid for the time specified in the rules and regulations of the Reserve Bank of India, an asset will be said to be as a non-performing asset (NPA). Following are the criteria for declaring an account as NPA as per RBI guidelines and rules and regulations: -

In case of a term loan, the interest or the principal installment remains outstanding or outstanding for more than 90 days.

In case of overdraft or cash credit, the account remains out of order or remains dormant for more than 90 days.

In case the bills are received and discounted, the bills are delayed or remain unpaid for more than 90 days.

For crops of extended duration for a cropping season, the principal or interest installment is overdue or underpaid. Interest or principal installment is overdue or unpaid for two harvesting seasons, but not more than two and a half years in the case of loans for agricultural purposes.

In the case of other accounts, any funds received are late or underpaid by more than 90 days. (Bansal, 2015)

Criteria for Asset Classification and Provisioning:

The following are the major categories into which banks divide their loan assets:

- standard property
- sub-standard property
- doubtful assets and
- loss assets

Standard Property:

Standard assets are assets that provide income on a regular basis at fixed intervals and do not pose additional risk to the firm. These assets are called performing assets.

a. 2% direct credit to the agriculture sector and small and micro enterprises (SMEs).

b. Growth of 1.00 per cent in the commercial real estate sector.

c. 0.75 per cent advance in Home Housing Sector - Corporate Real Estate (CRE - RH).

d. all additional loans and advances not governed by policy (a), (b), or (c) at the rate of 0.40 per cent.

Sub-Standard Property:

Non-performing assets are any assets that are not standard. These are Sub-standard assets: A non-performing asset that has been non-performing for less than or equal to one year is considered sub-standard. Assets are segregated by the specific probability that the bank will incur losses on certain types of assets, thus the bank must set aside 15% of the outstanding balance of substandard assets.

- A normal provision of 15% will be provided on the entire outstanding amount, without any adjustment for ECGC guarantee cover or available securities.
- Unsecured exposures classified as "sub-standard" will be subject to an additional provision of 10% for the aggregate (15% + 10%) 25% on the outstanding asset account's amount. Infrastructure loan portfolios that are classified as sub-standard, but on the other hand, will be subject to a provisioning rate of 20% instead of the previously prescribed 25% due to several safeguards such as escrow accounts.

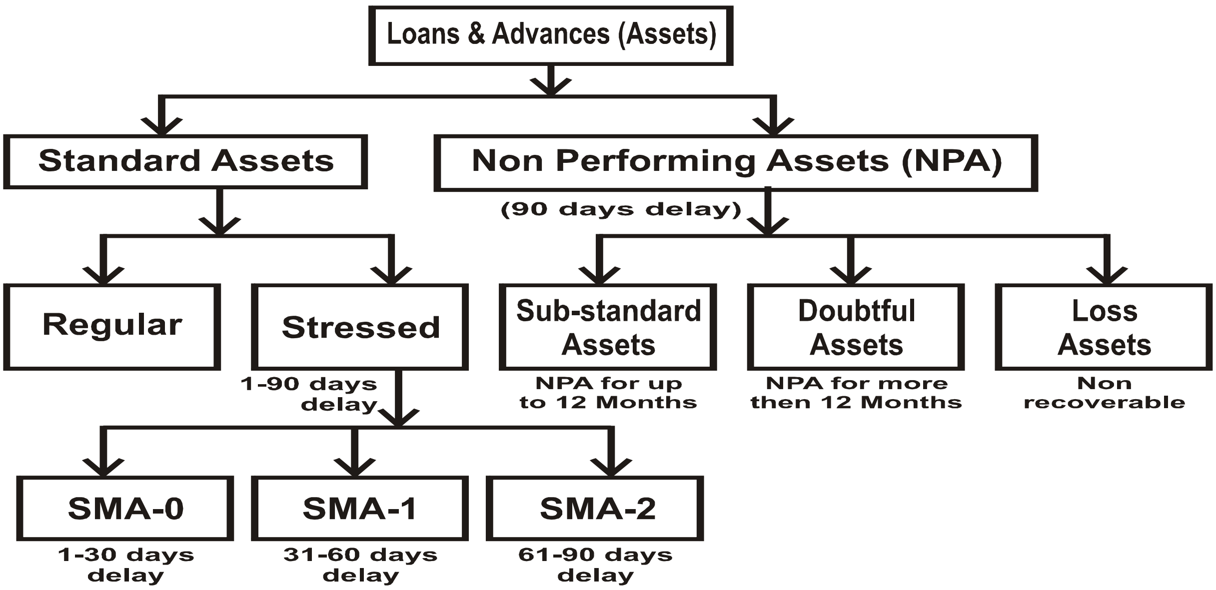

Figure 1. Classification of Assets

Doubtful assets:

Assets that are non-performing for more than one year but are not declared assets are referred to as doubtful assets. Banks will be required to provide 100% of the outstanding advance of the unsecured asset portion, after the amount recovered under the DICGC scheme and the amount of guarantee cover realized or likely to be received under ECGC (Export Credit Guarantee Corporation) schemes.

Types of Assets	Provisioning Norms
Standard Asset	(a) 0.25 percent direct advances to the agriculture and Small and Micro Enterprises (SMEs) sectors. (b) 1.00 percent growth in the commercial real estate sector. (c) Commercial Real Estate Advances – Residential Housing Sector (0.75%). (d) 0.40 percent for all additional loans and advances not covered by (a), (b), or (c) above.
Substandard Asset	(i) A general provision of 15% of total outstanding should be provided, with no adjustments for ECGC guarantee cover or accessible securities. (ii) The 'unsecured exposures' designated as 'substandard' would be subject to an additional provision of 10%, for a total provision of 25% on the outstanding sum. Infrastructure loan portfolio that are considered as sub-standard Instead of the previously specified prescription rate of 25%, a provisioning rate of 20% will be used. due to specific protections such as escrow accounts accessible in relation to infrastructure financing.
Doubtful Assets	Within one year: 100% of the unsecured component and 25% of the secured component.
	100 percent of the unsecured component and @ 40% of the secured component for 1 to 3 years.
	Over 3 years: 100% of the unsecured component and 100% of the secured component.
Loss assets	100% of the unsecured component and 100% of the protected component.

RBI

Figure : 2

Up to one year: 100% of the unsafe component and 25% of the safe portion.

For 1 to 3 years: 100% of the unsecured portion and 40% of the protected portion

More than 3 years: 100% of unprotected portion and 100% of protected portion.

Loss Property:- Banks have identified a lost asset, but it was not completely or partially erased. In other words, despite the fact that it may have some scrap or recoverable value, such asset is considered non-

collectible. However, only those assets that have no security are classified as loss assets. Asset portfolios with no protection, DICGC, or ECGC insurance were not loss assets. Banks should make 100% provision for lost assets. (Sukul, 2017).

The following formula can be used to calculate provisioning requirements:

Total Provisions = [B-S(100-P)/100]×(1-C/100)

where; B = Balance outstanding in non-performing asset accounts.

S = stands for the realizable value of the asset.

P = Percentage of provisioning required for the secured component depending on the age of the account and doubts.

C = DICGC/ECGC cover available as a percentage of the total outstanding amount.

When a DICGC or ECGC cover limit is determined, it should be translated into a percentage.

Types of NPAs:

Gross NPA and Net NPA are two types of non-performing assets (NPAs).

Gross NPAs:

$$\text{Gross NPA Ratio} = \frac{\text{Gross NPA}}{\text{Gross Advances}}$$

Gross non-performing assets (NPAs) are advances that are considered irreversible or unpaid for which the bank has made provisions and are still recorded as assets in the bank's books. In other words, it is all accumulation of substandard, doubtful and lost assets like NPAs.

Net NPAs:

$$\text{Net NPA Ratio} = \frac{\text{Gross NPA - Provisions}}{\text{Gross Advances}}$$

After deducting the above adjustments from the Gross NPAs, the Net NPAs shows the actual burden of the banks.

The Reserve Bank of India defines Net Non-Performing Assets as follows: Net NPA = Gross Non-Performing Assets – (Balance in Interest Suspense Account and DICGC/ECGC Part Outstanding Balance and Suspense Account, and Total Provisions Maintained).

Gross NPAs reflect the problem assets, while Net NPAs reflect the actual pressure on the banks. {Agwan, Volume 6, Issue 1 (January, 2016)}.

Identification of NPAs- The process of determining whether an asset or account is performing or not is known as NPA identification. Non-Performing Assets (NPAs) should be recognized or fixed on the basis of position of Balance sheet date. Consequently, even if the account has been in default for two quarters, an advance which is booked by repayment of outstanding interest and instalment of principal before the balance sheet date cannot be treated as NPA. The following is one method of determining whether an asset is performing or non-performing:

In other countries, non-performing asset (NPA) revenue is not recognized on an accrual basis, and is treated as income only when it is actually received. In order to achieve reconciliation, it was agreed to follow a similar procedure in our country. Banks have been directed not to charge interest or accept interest revenue

on all NPAs. When an asset ceases to generate revenue for a bank, it is classified as non-performing. From 1992 to 1995, the basis for classifying all credit facilities as non-performing was reduced to quarters 4, 3 and 2, and from April 2004, this two-quarter definition was reduced to one quarter, and the following are the grounds for classifying a credit facility as non-performing:

Cash Credit / Overdraft

Interest payable up to 30th September of the audited year is collected on or before 31st March of the respective audited year.

NPA - Interest payable up to 30th September which has not been collected by 31st March of the respective audited year. If the cash credit or overdraft account remains 'irregular' for two quarters (not necessarily consecutive) during the year, it will be classified as a non-performing asset (NPA).

Out of Order

An account may be considered out of order if any of the following three requirements are satisfied:

• The outstanding balance in the account continues to exceed the permissible limit or drawing capacity as per the terms and conditions.

• The amount outstanding is within the limit/withdrawing power, but no credit has been made to the account for a period of six months as on the balance sheet date of the bank;

• There are some credits, but they are insufficient to meet the interest or principal due on the account in the same period.

Term loan

Performing Assets: Interest payable by 30th June and instalments payable by 31st August of the audit year is collected by 31st March of the audit year.

Non-Performing Assets: Interest due by June 30 and instalments due by March 31 of the audited year were not collected before March 31.

A term loan account is classified as a non-performing asset (NPA) if the interest or principal instalment on the loan is 'past due' for two consecutive quarters out of four, although the default need not continue.

Past Due: If an amount is outstanding or has not been paid for 30 days or more after the due date, it is called past due.

Bills bought and discounted

Interest payable by 30th June and instalments payable by 31st August of the year under audit are considered as performing assets.

Non-Performing Assets (NPAs) are bills which are due by 30th September of the year but not paid by 31st March of the year under audit.

If a bill is bought or deducted and remains late and unpaid for two quarters, it is called a non-performing asset (NPA).

On the other hand, arrears of interest should not be charged and should not be taken into account in respect of overdue challans until the same is realized.

Other account

Performing Assets: Interest payable by 30th June and instalments due by 31st August of the audited year, collected before 31st March of that year. Interest due by 30th June and/or instalments due by 31st August is not collected before 31st March of the year under audit.

Non-performing Asset: Any other credit facility is recognized or handled as a non-performing asset (NPA) if any amount due on such facility is due for two quarters during the year. Interest should not be charged on any NPA and it should not be accounted for in the revenue account. If a borrower's interest income is subject to non-accrual, the same borrower's fees, commissions, and other comparable revenues must also stop accruing. (RBI, 2015)

Some other related concept of NPA

- **Exempt Assets**

Advances against Bank's own Term Deposits/Recurring Deposits, National-Savings-Certificates, Surrender Value of LIC policies, IVP Indira-Vikas-Patras, and KVP Kisan-Vikas-Patras all fully exempted from asset classification, and they are rarely treated as "standard assets".

Even if the interest debited for two quarters is not collected, the amount outstanding should be within the value of the security.

- **Downgrading of NPAs**

In respect of accounts where there is a potential threat of recovery due to diminution in the value of the security or the inability to obtain the security, or the existence of other factors such as fraud on the borrowers, RBI had directed banks that such accounts should be made as soon as possible are considered as non-performing assets, regardless of how long they have been classified as non-performing assets.

- **Upgradation of NPAs**

Non-performing assets are assessed for upgrade only when they become standards assets, that is, when the account becomes regular. In other words, upgradation of NPAs from doubtful to sub-standard in doubtful condition will not lead to further recovery unless the account is brought in good standing and is removed from the NPA list.

- **Employee demand and housing loan**

Since monthly instalments due will be recovered on a regular basis, staff accounts may be treated as distinct assets, and interest on such accounts may be reported as income for the year ended.

- **Borrower who has multiple facilities**

When a customer has multiple accounts, all accounts should be considered non-performing assets (NPAs), not just one or the part of the account that has remained unregulated.

- **Consortium Advance**

Consortium advances occur when more than one bank or financial institution jointly advance an entity. When it comes to borrowing units the members should follow the classification chosen by the union leader so as to achieve uniformity in approach. The information about the classification by the leader bank should be shared with other banks.

- **Agricultural advance**

The RBI, in a circular dated March 4, 1998, stated that advances given for agricultural purposes can be classified as non-performing assets (NPAs). If interest or principal instalment is not paid after two seasons of harvest; In any case, it should not exceed two and a half years.

- **Rescheduling of Advances**

As per RBI norms, an account which is not yet NPA can be rescheduled before the commencement of production or an instalment becomes due for payment as per the original terms. In such cases, the NPA position should be assessed in the light of the rescheduling conditions.

Causes for non-performing assets

The high rate of non-performing assets (NPAs) in both public and private sector banking institutions has caused public concern, as bank credit is the driving force behind the country's economic growth, and one of the reasons for this is rising NPAs, which will inevitably be counterproductive. impact on the economy. The breakdown of the banking industry can have an impact on other industries. The Indian banking sector, which historically functioned in a closed economy, is now facing the problems of operating in a free market. On the one hand, a secure environment guaranteed that banks were not required to acquire complex Treasury functions or asset liability management capabilities, while on the other, a mix of directed financing and social banking drove profitability and competition in the background. The end result was volatile non-performing assets (NPAs) and, consequently, a higher effective cost of banking services. It is a different floor when the RBI and the government are accused of having a soft stance or failing to take extra precautions with banks failing to meet specified objectives.

For lending to the priority sector, especially in agriculture and small scale industries. Under priority sector advances, especially in agriculture and small-scale businesses, outsiders may make it difficult to recover NPAs. In Indian banks, especially public sector banks, several practical issues have emerged. For example, under the Prime Minister of Mr. VP Singh, Government of India gave a huge rebate of fifteen thousand crores for rural loans in 1989-90. This was not an isolated incident in India, and it left a bad impression on the borrower. Poverty alleviation programs like IRDP, SUME, SEPUP, JRY, PMRY, and others have failed to meet their goals and have had harmful consequences. Due to political influence, pressure or misappropriation of funds and unreliability of target consumers in these sectors, the large amount of loans provided under these schemes were completely unrecoverable by the banks. Bank loans are their assets, and because some of them were not repaid on time, the quality of these assets was deteriorating progressively. The process of loan allocation came to be known as 'Loan Mela'. Review of loan proposals was slow, and repayment was low as a result.

The factors that cause assets to go from performing to non-performing conditions can be classified under the following three heads or points:

Causes Attribute to Borrowers

- Reluctance of borrowers to repay loans Many a times, a certain group of debtors makes a deliberate attempt to declare their units sick to obtaining financial assistance from various sources. Even a deposit group of careful borrowers does not hesitate to take advantage of some banker errors, as

they have learned through experience, and do not pay off purposefully, these loans will be eventually become non-performing.

- Using funds to increase, modernize, or build new initiatives that that benefit or promote a sister company If the advance is misappropriated or diverted to other purposes, the unit may be unable to earn more revenue, and the account may become non-performing.
- Inappropriate technology and obsolescence of products A company cannot compete in the market with goods made of obsolete technology. As a result, the product remains unsold, thereby blocking money without providing any return or minimum return, resulting in NPA.
- Because the project was not completed on time, the entire phase of project implementation was time-costed, leading to liquidity stress. As a result, the unit will not be able to repay the advance in time, resulting in NPA.
- Mismanagement and lack of proper planning: If management makes poor decisions, such as investing in very ambitious projects, creating excess capacity at uneconomic costs, or spending unnecessarily, NPAs will result.
- If there is a disagreement between the co-borrowers or if one of them dies after taking a bank loan, the manufacturing activity may not continue to provide sufficient revenue, resulting in NPAs.
- The company's inability to raise funds through the financial markets by issuing equity or other debt instruments. This would result in a liquidity crisis or lack of funds, which would limit production. In this situation, the end result would be the conversion of such loans into non-performing assets (NPAs).
- Exporters face difficulties due to unfavourable currency rates, overdues in other countries, recession in other countries, externalization issues and other factors. This increases the cost of material imports and reduces demand, preventing units from growing at the right rate as they must compete with better efficiency in the world market
- Shortage of raw materials, rising raw material/input prices, and weak financial markets are all factors. It inhibits productive activities because the returns are insufficient.

Reasons due to banks

- Lending process that is not working Commercial banks follow three basic principles of bank lending. (i) profit principle (ii) liquidity principle (iii) Security Principle
- Technology that is inconsistent Market driven choices cannot be made in real time due to inadequate technology and management information systems. In banks, proper MIS and financial recording systems are not implemented and managed, resulting in poor credit collection and NPAs. All branches of the bank should be computerized and up to date.
- SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) analysis that isn't appropriate another cause for the growth in NPAs is a lack of adequate strength, weakness, opportunity, and threat assessments. Due to the rise in nonperforming assets (NPAs), banks rely more on the borrower's honesty, integrity, financial health, and credit worthiness when making unsecured advances.
- Credit Appraisal System Is Inadequate Another factor contributing to the growth in NPAs is poor credit assessment. Due to a bad credit assessment, the bank makes advances to people who are unable to

repay them according to their ability. To reduce NPAs, they should employ appropriate credit evaluation.

• Inefficiency in management to protect its interests, the banking should always carefully choose the borrower and take actual assets as collateral. The following variables should be considered by banks while accepting securities:

(i) Marketability\s

(ii) Acceptability\s

(iii) Safety\s

(iv) Transferability.

• Wrong borrower selection, inaccurate evaluation of the borrower's expertise or competence to pursue the activity intended to be conducted, thereby jeopardising a fundamental premise of lending. If the market report, creditworthiness, and family background of the borrower are not thoroughly checked, there is a very significant risk of the fund being misused.

• Repayment schedule that isn't right Fixing the payback schedule and gestation duration in the operating region of the brands, notably in agricultural advances, regardless of the operational and marketing seasons is also a cause for an asset becoming NPA.

• Improper development of the borrowers' credit requirements due to a lack of comprehensive market and industry data on demand and supply, the bank may be unable to appropriately analyse the borrower's credit requirements, resulting in under or over financing, which may change the cost revenue structure of the activity, rendering it unviable.

• Improper evaluation of the project site, geographical drawbacks and benefits, forward and backward connections, all of which have a significant impact on the feasibility of the project to be undertaken.

• Coverage of a wide geographic region Injudicious and intermittent advances with vast coverage areas, limited transportation, and a staffing deficit, and the inability to maintain effective control over the advances.

• Delay in credit facility approval or pay-out due to delayed section and credit disbursement, units are unable to take advantage of possibilities.

• Faulty paperwork and loan disbursement prior to compliance with the terms and conditions may lead to the possibility of fraud or loan default.

• For different reasons, there was a lack of monitoring and inadequate follow-up on the park of the hank branches. An effective monitoring system has two goals: to ensure that credit is used properly and to identify problems that may arise during the project's execution. The lack of such a system will have a negative impact on the performance of loan assets. If warning signs are not detected quickly and appropriate remedial measures are not taken, these loans will eventually become nonperforming assets (NPAs).

• Unavailability of essential data pertaining to the borrower's debts to other institutions and persons, among other things, impacting his ability to satisfy all of his payback obligations credit the information department does not gather and maintain complete information about borrowers for

the bank as a whole. The defaulting borrower takes advantage of this void and raises cash from one branch of the same bank while ignoring the other bank's branch.

- Because there are insufficient authorities to enforce securities (possession and sale), banks are avoiding risks by investing a higher- than-required share of their assets in sovereign debt papers.
- Manipulation of the debtors by political clout. Due to the demands of politicians and bureaucrats, a large share of NPAs result from lending to the priority sector. The NPA problem might have been controlled, if not eliminated, if banks had properly supervised their loans. Politicians and bureaucrats compelled bank top management to pour good money after bad in the instance of dishonest borrowers. The fundamental cause of NPAs in India is the lack of adequate bankruptcy laws and other legal procedures for enforcing security claims.

Other Causes of NPAs

- **Natural calamity**

This is a primary element that contributes to bank nonperforming assets (NPAs). Because of this, the borrower is unable to repay their loans. As a result, due to the detrimental impact on bank profitability, banks must make substantial provisions in accordance with standards.

- **Unsoundness in the Industrial Sector**

Industrial illness is caused by improper project management, poor management, a lack of appropriate resources, a lack of advanced technology, and constantly changing government rules and policies. As a result, banks fund sectors that lack cutting-edge technology, lowering their profit and liquidity.

- **Insufficient Demand**

Entrepreneurs in India were unable to accurately anticipate product demand, resulting in their inability to repay the money they borrowed to carry out these operations. The banks are recouping the funds by selling their assets, but there is still a significant increase in nonperforming assets (NPAs).

- **Government Policies That Are Changing**

The banking industry receives new policies for its functioning with each new government. As a result, it must adapt to evolving concepts and policies for regulating the rise in nonperforming assets (NPAs).

Impact of NPAs on profitability of the Banks

The rising number of nonperforming assets (NPAs) has a significant impact on both the bank and the economy as a whole. The following are a few of the consequences:

- The presence of nonperforming assets (NPAs) has a negative influence on bank profitability. It's a two-edged sword in that banks don't make any money off of it; instead, they have to spend money to recover.
- As NPAs rise, banks' attitudes toward lending alter, thereby impeding bank growth and credit expansion for productive purposes.
- Banks may favour risk-free investments that are neither beneficial or helpful to the nation's economic growth.
- Banks may raise interest rates to compensate for the loss on nonperforming assets (NPAs), which has a negative impact on the viability of many businesses.

- Because of the negative impact on the return on investment, NPAs will limit the earning capability of bank assets (ROI).
- Higher provisioning requirements for rising NPAs have a negative impact on banks' capital adequacy ratio (Capital to Risk Adjusted Assets Ratio).
- Banks' Economic Value Add (EVA) is thrown off since EVA is the difference between net operating profit and the cost of capital.
- Nonperforming assets (NPAs) undermine consumer trust by lowering the market value of shares, frequently down under their book value in the capital market.
- Reduces asset earning capacity: Nonperforming assets (NPAs) diminish asset earning capacity, and as a result, return on assets is impacted.
- NPAs have a risk weight of 100 percent to the extent that they are uncovered, according to Block's capital. As a result, they put capital on hold in order to maintain capital adequacy. Because nonperforming assets (NPAs) generate no revenue, they have a negative impact on a bank's capital adequacy ratio.
- Carrying NPAs entails incurring costs such as "Operating Cost for Monitoring and Recovering NPAs," "Cost of Capital Sufficiency," and "Cost of Financing in NPAs".
- Low yield on advances: Because of nonperforming assets (NPAs), the yield on advances is lower than the actual rate on "regular Advances." The reasons why yield is based on weekly average total advances, including nonperforming assets (NPAs).
- Effect on Return on Assets: NPAs diminish the earning capability of assets, which has an impact on ROA.

Conclusion- We have already seen that the more prosperous the banking system of any country, the more it progresses. NPA accounts are like a hindrance in the progress of the country because having NPA causes loss to the bank, which weakens the banking system and which affects the economy of the country and weakening of the economy hinders the progress of the country. We have seen that NPA accounts in private sector banks are less as compared to government banks; one of the main reasons for this is that any loan in private banks is taken care of, whereas in government banks, loans are taken to complete many government schemes. It is given in which the ineligible also get loans and those people are unable to repay the loan due to one reason or the other and the account becomes NPA, which affects the economy of the country. Therefore, banks should take care of the loan and keep taking care of that loan from time to time, so that the account can be prevented from becoming NPA.

References

[1]. Agwan, D. A. (January, 2016). A Comparative Study of Non - Performing Assets of State Bank of India . International Journal of Research in Economics and Social Sciences Volume 6, Issue 1 (IMPACT FACTOR – 5.545).

[2]. B.Selvarajan & Dr. G.Vadivalagan (2013)A Study On Mgt Of Npas In Priority Sector Reference To Indian Bank And Public Sector Bank. Global Journal of Management & Business Research,13(I)

[3]. Bajiraoborse, P. N. (2016). The Study of The Effect of Non-Performing Assets on Return on Assets of Major Indian Commercial Banks. International Journal in Management and Social Science, 4 (1), 7.

[4]. Chandan Chattergee, J. M. (12). Management Of NPA-A Current Scenario. National Journal of Social Science and Interdisciplinary Research, 1 (II)

[5]. Dr.Krishna Murari, (May 2014) Comparative Evalution Of Non-Performing Assets Of Indian Banks: A Study Of Public &Private Sector Banks. Asian Journal of Research in Banking & Finance, 5(4)

[6]. Dr.M.Prakash, A. L. (2014). A Study on Analyzing the Trend of NPA Level in Private Sector Banks and Public Sector Banks. International Journal of Scientific & Research Publication, 4 (7), 9.

[7]. Dr.M.Syed Ibrahim & Dr.Rangasamy Thangavelu,(March 2014)A Study On The Composition Of Nonperforming Assets(NPA)Of Schedule Commercial Banks In India. Journal Of Finance and Bank Management (2),1 18.

[8]. Gandhi, K. (2015). Non-Performing Assets: A Study of State Bank Of India. International Journal of Research in All Subjects in Multi Languages, 3 (3), 6.

[9]. N. Kavitha. (2012). "The Impact of Non-performing Assets on the Profitability of Indian Scheduled Commercial Banks: An empirical Evidence," IJRCM, Volume No. 3, Issue No.1 (January) 27-30.

[10]. Namita Rajput, M. G. (2012). Profitability &Credit Culture of Npas-An Empirical Analysis of Psbs. International Journal of Marketing, Financial Services & Mgt Research, 1 (9).

[11]. Priyanka Mohnani, M. D. (2013). A Study of NPA on Selected Public & Private Sector Banks. International Journal of Science & Research, 2 (4).

[12]. Rajveer Rawlin, S. M. (2012). Modeling The NPA of a Midsized Indian Nationalized Bank as A Function of Advances. European Journal Of Business And Management, 4 (5).

[13]. Swamy, B. (2001). New Competition, Deregulation and Emerging Changes in Indian Banking. The Journal of Indian Institute of Bankers, 3-22.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

वेदों में प्रतिबिम्बित संगीत

डॉ0 रोमा अरोरा
एसोसिएट प्रोफेसर–संगीत गायन,
राजा मोहन गर्ल्स पी0जी0 कालेज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 149-154

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोध सारांश – भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वाङ्मय एवं सबसे प्राचीन, नियमित, सुसंबद्ध संगीत हमें वैदिक काल में ही मिलता है। वैदिक युग का प्रारम्भ आर्यों के आगमन से ही माना जाता है। इस काल में संगीत की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी। वे ही वेदाध्ययन कर धार्मिक संस्कार सम्पन्न कराते थे। ब्राह्म ऋत्विज संगीत शिक्षा भी दिया करते। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का विकास वैदिक युग में हुआ। वेदचतुष्टयी में गीत के अनेक प्रकार स्तोम, स्त्रोत, गाधिन, गायत्रिन, साम आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में वीणा वादन के अतिरिक्त शंख, मेरी दुंदुभि, तूणव, वाण आदि प्रचलित थे। वैदिक वाङ्गमय में वर्णित उदात्तः अनुदात्त एवं स्वरित के आधार पर ही पाणिनी ने सप्तस्वरों को व्यहृत किया। इस काल में आर्यों ने संगीत को धर्म के आवरण में लपेट कर गंगाजल के समान पवित्र कर दिया।

बीज शब्द– नाद, ब्रह्मानन्द, सहोदर, गीर, गातु, सामगान, अर्चिक, गाधिक सालिक।

यह सर्वज्ञेय है कि शब्द हमारे चतुर्दिक विद्यमान रहता है। शब्द का पर्याय है नाद, जो संगीत का आधार है। नाद के बिना स्वर गीत–नृत्य कुछ भी सम्भव नहीं है। मतंग ने नाद की महिमा का वर्णन वृहद्देशी में इस प्रकार किया है–

"न नादेन बिना गीत, न नोदन बिना स्वराः।
न नादेन बिना नृत्तं तस्मान्नदामकं जगत्।।[1]

संगीत मानव के अन्दर सृष्टिकाल से ही रहता है। पं0 शारंगदेव ने प्राणिमात्र के सम्पूर्ण जगत को नादाधीन माना है[2] वस्तुतः नाद और जीव एक ही है। नाद के दोनों रूप आहत और अनाहत ये मानव देह में स्थित रहते हैं। आहत नाद से स्वर की उत्पत्ति होती है। इसमें मन को एकाग्र तथा जीवन को आनन्द प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है। अनाहत नाद जो कानों को सुनाई तो नहीं पड़ता परन्तु इसमें आत्मानंद की ऐसी क्षमता है जिसका प्रमाण नानक, कबीर, सूर आदि है। इनके अनुसार यद्यपि अनाहत नाद लोक रंजक नहीं है परन्तु मुक्ति दायक है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शारंगदेव के मतानुसार गायन, वादन और नृत्य तीनों नाद की अभिव्यक्ति के रूप तथा नाद के अधीन हैं–

"गीत नादात्मकं वाद्यं नाद व्यक्त्या प्रशस्यते।
तद्यानुनतं नृतं नादाधीनमस्त्रयम्।।"

संगीत एक सजीव व अमूर्त कला है, जिसमें कलाकार एवं श्रोता दोनों के जीवन के परमानन्द की सम्भावना होती है। इसलिए इसे **'ब्रह्मनंद सहोदर'** कहा गया है।

भारत में संगीत परम्परा बहुत प्राचीन है। विभिन्न शास्त्रकारों ने संगीत को अपने–अपने ढंग से परिभाषित किया है–

"गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते।"[3]

तात्पर्य यह है कि संगीत एक अन्विति हैं, जिसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का समावेश है। इसी परिभाषा का अनुसरण प्राचीनकाल से अद्यतन पाया जाता है। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में संगीत का व्युत्पत्तिगत अर्थ **"सम्यक् गीतम्"** रहा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार गीत, नाटक के प्रमुख अंगों में अन्यतम है तथा वादन एवं नृत्य दोनों उसके अनुगामी है। कालिदास के मेघदूत में 'संगीतार्थ' के उपादानों में गीत, वाद्य, नृत्य तीनों की आवश्यकता निर्दिष्ट है।[4] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गीत, वाद्य, नृत्य तथा नाट्य का उल्लेख सहचरी कलाओं के रूप में हुआ है।[5] प्राचीन शिल्प तथा भित्त चित्रों में तीनों का सम्यक् दर्शन उपलब्ध होता है।

भारतीय परम्परानुसार संगीत का उद्गम भी अन्य कलाओं की भाँति वेदों से हुआ है। वेद का बीज मंत्र है "ओऽम"। अ़उ़म तीन प्रमुख शक्तियों का पुंज ईश्वर है। ग्रन्थों में भी कहा गया है–

"आकारो विष्णु रुदिष्ट उकारास्तु महेश्वरः।
मकारोणोच्यते ब्रह्म प्रणावेनमयों मतः।।

इसी बीजमंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसी से नाद, नाद से स्वर, स्वर से 'संगीत' की उत्पत्ति हुई। संगीत के सप्त स्वर "ओऽम" के ही अन्तर्विभाग है। स्वर की उत्पत्ति "ओऽम" के गर्भ से होने के कारण यथार्थतः "ओऽम" ही संगीत का जनक है। इसी में समस्त कलाएँ निहित हैं। इस "ओऽम" में स्वर, लय, ताल का समावेश है। "ओऽम" का साधक संगीत का यथार्थ रूप ग्रहण करने में सफल होता है। इस प्रकार संगीत के जन्म से लेकर भिन्न–भिन्न मत मिलते हैं परन्तु ऐतिहासिक तथ्य अभी तक प्राप्त नहीं है। संगीत, शताब्दियों पुरानी कला नहीं है। यह तो आदि कला है। आदि मानव सुख–दुःख का प्रथम अनुभव अपने साथ संगीत को लेकर आया होगा। सभ्यता के विकास के साथ–साथ संगीत अपनी उत्कृष्टता की ओर पहुँचता गया। जन्म से मृत्युपर्यन्त संगीत, मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता बल्कि इसके बिना तो मानव का कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्कार पूर्ण ही नहीं होता।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से वैदिक युग ही प्राचीनतम युग है किन्तु ईसा मसीह के 20, 25 हजार वर्ष पूर्व भी सृष्टि का विकास हो चुका था। ऐसा खोदाई में प्राचीन मूर्तियों तथा शिलालेखों से ज्ञात होता है। प्राप्त उल्लेखों के अनुसार भारतीय संगीत का जन्म भी सृष्टि के आविर्भाव के साथ ही हो चुका था और ईसा मसीह के काल में भारतीय संगीत काफी विकसित रूप में था।[6]

शास्त्रीय संगीत भारतीय सभ्यता, संस्कृति व समाज का दर्पण होता है। जैसे–जैसे मानव संस्कार परिमार्जित हुये, सभ्यता व संस्कृति में परिवर्तन हुये और समाज में भी बदलाव आया, वैसे–वैसे ही शास्त्रीय संगीत का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया।

हमें अपना सबसे प्राचीन, नियमित, सुसंब(संगीत, वैदिक काल से ही मिलता है एवं भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वाÂमय भी हमें वैदिक युग में ही मिलता है। 1000 ई0पू0 से 700 ई0पू0 तक यह युग माना जाता है।

भाषाविदों के अनुसार वैदिक युग का प्रारम्भ आर्यों के आगमन पर होता है। आर्य जाति ने भारत पर लगभग 1500 वर्ष ई0पू0 आक्रमण किये। इन्द्र, वायु और सूर्य के उपासक थे। ये आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने तत्कालीन समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र चार वर्णों में कर दिया। आर्यों का संगीत का ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का था। वे संगीत को आत्मा व परमात्मा का संयोग करने वाली शृंखला मानते थे। इनके धर्म ग्रन्थ 'कवित्त' के रूप में थे। इनके घरों में ईश्वर की संगीतमय आराधना नियमपूर्वक होती थी। ब्राह्मणों का कार्य वेदों तथा अन्य ग्रन्थों का पठन–पाठन तथा धार्मिक संस्कारों को विधिवत् सम्पन्न करना था।[7] संगीत की शिक्षा ब्राह्मण)त्विज ही तीनों वर्गों को देते थे।

ब्राह्मण चार वंशावलियों में विभाजित हुये। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेदी। गायन, वादन व नृत्य तीनों का विकास वैदिक युग में हुआ। वीणा, वाद्य का विकास इस युग में हो चुका था। गायन के साथ इसका प्रयोग भी हो चुका था। वीणा वादन प्रायः नारियाँ ही किया करती थी। संगीत के विशेष आयोजन होते थे जिसमें नर्तकियाँ उन्मुक्त प्रांगण में भाग लिया करती थी। समाज में नृत्य का प्रतिष्ठित स्थान था। पुरुष भी नृत्य में रुचि रखते थे। ऋग्वेद का श्लोक ;5/33/6द्ध "नृत्यमनो अमृता" इसका प्रमाण है कि नृत्य कला इस काल में बहुत विकसित थी।

प्रसि(विद्वान रोजयोर्क कथन है कि "वैदिक युग में कलाकारों का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल एवं उच्चकोटि का था। वे सामान्य प्रलोभनों में नहीं फंसा करते थे। कला की साधना हेतु वे बड़ा आकर्षण त्याग करने को तैयार रहते थे।"

ऐसा माना जाता था कि वैदिक काल में ऋग्वेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का पर्याप्त प्रचलन था। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम शब्दों का प्रयोग पाया जाता था। इस वेद की ऋचाएं 'स्तोत्र' कहलाती थी। आधुनिक युग में वैचित्र्य निर्माण के लिए जिस प्रकार गीत की पंक्ति तथा पदों का गान अनेक बार विविध स्वरों के साथ किया जाता है, वही प्रकार वैदिक संगीत के 'स्तोम' के नाम से प्रसिद्ध था।[8]

गीत प्रबन्ध एक परम्परागत गीत का प्रकार है, जिनका गायन धार्मिक तथा लौकिक समारोहों में किया जाता था। उनके **'गाधिन'** या **'गायत्रिन'** कहलाते थे। **'गाथा'** के लिये **'साम'** नाम भी सम्बोधित किया जाता था।

ऋग्वेद काल में गायन के साथ ही वाद्य का निरन्तर प्रयोग रहा। जैसे– दुन्दुभि बाण, नाड़ी वेणु, कर्कटि, गर्गर, गोधा, पिंग तथा अर्घाटे। मंगल वाद्य के रूप में 'वीणा' का प्रयोग बहुलता से किया जाता था।

इस काल में गायन–वादन के साथ नृत्य का प्रचुर अस्तित्व पाया जाता है। नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रांगण में जन समूह के सम्मुख होता था जिसमें नर–नारियाँ दोनो भाग लेते थे।

मांगलिक दृष्टिकोण से यजुर्वेद में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई किन्तु सूत्रग्रन्थों के अनुसार यजुर्वेद की शुक्ल तथा कृष्ण दोनों शाखाओं में सामवेद का प्रभूत प्रशस्ति गान हुआ है।[9] यजुर्वेद संहिता में वीणा, बाण, तूणव, दुन्दुभि, भूमि दुन्दुभि, शंख तथा तलब आदि वाद्यों का उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ के निमित्त गाथा गान तथा वीणादि वाद्यों के वादन का उल्लेख मिलता है। वाङ्गमय स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन दास वर्ग में भी संगीत का प्रसार था। साम जैसे वैदिक संगीत के अतिरिक्त गाथा, नाराशंसी आदि लौकिक संगीत का प्रचार तत्कालीन जनता में था। गाथाओं के दो भेद गाये जाते थे, जिनमें विशुद्ध गाथाएं उच्च श्रेणीय मानी जाती थी, तथा नाराशंसी की निम्न श्रेणीय माना जाता था।[10] साम गान के साथ स्वर संगति तथा वीणा–संगति दोनों तत्कालीन महिलाओं की संगीत विषयक कुशलता का परिचायक थे।

मुख्य रूप से यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसर पर कर्मकाण्ड के लिए होता था।[11] इसमें चार गायक होते थे, जिनको क्रमशः होता, अध्यर्थ, उद्गात तथा ब्रह्मा कहते थे। यज्ञादि का संचालन अध्वर्यु नामक ऋत्विज करते थे।

चारो वेदों में अथर्ववेद का स्थान विशिष्ट रहा है। सुखपद एवं मंगलकारी मंत्रों को 'अर्थर्वन्' शब्द से अभिहित किया जाता है। अथर्ववेद में गन्धर्व तथा अप्सराओं का देवीकरण विशद रूप में पाया जाता है। ये अप्सराएं गंधर्वों की पत्नियाँ, अत्यन्त तेजस्विनी होती है और अपने नृत्य में सर्वत्र आनन्द का प्रसार करती हैं। इस काल में सुखद वैवाहिक जीवन की कामना हेतु गन्धर्वों की प्रार्थना की जाती थी तथा इस युगल को हबि प्रदान की जाती थी।

वाद्यों के अन्तर्गत आघाट, कर्कटी तथा दुन्दुभि का उल्लेख बारम्बार प्राप्त होता है। शत्रुओं को परास्त करने वाले साधनों में दुन्दुभि का विशेष विवरण अथर्ववेद में पाया जाता है। इस काल में दुन्दुभि लकड़ी की बनाई जाती थी तथा उसका मुख चमड़े का होता था। दुन्दुभि की गर्जन भरी ध्वनि वीरों के हृदय में पौरुष तथा शत्रुओं के हृदय में आतंक का संचार एक साथ ही करती है।

इस काल में 'गोपथ' नामक ब्राह्मण में 'विप्रो' के लिये संगीत निषिद्ध माना गया है।

सामगान की समृद्धि अथर्वकाल में हो चुकी थी। सामगान यज्ञ–कर्म के लिये ओज, बल तथा मंगल प्रदान करते हैं। अथर्ववेद में साम के पाँच विभाग हिंकार, प्रस्ताव, स्वर आदि का विवरण प्राप्त होता है। साम का गायन पितरों की इष्टपूर्ति हेतु होता था।

वेद चतुष्टयी में सामवेद का, प्राचीन सांगतिक दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। यही वह ग्रन्थ है जिसके रूप में भारतीय संगीत सरिता का स्रोत, अनादि रूप में प्रवाहित हो रहा है। कहा जाता है क साम संगीत से ही भारतीय संगीत का व्यवस्थित विकास हुआ। श्रीमद्भगवद्गीता में सामवेद को ईश्वरीय अंश माना गया है :– "वेदानां सामवेदोऽस्मि।" जैमिनीय सूत्र के अनुसार गाये जाने जाने वाले मंत्र 'साम' कहलाते हैं जो ऋचाओं के आश्रय से यज्ञ वेदियों के समक्ष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता रहा है। अतएव सामवेद, ऋग्वेद का गेय रूपान्तर मात्र है।[12] सामवेद के सभी मंत्र ऋग्वेद से ही संग्रहीत है अन्तर केवल यह है कि जहाँ ऋग्वेद का पाठ आधुनिक गायन से रहा, वहाँ 'सामवेद' का गायन विशिष्ट स्वराबलियों से युक्त शास्त्रीय संगीत के समान रहा। साम का स्वरमय स्वरूप जिस ग्रन्थ से संकलित हुआ है, उसे 'गान–संहिता' अर्थात् "मान–ग्रन्थ" संज्ञा प्राप्त है। साम का आरम्भ 'ओम्' स्वर से किया जाता है– "ओमिति समान गायन्ति" (तैत्तरीय उपनिषद् 81) सामगान का अवसान भी इसी स्वर से होता है।

यज्ञ में देवताओं की आराधना, सामवेदीय मंत्रों द्वारा की जाती थी। गांधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना गया है। ऋचाओं के ही संगीतमय परायण से सामगान का प्रथम विकास ऋषियों द्वारा किया गया। ऋचा सामगान का आधार है, जैसे छांदोग्य उपनिषद् से वर्णित है– "ऋचि अध्यूढं साम गीतये" सामगान का सम्बन्ध वेदाध्यायी वर्ग से रहा है।

वैदिक वांगमय में स्वरान्त् त्रिविधि बताए गये हैं–

"आर्थिक, गाथिक और सामिक"। मुख्यतः जिन स्वरों का व्यवहार होता है, वे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहलाते हैं। वैदिक काल में मंत्रों का गान इन्हीं स्वरों के आधार पर होता रहा।

पाणिनी ने सप्तस्वरों को उदात्त, अनुदात्त व स्वरित के अन्तर्गत इस प्रकार विभाजित किया है–

उदात्ते निषाद गांधारावनुदात्ते ऋषभ धैवतो।

स्वरित प्रभवां ह्येते षड्जमध्यम पंचमाः।।

पतंजलि के अनुसार 'स्वर' वे हैं जो स्वयं विराजित होते हैं–

"स्वयं राजन्ते इति स्वराः।"

अर्थात् उदात्त अनुदात्त स्वरित

नि, ग रे, ध स, म, प

सामगान में छन्द गेय होते थे। उस समय इन छन्दों को एक विचित्र स्वर विन्यास के साथ गाने की प्रथा थी। सामगान के मुख्य तीन भाग होते थे– प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। उनके तीन उपांग–हिंकार, उपद्रव व निधान थे। आगे चलकर इन्हीं में से ध्रुपद के चार पद बने।

साम गायन के दो रूप प्रचलित थे।

1. आर्थिक 2. गान संहिता

आर्चिक में ऋग्वेदीय ऋचाओं के बोल थे और गान संहिता में केवल गीत के बोल थे। गायन का रूप देने के लिए कुशल गायको को थोड़ा परिवर्तन करने की छूट थी।

सामगान का साहित्य भी बहुत विशद है। विद्वानों के अनुसार सामवेद की आर्थिक संहिता में कुल 8000 (आठ हजार) मंत्र थे और उनके गायकों की संख्या 14820 ;चौदह हजार आठ सौ बीसद्ध थी।

संगीत के विकास की दृष्टि से वैदिक काल में तैत्तरीय उपनिषद्, ऐतरेय उपनिषद्, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का यथेष्ट दिग्दर्शन किया गया।

वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्त्व था। वीणा वाद्य के अनेक नाम थे, जैसे– महती, पिनाकी, कात्यायनी, रावणी, मत्त, घोषवती, कच्छपी, कुजिंगा आदि। इस काल की एक विशेष उपलब्धि स्पष्ट होती है– कि आर्यों ने संगीत में परिवर्तन लाने हेतु इसे धर्म के आवरण में लपेट दिया। यह उसी का परिणाम है कि भारतीय संगीत आज भी अपनी उच्च मर्यादा को अक्षुण्ण रख सका। धर्म और संगीत का सामंजस्य हो जाने से संगीत गंगाजल के समान पवित्र हो गया। आर्यों के जीवन का प्रत्येक क्षेत्र संगीतमय था। इन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने हेतु संगीतमय स्तुति का माना। वैदिक काल की मान्यता रही है कि "संगीत की सत्ता से पृथक ईश्वर की सत्ता नहीं है।"

सन्दर्भ–सूची

1. मतंग, वृहद्देशी श्लोक 16
2. शारंगदेव, संगीत रत्नाकर 1–2
3. शारंगदेव : संगीत रत्नाकर, प्रथम अध्याय, श्लोक 21

4. द्र0 पूर्व मेघ, 56 (वही)
5. प्राप्त–पृ0सं0 4 भारतीय संगीत का इतिहास शरद्चन्द्र परांजये
6. स्वतन्त्र शर्मा, भारतीय संगीत एक ऐतिहासिक विश्लेषण, पृ0 8
7. राम अवतार वीर, भारतीय संगीत प्रथम भाग, पृ0 42
8. डॉ0 शरद चन्द्र परांजपे यास्क के अनुसार स्त्रोम गायन की विधि अत्यन्त प्राचीन है ऋषि दर्शनात् स्तोमान ददर्श" (नैगमकाण्ड 2–11) प्राप्त भारतीय संगीत का इतिहास, पृ0 45
9. डॉ0 शरद् चन्द्र परांजये' भारतीय संगीत का इतिहास, पृ0 27
10. वही, पृ0 38
11. स्वतन्त्र शर्मा भारतीय संगीत का इतिहास, पृ0 14
12. संगीत, मार्च 89

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

वर्तमान भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता एवं महत्व - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ सुषमा पाठक
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजामोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज, अयोध्या , उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 155-160
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा यहाँ समान धर्मनिरपेक्ष अचार संहिता का होना अति आवश्यक है। शिक्षा में वृद्धि , जागरूकता ,सद्भावना ,सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर उचित एवं वैध चर्चा करके हम समान नागरिक संहिता को वास्तव में सफल बना सकते है एवं समानता, एकता तथा एकीकरण की भावना का विकास कर राष्ट्र के विकास में तीव्रता ला सकते है ।

मुख्य शब्द– नागरिक, संहिता, समाजशास्त्रीय, भारत, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र /

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं अर्थात यहाँ किसी धर्म में भेदभाव ना होकर सभी धर्म एक सामान हैं । धर्मनिरपेक्ष भारत को एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता हैं । भारतीय समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा हैं एवं जटिलता की तरफ उन्मुख हैं अत: देश के संचालन में सहूलियत लाने के लिए यह आवश्यक हैं की व्यक्तिगत कानून में समानता लायी जाये। भारत के संविधान को निर्मित हुए आज बहत्तर वर्ष हो गए हैं किन्तु संविधान के भाग चार के अनुच्छेद **44** जिसमें यह उल्लेख हैं की "नागरिको के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान अधिकार हो " आज भी यथार्थ नहीं हो सका । यह शोधपत्र वर्तमान भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता एवं महत्व के साथ-साथ इसके इतिहास एवं इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता हैं । इस शोधपत्र के लिए विभिन्न प्रमाणित साहित्य , शोधपत्रों , समाचार लेखों एवं पुस्तकों का गहन अध्ययन किया गया हैं ।

“आइए हम अवसरों से युक्त एक ऐसे देश का निर्माण करें, जहां कानून के सामने हर कोई समान हो और जहां खेल के नियम न्यायसंगत, पारदर्शी और सभी के लिए समान हों।”

– वलोडिमिर ज़ेलेंस्की

समानता एक देश के प्रगति का प्रतीक हैं अर्थात जब एक देश, जात–पात,धर्म–समुदाय अमीरी–गरीबी से ऊपर उठ कर अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता हैं तभी वह प्रगति एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं अर्थात यह किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता एवं धार्मिक संस्थाओ के आधार पर निर्णय नहीं लेता, ना ही धार्मिक मामलों में हस्ताक्षेप करता हैं । भारत विश्व का द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हैं एवं यहाँ अत्यधिक

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

विविधता पायी जाती हैं, यहाँ उनके धर्म , समुदाय , जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं । अनेक भाषा, धर्म, रीति-रिवाज़, एवं विश्वास आदि के होते हुए भी भारत में एकता पायी जाती हैं । भारत में अनेकता में एकता देखने को मिलती हैं । 1990 के दशक से भारत में तीव्र गति से विकास हो रहा हैं अत: यहाँ विकास एवं प्रगति के साथ अनेक जटिलताएं समाहित हो रही हैं। भारत की स्वतंत्रता एवं संविधान निर्मित होने से लेकर वर्तमान समय तक अनेक ऐसे मुद्दे सामने आये हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय एवं समाज में बदलाव लाने की ओर इशारा किया हैं । सामान नागरिक संहिता उसमे से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं , जिसको क्रियान्वित करने का उल्लेख हमारे संविधान में भी हैं ।

समान नागरिक संहिता कोई नयी अवधारणा नहीं है, यह ऐतिहासिक समय से चर्चा में है । समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) का अर्थ है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून का होना अथवा धर्मो के निजी वा व्यक्तिगत लॉ में एकरूपता लाना ।1775-1778 के बीच भारत में हिन्दू एवं मुस्लिम लॉ को यूरोपियन न्यायाधीशों की सहूलियत के लिए संकलित किया गया । इसके पश्चात 1835 में अंग्रेजी सरकार ने कोडिफिकेशन की बात आरम्भ की जिसमे इन्होने आपराधिक एवं साक्ष्य आदि से सम्बंधित कानूनों को कोडिफाई करना आरभ किया किन्तु हिन्दू एवं मुस्लिम के पर्सनल लॉ को इससे पृथक रखा। कोडिफिकेशन का अर्थ है कई सम्बन्धित कानूनों को व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित करना । स्वतंत्रता के पूर्व अनेक कारणों से सरकार को 1941 में बी.एन राव समिति का गठन करना पड़ा जिसने हिन्दू लॉ को कोडिफाई कर दिया, हालाँकि यह प्रक्रिया 1950 तक चली एवं हिन्दू लॉ का संसोधन करके इसे कोडिफाई कर दिया गया किन्तु मुस्लिम लॉ अपरिवर्तित रहा ।

1951 में डॉ भीमराव आंबेडकर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दू कोड बिल लाने की बात की तो इसे धर्म विशेष तक सिमित रखने के लिए उनके विवाद छिड़ गए ,अत: यह साफ है की समान नागरिक संहिता का मामला पहले से ही भारत में विवाद का विषय रहा है। ऐसे भिन्न-भिन्न कानून को देखते हुए समान नागरिक संहिता के सुझाव को सामने प्रस्तुत किया जाता है। समुदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून ज्यादातर प्रतिगामिता से भरे हुए होते है एवं परिवर्तन के विरोधी होते है । प्रतिगामी प्रकृति को इसलिए सही कहा जाता है क्योकि यह कानून पितृसत्तात्मक सत्ता में परिवर्तन के प्रतिरोधी होते है, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर यह साबित किया है की निजी अथवा व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन लाया जा सकता है । 21वी सदी के समकक्ष चलने के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कानून प्रतिगामी प्रकृति के न हो, यदि प्रतिगामी सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्टभूमि निर्मित होती है तो इससे राष्ट्र के विकास एवं इसकी अर्थव्यवस्था पर अति घातक प्रभाव पड़ता है एवं पिछड़े पन में वृद्धि होती हैं । भारत में धर्म को जीवन जीने का तरीका मन जाता है , यह उचित है की हमे अपने धार्मिक विश्वासों एवं संस्कृतियों को सदैव जीवित रखना चाहिए किन्तु बदलते वक़्त के साथ कुछ कुरीतियां जो धर्म के नाम पे किसी का शोषण कर रही है उनका उन्मूलन अति आवश्यक है , सती प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रतिबन्ध, तलाक़-ए-बिद्दत पर प्रतिबन्ध आदि इस दिशा में कुछ विशेष कदम उठाये गए जिसने देश में समानता एवं न्याय की भावना पल्लवित की।

जैसा की भली-भाँति ज्ञात है, सामाजिक परिवर्तन लाना सरल कार्य नहीं है, जब भारत एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा से आगे बढ़ रहा है यदि महाशक्ति बनना है तो भारत की 50 % जनसंख्या जो की महिलाएं है उनको भी पितृसत्तात्मक विचारधारा एवं अधिक्रमण से मुक्त करा ना होगा अत: विकास के मार्ग पर आने के लिए "एक देश, एक कानून" के विचार को क्रियान्वित करना होगा। यह जरूरी नहीं है की समाज द्वारा स्वीकृत नीतियाँ समानता एवं लैंगिक समानता के मापदंड पे खरी उतरे, कुछ मुद्दे ऐसे होते है जो लम्बी लड़ाई की शुरुआत करने में सक्षम होते हैं। यह बात हमारे संविधान में अत्यंत स्पष्ट है की भारत जैसा देश जो मानवता , गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता पर चलता है यह किसी धर्म अथवा जाति का पक्ष नहीं

ले सकता किन्तु इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे भी उल्लिखित है जो धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देते है इसी कारण अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। इन्ही निजी कानूनों की छत्रछाया में अनेक धार्मिक विभेद के मामले हमारे प्रत्यक्ष आते ही रहते है एवं न्यायपालिका को न्याय देना पड़ जाता है। सर्वोच्च न्यायलय ने कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की अवश्यकता पर जोर दिया किन्तु राजनीतिक दल एवं सांप्रदायिक नेताओ के कारण अभी तक यह एक स्वप्न ही बन कर रह गया है । भारतीय जनता पार्टी जो अभी शासन में है कई बदलावों को लाके सामाजिक प्रगति का प्रयास कर रही है, अत: अपने बिल में समान नागरिक संहिता लाने पर बल दिया है एवं इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ कर दिया है ।

“कानून की आड़ में और न्याय के नाम पर जो अत्याचार किया जाता है, उससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं है।”

-मॉन्टेस्क्यू

1980 में एक धार्मिक मुद्दे ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार की परीक्षा ली एवं सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मंच तैयार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मुस्लिम महिला शाह बानो हज़ारो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। शाह बानो बेगम 62 वर्ष की उम्र में अप्रैल 1978 में अपने पति मोहम्मद अहमद खान (इंदौर के जाने माने वकील)द्वारा तलाक़ दिए जाने पर सेक्शन 125 (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973) के तहत अपने पति से जीवन यापन राशि प्राप्त करने के लिए लोकल कोर्ट में याचिका दायर की। इनकी इस याचिका के प्रतिउत्तर में मोहम्मद अहमद खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) का हवाला देते हुए निर्वाह निधि सिर्फ इद्दत अवधी तक प्रदान करने की बात कही एवं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके इस प्रतिउत्तर में इनका साथ दिया । आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो इससे मुस्लिन पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 का उल्लंघन होगा इसके उपरांत भी शाह बानो लोकल कोर्ट से मुकदमा जीत गयी एवं कोर्ट द्वारा 15 रुपये की जीवन निर्वाहन राशि तय की गयी । 1980 में पुन: शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जीवन निर्वाहन राशि को 179.80 करने की अपील की एवं इनके हक़ में फैसला लिया गया । इसके पश्चात मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचता है तथा 1980- 85 पांच साल की लम्बी अवधि तक न्यायिक जंग चलती है एवं सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग समानता के मुद्दे को सामने रखते हुए अप्रैल 23 1985 में फैसला शाह बानो के हक़ में सुनाया किन्तु कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक लाभ देखते हुए 1986 में वर्डिक्ट ख़ारिज कर दी । शाह बानो ने वर्डिक्ट वापिस ले ली किन्तु इस निर्णय से ट्रिपल तलाक़ में इजाफा देखने को मिला ।

1986 के बाद 2019 मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मैरिज लागु होने तक मध्य प्रदेश में 2280 मामले रिपोर्ट किये गए वही पे 2019 के बाद इनकी संख्या गिर के 32 हो गयी , कुछ ऐसा ही हाल वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आन्द्र प्रदेश, केरला, असम में भी देखने को मिला । इसी प्रकार रिजवान अहमद द्वारा 2016 में ट्रिपल तलाक़ (तलाक़- इ -- बिद्दत) देने पर शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की । सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशो की बेंच के बैठक में 3:2 की बहुमत से याचिका को स्वीकार करते हुए 22 अगस्त 2017 में ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक करार दिया एवं 2019 में दा मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मर्रिएजेस) एक्ट 2019 लागू किया, जिसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया । इसी प्रकार राजस्थान की मीना जनजाति की प्रतिभा मीणा ने आदिवासी संघ का निर्णय न मानते हुए एवं हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक़ के लिए फॅमिली कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की । समान नागरिक संहिता के आभाव में आये दिन अनेक मामले सामने आते रहते है, यह दर्शाता है की हमारे देश की उन्नति एवं व्यवस्था के लिए समान कानूनी नियम लाना अति आवश्यक है ।

आधुनिक समाज में आधुनिक विचारधारा के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुचछेद 44 में भारत के नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के विषय का उल्लेख है, इसमें सरकार को धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा भाषा से ऊपर उठ कर एक जैसा कानून बनाने एवं मानवीय गरिमा बनाये रखने की बात कही गयी है किन्तु यह अनुच्छेद आज भी उपेक्षा का पत्र बना हुआ है । पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे विश्व के अनेक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है एवं भारत में वर्ष 1961 से गोवा में भी समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू है । संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है तथा पिछले कुछ दिनों से उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने की बात ने तीव्रता धारण की है । समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली अनेक याचीकाये दिल्ली के हाई कोर्ट में लंबित है । सर्वोच्च न्यायालय में सभी धर्म की महिलाओं के लिए विवाह सम्बन्धी ,एक सामान कानून, विवाह की समान उम्र, तलाक़ देने का समान अधिकार, गोद लेने का समान अधिकार, गुजारा भत्ता, मुस्लिमो में बहुविवाह को प्रतिबंधित करने से सम्बंधित कई मामले लंबित पड़े हुए है अत: यह सभी विषय भारत के नागरिकों के लिए सिविल कानूनों की मांग करते है ।

"मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता , समानता , और भाई -चारा सीखाये।"

-बी. आर. अम्बेडकर

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह, तलाक़, बच्चा गोद लेना एवं संपत्ति के बटवारा, गुजरा भत्ता एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों पर एक समान कानून को लेन का लक्ष्य है जिससे पारिवारिक सम्बन्ध एवं अधिकारों में समानता आएगी। वर्तमान समय में हमारे धर्म, जाति, समुदाय एवं परंपरा के नाम पर विभिन्न नियमों को संचालित होने का अधिकार प्राप्त है जैसे -- किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पे रोक है तो किसी में शादी की उम्र कम है, किसी में बहुविवाह की अनुमति है तो किसी में पत्नी का संपत्ति पे अधिकार ना होना है। संविधान निर्मित होने के समय इस मुद्दे पे चर्चा की गयी थी किन्तु उस वक्त सामुदायिक परिस्थितियों ने इसके क्रियान्वयन को भविष्य में संभव बताया । 1954- 55 में अनेक अवरोधों के पश्चात भी समकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिन्दू कोड बिल लाया जिससे विवाह और उत्तराधिकार विस्यक कानून हिन्दुओं के साथ- साथ बौद्ध, जैन एवं सिख समुदायों पर लागू हुए किन्तु मुस्लिम, क्रिस्चियन, जनजाति और पारसी समुदायों को अपने धार्मिक कानूनों पर चलने का अधिकार प्राप्त हुआ । शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ आज महिलाओं को भी अपने अधिकारों की जानकारी है एवं अब वह समय आ गया है जब समान नागरिक संहिता के स्वप्न को साकार किया जाये ।

"क़ानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा ज़रूर दी जानी चाहिए।"

-बी. आर. अम्बेडकर

समान नागरिक संहिता भारत में एकीकरण लाएगा तथा अनेकता में एकता के विचार को अधिक सशक्त करेगा , एक बार लागू होने पर यह संहिता विभिन्न धर्मो एवं संस्कृतियो के लोगो को एक कानून के दायरे में लाएगा इससे जन में समानता की भावना का विकास होगा । यह संहिता विभिन्न कानूनो जैसे शरीयत लॉ , हिन्दू कोड बिल आदि का सरलीकरण करने में सहायता करेगा साथ ही साथ विवाह , उत्तरधिकार, गोद लेने जैसे जटिल कानूनों को एक करके उनमें सरलता लाएगा । यह संहिता निजी कानून जोकि दशको से पारम्परिक मूल्यों पर न्यायिक विकल्प के रूप में चल रहे थे उन्हें हटा देगा । समान नागरिक संहिता से वास्तव में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, यदि यह संहिता लागू की जाती है तो इससे नागरिको की

स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी बल्कि इससे उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त होगा। यह संहिता उस वोट बैंक के सामुदायिक राजनीति पर पूर्णविराम लगा देगा जिसको अनेक राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए मोहरा बना के उपयोग करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 जोकि धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते है वे समान नागरिक संहिता से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे।हिन्दू कोड बिल से हिन्दुओ में एक शादी को मंजूरी दी गयी, तलाक़ का अधिकार समान किया गया, पुत्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिला, उत्तराधिकार एवं तलाक़ के बाद भरण- पोषण का अधिकार प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता यह नहीं कहता की विवाह किस प्रकार हो या परम्पराएं बदले, न ही खान-पान, पूजा, वेश- भूषा के बदलाव पर जोर देता है किन्तु कुछ धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा मांनने वाले समूह इसे धर्म की आढ़ में ले लेते है और इसको लागू नहीं होने देना चाहते। नागरिक संहिता से लैंगिक समानता आएगी एवं महिलाओ के सशक्तिकरण का मार्ग निर्मित होगा , विभिन्न धर्मो की महिलाए अपने आपको वंचित नहीं महसूस करेंगी । भिन्न-भिन्न कानून होने के कारण हमारी न्यायपालिका पर अत्यधिक कार्य का भार पड़ता है अत: समान नागरिक संहिता के आने से अनेक लंबित मामलो का फैसला जल्द होगा साथ ही साथ इससे न्यायपालिका को अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी । समान नियमों के आने से न्यायपालिका तीव्र गति से मामलो पर सुनवायी कर सकेगी और नागरिकों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे, समय एवं शक्ति की बचत के साथ समानता की भावना का भी विकास होगा । 2003 में समकालिक प्रधानमंत्री डॉ अब्दुल कलम ने भी इस संहिता का समर्थन किया था ।आज के भारत का शिक्षित वर्ग इसके महत्व को समझता है तथा इसका समर्थन भी करता है साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी इसको लागू करवाने का अथक प्रयास कर रही है।

डॉ. ताहिर महमूद, समाजशास्त्री-सह-विधिवेत्ता समान नागरिक संहिता को पूर्ण रूप से लागू करने के पक्ष में है, प्रगतिशील एवं जागरूक मुसलमानों का यह विचार है की समान नागरिक संहिता से शरीयत में जो कमियां है उनका सुधर होगा, वह यह भी कहते है की मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से दूर हैं।

"मानवीय उन्नति ना तो स्वचालित है और ना ही अवश्यंभावी न्याय के उद्देश्य की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक कदम समर्पित व्यक्तियों का अनथक परिश्रम, उत्कृष्ट अभिरुचि, त्याग, पीड़ा और संघर्ष चाहता है। सही काम करने के लिए समय हमेशा सही होता है।"

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

समान नागरिक संहिता लाने के लिए जन को शिक्षित एवं जागरूक करना होगा, यह मार्ग कठिन है किन्तु उचित तरीके से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तथा यहाँ समान धर्मनिरपेक्ष अचार संहिता का होना अति आवश्यक है। शिक्षा में वृद्धि , जागरूकता ,सद्भावना ,सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों पर उचित एवं वैध चर्चा करके हम समान नागरिक संहिता को वास्तव में सफल बना सकते है एवं समानता, एकता तथा एकीकरण की भावना का विकास कर राष्ट्र के विकास में तीव्रता ला सकते है ।

संदर्भग्रंथ सूची-

1."Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code". Hindustan Times. 22 नव॰ 2017

2. Modern Indian Family Law Archived 2013-10-15 at the Wayback Machine - by Werner Menski
3. Ratnaparkhi, M. S. (7 अप्रैल 1997). "Uniform Civil Code: An Ignored Constitutional Imperative". Atlantic Publishers & Dist.
4. "Occasional Paper 7: Islamic Law and the Colonial Encounter in British India । Women Reclaiming and Redefining Cultures". www.wluml.org.18 अक्तूबर 2016
5.TOWARDS A UNIFORM CIVIL CODE
6."Ambedkar with UCC". Outlook India. 14 अप्रैल 2016
7. "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle । India News - Times of India". The Times of India. 4 नवंबर 2017
8."सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की खोली आंखें, कहा- एक देश एक कानून की दिशा में बढ़ो आगे". Dainik Jagran. 26 सितंबर 2019
9."देश में समान नागरिक संहिता के लिए नहीं हुए प्रयास: सुप्रीम कोर्ट । DD News". ddnews.gov.in
10.Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. ISBN 978-0198077121.
11.Ramchandran, Smriti Kak (6 August 2020). "BJP, RSS hope for consensus on Uniform Civil Code". The Hindu.
12.Pathak, Vikas (1 December 2015). "Ambedkar favoured common civil code". The Hindu...
13.Purandare, Vaibhav (8 September 2017). "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle". The Times of India.

वेबसाइट लिंक-

1. https://www.brainyquote.com/topics/law-quotes
2.https://www.aajtak.in/india/story/know-about-uniform-civil-code-beyond-politics-375466-2016-07-07
3.https://timesofindia.indiatimes.com/india/how-muslim-fears-were-allayed-and-the-ucc-became-a-directive-principle/articleshow/60417611.cms
4.https://www.scobserver.in/cases/shayara-bano-union-india-triple-talaq-case-background/
5.https://www.jivansutra.com/quotes/martin-luther-king-jr-quotes-in-hindi/

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बृजक्षेत्र के लोक जीवन में लोक नाट्य

डॉ0 रुचि पाण्डेय
एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, आगरा कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 161-163
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– आधुनिक नाटकीय प्रयोगों ने आनन्द को जनमानस से छीन लिया है। तनाव, कुण्ठाओं से परिपूर्ण जीवन में रससिकता अपर्याप्य है। घर के बन्द कमरे में टेलीविजन या कम्प्यूटर पर देखी जाने वाली फिल्मों में वो आनन्द कहाँ जो खुले मंच पर अभिनीत किये जाने वाले लोकनाट्यों से प्राप्त होता था। आवश्यकता है सरकार द्वारा लोकमंगल व विकास के लिए प्रयास की, जो शिथिल होती लोक कला को जीवन्तता प्रदान करने वाली औषधि के रूप में कार्य कर सके साँय से प्रभात तक अनवरत देखी जाने वाली लोक प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहन के दो शब्द नहीं, कार्यरूपता चाहिए।

मुख्य शब्द–बृजक्षेत्र, लोक, जीवन, लोक नाट्य, भारत, संस्कृति।

भारत विभिन्न प्रान्तों का देश है जहाँ लोक जीवन, संस्कृति परम्पराओं में विभिन्नता होते हुए भी एकरूपता दृष्टिगोचर होती है जिसका प्रमुख कारण है आनन्द की अनुभूति और यहीं से जन्म होता है लोकनाट्यों का विशेष रूप से बृज क्षेत्र के लोक जीवन में लोक नाट्य विषय पर चिन्तन करने से पूर्व कपितय बिन्दु विचारणीय है।

1. नाट्य व लोक नाट्य में अन्तर : दशरूपकार धनंजय नाट्य शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं ''अवस्थानुकृतिर्नाटयं'' काव्य में वर्णित धीरोदात्तदि नायक की अवस्थाओं का अनुकरण कर एकरूपता, तादात्मय स्थापित करना ही ''नाट्य'' है जोकि आङ्गिक वाचिक, सात्विक, आहार्य द्वारा स्थापित किया जाता है। नियम व सीमा में आबद्ध होने से साथ ही कथावस्तु गतिशील होती है।

लोकनाट्य जब नाट्य में लोकशब्द जुड़ता है तो उसका अर्थ शास्त्रीय कोटि से भिन्न हो जाता है। शास्त्रीय नियमों के कठिन मार्ग को छोड़कर सामान्य जनजीवन की प्रथाओं, विश्वासों, परम्पराओं, रीतियों को अभिव्यक्त करने वाला भाव ही लोक नाट्य है, जिसमें नागरिक, ग्रामीण और जंगली सभी प्रकार के लोग सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में जब मानव, पर्वों, ऋतुउत्सवों, यज्ञानुष्ठानों पर मनोरंजनस्वरूप आसपास के जीवन से जुड़ी घटनाओं का अनुकरण कर अभिनय करता है, वही लोक नाट्य है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

बृजक्षेत्र में लोकनाट्य की विधाएँ–

बृजक्षेत्र के अन्तर्गत आगरा मण्डल, मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, महावन, गोवर्द्धन, बरसाना, हाथरस, सासनी आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचलित लोकनाट्य की विधाओं में रासलीला, रामलीला, भगत, नौटंकी, स्वाR आदि प्रमुख हैं। इन विधाओं में 'रास' सबका उद्गम स्थान है, जिसमें आनन्द की प्रतीति ही उसका प्रयोजन है। रासलीला ने दो शताब्दियों तक भक्ति आन्दोलन के सन्देश को जन–जन तक पहुँचाया था।

रामलीला–पिछले पचास वर्षों में बृज की ''रामलीला'' विख्यात रही है। बृजभाषा की मधुर गायन शैली में रामचरित का मंचन उसकी प्रसिद्धि का कारण है।

स्वाR–स्वाRमुक्त रंगमंच पर ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक कथासार को लोक वाद्य नक्कारे की ताल पर प्रस्तुत किया जाता था। इसके माध्यम से होली आदि पर्वों पर भी नाना रूपों का अभिनय कर हास्य की प्रस्तुति की जाती है।

भगत–प्रारम्भ में, भक्तिपरक आख्यानों से जुड़े होने के बाद ऐतिहासिक व सामाजिक आख्यानों को सम्मिलित कर लिया गया। इस विद्या में ''नृत्य'' नहीं है। नगाड़ा, हारमोनियम, ढोलक, चिमटा, कटोरी आदि वाद्य मंत्रों के प्रयोग के साथ पद्यात्मक कथानक की प्रस्तुति की जाती थी। भगत का सर्वप्रथम उल्लेख ''फजल रचित'' ''आइन–ए–अकबरी'' में मिलता है। गायकी इसकी विशेषता है। भगत का प्रादुर्भाव ''बिसन बिरहम'' द्वारा अमरोहा में कया गया था। बाद में श्री जौहरी राय 1827 में इसे आगरा लाये थे। यहीं से आगरा की पुरानी बस्तियों में अखाड़ों का जन्म हुआ। आज आगरा में 18 अखाड़े हैं। 2005, 2015 में ताज महोत्सव में भी इनका मंचन किया जा चुका है। यह पूर्णतः निःशुल्क है जिसमें हर वर्ग आनन्द का अनुभव करता है।

नौटंकी–सम्भवतः यह संस्कृत के भाग ''मुकुन्दान्द'' और ''रससदन''की परम्परा है। इसमें मूलतः श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस विद्या में स्त्री पुत्र भी अभिनय करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने ''औथेलो'' नाटक (शेक्सपीयर) को नौटंकी में ढालकर अद्भुत प्रस्तुति दी है जो एक नवीन प्रयोग है।

इनके अतिरिक्त प्रहसनों में ''खोइया'' बृज क्षेत्र में प्रचलित है जिसकी विवाहादि पर स्त्री पात्रों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है।

कृत्रिम उपकरणों या आडम्बरपूर्ण साज सज्जा से मुक्त ये विधाएँ, मुक्त रंगमंच यथा चौपाल का चबूतरा, मन्दिर का आहाता या खुले मैदान में लगाए गए दो–चार तख्त पर अभिनीत हो जाती है। जनता

खुले मैदान में बैठकर या खड़े होकर नाटक का आनन्द लेती है। ऐसी विधाओं का शनैः—शनैः लुप्त होना चिन्तनीय है। ये विधाएँ लोक—आस्थाओं का प्रतीक है जिसने अतीत से लेकर अब तक निरन्तर जनरंजन किया है। वर्तमान में मद्धिम पड़ती इन श्वासों को जीवन्त रखने की आवश्यकता है। आधुनिक नाटकीय प्रयोगों ने आनन्द को जनमानस से छीन लिया है। तनाव, कुण्ठाओं से परिपूर्ण जीवन में रससिकता अपर्याप्य है। घर के बन्द कमरे में टेलीविजन या कम्प्यूटर पर देखी जाने वाली फिल्मों में वो आनन्द कहाँ जो खुले मंच पर अभिनीत किये जाने वाले लोकनाट्यों से प्राप्त होता था। आवश्यकता है सरकार द्वारा लोकमंगल व विकास के लिए प्रयास की, जो शिथिल होती लोक कला को जीवन्तता प्रदान करने वाली औषधि के रूप में कार्य कर सके साँय से प्रभात तक अनवरत देखी जाने वाली लोक प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहन के दो शब्द नहीं, कार्यरूपता चाहिए।

सुझाव—

1. लोकनाट्य हेतु विश्वविद्यालय, संस्थान स्थापित किये जायें तथा विश्वविद्यालयों में अलग से विभाग बनाये जाएँ।
2. विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में इसका समावेशन किया जाये जिसके फलस्वरूप बृज अंचल के लोकपात्रों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा सके।
3. देश—विदेश में लोकनाट्य मंचल करने हेतु अवसर प्रदान किये जायें।
4. लोक नाट्यों से जुड़े कलाकारों को जीविका के साथ—साथ सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाये।

''शुभाशया;''

अनुक्रमणिका

1. दि0 के0 वे देकर नाट्यशास्त्र एवं सांख्य दर्शन में भाव आलोचना (जनवरी—मार्च—१६६१)।
2. भारतमुनि का नाट्यशास्त्र।
3. डॉ0 देवी शंकर अवस्थी—बृजभाषा काव्य में प्रेमाभक्ति।
4. कृष्ण दत्त बाजपेयी—ब्रज का इतिहास।

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Impacts of Digitalization in The Agriculture Sector

Ragini Agrawal
Ph.D. Associate Professor, Department of Economic, K.R. Girls (P.G.) College, Mathura, Uttar Pradesh, India

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 164-172

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

Abstract : Like every sector, digitalization has impacted the traditional manufacturing sector and helped the entrepreneurs find solutions to the rudimentary problems faced by everyone involved in the field. The major problems that are faced by the farmers in 21st century India are the size of farm lands, dependency on monsoon for irrigation, dependency on quality seeds, fertilizers and pesticides and subsidies, storage and financing and lastly transportation. These problems are being solved with the adaptation of digitalization and real time monitoring of raw material and produce. And All of this has been made possible with the entry of young and talented entrepreneurs who have revolutionized the space and set in flow a model where each farmer is now a part of the system and it now need not worry about the other factors and simply focus of his/her expertise, i.e growing crops to feed the population. This has resulted in higher prosperity and less wastage, and them getting a fair price for their produce.

Keywords: Agripreneurship, Agriculture entrepreneurship, Agri-startups, Indian Agriculture, Agriculture productivity.

Impacts of Digitalization in the Agriculture Sector Based on a layman's outlook on the commodity space it portrays that the grass is greener if we consider the Agriculture sector, which based on the recent trends has shown us a positive growth in the previous quarters. We witnessed that the exports surged considerably during the worst hit months of March – June, which could be very well attributed to the surprising surge in the food grain production.

The major causes of this considerable growth in the sector at a time when all others were declining and laying off the work-force just to stay afloat can be attributed to the following:

- Deregulation of the agriculture markets
- The much needed amendments of essential commodities act
- The government's support and assurance of a minimum support price to the farmers.
- The additional assistance provided to them in forms of various schemes and aides in the exports.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

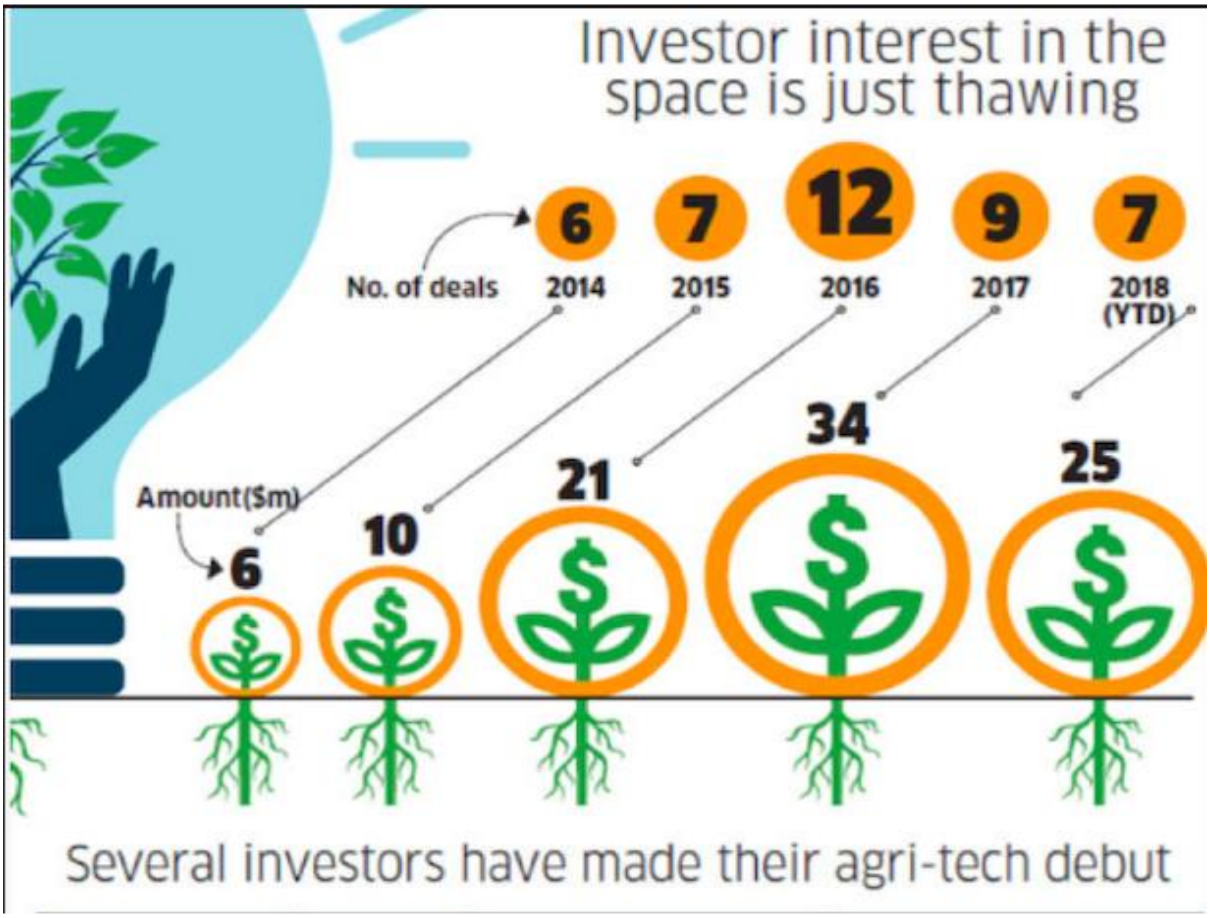

Source: Economics times

However, none of the above points comes close when we talk about the addition to the growth of this sector than the rise of "Agripreneurship" which can be defined as the Involvement of young and Dynamic entrepreneurs with Agriculture goods and its by-products being their product of focus. Their involvement and incorporation of modern technology not only brought successfully farming techniques from various parts of the world which have been perfected over time and have started yielding results. Along with this they streamlined the services like transportation with real-time monitoring and quality-testing of the produce which significantly aided the farmers and encouraged them in the dire times.

These Agri-startups saw a massive support from the governments (both state and national) in terms of relaxed norms and massive investment (more than 11 crore rupees were invested in 112 Agriculture based startups in 2021 alone, with a promise to invest an amount of upward of 37 crores in the coming years.

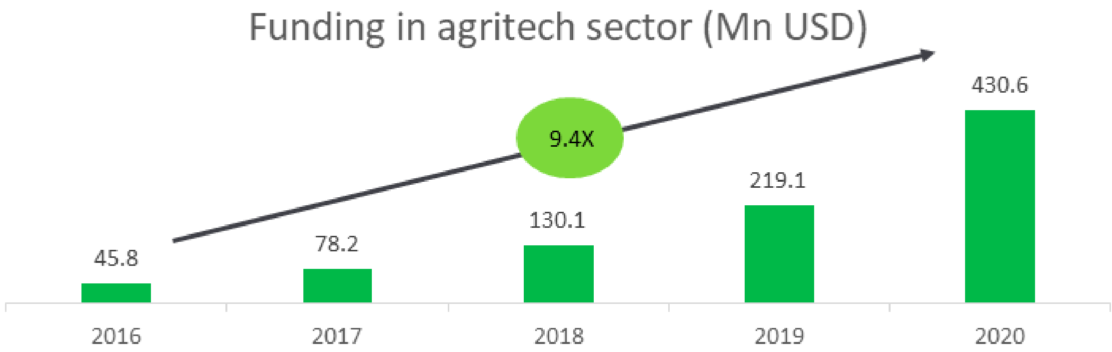

Source: SeedtoScale

When trying to decode what exactly is the road ahead for these agri-startups along with the kind of stimulus they require from the private as well as government institutes to make sure the Agriculture sector as a whole continue the bull run it started. Let us start by analysing the major challenges these agri-startups face and also see the workarounds which are implemented to overcome these challenges to make this a viable business option.

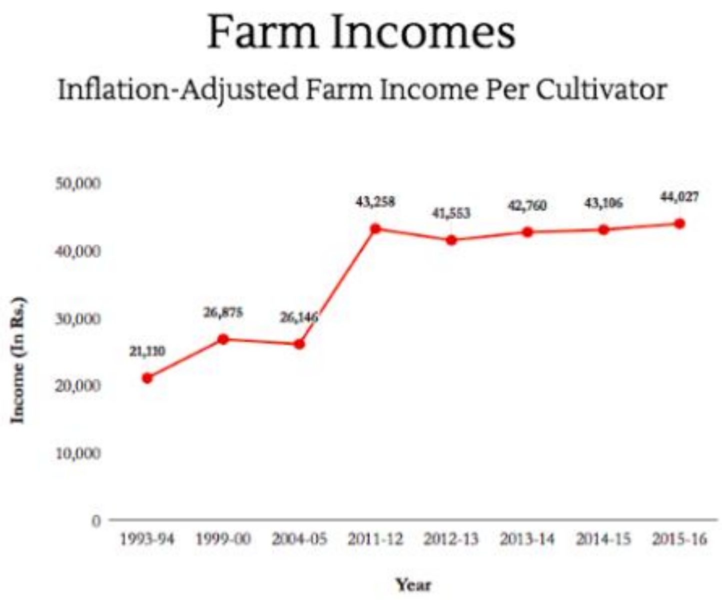

Source: NITI Aayog

Challenge 1: Small Farm land size

India has been an agriculture based economy. The same piece of land has been divided among all the members of the next generation and this practice has been going on for generations. Which has resulted in each farmer holding only a marginal piece of the original land. According to the data released by the government of India more than 86.2% of farmers have a land holding of less than 2 hectare in India which results in declined productivity, along with this the land is also not available as a whole, rather it is fragmented which further increase the operational and optimum use of resources.

Workaround: With the growth of Agri-startups, they replace the middle men who dealt with each farmer as a single entity and form a society of by convincing the farmers of a particular area to pool their resources and grow the product, based on their requirement and demand utilize the divided geographical farms in the most optimum way. This has not only allowed huge machines to be used even on small farms, by pooling the resources results in less wastage resulting in increased productivity.

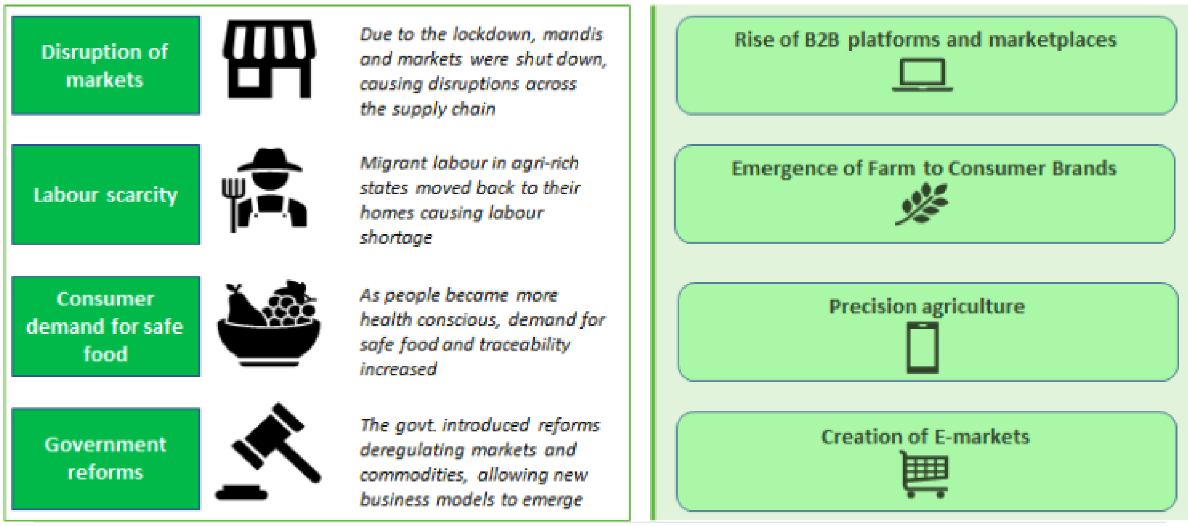

Source: SeedToScale

Challenge 2: Dependency on Monsoon for Irrigation

While many policies have been planned and incorporated from time to time to make sure that the farmers do not have to depend solely on monsoon to irrigate their farms, but there still is a long way to go. South-west monsoon which is responsible for almost 75% of rain in India has a huge role to play on the Indian agriculture and its produce. Most Indian farmers are directly dependent on the monsoon and it plays a crucial role in the quality and quantity of produce.

Workaround: With the involvement of the tech-based startups, it's not difficult to predict the weather patterns and the kind of produce to be planted and expected. Even the supply of water can be pre-determined based on the available data from the different government and non-government sources. So relying solely on monsoon and canals is a thing of the past. Along with corporation among farmers have eased the distribution of water from a single underground source to irrigate a large area.

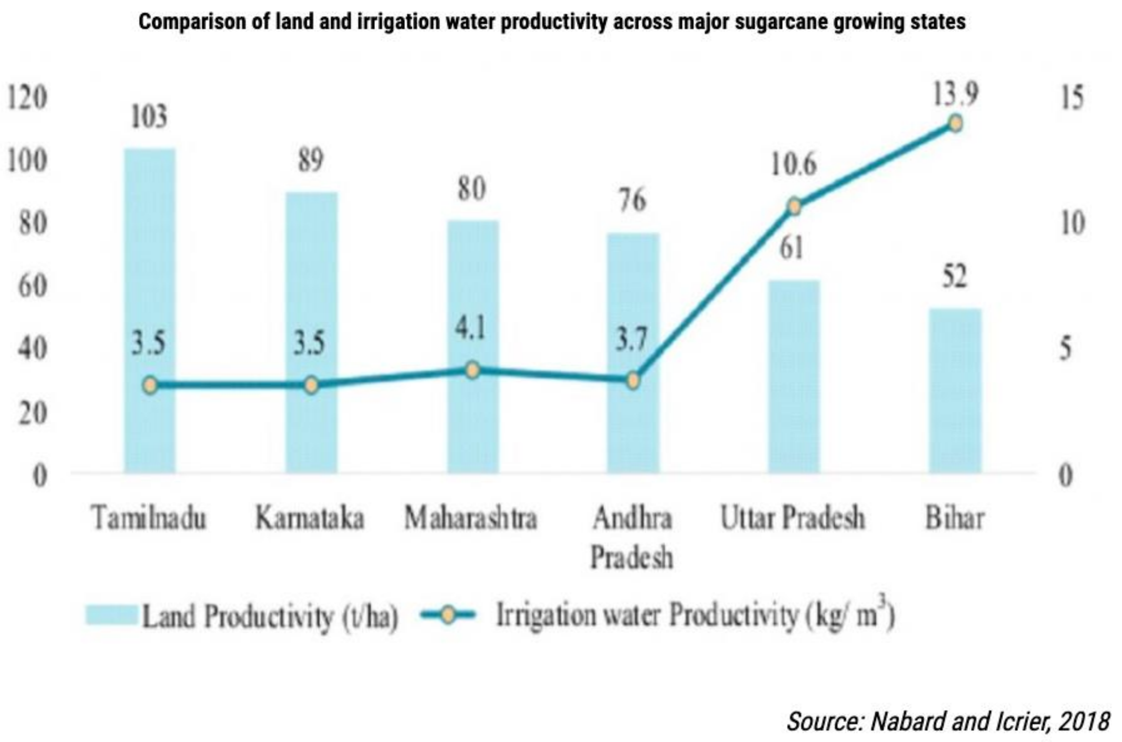

Challenge 3: Dependency on Quality seeds, fertilizers and pesticides and Subsidies

This has been a major concern in the Agriculture sector. A timely distribution and availability of good quality seeds, fertilizers, pesticides and other important agriculture equipment to farmers in the rural and report parts of the country has been a major challenge. With governments in different states plan and implement different distribution mechanisms, there has been varying levels of success and these successes have not been constant and are largely dependent on numerous factors like the party in power in state and center, or the relay of information from the governing body to the management body.

Workaround: The introduction of start-ups and other tech based industries have not only reduced the burden of the government, but have significantly reduced the dependency of farmers on these items as well. Like with the development of seeds that are naturally more resistant to attacks from pesticides, has greatly reduced the dependency on pesticides. With the involvement of private players in the domain and public private partnerships, the distribution system has seen great improvements where the availability is predicted using the various models available at their disposal and the using a well synchronised distribution system with very little to no involvement from public sector, the required equipments and materials are made available to the farmers at a local warehouse centers which are easily accessible.

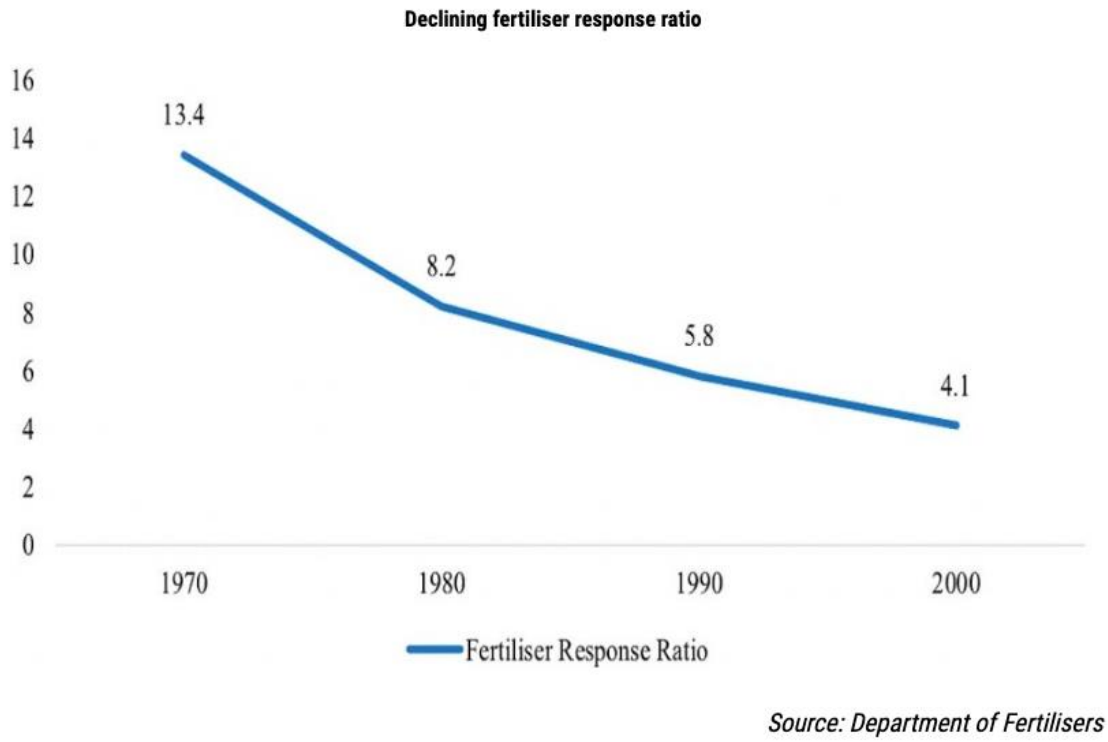

Challenge 4: Storage and financing

It is a major part of agriculture, and even our honorary finance minister Ms Nirmala Sitaraman spoke about the need of the hour is to geotag all the agriculture warehouses in the country. And this has been the advice of numerous economists and agriculture entrepreneurs to ensure that the visibility around storage and especially in the context of warehouses and cold storages is not only made public but is also easily accessible. These transaction points are extremely important and a trend has been noticed where we witness a very sharp increase in the interest amongst individual warehouse owners who are otherwise mostly invisible increasing. They wish to be integrated with the government and private grids and improve their overall standard and services to be at par with their counterparts.

Workaround: With the involvement of big tech and startups, the issue of identifying and locating a warehouse has been greatly reduced but there is still a lot to be added as additional features to make these platforms as one stop solutions to the farmers and agri product buyers. These platforms currently have services to location your location and identify the nearest warehouses around you. And when a user sees a warehouse, they can see with a simple click the information about all services around it. However, there are still scope of improvements, like we have the services on e-commerce websites and applications whereby a farmers and vendors should be able to compare warehouses based on their requirements. There you should be able to see what the warehouse actually provides to you, it also try and bring out to you the different financing options against the produce that you store in a warehouse, because without the finance, storage is incomplete.

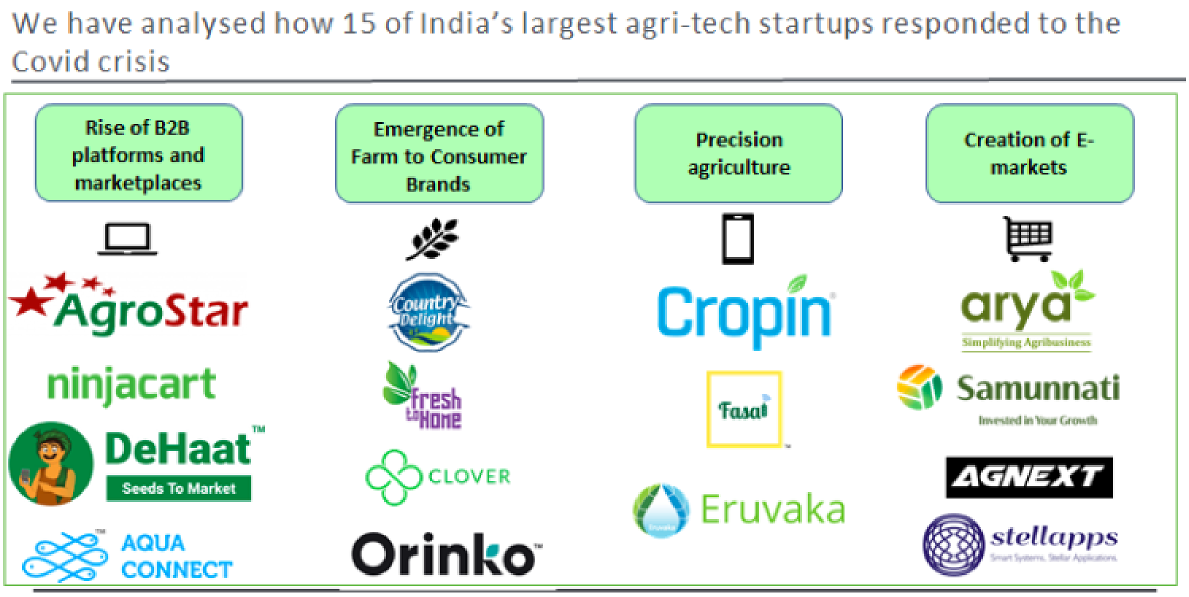

Source: SeedToScale

Challenge 5: Transportation

The witness of jam packed roads around a few warehouses on the road, to inability of farmers in some remote areas to move their product has been some of the major talking points by the farmers to their local representatives and the promises to have this issue resolved were a part of election manifestos by all major parties for the past 4-5 decades. There is an imbalance in the supply and demand of the transportation facilities. Also there were no way to have contacts with the transport companies and nor with the insurance and preservation companies especially to a small scale individual farmer with liitle yield which mostly resulted in its hard work being decayed in front of his own eyes or he being forced to sell his produce at the mercy of middlemen.

Workaround: The transporters, preservation agencies, insurance companies all of them come together on one particular platform so when an entity like a farmer or a large group of farmers or an agriculture industry wants to store the produce can actually access all of these services on one platform, and at the same time the stored produce needs to be transported to be sold off to different parts of the world. These platform really does is bring together a marketplace which

to connect different buyers to farmers/warehouses who store their produce and create a working business model to enable smooth transactions of farm produce. With the adaptation of technology even by the remotest corner of the country, and efforts by the government in digitalization, there is a sharp increase in these transaction volumes as well these integrated offerings which are the need in today's environment and technology truly revolutionize the transportation in a country like ours where more than 50 percent of the population is still dependent on farm based industries.

References:

1. https://www.economictimes.com
2. https://www.seedtoscale.com
3. https://www.niti.gov.in
4. Nabard and Icrier – 2018
5. Rudra Dutta & KPM Sundaram – “Indian Economy – S. Chand & company Ltd. New Delhi

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

अनिता भारती की कहानियाँ और दलित स्त्री चेतना

कविता पासवान
शोधार्थी, भारतीय भाषा केन्द्र, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 173-177

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोध सार- अनिता भारती की कहानियों में दलितों के संघर्षपूर्ण जीवन की सफल प्रस्तुति को देखा जा सकता है। उनकी कहानियों में उपस्थित दलित स्त्री पात्र सवर्णों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार को सहती नहीं हैं बल्कि उसका साहस और हिम्मत के साथ विरोध करती हैं जो दलित स्त्रियों में आने वाली चेतना का द्योतक है। क्योंकि अब दलित स्त्रियां ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के साथ–साथ दलित पितृसत्ता को भी चुनौती दे रही हैं। वह पितृसत्ता द्वारा स्त्रियों के लिए बनाये गये बन्धनों से मुक्ति की मांग करते हुए, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हैं जहाँ स्त्री–पुरुष का भेद न हो, बल्कि इंसान को केवल एक इंसान के रुप में देखा जाये। जाति, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के कारण जिस तिहरे शोषण को दलित स्त्रियों ने सहा है उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करते हुए लेखिका दलित स्त्रियों को हर तरह के अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा करती हैं। इतना ही नहीं अनिता भारती अपनी कहानियों में दलित स्त्रियों के साथ–साथ गैरदलित स्त्रियों के जीवन की सच्चाई को भी उजागर करती हैं।

मुख्य शब्द– अनिता भारती, कहानियाँ, दलित, स्त्री, चेतना, समाज, शोषण, उत्पीड़न, विरोध।

पिछले कुछ दशकों में दलित स्त्री चेतना बहस के केंद्र में रहा है। ऐसी बहसों में अक्सर यह सवाल उठते हैं कि दलित स्त्री चेतना क्या है ? इसके सरोकार क्या हैं ? क्या दलित स्त्री चेतना दलित चेतना से भिन्न है ? आदि। सामाजिक विषमता के खिलाफ गैर बराबरी, भेदभाव, लैंगिक शोषण, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक स्तर पर होने वाले शोषण और उत्पीड़न के विरोध में दलित स्त्रियों द्वारा अपने स्वर को बुलंद करना ही दलित स्त्री चेतना है। विषमतापरक समाज की जगह समतापरक समाज का निर्माण करना दलित स्त्री चेतना के सरोकारों में शामिल है। इसीलिए दलित चेतना से दलित स्त्री चेतना इस अर्थ में भिन्न दिखाई देती है क्योंकि इसमें दलित स्त्री के तिहरे शोषण की बात आ जाती है। दलित स्त्री चेतना ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के साथ–साथ दलित पितृसत्ता से भी मुक्ति की मांग करती है जो दलित चेतना में नहीं दिखाई देती। दलित चिंतन जहाँ केवल जातीय पहचान के आधार पर होने वाले शोषण का विरोध करता है वहीं दलित स्त्री चिंतन मूलतः जातीय पहचान एवं लैंगिक पहचानों के आधार पर होने वाले दोनों प्रकार के शोषणों का प्रतिकार करती है। दलित लेखिकाएं और दलित सामाजिक कार्यकर्त्ता अपनी चेतना का आधार बुद्ध, फुले दम्पत्ति तथा बाबासाहब अम्बेडकर के विचारों से ही ग्रहण करते हैं।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अनिता भारती की कहानियों में अभिव्यक्त दलित स्त्री चेतना की बात करें तो उनकी कहानियों में शोषित, पीड़ित, दलित स्त्रियों की वंचनाएँ एवं तकलीफें तो हैं ही इससे भी कहीं अधिक उनमें ललकार और चुनौतियाँ हैं। ये ललकार और चुनौतियाँ उस व्यवस्था के प्रति हैं जिसने दलित स्त्रियों की गरिमा तथा आत्मसम्मान पर प्रहार करते हुए उन्हें दोहरे-तिहरे स्तर पर शोषित होने के लिए मजबूर किया है। भारतीय समाज में जाति एवं वर्ण व्यवस्था ने जिस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया है उसके अंतर्गत सर्वाधिक पीड़ित दलित स्त्रियां ही हैं। सदियों से हो रहे दलित स्त्रियों का उत्पीड़न अभी भी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि आज भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि आए दिन समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन चैनलों में दलित स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचार को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है।

यह सर्वविदित है कि अन्याय करने वालों से अधिक अन्याय सहने वाला दोषी होता है। शोषण का प्रतिकार न करना भी अपराध ही होता है। अत: अनिता भारती की कहानियों में दलित स्त्रियां अपने साथ होने वाले अत्याचार को सहती नहीं है बल्कि उसका डट कर विरोध करती हैं। वे ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को नकारते हुए एक नई ऊर्जा एवं प्रेरणा के साथ उन समस्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ी दिखाई देती हैं जो दलित स्त्रियों का शोषण व दमन करने के कारक हैं। 'एक लड़ाई की मौत' तथा 'सीधा प्रसारण' ऐसी कहानियाँ हैं जिनकी नायिकाएं अपने साथ होने वाले शोषण को सहने की बजाय उसका विरोध करती हैं। उनको इस बात का बोध है कि अपराध करने वाला व्यक्ति उतना ही गुनहगार होता है जितना कि अपराध सहने वाला। हम अपराध को जितना ही सहते हैं अपराधी के इरादे उतने ही बुलंद होते जाते हैं। इसलिए इन दोनों कहानियों की नायिकाएं अपने साथ होने वाले अन्याय को अपनी नियति नहीं मानतीं बल्कि उसका प्रतिकार करती हैं। 'एक लड़ाई की मौत' कहानी में दलित समाज की लक्खी पर गैर दलित समाज का दीपक शर्मा अपने साथियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। वह महाभारत की द्रौपदी का उदाहरण देते हुए लक्खी से कहता है "द्रौपदी भी तो पाँच-पाँच को संभालती थी रानी थी रानी।"[1] दीपक शर्मा के घिनौने प्रस्ताव का एक-एक शब्द लक्खी के कानों में सूई की तरह चुभ जाती है। दीपक शर्मा की बातों को सुन लक्खी के सब्र का बांध टूट जाता है और वह उन दरिन्दों के समक्ष शेरनी की तरह गरजते हुए बोलती है "चले जाओ यहाँ से हरामजादों द्रौपदी बनाना अपनी माँ बहनों को। अगर यहाँ दुबारा आने की कोशिश की तो एक-एक को फँसवा दूंगी।"[2]

लक्खी की ललकार को सुनकर दीपक शर्मा तथा उसके साथियों का जातीय अहंकार जाग जाता है और वो दरिन्दे अपनी दरिन्दगी पर उतर आते हैं। वो चारो पहले लक्खी का बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसे जलाकर मारने की कोशिश। बलात्कार एवं शरीर का नब्बे प्रतिशत भाग जल जाने के बावजूद लक्खी हार नहीं मानती। सवर्णों द्वारा बलात्कार की शिकार लक्खी अपने साथ घटी घटना से निराश होकर घुटने नहीं टेकती, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए दोगुना हौसला और हिम्मत संजोती है। समाज के ताने व परिवार की बदनामी के डर से लक्खी उन आतताइयों को खुला नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उन दरिन्दों को सजा नहीं मिली तो कल को, वो दूसरी स्त्रियों के साथ भी वहीं करेगें जो मेरे साथ किया। इसी तरह की घटना 'सीधा प्रसारण' कहानी में भी देखने को मिलता है जहाँ एक सवर्ण समाज का लड़का मुकेश अपने साथियों के साथ मिलकर दलित समाज की लड़की सुनीता का बलात्कार कर उसकी हत्या कर देता है। दलित समाज की सुनिता पढ़-लिखकर परिवार, समाज तथा देश के लिए कुछ करना चाहती थी। सुनीता का पढ़ना-लिखना सवर्ण समाज को पसन्द नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि एक दलित स्त्री पढ़-लिखकर तरक्की करे। इसलिए एक दिन मौका पाकर मुकेश तथा उसके साथी विद्यालय से घर आ रही सुनिता का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि "अरी ओ इन्दिरा गाँधी पढ़-लिखकर क्या कलेक्टर बनेगी ? अरी चमरी बहुत हो गई पढ़ाई अब जरा आकर कर ले हमसे...।"[3] मुकेश की बातों को सुनिता अनसुना नहीं करती, वह उसे अपने मान-सम्मान के खिलाफ समझती है तथा मुकेश को यह बता देना चाहती है कि

दलित स्त्रियों का मान-सम्मान इतना सस्ता नहीं है कि जिसे जो जी में आए कहकर निकल जाये। वह मुकेश तथा उसके साथियों से कहती है “हाँ बनूँगी कलेक्टर बोल तू क्या करेगा ? और अगर मैं किसी दिन कलेक्टर बन गई तो तेरे इतने डंडे लगवाऊँगी कि तू किसी लड़की से... करने लायक नहीं रहेगा।”[4] अत: हम देख सकते हैं कि दोनों कहानी की स्त्री पात्र उन दबंगों के समक्ष झुकती नहीं बल्कि उनको सजा दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती हैं। लक्खी और सुनिता के अन्दर उत्पन्न दलित स्त्री चेतना को देखकर अनायास ही निम्नलिखित कविता की पंक्ति याद आ जाती है-

“प्रज्वलन के नाम पर / पानी के छींटे मार कर,
मुझे बुझाते रहो / खुद हाथ में सेंकते रहो, कहकहे लगाते रहो।
पर अब नहीं आऊँगी, मैं झाँसे में / धूर्त बहेलियों के फाँसे में
नहीं पड़ने दूंगी खुद पर / बहकावे का पानी
भीतर की अग्नि को मैं धधकाऊँगी
खुद भी तपूँगी और तुम्हें भी तपाऊँगी।”[5]

अनिता भारती की कहानियों में दलित स्त्रियों की लड़ाई केवल ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से ही नहीं है बल्कि दलित समाज में व्याप्त पितृसत्ता से भी है। दलित स्त्रियाँ जहाँ एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधारा से जूझ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ दलित समाज में कायम पितृसत्ता से भी। दलित समाज के लोग गैरदलित समाज के ऊपर चाहे जितना भी दोषारोपण कर लें, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा ब्राह्मणवादी विचारधारा को कितनी भी गालियाँ दे दें, किन्तु इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि दलित स्त्रियों को पितृसत्ता की दोहरी मार सहनी पड़ती है, एक तरफ ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की तो दूसरी तरफ दलित पितृसत्ता की। अनिता भारती की कहानियों की नायिकाएं इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के साथ-साथ दलित समाज में विद्यमान पितृसत्ता का भी विरोध करती दिखाई देती हैं। ‘सुजाता रुक मत जाना’ की सुजाता तथा ‘तीसरी कसम’ कहानी की चंपा दलित समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे दलित स्त्रियों के विकास में बाधा मानती हैं। उनका मानना है कि भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था से दलित स्त्रियों को सिर्फ जख्म ही जख्म मिले हैं राहत नहीं। लेकिन अब दलित स्त्रियाँ पितृसत्ता के इस जख्म को नहीं सहेंगी। वे समस्त सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठायेंगी जो दलित स्त्रियों के सम्मानित जीवन और विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। ‘सुजाता रुक मत जाना’ कहानी में सुजाता को इस असमानतावादी रुढ़िग्रस्त सामाजिक व्यवस्था के इशारों पर चलना बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए वह दलित समाज के पुरुषों से कहती है “एक बात मेरी आप सभी सुन लो आपके डराने धमकाने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ।”[6] यहाँ सुजाता पितृसत्तात्मक व्यवस्था से तो सवाल करती ही है साथ ही स्वयं के साथी एवं रक्षक का दंभ भरने वालों से भी कहती है कि क्या तुम हमारी पीड़ा, हमारा दु:ख-दर्द समझ पाये या सदैव हमें अपने हाथ की कठपुतली ही समझते रहे ? क्या तुम्हारी नजर में हमारा कोई अस्तित्व है ? क्या हमारी इच्छाओं का, हमारी स्वतंत्रता का तुम्हारी नज़र में कोई मोल है ? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे समाज की स्त्रियाँ पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तथा अध्यापक बने ? अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आज तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब हम स्त्रियाँ तुम्हारी इच्छानुसार अपनी जिंदगी नहीं जियेंगी, हम अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगी।

ऐसी ही ‘तीसरी कसम’ कहानी की नायिका चंपा अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने छोटे भाई राधे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए उसे एक ऐसा इंसान बनाना चाहती है जो समाज में मान-सम्मान की जिन्दगी जी सके। अत: चंपा अपने पुश्तैनी कार्य नौटंकी कला को छोड़कर खेतों में हल चलाकर राधे का पालन-पोषण करना चाहती है।

लेकिन उसकी बिरादरी के लोग उसके इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और चंपा के हल चलाने के फैसले का विरोध करते हुए कहते हैं "जब घर में लड़का है तो लड़की हल क्यों चलायेगी। चंपा को वही करना चाहिए जो हमारी बिरादरी की औरतें करती हैं।"[7] वस्तुत: सुजाता और चंपा जैसी दलित स्त्रियाँ इस बात को समझ गई हैं कि यथास्थितिवादी व्यवस्था जिसमें दलित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति गूंगी तथा परावलंबी थी, उसी व्यवस्था को पुरुष प्रधान समाज सदैव बरकरार रखना चाहता है किंतु सुजाता और चंपा जैसी जागरुक दलित स्त्रियाँ अब अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। वह पितृसत्तात्मक समाज से कहती हैं तुमने सदैव हमारी उपेक्षा की है अब और नहीं। परिवार और समाज में हमारा भी अस्तित्व है इस बात को अब तुम्हें स्वीकारना होगा। अपनी श्रेष्ठता और वर्चस्व कायम रखने के लिए जिन नियमों, बंधनों को तुमने बनाया उसका पालन करना हमें स्वीकार नहीं है। अब हम दलित स्त्रियाँ अपना जीवन स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होकर जीना चाहती हैं।

अनिता भारती की कुछ कहानियों में NGO जैसी संस्थाओं तथा उससे जुड़ी दलित स्त्रियों का भी चित्रण मिलता है। 'नीला पहाड़ लाल सूरज की' कहानी की प्रज्ञा एक जुझारु समाज सेविका है जो 'दलित सरोकार' नामक संस्था से जुड़ी है। प्रज्ञा दलितों के अधिकारों की लड़ाई में हर परिस्थितियों से टकराने के लिए तैयार रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कई सौ मजदूरों की छटनी कर दिए जाने पर प्रज्ञा अपनी संस्था की तरफ से उन मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाती है। प्रज्ञा की तरह 'सीधा प्रसारण' कहानी की रंजना भी दलितों तथा स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखाई देती है। एक स्वयंसेवी संस्था 'जनचेतना' से जुड़ने के बाद रंजना अपनी संस्था की तरफ से दलितों की हर संभव मदद करने की कोशिश करती है। यहाँ लेखिका प्रज्ञा तथा रंजना के रुप में दलित समाज की ऐसी स्त्रियों को प्रस्तुत करती हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य शोषित, दमित दलितों को न्याय दिलाना है। ये स्त्रियाँ शहरी वातावरण से जुड़े होने के बावजूद ग्रामीण दलितों की एक-एक समस्याओं से अवगत हैं। वे दलितों की हर समस्या को अपनी समस्या समझने लगती हैं। वे बस इतना चाहती हैं कि हजारों सालों से घुटन की जिन्दगी जी रहा दलित समाज अब मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक खुली हवा में साँस ले। अनिता भारती भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी ही कई संस्थाओं से जुड़ी रही हैं इसलिए उनकी कहानियों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है।

'ठाकुर का कुँआ पार्ट टू' तथा 'बीज बैंक' कहानी में भी दलित स्त्रियाँ अपने समाज का नेतृत्व करते हुए दिखाई देती हैं। 'सुपर्व बीज कंपनी' के मुफ्त बीज वितरण के जाल में फंसकर कुसिया गाँव के दलित अपना सब कुछ (जमीन से लेकर घर-बार तक) गंवा देते हैं। जैसे ही कुसिया गाँव के दलितों को कंपनी की असलियत पता चलती है वैसे ही वह उस समस्या से निजात पाने का रास्ता ढूँढ़ने लगते हैं। अन्त में गाँव वालों की सहमति से एक 'बीज बैंक समिति' का निर्माण किया जाता है और उस समिति के संचालन की जिम्मेदारी दलित स्त्रियों के हाथों में सौंपी जाती है- "मुझे यह लगता है कि इसकी कार्यकारिणी को हमारे गाँव की बहू-बेटियाँ ही संभाले।"[8] अत: 'ठाकुर का कुँआ पार्ट टू' कहानी में दलित स्त्रियाँ स्वयं आगे बढ़कर अपने समाज का नेतृत्व करती हैं लेकिन 'बीज बैंक' कहानी में पुरुषों द्वारा दलित स्त्रियों के हाथ में नेतृत्व की बागडोर सौंपना एक नई सोच को उजागर करता है। दलित स्त्रियों में चेतना जगाने तथा उनको विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य बाबासाहब अम्बेडकर ने किया था उसी का प्रभाव कुसिया गाँव के दलित पुरुषों पर दिखाई देता है।

'एक थी कोटेवाली' कहानी में लेखिका, दलित समाज के प्रति सवर्णों की जातीय मानसिकता को उजागर करती हुई जाति के आधार पर दलितों को अपमानित करना तथा उनकी प्रतिभा और कार्यक्षमता पर सवाल उठाना जैसे सवर्णों की आदत में शुमार है। 'एक थी कोटेवाली' कहानी की गीता इसलिए पढ़-लिखकर शिक्षक बनने का रास्ता चुनती है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो जाति-पांति नामक गंदगी नहीं होगी। लेकिन विद्यालय के पहले दिन ही गीता का भ्रम टूट जाता है

क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी जाति का दानव पैर पसारे बैठा है। विद्यालय की हर अध्यापिका गीता से उसकी जाति जानना चाहती हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि गीता कोटेवाली है या बिना कोटेवाली। विद्यालय की गैर-दलित शिक्षिकाओं को जैसे ही गीता के बारे में पता चलता है। वैसे ही वह बोल उठती हैं "अरे ये तो मायावती निकली... जहाँ देखो वहीं कोटेवाली। पूरे देश का सत्यानाश करके रख दिया है... अब हमारे बच्चों का क्या होगा।"[9] यहाँ लेखिका उस असलियत को उजागर करती हैं जहाँ जाति के आधार पर दलितों के ऊपर अयोग्यता की मुहर लगा दी जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.एस.सी प्रथम श्रेणी तथा जामिया से बी.एड. की डिग्री धारण करने वाली गीता गैर-दलित शिक्षिकाओं की नज़र में इसलिए अयोग्य है क्योंकि वह दलित वर्ग से है।

अनिता भारती की कहानियों में चित्रित अधिकांशत: दलित स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरुक दिखाई देती है। वह भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की माँग करते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना करती हैं जहाँ दलितों तथा स्त्रियों को स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार हो। दलित स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक दिखाकर लेखिका प्रगतिशील सोच का परिचय देती हैं। दलित स्त्रियों के प्रति लोगों के मन में जो छवि बनी हुई है वह अनिता भारती की कहानियों में टूटती है। क्योंकि इनकी कहानियों में गरीब, अनपढ़, हताश, निराश दलित स्त्रियों की जगह आत्मनिर्भर, शिक्षित, साहसी तथा जागरुक दलित स्त्रियाँ नज़र आती हैं। बुध्द, फुले तथा डॉ. अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित दलित स्त्रियाँ अपने समाज को सभी तरह के अधिकार दिलाना चाहती हैं। वे किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं करती, बल्कि उसका विरोध करती हैं। शिक्षा के प्रति जागरुक दलित स्त्रियाँ जातिमुक्त सामाजिक व्यवस्था की भावना से युक्त हैं। इसलिए स्वयं की शिक्षा के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों के अन्दर भी शिक्षा की ज्योति जला रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वस्तुत: स्त्री विमर्श या दलित स्त्री विमर्श को, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, स्त्री पराधीनता, स्त्री अशिक्षा इत्यादि जैसी अनेक कुप्रथाएं जो अभी भी समाज में व्याप्त हैं, का हल ढूंढ़ना शेष है। इसलिए स्त्री विमर्श या दलित स्त्री विमर्श की दिशा इन्हीं चुनौतियों से निपटने में होनी चाहिए।

संदर्भ – ग्रंथ:-

1. अनिता भारती, *एक थी कोटेवाली तथा अन्य कहानियाँ,* लोकमित्र प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2012, पृ. 28
2. वही, पृ. 28
3. वही, पृ. 59
4. वही, पृ. 59
5. सं. संजीव चंदन, *स्त्रीकाल, स्त्री का समय और सच,* पत्रिका, अंक-9, सितम्बर-2013, नई दिल्ली, पृ. 111
6. अनिता भारती, *एक थी कोटेवाली तथा अन्य कहानियाँ,* लोकमित्र प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2012,पृ. 54
7. वही, पृ.34
8. वही, पृ. 94
9. वही, पृ. 47

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

मेघदूत में वर्णित मेघ के विविध रूप

राकेश पाल
शोधच्छात्र, नेहरू ग्राम भारती, मानित विश्वविद्यालय, जमुनीपुर, कोटवा, दुबावल, प्रयागराज,उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 178-180
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोधसारांश– महाकवि कालिदास ने मेघ का मानवीकरण करके उसे एक सृजनात्मक, सकारात्मक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वह सन्देशवाहक, सन्तप्तों का रक्षक, मनुष्यों के सभी भावों को समझने वाला, सम्पूर्ण जगत् को जल देने वाला, पुष्पों को विकसित करने वाला, दावाग्नि को शान्त करने वाला, भगवद्भक्ति करने वाला, दैवीय भाव से युक्त, सम्पूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला परम परोपकारी है। मेघ के विविध रूपों के वर्णन करके महाकवि कालिदास मनुष्यों को यही सन्देश देना चाहते हैं कि समस्त मानव इस मेघ के महत्त्व को समझें तथा इसके संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहें। वेदों में इसे पिता कहा गया है। मेघ अपने पितृत्व धर्म का पालन सबकी रक्षा करके कर रहा है। पुत्रों को भी चाहिये कि पितृतुल्य मेघ का संरक्षण करके अपने पुत्र धर्म निर्वाह करें।

मुख्य शब्द– मेघदूत, मेघ, कालिदास, साहित्यम्,यक्ष।

मेघ को दूत के रूप में परिकल्पित करके कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूत काव्य में मेघ को अनेक रूपों में वर्णित किया गया है। कवि ने मेघ को कहीं पर यक्ष के माध्यम से **'सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य'**[i] कहकर दूत के रूप में प्रस्तुत किया है, तो कहीं पर **'धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः'**[पप] कहकर उसे धूम, अग्नि, जल और वायु के संघात के रूप में वर्णित किया है। मेघ का सर्वप्रथम दर्शन आषाढ मास के प्रारम्भ में रामगिरि पर होता है। मेघ रामगिरि के चोटियों पर उमड़–घुमड़ रहा था, जो तिरछे दाँतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढहाने का खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय दिखलाई पड़ रहा था– **आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श।**[iii]

संसार में प्रसिद्ध पुष्कर तथा आवर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्न यह मेघ कामरूप है अर्थात् अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर सकता है– **जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः।**[iv] मेघ विरही लोगों के हृदय में मिलन की उत्कण्ठा उत्पन्न कर देता है। कवि ने इसे **कौतुकाधानहेतोः**[v] कहकर वर्णित किया है। यक्ष अपनी प्रियतमा के पास अपनी कुशलता का सन्देश इसी मेघ के द्वारा भेजने की इच्छा करता है– **जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्।**[vi]

यक्ष मेघ को सन्तप्तों का रक्षक कहकर सम्बोधित किया है। मेघ धूप से सन्तप्त व्यक्ति को छाया प्रदान करके तथा काम से सन्तप्त विरही जनों को उनकी प्रियतमा के पास जाने के समय की सूचना देकर सन्तप्तजनों का रक्षक है– **सन्तप्तानां त्वमसि शरणम्।**[vii] अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में मेघ को पिता कहा गया है तथा उससे अपने भरण, पोषण एवं रक्षण की प्रार्थना की गयी है– **पर्यजन्यः पिता स उ नः पिपर्तु।**[viii] मेघ अपनी यात्रा के दौरान पर्वतों पर रुककर विश्राम करता है तथा बरसकर अत्यन्त क्षीण होने पर नदियों का हल्का जल पीकर आगे जाता है– **खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र, क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य।**[ix]

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

मेघ जब अलकापुरी के लिए प्रस्थान करता है तो वह मार्ग में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वायु पर्वत के शिखर को उड़ाये ले जा रहा है– **अद्रेः शृंगं हरति पवनः किंस्वित्।**[x] 'कृषिकार्य मेघ के ही अधीन है' इसलिए ग्रामीण ललनायें बड़ी ही आशाभरी निगाहों से मेघ को देखती हैं– **त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविकारानभिज्ञैः।**[xi]

मेघ आम्रकूट पर्वत की दावाग्नि को अपने मूसलाधार वर्षा से शान्त करता है तथा पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है– **त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः।**[xii] मेघ की गर्जन से पृथ्वी पर कुकुरमुत्ता उग आते हैं जिससे भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है तथा इसी गर्जन को सुनकर राजहंस मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं– **कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीध्रामबन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः।**[xiii]

कवि ने मेघ को एक चेतन व्यक्ति की तरह वर्णित किया है। वह मेघ अपने गर्जन से सिद्धों की स्त्रियों को डरा देता है, जिससे वे डरकर काँपने लगती हैं और अपने प्रियतम का कसकर आलिंगन कर लेती हैं।[xiv] पर्वतों पर स्थित मयूर अपनी केका ध्वनि से मेघ का स्वागत करते हैं।[गअ] मेघ के आगमन से दशार्ण प्रदेश के जम्बूवनों के फल पकने लगे।[xvi]

वह मेघ अत्यन्त कामुक है। वह वेत्रवती नदी के जल का पान उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से कोई कामुक व्यक्ति किसी स्त्री के अधर का पान करता है।[xvii] इसके आगमन से नीचैःगिरि पर स्थित कदम्ब के पुष्प खिल उठते हैं। यह फूल चुनने वाली स्त्रियों को छाया प्रदान करके उनसे परिचय करता है। नगर की ललनाओं से आँख मिचौली करता है।[xviii] निर्विन्ध्या नदी के जल का पान उसी तरह से करता है जैसे कोई किसी अनुरागिणी नायिका के अधरों का।[xix] वह अपनी बिजली से रात्रि में अपने प्रियतम के पास जाती हुई स्त्रियों को मार्ग दिखलाता है।

वह मेघ महाकाल के धाम पहुँचकर अपने गर्जन से नगाड़े का काम करता है जो कि अत्यन्त प्रशंसनीय है। उस मन्दिर में वेश्यायें नृत्य करती हैं, मेघ अपने जल वर्षण से उनकों नखक्षतों को सुख देता है जिससे वे उसे सस्पृह देखती हैं।[xx] वह मेघ भगवान् शिव के नृत्त के समय हाथी का गीला चर्म बनकर उनके नृत्त में सहायक होता है जिससे पार्वती अत्यन्त प्रसन्न होती हैं।[xxi]

वह मेघ अपनी गर्जन से कार्तिकेय के वाहन मयूर को नृत्त कराता है, भगवान् शिव और पार्वती के लिए सीढ़ी भी बन जाता है। वास्तव में मेघ अर्थात् बादल क्या–क्या कर सकता है? इसका वास्तविक चित्रण कवि ने किया है।

सन्दर्भ

i- पूर्वमेघ 7।

ii- वही 5।

iii- वही 2।

iv- वही 6।

v- वही 3।

vi- वही 4।

vii- वही 7।

viii- पृथिवी सूक्त अ0 12.1.12।

ix- पूर्वमेघ 13।

x- वही 14।

xi- वही 16।

xii- वही 17।

xiii- वही 11 |
xiv- वही 22 |
xv- वही 23 |
xvi- वही 24 |
xvii- वही 25 |
xviii- वही 28 |
xix- वही 29 |
xx- वही 39 |
xxi- वही 40 |

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

संधृत कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग दक्षता का मापन एवं नियोजन (तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का एक भौगोलिक विश्लेषण)

डॉ0 आर0 एस0 चन्देल

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,

कमला नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजगाँव, रायबरेली, उ0 प्र0

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 181-193

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोधसार– "भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अतः गाँवों के विकास से ही भारत का विकास सम्भव है (*महात्मा गाँधी*)"। गाँवों के विकास में कृषि की भूमिका सर्वविदित है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्रामीण वासियों का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय कृषि एवं तत्सम्बन्धी अनुषंगीय व्यवसाय ही रहा है। इस प्रकार देश की ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश लोगों के लिए कृषि जीवन पद्धति का प्रमुख आधार है। भारत में धरातलीय विविधता, मृदा विविधता, मौसमी अनिश्चितता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, खेतिहर भूमि की उपलब्धि, समीपता एवं बिखराव, पारंम्परिक जीविकोपार्जित कृषि व्यवस्था आदि के कारण कृषि में विविधता प्रारम्भ से ही रही है। कृषि को जीवन यापन के साधन के साथ ही साथ इसे व्यावसायिक रुप प्रदान करना भी वांछनीय है। व्यावसायिक कृषि के प्रोत्साहन में सिंचाई, उन्नतशील बीजों, जैव उर्वरकों, कीटनाशकों एवं आधुनिक मशीनों व यन्त्रों के प्रयोग आदि का विशेष योगदान हो सकता है। साथ ही साथ कृषि एवं तत्सम्बन्धी अनुषंगीय व्यवसाय के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की प्रत्युत्पन्नता हेतु भूमि एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है इसलिए जनमानस की आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में भूमि अपनी मात्रात्मक एवं गुणात्मक क्षमतानुसार एक संसाधन के रूप में परिभाषित हो जाती है। भूमि उपयोग एक गत्यात्मक तत्व है, जो भौतिक दशाओं में परिवर्तन तथा मानव के सामाजिक–आर्थिक विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप परिवर्तित, परिष्कृत एवं परिमार्जित होता रहता है। अतः संधृत कृषि विकास तभी संभव है जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की भूमि उपयोग दक्षता विश्लेषित एवं

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

निर्धारित हो। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु प्रतीक अध्ययन के रूप में तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का चयन किया गया है।

शीर्ष शब्द : जीविकोपार्जित कृषि, संधृत कृषि विकास कृषि अनुषंगीय व्यवसाय, व्यावसायिक कृषि, भूमि संसाधन उपयोग भूमि उपयोग दक्षता, मात्रात्मक गुणात्मक, अवस्थापनात्मक तत्व।

प्रस्तावना : कृषि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के साथ–साथ विकास की भी जननी रही है। यह भौतिक महत्व के अलावा जीवन की एक प्रणाली है जो कि मानवीय मूल्यों में अनुपम एवं अद्वितीय है। भारत में कृषि व्यवसाय प्राचीन काल से ही अनुकूल भौगोलिक दशाओं के अनुसार ग्रामीण अर्थतन्त्र की आधारशिला रही है। फलतः ग्रामीण विकास की समग्र योजनाएँ कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय के विकास पर ही केन्द्रित होती हैं (मिश्रा, 1985)। ग्रामीण जनमानस की अधिकांश आवश्यकताओं की आपूर्ति कृषि प्रखण्ड से ही होती है। अतः ग्रामीण जनमानस के आर्थिक विकास में कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक विकास में कृषि एवं उद्योग के प्राथमिक महत्व को लेकर विद्वानों में यद्यपि विवाद रहा है, तथापि आर्थिक विकास हेतु अधिकांश विद्वान कृषि को ही प्राथमिकता देते हैं ँ(पदहीए टण्ठण 1990)। 18वीं सदी के पूर्व में फ्रांस में विकसित 'फिजियोक्रेटिक' सम्प्रदाय के प्रर्वतक क्वेसने महोदय के अनुसार कृष्येत्तर आर्थिक प्रखण्डों की प्रगति दर कृषि की प्रगति दर द्वारा निर्धारित होती है। इन्होंने कृषि के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषिगत पूंजी निर्माण को अनिवार्य बताया। इनकी मान्यता थी कि किसी अर्थतन्त्र में विक्रय योग्य उत्पादन की प्रभावी मांग पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुसार किसी देश/क्षेत्र का आर्थिक विकास/ग्रामीण विकास कृषिगत प्रगति के बिना असंभव है और अर्थतन्त्र के औद्योगिक एवं अन्य प्रखण्ड कृषि पर आधारित होते हैं, क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग आर्थिक अतिरेक की मात्रा पर, जो पूर्णतया कृषि से प्राप्त होती है। जब प्राविधिक परिवर्तन द्वारा कृषिगत उत्पादकता उस स्तर पर पहुॅच जाय कि कृषि उत्पादन न सिर्फ कृषि में संलग्न जनसंख्या वरन् कृषि से उद्योग में प्रव्रजित जनसंख्या के भरण–पोषण में समर्थ हो, तभी आर्थिक प्रगति की आवश्यक दशाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार बिना कृषि विकास के ग्रामीण विकास संभव नहीं है और कृषि विकास तभी संभव जब किसी भौगोलिक क्षेत्र की भूमि

उपयोग दक्षता विश्लेषित एवं निर्धारित हो। इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु प्रतीक अध्ययन के रूप में तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ0 प्र0 का चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधितंत्र– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संधृत कृषि विकास हेतु भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण करना अध्ययन का मूल उद्देश्य है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के जीवन शैली में गुणात्मक और मात्रात्मक सृजन हेतु संधृत विकास सुझाव प्रस्तावित करना है। शोध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषयवस्तु से सम्बंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण तहसील, विकासखण्ड, न्यायपंचायत एवं चयनित ग्राम स्तर पर किया गया है। भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण (*भाटिया, 1967*) कोटि गणना के आधार पर किया गया है। इसके लिए न्यायपंचायतवार भूमि उपयोग के छः तत्वों यथा वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित एवं दो फसली भूमि के मान को अवरोही एवं आरोही क्रमानुसार सुसज्जित किया गया है। तत्पश्चात् भूमि उपयोग दक्षता गणना के आधार पर दक्षता स्तर को मुख्यतः चार श्रेणियों यथा उच्च, मध्यम निम्न एवं अतिनिम्न में विभाजित किया गया है। संधृत कृषि विकास से सम्बन्धित विविध तत्वों का न सिर्फ स्थानिक अपितु कालिक वितरण प्रारूप का भी विश्लेषण एवं भूमि उपयोग दक्षता से सम्बन्धित तत्वों में परिवर्तन की प्रवृत्ति को जानने के लिए 1990–91 एवं 2019–20 वर्ष को काल संदर्भ के रूप में अंगीकार किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व – संधृत कृषि विकास को ध्यान में रखकर भूमि उपयोग दक्षता के निर्धारण हेतु तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उ 0 प्र0 का चयन किया गया है, जिसकी स्थित 26^0 1′ से 26^0 14′ उत्तरी अक्षांश तथा 80^0 58′ से 81^0 8′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। अध्ययन क्षेत्र में संधृत कृषि विकास से सम्बन्धित यथा– भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हुए विकास एवं भविष्य में विकास हेतु जो संभावनाएं विद्यमान हैं, उनका संधृत नियोजन जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से डलमऊ तहसील में 2 विकासखण्ड (डलमऊ एवं दीनशाहगौरा), 21 न्यायपंचायतें तथा 212 गॉव समाहित हैं जिसमें 17 गॉव ऐहतमाली हैं इसमें 2 गॉव गैर आबाद तथा 2 गॉव (चखाजीपुर, परषुरामपुर) मुस्तकिल हैं। डलमऊ विकासखण्ड के अन्तर्गत 13 न्यायपंचायतें तथा दीनशाहगौरा विकासखण्ड के अतंर्गत 8 न्यायपंचायतें समाहित हैं। तहसील का कुल क्षेत्रफल 41666 हे0 है तथा कुल 292749 (2011) लोग निवास करते है, जिसमें 150522 पुरूष (51.42 प्रतिशत) तथा 142227 स्त्रियॉ (48.58 प्रतिशत) हैं। अध्ययन क्षेत्र समुद्र तल से लगभाग 87 से 120 मीटर की ऊॅचाई पर स्थित है। धरातलीय दृष्टि से यह मध्य गंगा मैदान की ही तरह सामान्य समतल होने के साथ–साथ प्रवाह ढाल पश्चिमोत्तर से

दक्षिण–पूर्व की ओर है। यहाँ गंगा का प्रवाह धनुषाकार है। मथना नदी जो दक्षिण दिशा को बहती हुई तहसील की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाली उत्तरवाहिनी पवित्र गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ सामान्यतया बलुई दोमट मृदा पायी जाती है तथा कहीं–कहीं ऊसर भूमि भी पायी जाती है। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अन्तर्गत आता है।

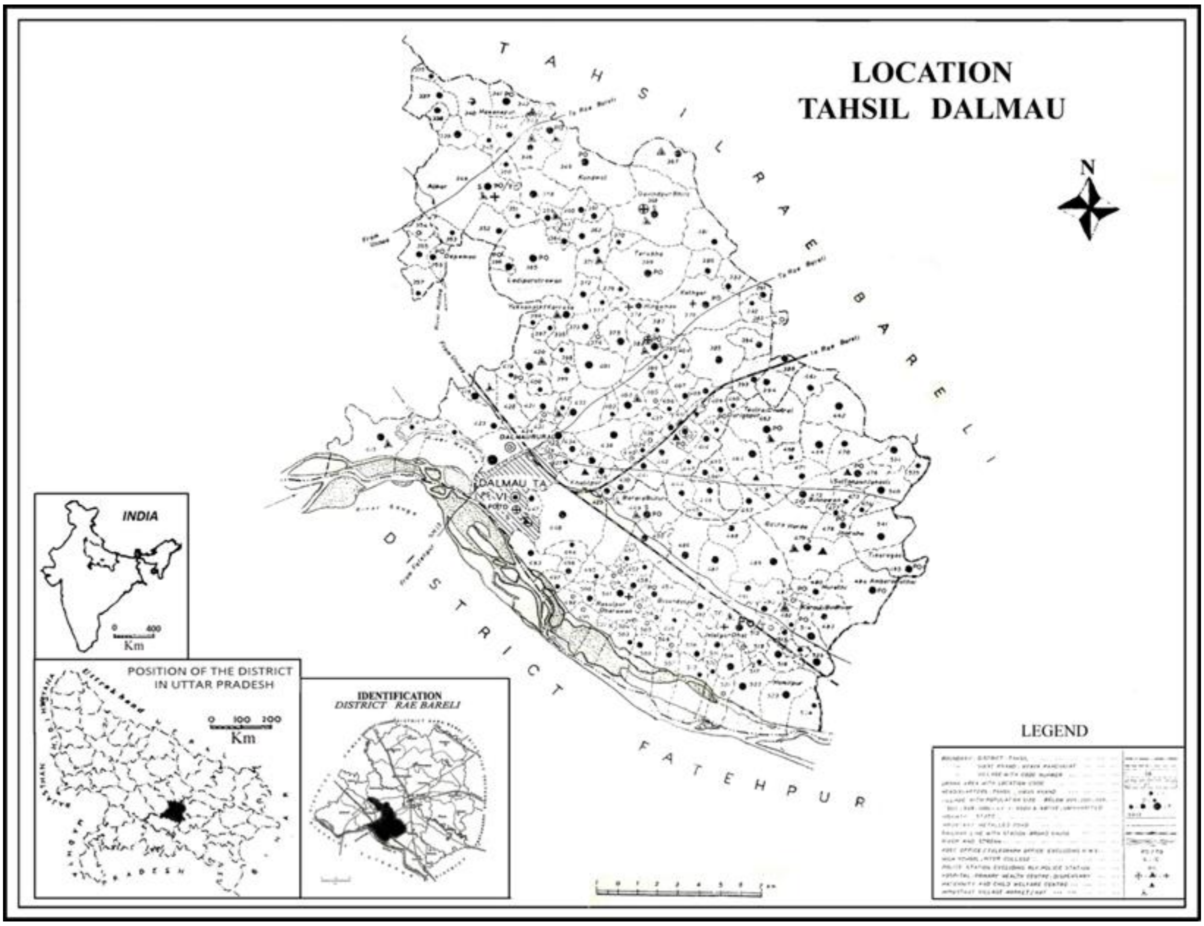

मानचित्र –1

डलमऊ तहसील मुख्यालय जनपद मुख्यालय रायबरेली से 30 किमी0 की दूरी पर दक्षिण दिशा में पतित पावनी गंगा के बायें किनारे पर स्थित है। डलमऊ कस्बा आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ–साथ वीरता एवं शौर्य का भी परिचायक रहा है। पराक्रमी भार शिव राजा डलदेव के नाम से ही इस कस्बा का नाम डलमऊ पड़ा। राजा डलदेव का शासन काल 1402 ई0 से 1421 ई0 तक माना जाता है। इस कस्बा का पंजीकरण 1893 ई0 को हुआ था। इस दृष्टि से डलमऊ कस्बा 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। डलमऊ को 'हिन्दुत्व' नाम पुस्तक में रैवत मनवन्तर का 28वॉ सतयुग कहा जाता है (*डलमऊ दर्शन,*

2001, पृष्ठ 39–63)। यह वह समय है जो कि महाभारत के पहले का है जिस समय पाण्डवों को लाक्षागृह में रखकर दुर्योधन ने उन्हें जलाने की कोशिष की थी वह स्थान लाक्षागृह वनस्थली डलमऊ में था उस समय डलमऊ की भूमि एक विशाल मैदानी वनस्थली के रूप में थी जो महर्षि दालभ्य की तपस्थली रहा है।

सामान्यतः तहसील जीवन निर्वाहक कृषि क्रियाकलापों वाला क्षेत्र है जहॉ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 58.16 प्रतिशत भूमि के अन्तर्गत है जिसमें मुख्य रूप से धान, गेंहू तथा अन्य मोटे अनाज वाली फसलों की खेती की जाती है। तहसील वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा कृषि अनुषंगीय व्यवसाय होने के कारण कार्यशील जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक इन्हीं क्रियाओं में संलग्न हैं। सामाजिक – आर्थिक रूप से पिछड़ा ग्रामवासी क्रमशः शैक्षिक विकास के कारण राजनैतिक चेतना में प्रबुद्ध हुआ है जो निश्चय ही संधृत कृषि विकास की तरफ संकेत देता है। तहसील में अवस्थापनात्मक तत्व पूर्णरूपेण विकसित एवं वितरित नहीं है फिर भी कुछ क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के माध्यम से लोगों के सांस्कृतिक पक्ष को उजागर किया है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हुआ है लेकिन पारिस्थितिकीय तन्त्र में गिरावट दृष्टिगत हो रहा है।

सम्प्रति कृषि तथा तत्सम्बंधी क्रियाकलाप, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि निवेश एवं प्रोद्यौगिकी का अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग, अनियोजित कृषि पद्धति, पूर्णकालिक रोजगार न मिलने से सीमान्त कर्मकरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, परिवहन एवं संचार के साधनों में कमी एवं गिरावट, सड़कों की दयनीय स्थिति, सामाजिक रूढ़िवादिता एवं ग्रामीण निर्धनता तहसील की सर्वप्रमुख समस्या है। अतएव इस गतिरोध को दूर करने के लिए उपरोक्त समस्याओं के निदान एवं परिवर्तन हेतु ग्रामीण वासियों एवं सरकारी तन्त्र को कन्धे से कन्धा मिलाकर संधृत कृषि विकास की प्रक्रिया को और गतिमान करना होगा।

भूमि उपयोग दक्षता

भूमि उपयोग अध्ययन में भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी भी क्षेत्र या भू–भाग में भूमि उपयोग की दक्षता समान्यतया उस क्षेत्र में विद्यमान भौतिक, समाजार्थिक एवं प्रोद्योगिकी तत्वों के संयोग का द्योतक है। इस प्रकार भूमि उपयोग परिवर्तन भौतिक (समतल धरातलीय, जलवायु एवं मृदा), आर्थिक (खेतों का आकार, कृषि का प्रकार, फसलों का हेर–फेर, सिंचाई एवं यन्त्रीकरण) एवं सामाजिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है। *बारलों एवं जानसन, 1954* ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''भूमि उपयोग दक्षता, भूमि उपयोग के वृद्धि या विकास को प्रकट करती है तथा यह भूमि सम्बन्धी समस्याओं और नीतियों का केन्द्र है।'' *सिंह, बी. बी.,1994* ने भी स्पष्ट किया है कि ''भूमि संसाधन

उपयोग की मात्रा वास्तव में विभिन्न तत्वों के आपसी क्रियाकलापों या अन्तर्सम्बंधों पर आधारित होती है। किसी विशेष समय या स्थान पर इन तत्वों का संयोग भूमि संसाधन उपयोग की दक्षता को निर्धारित करता है।

कृषि भूगोलवेत्ताओं ने कृषि भूमि उपयोग दक्षता ज्ञात करते समय भूमि उपयोग प्रतिरूप के विभिन्न पक्षों को आधार माना है क्योंकि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न क्षेत्रों में विविध मात्रा में विभिन्न प्रकार के मिलते हैं जो वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूमि एवं बहुशस्यीय भूमि आदि को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों का तुलनात्मक एवं सामूहिक व्याख्या आवश्यक है। इस प्रकार जो भूमि इकाई सर्वाधिक शुद्ध आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली होती है वह उच्चतम भूमि उपयोग दक्षता के अन्तर्गत रखी जाती है।

भूमि उपयोग दक्षता की संकल्पना एवं मापन

भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण किसी भी भूमि से शुद्ध लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है जो भूमि विशेष में निश्चित समय पर प्रयुक्त होने वाले प्राविधिकी स्तर पर निर्भर करता है। जहाँ पर उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है वहाँ पर भूमि उपयोग दक्षता अधिक होती है। इसके निर्धारण में किसी भी क्षेत्र के कृषित भूमि एवं अकृषित भूमि के साथ–साथ सिंचित तथा बहुशस्यीय भूमि आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। *वारलो ,1954* के अनुसार ''कृषि दक्षता का सम्बंध उस प्रभावोत्पादक क्रिया से है जहाँ पूँजी तथा श्रम के लगातार प्रयोग के आधार पर भूमि की उत्पादन दक्षता में लगातार वृद्धि होती है''। अनेक भूगोलवेत्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने भूमि उपयोग दक्षता की गणना के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया है। जिनमें *बक (1967)* ने सर्वप्रथम कृषि उत्पादन से प्रतिव्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित विधि को अपनाया जिसे ''अन्न तुल्य विधि'' कहा। इसके अलावा *केण्डाल (1939), स्टैम्प (1960), सफी (1960), सप्रे* तथा *देशपाण्डे (1964)* एवं *भाटिया (1967)* आदि विद्वानों के विशेष योगदान उल्लेखनीय है।

प्रस्तुत अध्ययन में भूमि उपयोग दक्षता का निर्धारण *'भाटिया विधि'* द्वारा किया गया है। *भाटिया* महोदय ने भूमि उपयोग दक्षता निर्धारण के लिए चार चरों यथा–कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूमि एवं शस्य गहनता का प्रयोग किया है किन्तु प्रस्तुत अध्ययन मे छः चरों यथा वन क्षेत्र, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि के मान को आरोही एवं अवरोही क्रमानुसार सुसज्जित किया गया है। इसमें प्रथम तीन श्रेणी (वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, एवं कृषि योग्य भूमि) के उच्चतम प्रतिषतता को 21 अंक तथा न्यूनतम प्रतिशतता को एक अंक प्रदान किया गया है (चूंकि

न्यायपंचायतों की संख्या 21 है) एवं शेष तीन श्रेणी (शुद्ध कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि) के उच्चतम प्रतिशतता को एक अंक तथा न्यूनतम प्रतिशतता को 21 अंक प्रदान किया गया हैं तत्पश्चात् भूमि उपयोग दक्षता कोटि गणना के आधार पर निर्धारित किया गया।

भूमि उपयोग दक्षता का स्तर एवं वितरण प्रारूप– अध्ययन क्षेत्र तहसील डलमऊ के भूमि उपयोग दक्षता स्तर का निर्धारण कोटि गणना के आधार पर करने के पश्चात् इसे मुख्यतः चार श्रेणियों यथा उच्च, मध्यम, निम्न एवं अतिनिम्न में विभाजित किया गया है क्योंकि यहां भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पायी जाती है (निम्न सारणी)।

सारणी : भूमि उपयोग दक्षता स्तर का परिवर्तित प्रारूप

दक्षता स्तर	**विचलन सूचकांक**	**न्यायपंचायतों की संख्या**	
		1990–91	**2019–20**
उच्च	0.75 से कम	4	4
मध्यम	0.75 – 1.00	6	6
निम्न	1.00 – 1.25	7	7
अतिनिम्न	1.25 से अधिक	4	4

उच्च भूमि उपयोग दक्षता स्तर– उच्च भूमि उपयोग दक्षता वाली न्यायपंचायतों का विचलन सूचकांक 0.75 प्रतिशत से कम पाया जाता हैं। इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों में कृषित भूमि, सिंचित भूमि एवं दो फसली भूमि की मात्रा उच्च पायी जाती है जबकि वन क्षेत्र, कृषि अयोग्य एवं कृषि योग्य भूमि अल्पतम मात्रा में पायी जाती है। इसके परिवर्तित प्रारूप (मानचित्र–2) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में उच्च भूमि उपयोग दक्षता के अन्तर्गत 4 न्यायपंचायतें थीं जिनका मुख्य संकेन्द्रण पश्चिम से दक्षिण पूर्व एक संकरी मेखला के रूप में पाया है जिसमें न्यायपंचायत कोरौलीदमा, मखदूमपुर, जलालपुरधई एवं सुट्ठाहरदो न्यायपंचायते सम्मिलित है। जबकि वर्ष 2019–20 में भी इनकी संख्या 4 ही रह गयी लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर कोरौलीदमा, बराराबुजुर्ग, गोविन्दपुरभीरा एवं भरसना न्यायपंचायतों में अवस्थित हो गयी लेकिन इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर उच्च होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी बढ़ोत्तरी हुआ है।

मध्यम भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 0.75 से 1.00 विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचायतों को सम्मिलित किया गया है। जहाँ कृषित भूमि, सिंचित भूमि, दो फसली भूमि, वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि एवं कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल औसत रूप में पाया जाता है। परिवर्तित प्रारूप के आधार पर वर्ष 1990–91 में मध्यम भूमि उपयोग दक्षता उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत गौराहरदो, अलावलपुर एवं बिन्नावा, मध्यवर्ती भाग के भरसना एवं बराराबुजुर्ग तथा पश्चिमी भाग के न्यायपंचायत नरसवॉ में पाया जाता थीं। जबकि वर्ष 2019–20 में मध्यम भूमि उपयोग दक्षता वाली न्यायपंचायतों की संख्या 6 ही रही। लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों में ऐहार, मखदूमपुर, कोरौलीदमा, घुरवारा, अलावलपुर एवं बिन्नावा में अवस्थित हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर उच्च होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी बढ़ोत्तरी हुआ है।

निम्न भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 1.00 से 1.25 विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचयतों को सम्मिलित किया गया हैं जहाँ कृषित भूमि, दो फसली भूमि एवं सिंचित भूमि अपेक्षाकृत निम्न होती है तथा वन भूमि, कृषि योग्य भूमि एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस वर्ग के परिवर्तित प्रारूप पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले न्यायपंचायतों की संख्या 7 थी जिसमें मधुकरपुर, गोविन्दपुरभीरा, (उत्तरी भाग), घुरवारा एवं राधाबालमपुर (मध्यवर्ती भाग), ऐहार (पश्चिमी भाग), धमधमा (दक्षिणी–पूर्वी भाग) तथा थुलरई (उत्तरी–पूर्वी भाग) न्यायपंचायतें थीं। वहीं तीन दशक के पश्चात् 2019–20 में इस वर्ग में आने वाली न्यायपंचायतों की संख्या 7 ही रही, लेकिन उनकी अवस्थिति परिवर्तित होकर थुलरई, बिन्नावा, रसूलपुरधरावां एवं सुट्ठाहरदो में सम्मिलित हो गयी जबकि गौण संकेन्द्रण उत्तरी भाग (मधुकरपुर एवं कठगर), पष्चिमी भाग (मखदूपुर) एवं मध्यवर्ती भाग में राध्ससबालमपुर, जलालपुरधई एवं थुलरई में निम्न भूमि उपयोग दक्षता हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में घट़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर भी निम्न होने एवं वन भूमि, कृषि योग्य एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी घट़ोत्तरी हुआ है।

अति निम्न भूमि उपयोग दक्षता स्तर– इस वर्ग में 1.25 से अधिक विचलन सूचकांक वाली न्यायपंचायतों को सम्मिलित किया गया है जहां निम्नतम कृषित भूमि, दो फसली भूमि एवं सिंचित भूमि साथ–साथ उच्चतम वन भूमि, कृषि अयोग्य भूमि एवं कृषि योग्य भूमि पायी जाती है, जिनकी अवस्थिति प्रायः नदी तटीय अपरदित ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में है जहाँ कृषि अवस्थापना तत्वों का समुचित विकास एवं उपयोग नही हो पाता।

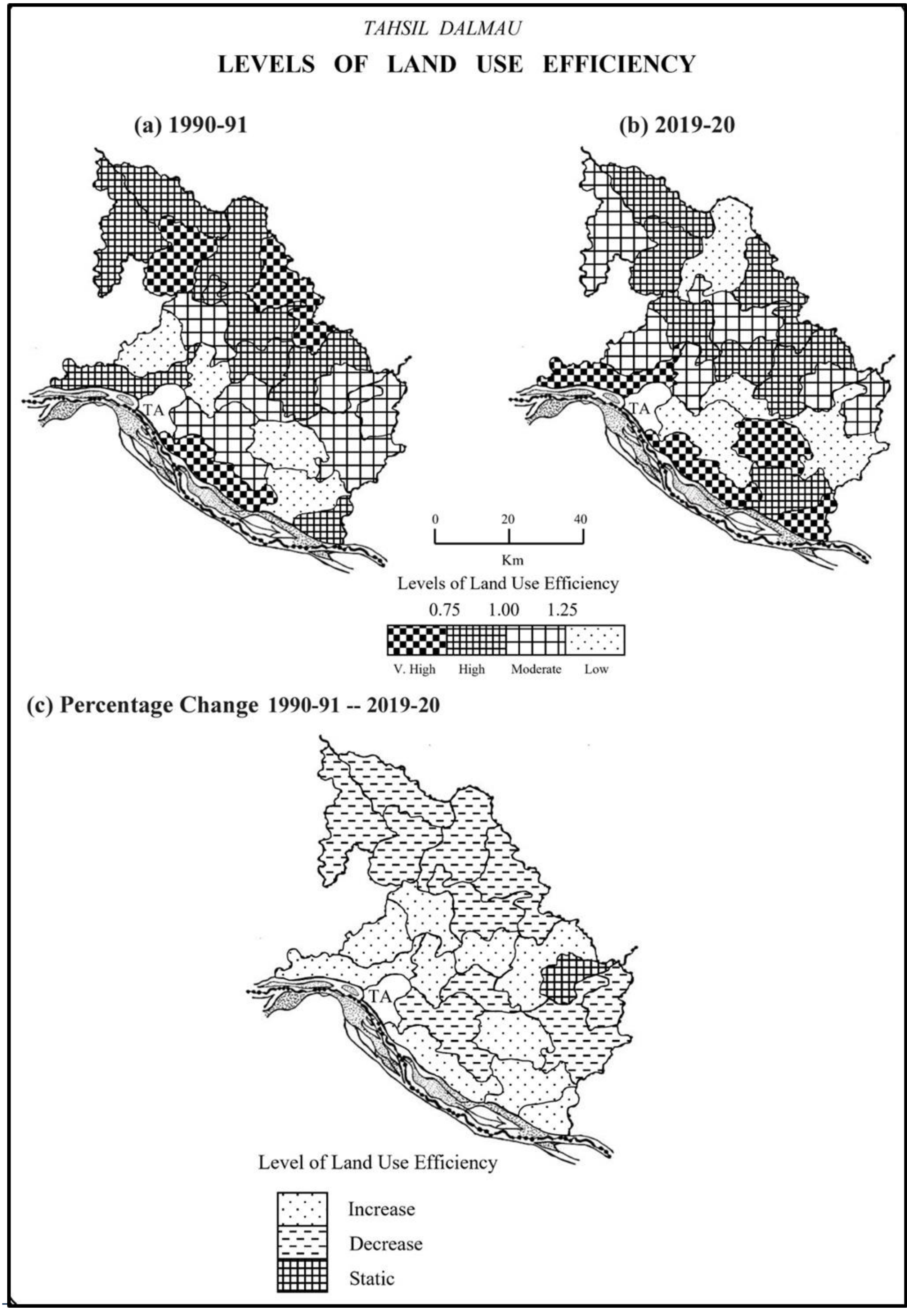
TAHSIL DALMAU
LEVELS OF LAND USE EFFICIENCY
(a) 1990-91
(b) 2019-20
TA
TA
0
20
40
Km
Levels of Land Use Efficiency
0.75
1.00
1.25
V. High
High
Moderate
Low
(c) Percentage Change 1990-91 -- 2019-20
TA
Level of Land Use Efficiency
Increase
Decrease
Static

मानचित्र–2

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के परिवर्तित प्रारूप को देखें तो तहसील में वर्ष 1990–91 में अति निम्न भूमि उपयोग दक्षता के क्षेत्र दक्षिणी भाग में डलमऊ एवं रसूलपुरधरावां, पश्चिमी भाग में लोधीपुरउतरावां तथा उत्तरी भाग में न्यायपंचायत कठगर में था। जबकि वर्ष 2019–20 में मुख्य संकेन्द्रण दक्षिणी भाग में स्थित न्यायपंचायत डलमऊ, रसूलपुरधरावां एवं धमधमा में केन्द्रित हो गयी। क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के साधनों में घट़ोत्तरी होने के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का स्तर निम्न एवं वन भूमि, कृषि योग्य एवं कृषि अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भूमि उपयोग दक्षता में भी घट़ोत्तरी हुआ है।

भूमि उपयोग दक्षता स्तर का परिवर्तित प्रारूप– अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग दक्षता स्तर के परिवर्तित प्रारूप (वर्ष 1990–91 एवं 2019–20) पर दृष्टिपात (मानचित्र–2) किया जाय तो ज्ञात होता है कि तहसील के दक्षिणी, मध्यवर्ती, पश्चिमी एवं पूर्वी भाग की न्यायपंचायतों क्रमशः डलमऊ, जलालपुरधई, रसूलपुरधरावां, धमधमा कोरौलीदमा, राधाबालमपुर, सुट्ठाहरदों, नरसवां, मखदूमपुर एवं थुलरई की भुमि उपयोग दक्षता स्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी जिसका मुख्य कारण इन न्यायपंचायतों में कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास के साथ–साथ आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। वहीं तहसील के पश्चिमी भाग में स्थित न्यायपंचायत ऐहार, लोधीपुरउतरावाँ, उत्तरी भाग में न्यायपंचायत मधुकरपुर, गोविन्दपुरभीरा, कठगर, मध्यवर्ती भाग में न्यायपंचायत घुरवारा, बराराबुजुर्ग, भरसना तथा पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत अलावलपुर एवं गौराहरदो में घटोत्तरी हुई क्योंकि इन न्यायपंचायतों में सिंचाई के समुचित साधनों के अभाव के साथ–साथ कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों का उपयोग नहीं हो रहा है जबकि उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित न्यायपंचायत बिन्नावा में भूमि उपयोग दक्षता स्थैतिक रही, क्योंकि यहाँ सिंचाई के अभाव में भूमि उपयोग एवं कृषि प्रतिरूप में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अतः तहसील के भूमि उपयोग दक्षता स्तर में वृद्धि एवं असमानता को दूर करने हेतु सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर के उत्थान के साथ ही साथ कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास एवं उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संधृत कृषि विकास नियोजन – ग्रामीण जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि है एवं ग्रामीण आय के स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सेदार है *(मिश्रा, 1985, पृष्ठ 106)*। इसलिए कृषि विकास में कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय आधारित आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने की नीति सम्मिलित होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र का उचित भूमि उपयोग उस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक मूल्यों तथा आर्थिक समृद्धता का द्योतक है *(सिन्हा एवं राय, 1993)*। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का केन्द्र कृषि विकास है, क्योंकि यह ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी है। अतः किसी भी क्षेत्र के विभिन्न पक्ष के सम्यक अध्ययन एवं मूल्यांकन के पश्चात् वहॉ के भूमि उपयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे अनुकूलतम भूमि उपयोग के अनुसरण के साथ–साथ भूमि संसाधन के दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में कृषि पर आधारित जीवन निर्वाहक भूमि उपयोग प्रारूप पाया जाता है जो परम्परागत होते हुए भी विकासोन्मुख कृषि अर्थतंत्र की ओर अग्रसर है। भूमि उपयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कृषिगत भूमि उपयोग है, जिस पर अधिकाधिक जनसंख्या के भरण–पोषण का भार रहता है। अध्ययन क्षेत्र में अनुकूलतम भूमि उपयोग की स्थिति की प्राप्ति में भौतिक कारक के साथ–साथ मानवीय कारक भी अवरोधक हैं। अतः

अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग नियोजन हेतु प्राकृतिक एवं सामाजार्थिक पहलुओं को ही प्रमुखता दिया गया है। इसलिए समय–समय पर भूमि उपयोग प्रारूप का मूल्यांकन कर भूमि के प्रत्येक टुकड़े का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कारगर उपाय आवश्यक है, जो निम्नलिखित है :

- ऊबड़–खाबड़ एवं बीहड़ीकृत क्षेत्रों में समतलीकरण तथा मेड़बन्दी सुनिश्चित करना।
- ऊसर भूमि का सुधार एवं ऊसरीकरण प्रक्रिया पर नियंत्रण हेतु उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करना।
- उपजाऊ कृषिगत भूमि पर ईंट निर्माण, आवास निर्माण या अन्य गैर कृषिगत कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु सख्त कानून बनाना।
- मृदा उर्वरता में संधृत अभिवृद्धि हेतु आर्गेनिक फार्मिंग उपाय यथा जैव उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग एवं वर्मी कम्पोस्ट को अंगीकार करना।
- कृषि योग्य भूमि का सुधार करके कृषित भूमि में सम्मिलित किया जाय।
- नीलगाय, बन्दरों, सुअर आदि से बचाव के लिए घुइयां, आलू, सूरन आदि फसलों के बुआई पर जोर दिया जाय तथा पशुओं से बचाव हेतु कनाडा देश के रेण्डियर पद्धति पर अमल किया जाय।
- स्थानीय भौगोलिक दशाओं के अनुरूप कृषि व्यवसायों को कायम रखना।
- मृदा एवं मौसम अनुकूल शस्यों के चयन को सुनिश्चित करना।
- सामाजार्थिक परिस्थितियों के अनुरूप शस्य चक्र को कायम करना।
- मिलवा/अन्तः शस्यन पद्धति को अंगीकार करना।
- रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।
- पौष्टिक खाद्यापूर्ति हेतु पौष्टिकता की दृष्टि से शस्यों का चुनाव करना।
- सघन शस्योत्पादक क्षेत्रों में जलीय, उद्यानी आदि कृषि पद्धति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्ण कालिक रोजगार हेतु हस्तशिल्प/कुटीर उद्योगों को सुनिश्चित करना।
- अधिक उत्पादन एवं शीघ्र पकने वाली शस्यों का चयन करना।
- अनुकूलतम सिंचाई हेतु तकनीकी विकास के साथ–साथ परम्परागत जलाशयों का विकास कर धरातलीय जल के अधिकतम उपयोग एवं भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करके जल स्तर में अभिवृद्धि सुनिश्चित करना।
- एकीकृत कृषि प्रबन्धन यथा एकीकृत कृषि अनुषंगीय व्यवसाय प्रबंधन, पोषण प्रबन्धन, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत जल प्रबंधन, एकीकृत बीज प्रबन्धन, एकीकृत फार्मिंग, एकीकृत फसल प्रबन्धन आदि पद्धतियों पर बल देना, जिससे कृषिगत विविधता में अभिवृद्धि हो सके।
- सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों के कृषकों को कृषि बीमा (फसल बीमा, पशु बीमा, उद्यानी कृषि बीमा, सुनिश्चित कृषक दुर्घटना बीमा, अन्य कृषि अनुषंगीय व्यवसाय बीमा) सुनिश्चित करना।

- कृषिगत विविधता में अभिवृद्धि करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों यथा फल, गन्ना, सब्जी, गेंहूँ, तेल, दुग्ध, मांस, ऊन, कपास आदि औद्योगिक संस्थानों की स्थापना व विकास हेतु प्रशिक्षण/सस्ता ऋण/वितरण केन्द्रों की स्थापना/त्वरित यातायात संचार आदि को गुणवत्ता युक्त प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना।

सन्दर्भ सूची

1. Barlow, R. (1958), "**Land Resource Economics: The Political Economy of Rural and Urban land Resource Use**," prentice Hall, New York. Englewood Cliff, N. S., p. 12
2. Barlow, R and Johnson, V.W. (1954), "Land **Problems and Policies**," Mc Graw Hill Book Co. , Network, p.29.
3. Bannet H.H. (1939), "**Soil Conservation**," p.94
4. भूमि उपयोग परिषद (1996), "उत्तर प्रदेश मे वनीकरण/वृक्षारोपण द्वारा अपघटित भूमि उपयोग नियोजन, " उत्तर प्रदेश सरकार, पृ0 64–65।
5. Chandel, R.S. (1991), "**Agricultural Change in Bundelkhand Region**," Star Distributor Varanasi, pp. 79-80.
6. Chandel, R.S. and Asthana, S.P. (1992), "Spatio Temporal Imbalances in Agricultural Efficiency in Ganga Plain," **NGJI**, Vol.42, pt.1 & 2, pp. 106-115.
7. Chandel, R.S. and Singh, V.R. (1992), "Problems and Prospects of Dry land Agriculture in India: An Analytical Study" (Hindi), **Geo. Science journal**, Vol.6, pt 1&2. pp. 41-53.
8. चौधरी, सी0 एम0 (2008), "भारतीय कृषि का विश्लेषणात्मक विवेचन", **कुरुक्षेत्र,** अंक 9 (जुलाइ), पृ0 26।
9. चौहान, ए0 के0 (2006), "आधुनिक खेती के विकास की आवश्यकताए एवं सुझाव", **प्रतियोगिता दर्पण** (जुलाई), पृ0 2207.।
10. Chauhan, D.S. (1966), "**Study in Utilization of Agricultural Land**", pp. 166-175.
11. कमलेश, एस0 आर0 एवं ठाकुर, आर0 के0 (1996),"विलासपुर संभाग में कृषि भूमि उपयोग की समस्याएं: एक भौगोलिक अध्ययन'', **उत्तर भारत भूगोल पत्रिका** अंक 32, संख्या 1–2 (जून दिसम्बर), पृ0 39–44।
12. मुकेश चन्द्र (2004), "बुन्देलखण्ड़ की बंजर भूमि मे हरियाली", **कुरुक्षेत्र,** अंक 8 (जून), पृ0 27।
13. NRSA (1995), "**Report on Area Statistiks of Land Use Land Cover Generated: Using Remote Sensing Techniques**," Cartography and Map, Printing Group NRSA, Hyderabad. p. 21.
14. पटेल, आर0 बी0 (1999), "गण्डक नहर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में भूमि उपयोग का गत्यात्मक स्वरुप" , **भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका,** पृ0 1–14 ।

15. Singh, B. (1977), "Land use: Its Efficiency. Stages and Optimum Use, **NGJI**, p. 63.
16. Singh, V.R (1962), "Land utilization in the Never hood of Mirzapur, U.P," **PhD Thesis Pub** (1970), BHU, Varanasi.
17. Singh, M.B. and Chandel, R.S. (1990), "An Assessment of Agricultural Changes in Three Villages of Jaloun District in Uttar Pradesh," **Geographical Iugoslavica (Yugoslavia)**, Vol.12, pp 77-85.
18. Singh, M.B. and Chandel, R.S. (1998), "An Appraisal and Management of Waste Lands: A Case Study," **NGJI** , Vol. 44, No.1-4, pp 173-180.
19. Singh, V.R. and Chandel, R.S. (1990), "Pulse Production in, Utter Pradesh: Problems and Prospects," **Geo Science Journal**, Vol.5, No 1-2, pp. 9-16.
20. Singh, V.R. and Chandel, R. S. (1991), Changes in Crop Combination Regions in Bundelkhand Regions: A Case Study, **Geosphere**, Vol.1, No.1, pp 46-
21. Stamp, L.D. (1962), "**The Land of Britain: Its Use and Misuse**", London, p.426.
22. श्रीवास्तव, एन0 बी0 (1990), " सामाजिक बानिकी–एक विश्लेषण", **कुरुक्षेत्र,** अंक 6 (अप्रैल), पृ0 33।
23. **Technical Task Group Report** (1986), "राष्ट्रीय बेकार भूमि विकास समिति, वन मंत्रालय, भारत सरकार।
24. Tyagi, B.S. (1972), "Agricultural Intensity in Chunar Tahsil, District Mirzapur, U.P". **NGJI**, Vol. 19, NO.1, pp. 42-48.
25. Vennzetli, C. (1972), "Land **use and Natural Vegetation in International Geography**", Edited by W. Peter Adares Fredrick M. Melleiner, Toronto University press. pp. 1105- 1106.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

मत्स्येन्द्र शुक्ल की कविताओं में गरीब किसानों का आत्मसंघर्ष

अर्चना शुक्ला
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रींवा (म0प्र0)

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 194-197
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

सारांश– कवि मत्स्येन्द्र इस सत्य से परिचित हैं कि किसान ही इस धरती का प्रथम उत्पादक है। किसान की मेहनत के बिना किसी प्रकार का खाद्य उत्पादक सम्भव नहीं है। हम अपने मुख से जितनी भी वस्तुएँ पेट में उतारते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें धरती से ही प्राप्त होती है। इसके साथ यह सत्य भी जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु जो धरती से पैदा होती है उसका जन्मदाता किसान ही होता है। किसान के बिना जीवन सम्भव है, पर किसानी के बिना नहीं।

मुख्य शब्द– मत्स्येन्द्र शुक्ल, कविता, गरीब किसान, आत्मसंघर्ष, जन्मदाता।

मत्स्येन्द्र शुक्ल की कविताओं में सामाजिक परिवेश के विभिन्न पहलू दृष्टिगत होते हैं। समाज में व्याप्त वर्गीय संघर्ष को आपने बड़ी सूक्ष्मता के साथ अपनी कविताओं में चित्रित किया है। आपने सामाजिक वर्ग की अवधारणा से अपनी कविताओं का प्रमुख विषय बनाया है। हमारे सामाजिक परिवेश में वर्ग का प्रचलन उत्पादन साधनों के विविधता के कारण उत्पन्न हुआ है। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से मत्स्येन्द्र शुक्ल ने विविध परिस्थितियों को मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। जैसे–हम देखते है कि समाज में उच्च वर्ग का जीवन विलासितापूर्ण होता है और यह वर्ग अत्यन्त अभिमानी, स्वावलम्बी और महात्वाकांक्षी होता है। वास्तव में यह वर्ग अपने परिवेश का अनुसरण करता है और समाज को बताना चाहता है कि उच्च वर्ग का अपना अलग सामाजिक परिवेश है। मत्स्येन्द्र शुक्ल ने समाज को विभिन्न समस्याओं जैसे आर्थिक विषमता, भुखमरी, कुपोषण, रोगग्रस्तता, दीनहीन दशा का अनुभाविक चित्रण अपनी कविताओं में किया है। जहाँ एक ओर उच्च वर्ग पूँजीवाद का प्रतीक है तो मध्यम वर्ग समझौते का और निम्न वर्ग अभावों का प्रतीक है। सामाजिक रूप से ये तीनों वर्ग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहते हैं। उच्च वर्ग की महात्वाकांक्षा और आर्थिक सम्पन्नता के कारण मध्यम और निम्न वर्ग अपने आपको शोषित के रूप में देखने लगता है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

मत्स्येन्द्र शुक्ल का काव्य ग्रामीण जीवन की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कवि मत्स्येन्द्र बाल्यावस्था से ऐसे ग्रामीण परिवेश में पले–बढ़े हैं जहाँ अभाव, दुःख तथा जमींदारों एवं सेठ–साहूकारों का शोषण निरन्तर चला आया है। ऐसे ग्रामीण जीवन का चित्रण उन्होंने यहाँ की पनिहारिनों, श्रमिकों तथा गाय, बैलों के चरने–चराने से जोड़कर किया है। अपनी कविता यात्रा का आरम्भ उन्होंने सादगी भरे सरल जीवन को किसान चेतना का आधार बनाया था, किन्तु उन्होंने देखा कि किसान के जीवन की कठिनाइयाँ इतनी भयावह है कि जिस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूरे समाज या देश की होती है।

मत्स्येन्द्र की कविता का किसान मातृभूमि को आने वाले परतन्त्रता के संकट से बचाने के लिए एकजुटता का परिचय देकर 'जवान' रूप में देश की रक्षा करता है। कवि कहता है–

''जहाँ देश को पड़ी जरूरत
जुटकर आगे आये।
शीश उठाकर खून बहाया
संकट दूर भगाये।।''[1]

जन–जीवन में किसानों का प्रवेश भारतेन्दु युग से ही आधुनिकता के एक लक्षण की तरह होता है। भारतेन्दु ने अपने नाटकों में लोकभाषा या जन–भाषा का प्रयोग इन्हीं किसानों के लिए किया है जो अधिक पढ़े–लिखे नहीं थे। पूरे देश या कि भारतीय समाज में बढ़ती हुई शिक्षितों की संख्या के अनुरूप द्विवेदी युग में वास्तविक आधुनिकता का आगमन होता है। डॉ0 देवी शंकर अवस्थी ने लिखा है– ''यदि रिसर्च के बिन्दु को खींचकर लकीर बना देने वाली प्रकृति से कुछ समय के लिए पीछा छुड़ाकर सोचा जाय तो मेरे विचार से आधुनिक कविता का प्रारम्भ इस तीसरे चरण अर्थात् 1900 ईस्वी के आस–पास से माना जा सकता है। इस समय के आस–पास 'नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना होती है। 'सरस्वती' का प्रकाशन आरम्भ होता है, खड़ी बोली का आन्दोलन जोर पकड़ता है और बालमुकुन्द गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक और हरिऔध जैसे व्यक्तित्व सामने आते हैं।''[2]

आधुनिकता के उदय के साथ ही नवजागरण तथा जातीय जागरण की भावना देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को जन्म देती है। मत्स्येन्द्र के काव्य में विद्यमान 'किसान चेतना' लोकतन्त्रीय चेतना से प्रेरित समझ पड़ती है। कवि को कल्पना में अब यह गाँव बदल गया है।

प्रेमचन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' के कथानायक में होरी के आगमन से किसान जीवन के ऐसे नायक का उदय हुआ है जिसे अपने 'मर्जाद' की चिन्ता सताती है और अपनी गरीबी की भी। मजदूर और किसान शोषित का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने विपक्षी शोषकों, जमींदारों तथा महाजनों को बखूबी पहचानते हैं। मत्स्येन्द्र के काव्य में अधिकांश ऐसे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो श्रम से नहीं भागते

तथा मजदूरी या कृषि कर्म में अपनी जोत का लगान देने के बाद जमींदारों के दबाव में नहीं रहना चाहते हैं। मत्स्येन्द्र के काव्य में वर्णित ग्रामीण जीवन के ऐसे किसान हैं जो जनवादी चेतना से आगे बढ़ता हुआ लोकतन्त्रीय चेतना में अपने उपस्थिति दर्ज कराता है। यहाँ मत्स्येन्द्र चेतना का अनुशीलन करना उचित माना है।

जनवादी चेतना प्रगतिशीलता की परवर्ती पहिचान है जिसमें प्रमुख रूप से जन की भागीदारी होती है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है– ''प्रेमचन्द्र ने अपनी आँखों से समाज को देखा था। वे इस नतीजे पर पहुँचे थे कि बन्धन भीतर का है, बाहर का नहीं। बाहरी बन्धन भी दो प्रकार का होता है एक का नाम है संस्कृति और दूसरे का नाम है सम्पत्ति।''[3] जन संस्कृति का ही एक रूप किसानों की संस्कृति है जिन्हें अब अपने अधिकार का ज्ञान होने लगा है। किसानों की इसी चेतना को यदि हम लोकतन्त्रीय चेतना के माध्यम से समझ ले तो मत्स्येन्द्र के काय का ग्रामीण और किसान जीवन की सही पहचान की जा सकती है। किसान की समझदारी चाहे कितनी ही बड़ी हो पर परिश्रम करने के लिए वह मजबूर होता है। मत्स्येन्द्र एक कविता में लिखते हैं–

''पसीने से भींगी बण्डी फटी कमीज
सिर से बँधा गमछा उबास बदबू से भरा
मेड़ पर रख दिया कि सूखे तनिक देर
झेले नग्न देह थोड़े समय तक सूरज का ताप
हल चला पसीने से धोता सूखा चेहरा''[4]

मेहनती किसान का पसीने का भीगा शरीर और उसके कपड़े की बदबू का वर्णन तो इनकी कई कविताओं में है। इतनी मेहनत करने वाले इन कृषक मजदूरों की सुधि लेने नेता था जनप्रतिनिधि कई वर्ष बाद इनके बीच आते हैं। यदा–कदा यदि कोई इन गाँवों में पहुँचता भी है तो वह अपना स्वार्थ पूरा कर दुबारा आने की बात नहीं सोचता। यदि देश में वोट की राजनीति नहीं होती तो इनसे कोई भी जनप्रतिनिधि बात करना पसन्द नहीं करता। उक्त यथार्थ को अब देश का किसान जानता है। समसामयिक 'किसान चेतना' इसी समझ का दूसरा नाम है। ग्रामीण किसानों के जागृत होने से सारा समाज जागृत हो गया है। जहाँ आम आदमी दुःख से कलझ रहा है वहाँ ग्रामीण किसान अब सत्ता की पोल खोलने को तैयार है। कवि अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कृषक मजदूरों की इन क्रियाओं पर सूक्ष्म दृष्टि डालकर समाज के सामने लाता है–

"काँख कर बोझ उठाता मजदूर जो कुछ दूर
नहीं समझ पाता जुल्म का अन्त कौन करेगा अब
खलिहान की कटीली धूप में ऐसे ही तपेगी देह
जाँगर–चोर कह ललकारेगा मालिक दुष्ट।"[5]

कवि मत्स्येन्द्र ने अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन बखूबी किया है। वे कहते हैं कि प्रकृति की सान्निध्य में रहते–रहते मनुष्य कब कृषक बन गया, शायद उसे इसका पता ही नहीं चला। यही सौन्दर्यमयी प्रकृति ही मानव–जीवन का हेतु बन चुकी है। शायद किसान ही सर्वाधिक प्रकृति के सम्पर्क में रहता है। मौसम का परिवर्तन ही किसान की समस्त क्रियाओं का नियामक है। कवि मत्स्येन्द्र एक कृषक परिवार में पैदा हुए थे और यही कारण है कि वे प्रकृति और ग्रामीण संस्कृति के अत्यन्त निकट हैं। ग्रामीण परिवेश में खेती–किसानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी कविताओं में जो ग्रामीण परिवेश का चित्र खींचा है वो कल्पनाजन्य नहीं है बल्कि कवि का प्रत्यक्ष अवलोकन है। वस्तुतः कवि मत्स्येन्द्र इस सत्य से परिचित हैं कि किसान ही इस धरती का प्रथम उत्पादक है। किसान की मेहनत के बिना किसी प्रकार का खाद्य उत्पादक सम्भव नहीं है। हम अपने मुख से जितनी भी वस्तुएँ पेट में उतारते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें धरती से ही प्राप्त होती है। इसके साथ यह सत्य भी जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु जो धरती से पैदा होती है उसका जन्मदाता किसान ही होता है। किसान के बिना जीवन सम्भव है, पर किसानी के बिना नहीं।

सन्दर्भ सूची :–

1.हवा में खेलते शब्द, मत्स्येन्द्र शुक्ल, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007, पृ0 70.
2.आलोचना और आलोचना, डॉ0 देवीशंकर अवस्थी, पृ0 83.
3.हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ0 133.
4.कहना बहुत कुछ, मत्स्येन्द्र शुक्ल, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 2002, पृ0 60.
5.कहना बहुत कुछ–पसीने से धोता चेहरा, मत्स्येन्द्र शुक्ल, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, 2002, पृ0 94.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Dayanand Saraswati's Educational Philosophy and Importance of His Thoughts in The Modern Era

Dr. Chandra Deo Yadav
Associate Professor & Head, Department of Education, Badri Vishal PG College, Farrukhabad (UP)

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 198-207

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

ABSTRACT - In today's world of modernization, industrialization, westernization there is degradation of human values and lack of spirituality, which is the main reason of discontent among the common masses. The students are not able to cope up with the daily life stress and problem which they face at every step. There is unbalanced development of science and technology and ambition and discontentment at all walks of life. Education without character building is the main drawback of the present education system in India. This would result in dangerous consequences in the future and so there is a great need for a complete reorientation of values in the field of education. Education in any country would depend to a large extent on its political, social strength, cultural heritage and development needs. The educational philosophy of Dayanand Saraswati contains in it all that is required for a complete regeneration of India's national life in all its phases.

Keywords - Dayanand, Educational, Philosophy, Importance, Thoughts, Modern, Era.

INTRODUCTION

Among the contemporary Indian philosophers Dayanand Saraswati may be called to be the greatest rationalist. While on the one hand he was a great supporter of Vedas and other holy texts, his approach everywhere was that of a rationalist. He never accepted anything without meditating upon its advantages and disadvantages. His magnum opus Satyartha Parkash is an eloquent testimony to his rationalism. Pointing out the object of this great work Dayanand Saraswati wrote, "There is not the remotest idea to hurt the feelings of any person either directly or indirectly, but on the contrary, the book proposes that men should distinguish truth from falsehood. Thus, alone can the human race steadily advance on the path of happiness, since none but the practicing of truth is the cause of the improvement of the human family." These words express both his rationalism and humanism. It should be remembered that modern humanism is rationalism. Its sole aim is human welfare and aimed at the progress of humanity on the path of happiness. Thus, it was in keeping with this aim that Dayanand Saraswati presented his philosophy. Mul Shankar (as Dayanand was originally named) was born in an orthodox Brahmin family in 1824, in the native state of Morvi in Kathiawar (Gujarat). His Sanskrit education began at the age of five in the traditional manner. An incident took place when he was in the fourteenth year, which was the turning point in his life. While on Shivratri day he went to worship Lord

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Shiva in a temple, he saw rats crawling over the idol. He asked his father how Lord Shiva was incapable of warding off even the rats. Evidently, the idol was but a stone and nothing more. Later he ran away from his home and became a Sanyasi (monk). He became disciple of Swami Virjanand at Mathura. Up to 1863, he studied Vedic Literature, six systems of philosophy and Sanskrit literature and also practiced yoga. He remained a celibate (Brahmachari) throughout his life. After 1863, he devoted his next twelve years in disseminating his philosophy and religious ideas and in reforming social evil in Hindu society.

He contradicted idol-worship, caste-system, ban on remarriage of widows, ban on education of women and other evils in Indian Society. On April 10, 1875 he established the Arya Samaj in Bombay, and later on worked for the spreading of various branches of the organisation throughout the country. He devoted all his time in this sacred task, He Translated Vedas into Hindi, wrote a commentary on the Rig Veda and a volume on his ideas about religion, culture and education, namely Satyartha Prakasha (Light of Truth) On 30th October 30, 1883, he breathed his last at the age of 59. Dayanand Saraswati was a profound scholar of Sanskrit, a critical student of Vedas, a revivalist of Vedic culture, a revolutionary and reformer, a Sanyasi and Yogi, a devout Brahmachari, a spiritual and religious leader, a great teacher, a prophet and philosopher, a protagonist of Hindi as the national language, a strong denouncer of British rule and western culture, and a patriot of the first order. He was a karma Yogi and not a Sanyasi of the type living in forest hermits. Madame Blavatshy says, "It is perfectly certain that India never saw a more learned scholar, a deeper metaphysician, a more wonderful orator, and a more fearless denunciator of any evil than Dayanand Saraswati since the time of Shankaracharya. Mahatma Gandhi also paid tributes: "Among the many rich legacies that Dayanand Saraswati has left to us, his unequivocal pronouncement against untouchability is undoubtedly one". He has been aptly compared with Martin Luther. Whereas Luther's cry was 'Back to Bible, his was 'back to Vedas'.

He had the distinction of modernising the ancient religion of Hinduism denouncing untouchability, reforming Indian Society and advocating a system of education based on ancient Indian system. He thus laid the foundation of (Gurukul kangri). Dayanand Saraswati was an educationist who not only enunciated the principles of a system of Education truly Indian, but also laid the foundation of such a system in the form of Gurukul Vishva Vidyalaya. Gurukul Kangri was established in 1902 by Arya Pratinidhi Sabha, Punjab and Swami Shradhanand, the most noted disciple of Dayanand Saraswati. Another Gurukul for men was established in Vrindaban and Gurukul for girls was also established at Sasani (U.P) and Baroda. These Gurukulas follow the educational system as enunciated by Dayanand Saraswati.

PHILOSOPHY OF LIFE

Back to Vedas: Dayanand Saraswati, the founder of Arya Samaj, believes that the time-old wisdom contained in the Vedas holds the key to all our social and religious problems. His interpretation of the Vedas has brought a new vista of knowledge in the sphere of social reform and educational reconstruction. According to Dayanand Saraswati the Vedas contain the truth of science as well as the truth of religion. He was convinced that the Vedas contain other truths of science which the modern world does not possess at all. The echoes of the Vedic past reverberate in his educational discussion and thinking. He observed: "My Conception of God

and all other objects in the universe is founded on the teaching of the Vedas and other Shastras (Scriptures) and is in Conformity with the beliefs in all ages from Buddha down to Jamini. Dayanand Saraswati believed that the most wonderful truths confined in these books must be brought out and scattered and broadcasted all over the world. Vedas are the great mine of knowledge, wisdom and strength. Therein lies the Strength to vivify and invigorate the whole world.

Staunch Devotee of Truth: “You would spread truth even at the cost of your life.” This was the Sermon given to Dayanand Saraswati by his guru, the blind Sanyasi, Swami Virjanand, at Mathura in 1862, when the former sought leave of his teacher after completing his study of the Vedas. The simple seeming parting advice was so wrought with deep meaning that for the next twenty years Dayanand Saraswati had no rest. He waged war against falsehood and attacked every haunt of evil in society. Truth was the very breath of his life. No temptation could turn him away from truth .In his crusade for truth he remained relentless.

Dayanand Saraswati was a seeker of truth. His life was a vindication of truth. What a great significance he had accorded to truth in his life, and this line of action is mirrored well in the brief, but clear, pronouncements he had made in his magnum opus Satyarth Prakash (Light of truth) and his other works. He Writes: “My Chief aim in writing this book is to unfold truth”. “To speak write about and believe in a thing as it is, constitutes truth.” “I have expounded truth as truth and error as error. The exposition of error place of truth and of truth in place of error does not constitute the unfolding of truth”.

“He that is prejudiced tries to prove that even his error is truth, while the truth of his religious opponent is error. He cannot therefore, know what the true religion is. Hence it is bounden duty of truthful and learned men to unfold the right nature of truth and error before all men in their writing and speeches. It is not our object to hurt anybody’s susceptibilities or to injure anyone. On the other hand, our aim is to further the progress and advance the well being of mankind, to help (all) men in the ascertainment of what is right and to enable them to accept truth, reject falsehood. In our opinion there is no other way of elevating human race”.

Describing the sole aim his life, Swamiji wrote: The sole aim of my life, which have also tried to achieve is to help to put an end to the mutual wrangling, preach universal truth, bring all men into the fold of one religion whereby they may cease to hate each other and instead, may firmly love one another, live in peace and work for their common weal. May this doctrine, through the grace and help of God and with the support of all truthful honest and learned men who are devoted to the cause of humanity. “Aptas” reach every nook and corner of this earth so that all may acquire righteousness and wealth gratify legitimate desires and attain salvation and thereby elevate themselves and live in happiness. This alone is the Chief object of my life.

Conception of religion: Dayanand wrote: “I have not the least idea of founding a new religion or sect. My sole aim is to believe in truth and help others to do the same. Had I been prejudiced I would have championed the cause of any one of the religions of India. But I have not done so. On the contrary, I do not approve of what is

objectionable and false in the institution of this or any other country, nor do I reject what is good and in consonance with true religion, nor have I any desire to do so, because a contrary conduct is not at all worthy of men."

His Conception of 'Dharma' was very sublime. He says: "I believe in a religion based on universal an all – embracing principles which have always been accepted as true by mankind and will continue to command the allegiance of mankind in the age to come. Hence it is that the religion in question is called the primeval Eternal Religion, which means that it is above the hostility of all human creeds whatsoever. Whatever is believed in by those who are steeped in ignorance or have been led astray by sectarians is not worthy of being accepted by the wise. That faith alone is really true and worthy of being accepted which is followed by "Aptas" i.e. those who are true in word, deed and thought promote public good and are impartial and learned, but all that is discarded by such men must be considered as unworthy of belief and false".

Dayanand Saraswati did not invent a new religion or creed, nor did he propound new dogmas or doctrines. He simply chopped off the deadwood and cleared the overgrowth that original Vedic Religion was overlaid with. He exposed empty ritualism and assailed sacerdotal priest craft that had obscuredthe grand philosophical insight of the Upanishads. He recalled and expounded the amplitude of such Upanishads. He recalled and expounded the amplitude of such Upanishadic aphorisms like " Ekam sadviprah bahudha vadanti" (God is one, but the wise call him by different names) and " Ekameva advitiyam, aprameyam" (God is one and only one, unique and limitless) and propogate the view the long – established Brahminical practices of the "Karmakanda" (ritualism) of the Veda. "Moortipooja" (idol worship) and "avatarvad" (theory of incarnation) are not the essence of Hinduism.

SCHEME OF STUDIES

Being a Vedic Scholar of great repute, he attaches great importance to study of the Vedas, Vedanta, Upanishadas and Scriptures. Speaking about Scriptures, he says" "High- minded sages have put in their books intricate subjects in a very easy form. This advantage cannot be derived from the books of petty- minded authors. The object of sages is to put difficult things in an easy form, so that common people may get the maximum good from the minimum labour. But petty-minded writers put everything in so difficult a form that you may work very hard and get very little. The study of the books of Common authors is like digging a mountain and getting a shell, while the study of the sage is like diving once and obtaining precious pearls."

Dr Radhakrishnan also echoes the same spirit when he observes: "Our text- books should emphasize the way in which our culture has grown from the time of Mohenjo Daro and Harappa down to our own time, how it has shown a power of self-renewal. Bad Text-books spoil the minds of the young, corrupt their taste and degrade their natures. A sound system of education should give to the diversity of our country a certain unity of purpose and feeling."

Again, Sarvpalli Radhakrishnan's thinking along lines similar to that of Dayanand Saraswati becomes evident when he remarks about the role of writers: "Writers through their publications can give a proper perspective to their readers. You establish a communion between yourself and your audience and if the ideas which you introduce are noble, are of good report, truthful, you will spread enlightenment among the people themselves. When we are, therefore, face to face with his particular problem, the responsibility of the writers should also be regarded as enormous and I hope that you will do your best to spread right ideas, sane thinking and proper feeling. If you are able to do so, you will have done your share in the building up of our country and the building up of a new world."

To Dr. Radhakrishnan, literacy contributions help serve as the most effective means for achieving the purpose of raising the quality of human life. Rightly does he conceive of the role of literary artists as lying in reckoning "with the evils from which we are suffering, education the human mind, removing those evils and establishing a more decent kind of society."

Dayanand Saraswati impresses upon the need for acquiring the correct knowledge of the Scriptures as a result of which the scope of one's attainments would grow wider and the love of learning would become greater than before. Speaking about great books. Dr. Radhakrishnan says: "Great books foster the psychological health of the reader. They induce in us largeness of mind and normative vision. They give us moral contentment. Indulgence is treason to civilized values".

VALUE OF BRAHMACHARYA

In his philosophy of education, Dayanand Saraswati everywhere laid emphasis upon the value of Brahmacharya both for the teachers and the students, male and female. He supports the idea of Manu where it has been said, "A students should observe Brahmacharya and study the Vedas with their subsidiary subjects for 9, 18, 36 years of until they are completely mastered." He classifies

Brahmacharya into the following three grades:

1. The Lowest: The shortest period for observance of Brahmacharya for a student is 24 years.
2. The Intermediate: The highest Brahmachari is he who remains a celibate for 48 years and by virtue of this acquires "perfect knowledge, perfect physical strength, perfect wisdom, perfect development of good qualities, nature and characteristics, shines like the sun, enlightening all, and is enabled to master all kind of knowledge."

Thus, the aim of Brahmacharya, according to Dayananda, is the attainment of allround perfection of man. In India, since Vedas, it has been held by thoughtful persons that Brahmacharya is the surest way to attain perfection in human life. This view was later on supported by almost all contemporary Indian philosophers of education, including Vivekanand, Sri Aurobindo, Rabindranath, and Gandhi.

DAYANAND SARASWATI'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY

He defines education as the universal, economic and cultural change. For social understanding, increasing efficiently, education should be appropriately utilized. The significance of education is not only in facts and

skill, but it is to support us to live with others. During education he wants to found identical society in order to convey equality among man. He desires that education should develop global brotherhood. The most necessary aim of education is to assist us to see the other world, the undetectable and slight world beyond space and time. Education has to provide us a subsequent birth, to make easy to be grateful for what we have earlier in us.

Functions of Education: The function of education, is to provide this Vidya. Prior to defining right knowledge or Vidya, Dayanand pointed out the following characteristics of Avidya. These have to be removed through education:

1. "The false notion that the transient world and worldly things (such as bodies) are eternal or in other words that the world of effects, that we see and feel, has always existed and will continue to exist forever, and that by virtue of the power of Yoga. The physical bodies of goodly man become imperishable, is the first kind of Avidya.
2. To regard impure things such as lustfulness and untruthfulness, as pure is the second kind of Avidya.
3. To believe excessive sexual indulgence is a source of happiness, whilst it really causes pain and suffering, constitutes the third variety of Avidya.
4. To consider death material thing as possessed of soul is the fourth kind of Avidya.

AIMS AND OBJECTIVES OF EDUCATION

Education aims at removing the above mentioned fourfold incorrect knowledge or Avidya. Beside this negative aspect of the aim of education, it has a positive aspect in the provision of right education. Elucidating this right knowledge in the tradition of Vedas, Dayanand wrote, "This fourfold incorrect knowledge is called Avidya. The reverse of it viz., to look upon what is temporal as temporal, what is eternal as eternal, what is pure as pure, what is impure as impure, pain as pain, pleasure as pleasure, what is soul less as soul less what is soul-possessing as soul possessing, is called Vidya or knowledge." Distinguishing between knowledge and Avidya, Dayanand wrote. "That by which the true nature of things is known is called knowledge whilst that by which the true nature of thing is not revealed and instead, a false conception of things is formed, is called Avidya."

Thus, while pointing out the aim of education, Dayanand maintained a pragmatic and practical outlook. In the Vedic tradition he considered salvation to be the aim of education but this salvation is not an extra-terrestrial goal. It includes the realisation of human perfection as an individual as well as collectively here on this earth. It is hence that Dayanand laid so much emphasis on right knowledge and right conduct. In the second chapter on his famous work Satyartha Prakash he wrote, "Fathers, mothers and tutors should always give their children and students good counsel and they should also advise them to imbibe their virtues but avoid their vices."

CHILD EDUCATION

Education in the family: Dayanand devoted the second chapter of his work Satyartha Prakash to the upbringing of the children. In this context he elaborated his educational theory about child's education, and showed sufficient insight in the educational and psychological principles. He held that no one can achieve knowledge without the guidance of three: teacher, the father and the preceptor. Child's education starts in the family. Emphasizing the importance of family in education, Dayanand wrote, "Blessed is the family, most fortunate is the child whose parents are godly and learned." Education of the child presupposes education of parents. The mother educates the child through immense love. The parents should present good example before the children as the children tend to copy the parents, as soon as the child is able to understand, the mother should instruct him in refined manners. The initial teaching of language is carried on in the family through the parents. The mother should see that the child uses his tongue properly. Besides proper speech the child should also develop proper conduct. He should again be trained in manners while addressing his superiors and inferiors. And finally, what is the most important is that, "should endeavour to inculcate in the mind of their children and intense desire for the love of knowledge, elevating company, and control of the senses."

Education in the school: The child's education, according to Dayanand should be both positive and negative. While on the one hand efforts should be made to develop in him such qualities as truthfulness, heroism, patience and cheerfulness, the parents should also see that the children avoid useless playing, crying, laughing and wrinkling and many note developed evil qualities such as jealousy and malice etc. They should talk not to have superstitions. They should develop a scientific outlook towards the world. Depicting the humanistic element in his philosophy of education, Dayanand wanted to develop rationalism and scientific outlook in males and females right from the childhood. He was a most vehement critic of all superstitions, beliefs in ghosts and witches etc. He even condemned astrology and accepted only that part of it which is known as astronomy.

Celibacy: In the Vedic tradition, Dayanand accorded a very high place to the observation of celibacy. The parents and teachers have special responsibility in this direction. They should impart sex education to the children and impress upon their minds the need of the preservation of the reproductive elements.

Reward and punishment occupy a very important place in the child's education. Admitting the psychological importance of reward and punishment Dayanand considered them to be an important part of early education. Punishment, according to him should be oral as far as possible not corporal. Parents who do not shirk punishment grow scholarly, cultured and educated children. Dayanand supported Mahabharata where it has been laid down that parents and teachers who punish their wards give them nectar while those who bestow excessive love and affection give them poison. The children should be able to understand clearly as to what is to be right and what is wrong according to their parents. The child learns through the system of rewards and punishments. He repeats those acts which lead to rewards and does not commit those acts again which result in punishment. Punishment however, should never be given with an attitude of jealousy and malice towards the child.

Summarising his theory of reward and punishment means of education Dayanand wrote, “Children should also feel pleased when reprimanded, and feel uneasy when fondled. But parents and teachers should never reprimand them out of malice or spite. Outwardly, they should keep them in awe; whilst inwardly they should be tender hearted and kind to them. Likewise, they should advise them to abstain from steeling, sexual abuse, contracting habits of indolence, arrogance, drunkenness, untruthfulness, malevolence, wickedness, malice, jealousy, blind passion; and to cultivate good qualities, such as, truthfulness and virtues.”

MORAL EDUCATION

Thus, Dayanand clearly laid down the means for the moral education of the children. Moral education involves the encouragement of virtues on the one hand and the discouragement of vices on the other. The parents and the teachers should themselves present high ideals. Unless they do so they will not be able to create respect for their advices in the children. The children should be taught to speak the truth and observe their words. They should never be vain. They should avoid deceitfulness, hypocrisy and ingratitude. The child should not lose his temper nor use rough language. He should avoid useless talking and speak only so much as necessary and that too in a sweet tone. He should be taught to respect his elders, stand and salute them. He should learn to behave in society, to occupy a seat according to his rank and status. He should never have malice towards anyone. He should always speak the truth. The children should obey their parents and tutors. In the matter of dress and diet they should conduct in such a way as to gain in health, strength and knowledge. Thus, in brief the child “should try to acquire virtues and shun vices; associate with the good and avoid the wicked.”

Criteria for curriculum: In his scheme of education Dayanand prescribed almost similar types of education for males and females. He vehemently opposed the medieval idea that the women are not worthy of studying the Vedas. He pointed out if the ladies are not allowed to go through the Vedas, then how they can be able to participate in the Yajna and pronounce the mantras. Besides a general curriculum for education from the four Varnas, Dayanand also prescribed some special studies for each Varna. He was not in favour of prescribing any work for special duty. He pointed out only those books should be recommended for deep study which pass all scrutiny. In his own words, “Teachers should examine everything they teach to their students with the help of the above criteria; so should the students. Otherwise, they can never be profound scholars. They will only be mere crammers. Teachers before teaching a book should thoroughly study it themselves and test the truth of its contents by the application of the aforesaid test. On finding it true they should teach it to their scholars, otherwise not.” Thus, laying down the criteria for prescribing the curriculum, Dayanand has presented the following types of education:

Medium of Education: In the ancient India tradition Dayanand favoured mother tongue and the Sanskrit language. He strongly pleaded the cause of Sanskrit as medium of all higher education. He wrote in details about the curriculum and teaching methods for learning and mastering Sanskrit. He was vehemently critical of using foreign language such as English as medium of education not only in primary but also at the highest

stage. This seriously hampers any original and creative thinking. This tradition of regard for mother tongue and Sanskrit was supported by all the Indian educational philosophers after Dayanand.

The Educator and the Educand: No system of education can benefit mankind unless the educator and the educands are prepared to follow certain ideals in the process of education. Keeping this principle in view Dayanand discussed in details the ideals required to be practiced from the teacher and the taught.

IMPORTANCE OF DAYANAND SARASWATI'S EDUCATIONAL THOUGHTS IN MODERN ERA

1. Education for perfection: The discussion of the philosophy of education presented by Swami Dayanand Saraswati leads one to the conclusion that his aim was education for perfection. He sought this aim most vigorously even sometimes presenting schemes which were far from practicable and demanding standards and virtues which could not be attained even by the selected person. His ideas about educational institutions, segregation of male and female schools and colleges, Gurukul system of education, long years of Brahmacharya and high qualities of teachers and scholars may appear impractical to some and too rigorous to others. Undoubtedly some of his ideas, like the condemnation of co-education and absolute segregation of male and female institutions may not be acceptable to modern educational psychologists. Some of his other ideas like the extension of the period of study to 21 years and including almost every subject on earth in his ideal curriculum may also not be acceptable to modern educationists. But these shortcomings in Swami Dayanand Saraswati system of education should be seen in the context that he was supporting Vedic philosophy of education with all its advantages and disadvantages. He supported this system not because of its popular prestige or traditional nature but because, according to him it alone could lead to the creation of perfect men and women. Thus, everywhere he sought an education for perfection. He supported democratic type of organisation in educational institutions. In the different spheres of education, he was a vehement critic of all evils, sloth and degradation. He demanded very high standard of character and conduct. He wanted to realize all-round perfection.

2. Multisided Curriculum: A perusal of the curriculum given in Satyartha Prakash amply clarifies the fact that Swami Dayanand Saraswati aimed at perfection of man through education. It is due to his anxiety about achieving an all-round and most comprehensive perfection of man that he prescribed such a detailed curriculum which may appear too wide in the modern age of specialization any yet if one remembers the fact that specialized knowledge always creates a one-sided personality and never a total perfection, one may be able to appreciate Swami Dayanand Saraswati's standpoint. This however, does not mean that such a wide curriculum may be practically taught to every person. It is undeniable that the scheme of education presented by Swami Dayanand Saraswati is too rigorous and beyond the capacity of most of the males and females in the present time. He has divided the life of human body in four stages, the period of adolescence from sixteen to the twenty-fifth years, period of Manhood from twenty-fifth to fortieth years, then period of maturity after fortieth years and the period of loss after forty-eight years. Of these the first two are the stages for education. Thus, a person may continue his study up to fortieth year and according to Swami Dayanand Saraswati, "The best time for marriage, therefore, is the fortieth, or rather forty-eight years." It is undeniable that at present no educationist will be prepared to accept this scheme and it is not practicable by any criteria. What is more important for us is the assessment of Swami Dayanand Saraswati's scheme for education. In devising such a

long curriculum and such long years of study he was only anxious for the creation of a perfect man. This aim of education is certainly laudable though Swami Dayanand Saraswati definitely over-hit the mark.

3. Humanism and Rationalism: Besides the ideal of perfection as a humanist ideal, Swami Dayanand Saraswati showed his humanistic tendency in his strong condemnation of all superstitions, unscientific beliefs, immortalities and deceptions. In his support of science and the scientific outlook, he was more positive than many contemporary positivists. He was among the foremost rationalists to emphasise upon the use of reason in every field of human life. While on the one hand, he had absolute respect for the Vedas whom he considered to be divine, on the other hand he advised everyone to distinguish truth and untruth, use rational criteria and accept only that which is supported by sound logic. Thus, if something appears out of data in his scheme of education that hardly detracts its value, since what is important is not the detailed scheme but the insight behind it.

CONCLUSION

Swami Dayanand believed in simple living and high thinking. He has given great importance to control of Senses education. He believed in three Great Tutors (preceptor, Father, and Teacher). He believed in Brahmacharis, Grihasthis, Vanaprasthis and Sanyasis. A general curriculum for educands from the four Varnas, Dayanand also prescribed some special studies for each Varna. He was not in favour of prescribing any work for special duty. He pointed out only those books should be recommended for deep study which passes all scrutiny. Though Dayanand encouraged education of women and certain amount of freedom allied to it, he did not favour co-education. "As soon as they are eight years old", says Dayanand, "Girls should be sent to girls' schools and boys to boys' schools". Thus, even at the primary stage boys and girls will begin to have separate schools. According to him character development is an essential goal of education. In the ancient Indian tradition Dayanand favoured mother tongue and the Sanskrit language. He believed in Moral education. He involves the encouragement of virtues on the one hand and the discouragement of vices on the other. The parents and the teachers should themselves present high ideals. He believed in self- discipline. Dayanand realised that the greatest need of the country was national integration. He lamented that people should quarrel for national integration. Dayanand advocated that 'state should make it compulsory for all to send their children of both sexes to school at the said period and keep them there till they are thoroughly educated. He believed in Education aim at removing the fourfold incorrect knowledge or Avidya.

REFERENCES

1. Jagdish chand (2010), Philosophical Foundations of Education, Anshah Publishing House, New Delhi.
2. C. Aggarwal & S. Gupta (2010), Great Philosophers and Thinkers on Education, Shipra Publications, Patparganj, Delhi.
3. N.R. Swaroop Saxena. (2014) philosophical and sociological Foundation of education, R.Lall Book Depot.
4. Ram Nath Sharma (2010), Textbook of Educational Philosophy, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi.
5. S. Samuel Ravi (2011), A Comprehensive Study of Education, PHI Learning Private Limited, New Delhi.

श्रीमद्भागवतपुराणे धर्मस्य स्वरूपम्

आचार्य (डॉ.) बृहस्पतिमिश्रः

सहाचार्यः, संस्कृतपालिप्राकृतविभागः हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, धर्मशाला,काङ्गड़ा (हि.प्र.)

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 208-213

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोधालेखस्य सारः –धर्मस्य अपरिहार्यतां दृष्ट्वा भारतीयाः मनीषिणः वैदिककालतः एव धर्मं, तस्य तत्त्वं च चिन्तयन्तः सन्ति।धर्मः पापं नाशयति। सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। अतः विद्वांसः धर्मं मोक्षस्य उत्तमं साधनं मन्यन्ते।लक्ष्मीः चलायमाना अस्ति, जीवनम् अपि चलायमानम् अस्ति। अस्मिन् चराचरे जगति केवलं धर्मः एव अचलः।मानव-जीवनस्य विशिष्टम् उद्देश्यम् अस्ति तच्च सर्वं धर्मणि निहितम् अस्ति।वेदेषु यत् कर्म कथितं सः धर्मः, तथा अस्य विपरीतं वेदेभ्यः प्रतिकूलं यत् कर्म स अधर्मः उच्यते। मनुष्याय धर्मस्य सिद्धिः सा एव यत्र भगवतः प्रसन्नता भवेत्।[i]धर्मस्य फलं मोक्षः। अन्यस्मिन् अर्थे धर्मस्य सार्थकता नास्ति। श्रीमद्भागवते धर्मस्य सामान्यः, असाधारणः, विशिष्टः, आपदः एतानि चत्वारि रूपाणि वर्णितानि सन्ति।श्रीमद्भागवतानुसारं यः मनुष्यः धर्मं न पालयिष्यति तस्य अमङ्गलम् एव भविष्यति।

मुख्याः शब्दाः - धर्मः, वैदिककालः, भारतीयसंस्कृतिः, भारतीयज्ञानपरम्परा, अभ्युदयः, निःश्रेयस्सिद्धिः, धारणात्मकतत्त्वम्, पुराणानि, श्रीमद्भागवतपुराणम्, भगवति भक्तिः, चत्वारः वर्णाः, चत्वारः आश्रमाः, आपद्धर्मः, आनन्दमयः।

धर्मः भारतीयसंस्कृतेः अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। भारतीयायाः संस्कृतेः मर्यादां चेतनां च यः रक्षति सः धर्मः विशिष्टं तत्त्वम्, सः धर्मः भारतीयसंस्कृत्यै जीवनशक्तिं प्रयच्छन् अक्षुण्णं करोति। धर्मस्य अपरिहार्यतां दृष्ट्वा भारतीयाः मनीषिणः वैदिककालतः एव धर्मं, तस्य तत्त्वं च चिन्तयन्तः सन्ति। वेदेषु धर्मस्य चिन्तनम् अतीवविशिष्टरूपेण भवति यतो हि वेदोऽखिलोधर्ममूलम् इति चोक्तम्[ii]।

धर्मशब्दस्य प्रथमोल्लेखः ऋग्वेदे दृश्यते।[iii]अथर्ववेदेऽपि धर्म-शब्दस्य प्रयोगःप्राप्यते।[iv]तैत्तिरीयारण्यके ऋषिः धर्मस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् धर्मः एव समग्रं जगत् प्रतिष्ठापयति स्थिरीकरोति इति उल्लिखितम्।लोके धर्मस्य विषये एव प्रवृत्तिः भवतु इति दृष्ट्या प्रजाः धर्मम्अधर्मं च निर्धारयन्ति। धर्मः पापं नाशयति। सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। अतः विद्वांसः धर्मं मोक्षस्य उत्तमं साधनं मन्यन्ते-

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजाः उपसर्पन्ति।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति।।[v]

भारतीयदर्शनपरम्परासु अपि धर्मस्य स्वरूपं तस्य विशिष्टानि अङ्गानि च प्रकाशितानि सन्ति। मीमांसादर्शने धर्मस्य तात्पर्यबोधकाः वेदाः धर्मप्रतिपादकाः उक्ताः –चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'[vi]। एतस्य व्याख्यायाम् अर्थसंग्रहे लौगाक्षिभास्करः कथयति – न च 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म'[vii] इति सौत्रतल्लक्षणविरोधः, चोदनापदस्य विधिरूपवेदैकदेशपरत्वादिति वाच्यम्।तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वात्।वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्त्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्।।[viii]तत्रैव अर्थसंग्रहे लौगाक्षिभास्करः धर्मस्य लक्षणसन्दर्भे प्रतिपादयति यद् यागादिकर्म एव धर्मःयच्च वेदप्रतिपाद्यः भवेत्,वेदप्रयोजनवान् भवेत्, वेदार्थः भवेत्। स एव धर्मः कथ्यते।[ix]

वैशेषिकदर्शनेयेन लोके अभ्युदयः पारलौकिकं च कल्याणं भवति सः धर्मः। महर्षिकणादस्य मतेनयेन इहलोकपरलोकयोः द्वयोरपि स्थानयोः सुखप्राप्तिः भवेत् तदेव धर्मः। प्राणिनाम् अभ्युदयार्थं कल्याणार्थं च धर्मस्य अस्तित्वं मन्यमानःमहर्षिः उक्तवान्– यतोऽभ्युदय निःश्रेयस्सिद्धिः सः धर्मः[x]।

वेदानां पश्चाद् धर्मस्य सर्वाधिकं विवेचनं स्मृतिषु लभ्यते।मनुस्मृतौ धर्मस्य–धृतिः, क्षमा, अस्तेयम्, शौचम्, इन्द्रियनिग्रहः बुद्धिः, विद्या, सत्यम्, अक्रोधः इत्येतानि दशाङ्गानि उक्तानि सन्ति।[xi]मनुस्मृतौ एव धर्मस्य महत्तायाः प्रतिपादकः उल्लेखः प्राप्यते धर्मः एव एकमात्रं मित्रम् अस्ति, यच्च मरणानन्तरमपि सार्धं गच्छति अन्यत् सर्वं तु शरीरेण सह नष्टं भवति –

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः।
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति।।[xii]

मनुस्मृत्यनुसारं सदाचारः सर्वप्रथमः धर्मः स्वीकृतः।[xiii]महाभारतानुसारं धारणात्मकतत्त्वस्य रूपेण धर्मस्य व्याख्या कृता – प्रजाः यस्य धारणं कुर्वन्ति सः धर्मः।[xiv]

पद्मपुराणे महर्षिव्यासस्य कथनम् अस्ति यद् धर्मस्य सारं शृण्वन्तु धारयन्तु च – यत् स्वात्मने न रोचते तद् अपरैः सह न व्यवहरन्तु।[xv] देवीभागवते कथनम् अस्ति –

आत्मैव न सहायार्थं पिता माता च तिष्ठति।
न पुत्र दारा न ज्ञातिः धर्मस्तिष्ठति केवलम्।।[xvi]

अर्थात् परलोके न माता, न पिता, न पुत्रः, न स्त्रीः न च सम्बन्धिनः सहायकाः भवन्ति। केवलं धर्मः एव सहायकः भवति। चाणक्यनीतौ उक्तम् – लक्ष्मीः चलायमाना अस्ति, जीवनम् अपि चलायमानम् अस्ति। अस्मिन् चराचरे जगति केवलं धर्मः एव अचलः।[xvii]

वास्तविकतायां धर्म एव जीवनस्य सारः अस्ति। आहारनिद्रादिकर्माणि सम्पाद्यपशुः अपि स्वजीवनयापनं करेति।किन्तु मानव–जीवनं केवलम्आहारनिद्राभयमैथुनं एतावदेव न। मानव–जीवनस्य विशिष्टम् उद्देश्यम् अस्ति तच्च सर्वं धर्मणि निहितम् अस्ति।[xviii]

श्रीमद्भागवतपुराणस्यसंस्कृतसाहित्यस्य धर्मप्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। अस्मिन् पुराणे श्रीकृष्णद्वैपायनवेदव्यासः धर्मं व्याकुर्वन् तस्य त्रिंशत् लक्षणानि इति कथयति। एतानि त्रिंशत् लक्षणानि–सत्यम्, दया, तपस्या, शौचम्, तितिक्षा, औचित्यम्, अनौचित्यविचारः, मनसः संयमः, इन्द्रियनिग्रहः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम्, त्यागः, स्वाध्यायः, सरलता, सन्तोषः समदर्शिभावः, महात्मनां सेवा, सांसारिकभागेभ्यः निवृत्तिः, मनुष्याणाम् अभिमानपूर्णप्रयत्नानां प्रतिफलम्, मौनम्, आत्मचिन्तनम्, प्राणिभ्यःअन्नादीनां यथायोग्यं विभाजनं मनुष्येषु आत्मनः इष्टदेवस्य च भावः, श्रीकृष्णस्य नामलीला, गुणानां श्रवणम्, कीर्तनम्, स्मरणम्, पूजा तथा तस्य दासत्वम्, सख्यं, आत्मसमर्पणम् एतानि त्रिंशत् आचरणानि सर्वेषां मनुष्याणां कृते परमोधर्मोऽस्ति।[xix]

अन्यत्र धर्मस्वरूपम् एवं प्रतिपादितम्– वेदेषु यत् कर्म कथितं सः धर्मः, तथा अस्य विपरीतं वेदेभ्यः प्रतिकूलं यत् कर्म स अधर्मः उच्यते।[xx] वेदः भगवत्स्वरूपः तथा तस्य भगवतः स्वाभाविकः श्वास– प्रश्वासः स्वयं प्रकाशः ज्ञानमस्ति। अत एव वेदः सर्वेषां पदार्थानां गुणनामरूपकर्मादिभिः विभाजनं करोति।धर्मस्य मर्यादां व्याकुर्वन् श्रीमद्भागवतः कथयति – अस्मिन् संसारे सामान्याः जनाः अज्ञानिनः सर्वे धर्मम् अधर्मं न चिन्तयन्ति।[xxi]परं यदि विचार्येत चेत् धर्माधर्मयोः मर्यादा भगवतः एव निर्मिता।

श्रीमद्भागवतपुराणे धर्मशब्द की व्याख्या बहुषु अर्थेषु समुपलब्धा। एकत्र भगवति अहेतुकी भक्तिरेव परमो धर्मः व्यवस्थापितः –

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षसे।
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीददति।[xxii]
धर्ममूलं हि भगवान्सर्ववेदमयो हरिः।
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीददति।।[xxiii]

अर्थात् यस्माद् अधोक्षजे भगवति भक्तिः भवेत् सः परमो धर्मः।धर्मस्य सम्यग् अनुष्ठानेन यदि मनुष्यस्य हृदये भगवतः लीलाकथादिषु रतिः नोत्पद्यते चेत् सर्वं किमपि व्यर्थस्य श्रमः एव अस्ति।[xxiv]मनुष्याय धर्मस्य सिद्धिः सा एव यत्र भगवतः प्रसन्नता भवेत्।[xxv]धर्मस्य फलं मोक्षः। अन्यस्मिन् अर्थे धर्मस्य सार्थकता नास्ति। भोग–विलासः तस्य फलं नास्ति।[xxvi]तं न तु ऋषयः जानन्ति न देवाः न सिद्धगणाः। अस्यां स्थितौ मनुष्याः विद्याधराः चारणाः असुराः राक्षसाः तु कथम् एव ज्ञास्यन्ति।[xxvii]यः मनुष्यः धर्मस्य मर्यादां न जानाति सः वृक्षादिभ्यः अपि नीचः अधमः।[xxviii]एतावद् आवश्यकं यत् धर्मः कदाचित् सकामः न भवेत्। सकाम धर्मः स्वकीयं तु अहितुं कारयति अन्येषामपि। तेन स्वस्य अन्यस्य वा कस्यापि प्रयोजनं न सिद्धयति। अपितु सः धर्मः नास्ति अधर्मः एव।[xxix]

श्रीमद्भागवते धर्मस्य सामान्यः, असाधारणः, विशिष्टः, आपदः एतानि चत्वारि रूपाणि वर्णितानि सन्ति। अत्र वयं श्रीमद्भागवते वर्णितौ–विशिष्टापदौ धर्मौ एव व्याख्यास्यामः।

श्रीमद्भागवतपुराणे वर्णितः विशिष्टः धर्मः–

श्रीमद्भागवते विशिष्टधर्मस्य अन्तर्गताः– चत्वारः वर्णाः, चत्वारः आश्रमाः तथा राजधर्मप्रतिपादनादयः विषयाः। चतुर्णां वर्णानां धर्मविवेचनंकरोति एवं भागवतकारः –

अध्ययनम् अध्यापनं यजनं याजनं तथा।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्।।

अध्ययनम्, अध्यापनं, दानं, प्रतिदानं, यजनं, याजनम् एतेषु रूपेषु ब्राह्मणानां धर्मवर्णनं करोति। क्षत्रियः दानं न नयेत्। प्रजारक्षकाणां क्षत्रियाणां जीवननिर्वाहः ब्राह्मणान् विहाय सर्वेभ्यः यथायोग्यं करं नीत्वा अथवा दण्डादिभ्यः भवति।[xxx] वैश्याः सदा ब्राह्मणवंशिनां अनुयायिनः भूत्वा गोपालनकृषिव्यापारादिभ्यः स्वीयां जीविकां चालयेयुः।[xxxi] शूद्राणां धर्मः यत् ते द्विजादिनां सेवां कुर्युः। तेषां जीविकायाः निर्वाहः तस्य स्वामी करोति।[xxxii]एतद्वर्गीयाः मनुष्याः उत्तमवर्णवृत्तीनाम् अवलम्बनम् आपत्तिकाले एव कुर्युः।[xxxiii]

भागवतकारेण जीवनस्य उच्चतमलक्ष्यस्य मोक्षप्राप्तेः मूलसाधनभूतानाम् आश्रमाणां धर्मविवेचनमपि प्रस्तुतम्। प्रथमः आश्रमः ब्रह्मचर्याश्रमः। अस्य आश्रमस्य महत्त्वं ज्ञापयन् भागवतकारः कथयति गुरुकुलेनिवसन् ब्रह्मचारी स्वेन्द्रियाणि वशे कृत्वा दासवत् स्वात्मानं कनिष्ठः मन्यमानः गुरोः हितकार्यं कुर्यात्। सः प्रातः सायं गुरुं सूर्यं श्रेष्ठान् देवान् च उपासेत। वेदानां स्वाध्यायः अत्यावश्यकः। शास्त्रानुसारं मेखलाम्,अजिनचर्म, जटां,दण्डं, कमण्डलुं, यज्ञोपवीतं, तथा कुशां धारयन् भिक्षाटनं कृत्वा गुरोः आज्ञानुसारं भोजनं कुर्यात्।[xxxiv]

गृहस्थाश्रमस्य विशिष्टधर्मं प्रतिपादयन् श्रीमद्भागवते उक्तम्– मनुष्यः गृहस्थाश्रमे वसन् गृहस्थधर्मानुसारं सर्वाणि कार्याणि कृत्वा भगवते समर्पयेत्। [xxxv]गृहस्थः सत्संगादिभिः बुद्धिशुद्धिं कृत्वा शरीरस्य स्त्रियः पुत्रस्य धनादीनाम् आसक्तिं विहाय विरक्तः भवेत्। पित्रोः गुरुजनानां च आज्ञा मन्तव्या, साधुसेवादीनि कार्याणि कर्त्तव्यानि।[xxxvi]गृहस्थैः धर्मार्थकामानां कृते अधिकं कष्टं न सोढव्यम् अपितु यावत् प्राप्यते तावता एव संतोषःकर्त्तव्यः।[xxxvii]

वानप्रस्थाश्रमस्य विशिष्टान् धर्मान् वर्णयन् भागवतकारः कथयति– वानप्रस्थी पर्णकुट्यां निवसन् शिरसि जटां धारयन्, वल्कलवस्त्रैः अग्निहोत्रस्य च सम्पूर्णाभिः सामग्रीभिःसह स निवसेत्।[xxxviii] वानप्रस्थी यदा वार्द्धक्येन स्वकर्मकरणे अशक्तः भवेत्, वेदान्तविचारशक्तिरहितः भवेत् तदा सः अनश्नन् आत्मनि अग्निं निवेशयेत्। सः शरीरस्य आकाशम् आकाशे, प्राणान् वायौ, अग्निं अग्नौ, रक्तकफादिकं जले, अस्थ्यादिपार्थिव-गुणयुक्तानि वस्तूनि पृथिव्यां, वाणी वा तस्याः कर्म भाषणदिकं तस्याः अधिष्ठात्रीदेवतायाम् अर्थात् अग्नौ मूत्रं मलोत्सर्गादिकं च मृत्यौ निवेशयेत्।[xxxix] "वानप्रस्थी 'अविनाशिनी ईश्वररूपे विशिष्टं यत् चित्तवस्तुस आत्मा सोऽहम्' इति कृत्वा स्थिरः भवेत्[xl] यथा अग्निःस्वाश्रयेषुवृक्षादिषु भस्मसु सत्सु शान्तः भूत्वा स्वरूपे स्थिरः भवति।

संन्यासिनः विशिष्टधर्मस्यापि श्रीमद्द्भागवते विवेचनमास्ति। श्रीमद्द्भागवते उक्तम् यत् यदि वानप्रस्थी ब्रह्मविचारे समर्थः चेत् शरीरं विहाय सर्वं त्यजेत् संन्यासं च धारयेत्।संन्यासिना व्यक्तिवस्तुस्थानसमयादिकम् उपेक्ष्य एकस्मिन् ग्रामे एकरात्रि-आवाससंकल्पः ग्राह्यः सम्पूर्णायां च पृथिव्यां भ्रमितव्यम्। सः केवलं गुप्ताङ्गाच्छाद्यानि वस्त्राणि एव धारयेत्।[xli]संन्यासी सर्वप्राणिषु शान्तः स्थित्वा भगवत्पारायणे निरतः स्यात्। सः अनाश्रितः भूत्वा स्वाश्रये वसेत् एकाकी च विचरेत्। एतं विश्वं कार्यकारणरहिते परमात्मनि अव्यक्तं मत्वा कार्यकारणरूपे अस्मिन् जगति ब्रह्मस्वरूपं स्वात्मानं परिपूर्णं द्रष्टव्यम्।[xlii]भागवतानुसारं आत्मदर्शी संन्यासी सुषुप्तिजागरणयोः सन्धौस्वस्वरूपस्य दर्शनं कुर्यात्। बन्धनमौक्षौ द्वावपि माया

एव अस्ति वास्तविकतायां किमपि नास्ति एतदेव ज्ञातव्यम्। तेन सर्वेषां प्राणिनां उत्पत्तिविनाशयोः कारणीभूतस्य कालस्य प्रतीक्षां कुर्वता असतः अनात्मवस्तुनःपरित्यागंबोधयितृषु शास्त्रेषु अनुग्रहभावम् अनुभवन् पक्षपातरहितेन भाव्यम्।[xliii]

श्रीमद्भागवतपुराणे प्रतिपादितः आपद्धर्मः–

श्रीमद्भागवते प्रतिपादितस्य धर्मस्य चतुर्थं रूपम् आपद्धर्मः। आपद्धर्मान्तर्गतंकर्म– यदा धर्मनियमाः न परिपाल्यन्ते अपितु तान् विहाय प्राणरक्षा क्रियते सः व्यवहारः आपद्धर्मः। उदाहरणरूपेण– यदा ब्राह्मणस्य कृते स्वधर्मानुकूला आजीविका असम्भवा भवति तदा सः वैश्यवृत्या वा क्षत्रियवृत्या जीविकां चालयेत्। यदि ते अपि असम्भवे चेत् सः कयापि वृत्याआजीविकां चालयेत्। मनुस्मृतौ अपि मनुना आपद्धर्मः विवेचितः।[xliv]

धर्मस्य विपरीतस्य, अधर्मस्यापि श्रीमद्भागवते पञ्चशाखाः प्रोक्ताः।पञ्चशाखाः–विधर्मः, परधर्मः, आभासः, उपमा, छलश्च।[xlv] यत् कार्यं धर्मबुद्ध्या कृत्वा अपि स्वधर्मे बाधां कुर्यात् सः विधर्मः।कस्यचिद् अन्यस्य कृते अन्येन पुरुषेण उपदिष्टः धर्मः परधर्मः। पाखण्डस्य दम्भस्य वाउपधर्मस्य उपमा वा अस्ति। शास्त्रवचनानां अन्यप्रकारस्य अर्थः छलः। स्वाश्रयाद् भिन्नं स्वेच्छया मन्यमानः धर्मः आभासः।[xlvi]

भागवतकारानुसारम्– संकल्पानां त्यागेन कामम्, कामनानां त्यागेन क्रोधं, लौकिकाः यं अर्थः इति जानन्ति तम् अनर्थम् इत्येवं मत्वा लोभम्तत्त्वविचारेण च भयं जयेत्।[xlvii] अध्यात्मविद्यया मोहम्, सतां सत्सङ्गेन उपासनया च दम्भम्, मौनेन योगविघ्नान्, शरीरं निश्चेष्टं कृत्वा हिंसां जयतु।[xlviii]आधिभौतिकं दुःखं दयया, आधिदैविकां वेदनां समाधिना, आध्यात्मिकं दुःखं योगवलयेन तथा निद्रां सात्त्विकभोजनेनस्नानेन तथा सत्सङ्गादिना जयतु।[xlix]

सत्त्वगुणेन रजोगुणतमोगुणौ तथा उपरतिना सत्त्वगुणं जयतु।[l]भागवतकारानुसारम् शास्त्रेषु यावन्तः अपि नियमसम्बन्धिनः आदेशाः सन्ति तेषाम् एकमात्रं तात्पर्यम् एतद् एव यत् कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरान् एतान् षट् शत्रून् जित्वा पञ्चेन्द्रियाणि मनः च नियमितव्यम्।[li]

इत्थम् उपर्युक्तेन विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् श्रीमद्भागवतः धर्मस्य लक्षणं तत्स्वरूपं तस्य च विविधानां भेदानां सर्वाङ्गीणतया विवेचकः सम्पूर्णसंस्कृतसाहित्ये अद्वितीयं ग्रन्थरत्नं अस्ति। श्रीकृष्णवेदव्यासेन भक्तिप्रतिष्ठा तु विवेचिता सार्धमेव त्रिवर्गस्य प्रमुखतमाङ्गस्य धर्मस्य विशिष्टं विवेचनं कृतं येन एतत् पुस्तकं धर्मग्रन्थ इति रूपेण लोके विलसति तथा धर्मं सर्वोपरि मत्वासः कथयति यत् यः मनुष्यः धर्मं न पालयिष्यति तस्य अमङ्गलम् एव भविष्यति।[lii] पुनश्च यःभारतीयज्ञानपरम्परायाम्[liii] निर्दिष्टं भागवतानुसारं धर्मस्य पालनं करिष्यति सः इहलोके परलोके च आनन्दमयः भवति।।[liv]

विशेषानुशीलितग्रन्थसूची –

1. ऋग्वेदसंहिता , परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0
2. यजुर्वेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0
3. सामवेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0
4. अथर्ववेदसंहिता,परोपकारिणी सभा अजमेर 1987 ई
5. ऋग्वेद–भाषा–भाष्यम्, स्वामी दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली, 1973 ई
6. ऋग्वेद–भाषा–भाष्यम्, श्री आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली,1973

7. यजुर्वेद-भाषा-भाष्यम्, स्वामी दयानन्द सरस्वती, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, 1973
8. चतुर्वेद भाषा-सुबोध-भाष्यम्, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी-1950 ई
9. चतुर्वेद-भाष्यम्, श्रीमत्सायणाचार्य, वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे, 1936 ई
10. निरुक्त-वेदार्थदीपक-भाष्य, श्री चन्द्रमणि विद्यालंकारकृत , आर्यप्रकाशन, झज्जर, हरियाणा, 1985
11. निरुक्तम्(ऋषियास्क विरचितम्), (टी.), प.छज्जूरामशास्त्री विद्यासागरः, पु.मु.1987,मोहनचन्द लक्ष्मणदास पब्लिकेशन्स,
12. नई दिल्ली,भारत संस्कृत-हिन्दी-कोष- श्रीवामनशिवराम-आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि. दिल्ली, सन् 1989
13. शब्दार्थ-कौस्तुभः, द्वारिकाप्रसाद शर्मा चतुर्वेदी, रामनारायणलाल बेनीप्रसाद, इलाहाबाद, सन् 1989
14. मनुस्मृतिः(मनु विरचित), (स.)श्रीगोपालशास्त्री नेने, ॑फ़वि, चौखम्बा संस्कृत संस्थान,गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी , उ. प्र.,भारत
15. तैत्तिरीयारण्यकम् (भट्टभास्करभाष्यसहितम्), गवर्मेन्ट ब्रान्च प्रेस, मैसूर - सन्1900, (https://archive.org/details/taittiriya/taittiriyaaranyakabhaskara01/mode/2up?view=theater)
16. मीमांसादर्शन, (शाबरभाष्यसहितम्) प्रकाशकः - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम् वाराणसी।
17. अर्थसंग्रहः, मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी-टीकासहितम्, चौखम्बा संस्कृत सीरिज ऑफिस ,वाराणसी
18. वैशेषिक दर्शन, भाष्यकार - आचार्य उदयवीर शास्त्री, प्रकाशकः - विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली
19. महाभारतम्, 2045वि,गीताप्रेस, गोरखपुर, उ. प्र.,भारत
20. हितोपदेश, प.रामेश्वर भट्ट, , *चौखम्बा संस्कृत संस्थान,* दिल्ली
21. पद्मपुराणम्, प. पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
22. देवीभागवत पुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, उ. प्र.,भारत
23. चाणक्यनीतिः, स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती, प्रकाशकः - विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली
24. श्रीमद्भागवतपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, उ. प्र.,भारत

.

---

ii.मनुस्मृतिः - 2/6

iii.यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेसाध्याः सन्ति देवाः।। ऋग्वेदः - 1/64/50

iv.ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च।
भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले।। अथर्ववेदः - 11/7/17

v.तैत्तिरीयारण्यकम् - 10-63-7
vi.मीमांसादर्शनम् - 1-1-2
vii.मीमांसादर्शनम् - 1-1-2
viii.अर्थसंग्रहः- लक्षणपरिच्छेदः
ix.यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः। अर्थसंग्रहः- लक्षणपरिच्छेदः
x.वैशेषिकदर्शनम् -1/2
xi.मनुस्मृतिः - 6/92
xii.मनुस्मृतिः - 8-17
xiii.आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च।
तस्मादस्मिन्समायुक्तो नित्यं स्यादात्मनो द्विजः।। मनुस्मृतिः - 1-55
xiv.धारणाद् धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
यः स्याद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः।। महाभारतम् (क) वनपर्व- 72-58, (ख) शान्तिपर्व - 109-11
xv.श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।।
यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्यापि चिन्तयेत्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।।पद्मपुराणम्, सृष्टिपर्व - 19/357-358 (हे मानवाः! स्वजीवने भवन्तः यान् गुणान् नेच्छन्ति,
तान् गुणान् परेभ्यः नाचरणीयाः । यतो हि सर्वे जनाः आत्मीयाः एव । सर्वे एव मानवाः परमात्मनः एव पुत्राः सन्ति । अतः ते सर्वे एव
बान्धवाः सन्ति । बान्धवैः न प्रतिकूलानि नाचरणीयानि)
xvi.देवीभागवतपुराणम् - 11-1-7
xvii.चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणश्चलेजीवितयौवने।
चलाचलेति संसारेधर्म एकोहि निश्चलः।। चाणक्यनीतिः- 5/20
xviii.आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।। हितोपदेशः - 1/25
xix.सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्यायः आर्जवम्।।
सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहापरमः शनैः।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्।।
अन्नाद्यादेः संविभागो भतेभ्यश्च यथार्हतः।
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव।।

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्।।
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः।
त्रिंशल्लक्षणवान्राजन्सर्वात्मा सेन तुष्यति।।श्रीमद्भागवतपुराणम्7/11/8-12
xx.श्रीमद्भागवतपुराणम्6/1/40
xxi.श्रीमद्भागवतपुराणम्6/1/45
xxii.श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/6
xxiii.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/11/7
xxiv.धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः।
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्।।श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/8
xxv.स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषितम्।। श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/13
तस्मादेकेन मनसा भगवान्सात्वतां पतिः।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यदा।। श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/14
xxvi.धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।
नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः।।श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता।
जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्ब्वेह कर्मभिः।।श्रीमद्भागवतपुराणम्1/2/10
xxvii.श्रीमद्भागवतपुराणम्6/3/5
xxviii.श्रीमद्भागवतपुराणम्6/3/19
xxix.श्रीमद्भागवतपुराणम्6/10/8
xxx.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/11/13-14
xxxi.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/11/15
xxxii.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/11/15
xxxiii.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/11/17
xxxiv.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/12/1-5
xxxv.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/12/10
xxxvi.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/14/2-4
xxxvii.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/14/7
xxxviii.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/12/17-21
xxxix.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/12/23-28
xl.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/12/29-31
xli.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/13/1-2

xlii.एक एव चरेद् भिक्षुरात्मरामोऽनपाश्रयः।
सर्वभूतसहृच्छान्तो नारायणपरायणः।। श्रीमद्भागवतपुराणम्7/13/3-4
xliii.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/13/5-10
xliv.मनुस्मृतिः 10/81-82
xlv.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/15/12
xlvi.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/15/13-14
xlvii.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/22
xlviii.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/23
xlix.श्रीमद्भागवतपुराणम् 7/15/24
l.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/25
li.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/28
lii.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/46
liii.मनुस्मृतिः -8/15
liv.श्रीमद्भागवतपुराणम्7/15/45

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का भौगोलिक विश्लेषणः प्रयागराज जनपद के विशेष संदर्भ में

देवेंद्र प्रताप सिंह[1]

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 214-224

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

सारांश

भारत में नदियों के विस्तृत जाल तथा भूमिगत जल संसाधनों की प्रचुरता के कारण जल संसाधनों का व्यापक भंडार उपलब्ध है। गंगा का मैदानी क्षेत्र इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि की उर्वरता तथा जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण ही इस क्षेत्र में लगभग संपूर्ण देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। जल संसाधनों की उपलब्धता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसका उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। प्रयागराज जनपद जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से देश तथा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रचुर जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में आता है। फिर भी, समय–समय पर यहां स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से संबंधित अनेक चुनौतियां देखी जाती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अध्ययन को संपादित किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किए गए इस अध्ययन में प्रयागराज जनपद के विभिन्न विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के स्रोतों का विश्लेषण करते हुए इन क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित पाई जाने वाली विभिन्न चुनौतियों को उजागर किया गया है। विभिन्न सांख्यिकीय विधियों तथा चित्र द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य उजागर होता है कि जल संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल संसाधनों के विकास की दिशा में अभी अनेक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

बीज शब्द– *स्वच्छ पेयजल, जल प्रदूषण, भूमिगत जल, जल संसाधन, जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास।*

भूमिका

विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे अथवा जल उपलब्धता वाले संसाधनों के क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन समय से ही अथवा मानव की उत्पत्ति काल से ही जल उपलब्धता की स्थिति ने विकास प्रक्रिया को सर्वाधिक रूप में प्रभावित किया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले

[1] शोध छात्र, भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226007।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

तत्वों में जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है किंतु इसके वितरण में व्यापक असमानताएं भी पाई जाती हैं। स्वच्छ पेयजल में मनुष्य को अनेक बीमारियों से बचाकर एक लंबा जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होने के कारण वर्तमान समय में उत्पन्न होने वाली अनेक स्वास्थ्य समस्याएं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से संबंधित हैं। आज वैश्विक स्तर पर स्वच्छ पेयजल की कमी से संबंधित समस्याओं को देखा जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में पेयजल से संबंधित समस्याओं के और भी अधिक भयावह एवं जटिल होने की संभावना है। यहां राज्यों में उनकी आर्थिक स्थिति का संबंध पीने योग्य जल की उपलब्धता पर व्यापक रूप से दिखाई देता है। जल की उपलब्धता तथा पहुंच का महिलाओं एवं बच्चों के जीवन की गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह अक्सर देखा जाता है कि गरीब एवं विकासशील देशों में पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों एवं महिलाओं के समय का एक बड़ा हिस्सा घरेलू कार्यों तथा जल एकत्रीकरण के कारण नष्ट हो जाता है। जल उपलब्धता सुनिश्चित कर के किसी भी क्षेत्र की महिलाओं को बेहतर आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक क्रियाओं तथा पारिवारिक उन्नति के कार्यों में लगाया जा सकता है (जेम्स तथा अन्य 2002)[1]।

जनगणना, 2011 में जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि देश में पेयजल की सर्वाधिक उपलब्धता पंजाब राज्य में है तथा यहां के 97.6% घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। दूसरी तरफ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने तथा जल संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद बिहार राज्य के केवल 33.5% घरों को ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। इन आंकड़ों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता औसत रूप से 85.5% दर्ज की गई थी। इस प्रकार, बिहार जैसे राज्य राष्ट्रीय औसत की तुलना में अत्यंत ही निम्न स्तर पर स्थित हैं। भारत के राज्यों तथा विशेषकर यहां के शहरों में पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमिगत जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम ऐसे खतरनाक रसायन मौजूद हैं जो पोलियो, पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षयरोग, पेचिश, इन्सेफ्लाईटिस जैसी गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता तथा शिक्षा के अभाव में इस प्रकार की चुनौतियां व्यापक रूप से देखी जा सकती हैं।

जल प्रदूषण तथा स्वच्छ पेयजल की सीमित उपलब्धता से संबंधित समस्याओं को देखते हुए सरकार ने समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं में जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा स्वजल योजना महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार के पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के तत्वाधान में चलाई जाने वाली योजनाओं का लक्ष्य देश के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाधारहित, सुरक्षित एवं

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित गरिमामय जीवन जीने का अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य बताया गया है। स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति आरंभ से ही राज्य की जिम्मेदारी रही है। भारत में केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों ने भी अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान के तहत स्वच्छ पेयजल को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार भी रखा है (रामचंद्रैया, 2001)[2]। भारत की राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत में विधिक रुप से जल के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण अनेक स्थानीय कानूनों का विकास हो गया है, जो नीति निर्माण में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं (कलेट, 2009)[3]।

प्रयागराज जनपद, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। जनपद का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्रमशः 24° 47′ उत्तरी एवं 25° उत्तरी तथा 81°19′ पूर्वी एवं 82°21′ पूर्वी है। जनपद के उत्तरी क्षेत्र में प्रतापगढ़, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जौनपुर, पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिर्जापुर जनपद स्थित हैं। इसी प्रकार, जनपद के पश्चिमी भाग में कौशांबी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश राज्य के जिले संलग्न हैं। प्रयागराज को प्रशासनिक सुविधा के लिए 08 तहसीलों तथा 20 विकासखंडों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या लगभग 59.5 लाख थी। इसी जनगणना में प्रयागराज में लिंगानुपात 901 दर्ज किया गया था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 914 तथा शहरी क्षेत्रों में 862 था। जनपद में साक्षरता दर लगभग 72.32% है जो कि पुरुषों तथा महिलाओं में क्रमशः 82.55% तथा 60.97% दर्ज की गई है। यहां सामान्य रूप से ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा के रूप में तीन ऋतुएँ पाई जाती हैं। प्रयागराज को वर्षा की अधिकांश मात्रा वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है। वर्षा की अधिकता तथा नदियों की व्यापक जाल के कारण कभी–कभी जनपद को बाढ़ जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रयागराज जनपद की उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए वर्तमान अध्ययन के लिए निम्नलिखित तीन उद्देश्यों का चयन किया गया है।

- अध्ययन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के स्रोतों की स्थिति का पता लगाना।
- विकासखंडवार स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का मूल्यांकन करना।
- स्वच्छ पेयजल स्रोतों के विकास में आने वाली समस्याओं तथा समाधानों की खोज करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में द्वितीयक आंकड़ों को आधार माना गया है। सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल की परिभाषा के अंतर्गत पाइपलाइन, कुएँ हैंडपंप तथा ट्यूबेल/बोरवेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले जल को शामिल किया गया है। इन आंकड़ों को भारतीय जनगणना–2011, जिला सांख्यिकी पत्रिका, तथा इंटरनेट आधारित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करके तथा उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों तथा चित्रों का प्रयोग करते हुए अध्ययन की समग्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

साहित्यक पुनरावलोकन

मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं (विशेषकर पीने, नहाने, खाना पकाने तथा स्वच्छता एवं रखरखाव) के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक है। यही कारण है कि, जल की उपलब्धता के संदर्भ में इसकी मात्रा, गुणवत्ता, वहनीयता, पहुंच तथा मूल्य निर्धारण का व्यापक महत्व होता है। जल उपलब्धता के संदर्भ में अनेक अध्ययन किए गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख का विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है।

जल की गुणवत्ता तथा इसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का खुराना तथा सेन (2007)[4] द्वारा व्यापक अध्ययन किया गया। उनके अनुसार, खराब गुणवत्ता वाला जल स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने अपने अध्ययन में निष्कर्ष बताया कि, भारत में लगभग 37.7 मिलियन लोग प्रतिवर्ष जल–जनित रोगों से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही, प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन बच्चों की मौत डायरिया के कारण हो जाती है। इस प्रकार, जल–जनित बीमारियों से भारत को प्रतिवर्ष लगभग 600 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। सीईएसआर (2003)[5] ने भी जल की गुणवत्ता तथा आवश्यकता जैसे पहलुओं पर अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष में बताया गया कि मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जल की सुचारू आपूर्ति के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता वर्तमान समय में बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अनुसार, जल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करके तथा उसकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करके मानवीय स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

अनेक अध्ययन इस बात को स्वीकार करते हैं कि, परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा प्राथमिक रूप से जल स्रोतों से दूरी और संग्रह के लिए निर्धारित समय पर निर्भर करती है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में जल स्रोतों की उपलब्धता अपेक्षाकृत दूर होती है वहां उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा काफी कम होती है। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में प्रदूषित जल के प्रयोग की संभावना अधिक होती है (हावर्ड एवं बार्टम, 2003)[6]।

जल गुणवत्ता के संदर्भ में उपलब्ध अनेक मानकों से व्यापक स्तर पर भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। लोधिया (2006)[7] ने बताया है कि भारतीय मानक संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित

पेयजल के गुणवत्ता मानदंड सटीक और संपूर्ण हैं। हालांकि, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी ने अपने अनुसार मानदंड एवं मानक तैयार किए हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। उपरोक्त की भांति जालान और रावलियां (2001)[8] ने जल की मात्रा तथा गुणवत्ता के प्रश्न को इसकी पहुंच से जोड़कर अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में जल की गुणवत्ता उसकी उपलब्धता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। स्वच्छ पेयजल की आसान एवं सुरक्षित पहुंच न होने पर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अनेक अध्ययनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, ग्रामीण भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया की व्यापकता उन परिवारों में अधिक पाई जाती है जहां स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम है।

प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की स्थिति

भारत के मैदानी क्षेत्र तथा गंगा–यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण जल संसाधनों की दृष्टि से प्रयागराज जनपद अत्यंत ही संपन्न है। जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रदूषण की बढ़ती स्थिति के कारण पिछले कुछ दशकों में जनपद के विभिन्न विकासखंडों के मध्य पेयजल के स्रोतों की स्थिति में व्यापक गिरावट देखने को मिली है। पेयजल स्रोतों की स्थिति के संदर्भ में आंकड़ों को सारणी 1.1 में प्रदर्शित किया गया है। इस सारणी के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि जनपद के विकासखंडों

सारणी 1.1

प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता की स्थिति– 2011

क्रम संख्या	विकासखंड	विकासखंडवार गावों की संख्या	जनपद के कुल गांवों से प्रतिशत	पाइपलाइन की उपलब्धता वाले गांव	विकासखंड के कुल गांवों से प्रतिशत (पाइपलाइन)	कुओं की उपलब्धता वाले गांव	विकासखंड के कुल गांवों से प्रतिशत (कुएँ)	हैंडपंप की उपलब्धता वाले गांव	विकासखंड के कुल गांवों से प्रतिशत (हैंडपंप)	ट्यूबवेल/बोरवेल की उपलब्धता वाले गांव	विकासखंड के कुल गांवों से प्रतिशत (ट्यूबवेल बोरवेल)
1	कोरांव	204	7.80	0	0.00	3	1.47	200	98.04	120	58.82
2	बहरिया	200	7.65	30	15.00	10	5.00	195	97.50	117	58.50
3	कौड़िहार	194	7.42	41	21.13	10	5.15	171	88.14	125	64.43
4	धनूपुर	191	7.30	0	0.00	1	0.52	185	96.86	139	72.77
5	शंकरगढ़	184	7.03	19	10.33	4	2.17	176	95.65	25	13.59
6	माण्डा	168	6.42	1	0.60	0	0.00	167	99.40	116	69.05
7	सैदाबाद	158	6.04	0	0.00	0	0.00	153	96.84	123	77.85
8	बहादुरपुर	157	6.00	40	25.48	3	1.91	154	98.09	116	73.89
9	मेजा	150	5.73	0	0.00	2	1.33	146	97.33	99	66.00
10	फूलपुर	146	5.58	50	34.25	4	2.74	145	99.32	71	48.63
11	हण्डिया	130	4.97	0	0.00	1	0.77	127	97.69	90	69.23
12	प्रतापपुर	130	4.97	88	67.69	7	5.38	129	99.23	96	73.85
13	करछना	120	4.59	117	97.50	8	6.67	120	100.00	107	89.17
14	जसरा	107	4.09	27	25.23	5	4.67	104	97.20	58	54.21
15	चाका	102	3.90	94	92.16	8	7.84	102	100.00	86	84.31
16	सोरांव	92	3.52	35	38.04	17	18.48	91	98.91	62	67.39
17	उरुवा	89	3.40	1	1.12	0	0.00	83	93.26	58	65.17

18	मऊआईमा	86	3.29	16	18.60	8	9.30	86	100.00	56	65.12
19	होलागढ़	84	3.21	2	2.38	3	3.57	84	100.00	64	76.19
20	कौंधियारा	81	3.10	80	98.77	5	6.17	81	100.00	69	85.19
योग		2616	100.00	601	22.97	96	3.67	2545	97.29	1681	64.26

स्रोतः भारत की जनगणना– 2011, भारत सरकार

में गावों की संख्या में व्यापक अंतर है। यह कौंधियारा विकासखंड में गावों की न्यूनतम संख्या (81) तथा कोरांव विकासखंड में गावों की अधिकतम संख्या (204) के रूप में देखी जा सकती है। गावों में न्यूनतम संख्या वाले विकासखंडों में अधिकतम संख्या वाले विकासखंडों की तुलना में जनसंख्या की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी। किंतु, शासन स्तर पर वित्तीय संसाधनों के समान वितरण से इन विकासखंडों के विकास स्तर के मध्य व्यापक असमानताएं उत्पन्न होने की संभावना है। गावों की संख्या के अंतर का प्रभाव पेयजल स्रोतों की स्थिति पर भी देखने को मिल सकता है।

स्वच्छ पेयजल के स्रोतों में पाइप–लाइन से प्राप्त होने वाले जल का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में, भूमिगत जल स्रोत अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो गए हैं, यही कारण है कि यहां के घरों में स्थानीय प्रशासन द्वारा पाइप–लाइन के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता है। प्रयागराज जनपद में गावों की समग्र संख्या 2616 है। किंतु, इसमें केवल 601 गावों में ही पाइप–लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध है, जो कि जनपद के कुल गावों की संख्या का मात्र 22.97% है। सारणी (1.1) के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पाइप लाइन से जल उपलब्धता द्वारा आच्छादित गावों की सर्वाधिक संख्या करछना विकासखंड (117) में है। जिसके बाद क्रमशः चाका (94), प्रतापपुर (88) तथा कौंधियारा (88) आदि विकासखंडों का नाम देखने को मिल रहा है। विभिन्न विकासखंडों में गावों की संख्या तथा उनमें पाइप–लाइन द्वारा उपलब्ध जल की स्थिति के आनुपातिक संबंध पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि इस संदर्भ में सर्वाधिक बेहतर स्थिति कौंधियारा (98.77%) विकासखंड की है। इसका अर्थ यह है कि, अन्य विकासखंडों की तुलना में इस विकासखंड के अधिकांश गांवों में पाइप–लाइन के माध्यम से स्वच्छ–जल उपलब्ध करा दिया गया है। करछना (97.50%), चाका (92. 16%) तथा प्रतापपुर जैसे विकासखंड क्रमशः कौंधियारा विकासखंड के बाद स्थित हैं। सारणी के अनुसार, कोरांव, धनूपुर, सैदाबाद, मेजा तथा हण्डिया जैसा विकासखंडों में वर्तमान समय तक भी पाइप–लाइन के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी है। पाइप–लाइन के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता के संदर्भ में माण्डा, उरुवा तथा होलागढ़ विकासखंडों की स्थिति भी अत्यंत ही दयनीय है। इन

विकासखंडों के एक अथवा दो गांवों में ही पाइप–लाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया जा सकता है।

पाइपलाइन की भांति भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में कुएँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल के आधुनिक साधनों की खोज के कारण वर्तमान समय में कुओं के प्रयोग में कमी आई है, फिर भी देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता अभी भी बनी हुई है। प्रयागराज के विभिन्न विकासखंडों के गांवों में कुओं की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों को सारणी 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पेयजल के अन्य स्रोतों की तुलना में लगभग सभी विकासखंडों में कुओं की उपलब्धता वाले गांवों की संख्या अत्यंत ही कम है। जनपद में कुओं की उपलब्धता के आधार पर गांवों की सर्वाधिक संख्या सोरांव विकासखंड (17 गांव) में है, जिसके बाद क्रमशः बहरिया (10), कौड़िहार(10), करछना (08), चाका (08), मऊआईमा (08), जैसे विकासखंडों का नाम आता है। आनुपातिक दृष्टि से कुओं की उपलब्धता वाले सर्वाधिक गांव भी सोरांव विकासखंड (18.48%) में ही हैं। इस संदर्भ में सोरांव के बाद क्रमशः मऊआईमा (9.30%), चाका (7.84%), करछना (6.67%), कौंधियारा (6.17%) तथा प्रतापपुर (5.38%) जैसे विकासखंड हैं। अन्य सभी विकासखंडों में उनमें स्थित 5% से भी कम गांवों में कुएँ पाए जाते हैं तथा इनका स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। जनपद के 2616 गांवों में से केवल 96 गांवों में ही कुओं की उपलब्धता देखने को मिल रही है जो कि एक चिंतनीय स्थिति को उजागर करता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, जनपद के अधिकांश विकासखंडों में पेयजल के प्राचीन स्रोतों (विशेषकर कुओं) में कमी आई है।

तकनीकी विकास के बाद हैंडपंप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। आजादी के बाद से ही विभिन्न सरकारों द्वारा प्रत्येक गांव में इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है। प्रयागराज जनपद में भी अन्य सभी स्रोतों की तुलना में स्वच्छ पेयजल के रूप में हैंडपंप से प्राप्त होने वाले जल का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। सारणी 1.1 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता को जाना जा सकता है। प्रयागराज जनपद के गांवों में हैंडपंप की उपलब्धता की व्यापकता का आकलन इसी आधार पर किया जा सकता है कि जनपद के सभी विकाखंडों के 90% से अधिक गांवों में वर्तमान समय तक हैंडपंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। करछना, चाका, मऊआईमा, होलागढ़ तथा कौंधियारा विकासखंडों के लगभग 100% गांवों में स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में हैंडपंप उपलब्ध हैं। इसी प्रकार फूलपुर तथा प्रतापपुर विकासखंडों के भी 99% से अधिक गांवों में हैंडपंप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद के उरुवा तथा शंकरगढ़ विकासखंड

इस संदर्भ में निम्नतम स्थिति पर हैं जिनके क्रमशः 93.26% तथा 95.65% गांवों में हैंडपंप उपलब्ध है, जो कि अन्य विकासखंडों की तुलना में कम है। हैंडपंपों की उपलब्धता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि विभिन्न विकासखंडों के मध्य व्यापक विषमता मौजूद नहीं है तथा इनके वितरण में सभी लगभग विकासखंडों के मध्य एकरूपता पाई जाती है।

चित्र 1.1

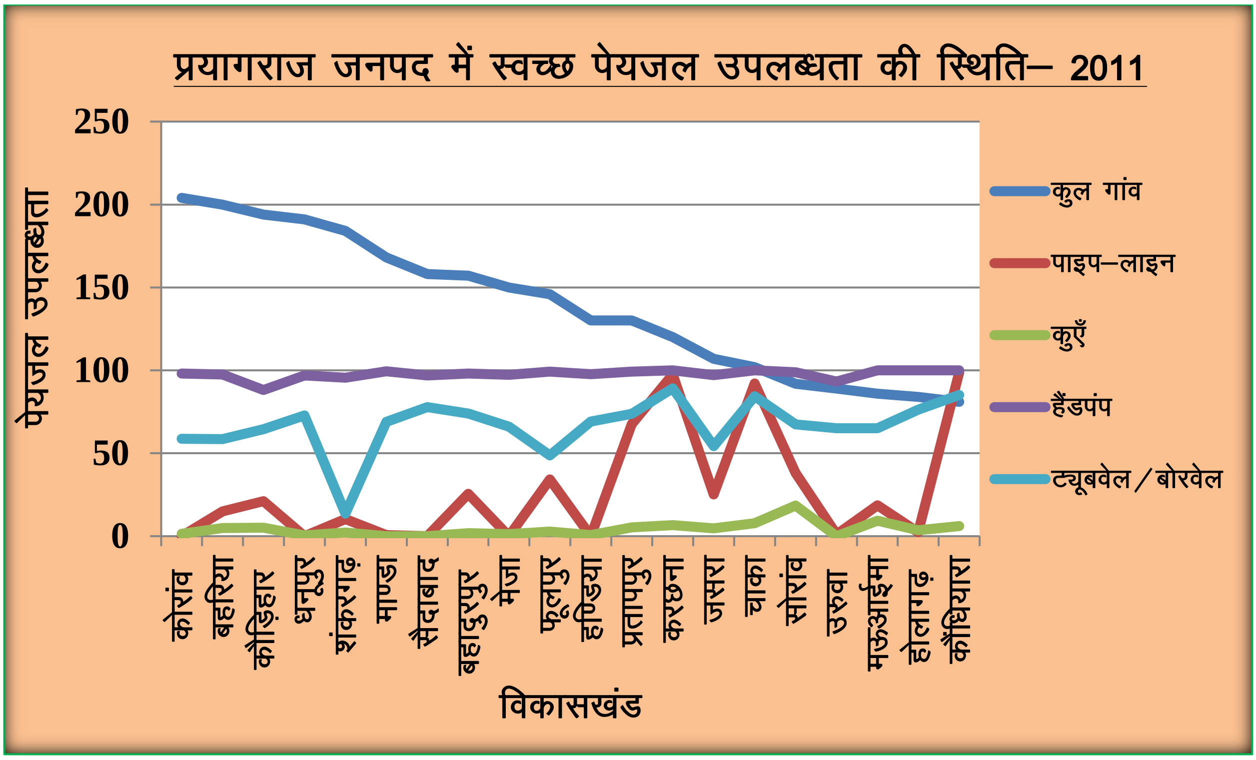

वर्तमान अध्ययन में स्वच्छ पेयजल के अंतिम स्रोत के रूप में ट्यूबेल/बोरवेल की उपलब्धता को लिया गया है तथा इनसे संबंधित आंकड़े भी सारणी 1.1 में दिए गए हैं। ट्यूबेल/बोरवेल की उपलब्धता वाले गांवों की संख्या की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि धनूपुर (139), कौड़िहार (125), सैदाबाद (123) तथा कोरांव (120) विकासखंड श्रेणी क्रम में सर्वाधिक ऊपर हैं। जबकि, इस संदर्भ में गांवों की कम संख्या धारित करने वाले विकासखंडों में शंकरगढ़ (25), मऊआईमा (56) तथा जसरा एवं उरुवा (दोनों में 58 गांव) शामिल हैं। आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि, ट्यूबेल/बोरवेल की उपलब्धता वाले गांव (विकासखंड के कुल गांवों की तुलना में) सर्वाधिक रूप में करछना (89.17%), कौंधियारा (85.19%) तथा चाका (84.31%) विकासखंडों में स्थित हैं। दूसरी तरफ, आनुपातिक रूप में इनकी न्यूनतम संख्या शंकरगढ़ (13.59%), बहरिया (58.50%) तथा कोरांव (58.82%) विकासखंडों में देखने को मिलती है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ट्यूबेल/बोरवेल की उपलब्धता की दृष्टि से प्रयागराज जनपद में एक मिश्रित दशा

देखने को मिल रही है। यहां के कुछ विकासखंडों में तो 80% से अधिक गांवों में ट्यूबेल/बोरवेल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है, वहीं कुछ ऐसे विकासखंड भी हैं जिनमें 50% अथवा उससे भी कम गांवों में ट्यूबेल/बोरवेल का विकास हुआ है।

प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के विभिन्न स्रोतों के मध्य एक विस्तृत तुलनात्मक स्थिति को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में विभिन्न विकासखंडों के गांवों की रेखा उनकी संख्या के आधार पर क्रमशः गिरती हुई प्रदर्शित की गई है। इसी के आधार पर प्रत्येक विकासखंड में स्वच्छ पेयजल के स्रोतों की स्थिति को दर्शाया गया है। चित्र से हम देख सकते हैं कि, सभी विकास खंडों के गांवों में हैंडपंपों की उपलब्धता लगभग समान है, जबकि कुओं की उपलब्धता अत्यंत ही निम्न है। चित्र में सर्वाधिक उतार–चढ़ाव पाइप लाइन तथा ट्यूबेल/बोरवेल को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं में देखने को मिल रहा है। यह दोनों संसाधन कुछ विकासखंडों के गांवों में तो व्यापक रूप में उपलब्ध हैं, तो वहीं अन्य विकासखंडों में इनकी उपलब्धता सीमित है। इस प्रकार की स्थिति में पेयजल के किन्ही भी दो स्रोतों के मध्य संबंधों को ज्ञात करना अत्यंत ही कठिन है। स्वच्छ पेयजल के विभिन्न स्रोतों के मध्य व्याप्त इस प्रकार की असमानता जनपद में पेयजल की समग्र उपलब्धता पर प्रभाव डाल सकती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण में, प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता के संदर्भ में अनेक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं:

- संपूर्ण जनपद में, स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में हैंडपंपों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जनपद के लगभग सभी विकासखंडों में हैंडपंपों की उपलब्धता 90% से अधिक है। कौड़िहार तथा उरुवा विकासखंडों को छोड़कर लगभग सभी विकासखंडों में हैंडपंपों की स्थिति में व्यापक सुधार किया गया है।
- ट्यूबवेल/बोरवेल से संबंधित स्रोत एक मिश्रित स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। लगभग सभी विकासखंडों में इनकी उपस्थिति हैंडपंप की तुलना में निम्न है किंतु पेयजल के अन्य स्रोतों (पाइप–लाइन तथा कुओं) की तुलना में बेहतर है। हाँ, इतना अवश्य है कि ट्यूबवेल/बोरवेल की उपलब्धता में विभिन्न विकासखंडों के मध्य व्यापक विषमता व्याप्त है। करछना, चाका तथा कौंधियारा विकासखंड के बाद लगभग सभी विकास खंडों में ट्यूबवेल/बोरवेल की उपलब्धता में गिरावट आई है।

- स्वच्छ पेयजल के उपरोक्त वर्णित किए गए सभी स्रोतों में सर्वाधिक निम्न स्थिति कुओं की पाई गई है। सोरांव को छोड़कर सभी विकासखंडों में कुओं की उपलब्धता वाले गावों की संख्या 10% से भी कम है। माण्डा, सैदाबाद तथा उरुवा विकासखंडों में तो कुएँ उपलब्ध ही नहीं है।
- कुओं की भांति ही पाइप—लाइन की उपलब्धता के वितरण में भी व्यापक असमानताएं व्याप्त हैं। एक तरफ तो, करछना, चाका तथा कौंधियारा विकासखंडों में पाइप—लाइन की उपलब्धता 90% से अधिक है तो वहीं कोरांव, हण्डिया, धनूपुर, सैदाबाद तथा मेजा विकासखंडों में पाइप—लाइन संबंधी सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है।
- प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के स्रोतों पर विभिन्न विकासखंडों में स्थित गांवों की संख्या का व्यापक प्रभाव हो सकता है। प्रशासनिक एकरूपता के अभाव में कुछ विकासखंडों में तो गांव की संख्या अत्यधिक है (उदाहरण के लिए कोरांव—204 गांव), तो वहीं दूसरी तरफ, होलागढ़ (84 गांव) तथा कौंधियारा (81 गांव) विकासखंडों में गांव की संख्या अत्यंत कम है।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल के स्रोतों से संबंधित अनेक चुनौतियां निकल कर सामने आती हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। प्रमुख चुनौती यह है कि, उपरोक्त वर्णित किए गए पेयजल के स्रोतों का विभिन्न विकासखंडों के मध्य वितरण अत्यंत ही आसमान है। इस प्रकार की चुनौती को संसाधनों के उचित आवंटन के आधार पर दूर किया जा सकता है। स्वच्छ पेयजल के स्रोत के रूप में कुओं तथा अन्य परंपरागत संसाधनों का हो रहा विलोपन आने वाले समय में एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा जन—जागरूकता को बढ़ावा देकर पेयजल के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित करके किया जा सकता है। संसाधनों के उचित वितरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि, विभिन्न विकासखंडों की जनसंख्या एवं उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन तथा निरीक्षण सुनिश्चित हो। नदियों के एक विस्तृत जाल के स्थित होने के कारण प्रयागराज जनपद में जल संसाधनों की कमी नहीं देखी गई है। किंतु, उचित प्रबंधन के अभाव में आने वाले समय में प्रयागराज जनपद में स्वच्छ पेयजल से संबंधित अनेक चुनौतियां उजागर हो सकती हैं। जन—सामान्य की भागीदारी तथा सरकारी प्रयासों के माध्यम से इस प्रकार की चुनौतियों को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।

Reference

1. James, A.J., Verhagen Joep, Christine Van Wijk, Nanavaty Reema., Parikh Mita, and Bhatt, Mihir., (2002).Transforming time into money using water: A participatory study of economics and gender in rural India. Natural Resources Forum, Blackwell publishers, USA. Vol. 26, pp. 205-211
2. Ramachandraiah, C, (2001). "Drinking water as a fundamental right," Economic and Political Weekly.
3. Cullet, Phillipe., (2009). New Policy Framework for Rural Drinking Water Supply: Swajaldhara Guidelines. Economic & Political Weekly, Vol. 44 No. 50. Available at http://www.epw.in/epw/uploads/articles/14242.pdf
4. Khurana, Indira. And Sen, Romit., (2007). Drinking water quality in rural India: Issues and approaches, Water Aid. Available at http://www.corecentre.co.in/Database/Docs/DocFiles/drinking_water.pdf
5. CESR, (2003). Why a human right?" Right to Water Fact Sheet no. 2, The Center for Economic and Social Rights, Brooklyn. Available at http://cesr.org/node/view/448.
6. Howard, Guy and Bartram, Jamie., (2003). Domestic Water Quantity, Service Level and Health. Switzerland, World Health Organization. Available at http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/en/WSH0302.pdf
7. Lodhia, S., (2006). Quality of drinking water in India: Highly neglected at policy level. Published by Center for Development alternatives, Ahmedabad. Available at. http://cfda.ac.in/download/Quality%20of%20Drinking%20Water%20in%20India%20Highly%20Neglected%20at%20Policy%20Level.pdf
8. Jallan, J. and Ravallion, M., (2001). Does Piped Water Reduce Diarrhea for Children in Rural India? Indian Statistical Institute and World Bank. Available at http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/wb/18139450/v1n1/s2664.pdf?expires=1265706506&id=54901593&titleid=75003787&accname=Guest+User&checksum=DB6DC05B191EB04A06BBA3564119CD32.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभावः एक अध्ययन

सुषमा रानी
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, एन.एम.एस.एन.दास पी.जी.कॉलेज, वदायूँ, उ.प्र.

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 225-234
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोधसारांश– संस्कृति और शिक्षा प्रणाली पर वैश्वीकरण का प्रभाव एक प्रमुख चिंता का विषय है। कुछ लोगों ने इसे परिवार और स्कूल जैसे पारंपरिक संस्थानों के लिए एक इलाज के रूप में देखा, एक अन्य तर्क ने पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने में लाभ देखा। यह पत्र विकासशील देशों के लिए शिक्षा पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करेगा। प्रभावी शिक्षा प्रणाली एक सभ्य जीवन जीने के अवसरों की नींव है। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की शिक्षा तक पर्याप्त पहुंच हो, सभी आय स्तर पर देशों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का आवश्यक कार्य है। पत्र का तर्क है कि शिक्षा समाज का एक मुख्य तत्व है, और लोकतांत्रिक पसंद की नींव है। देशों के बीच शिक्षा के अवसरों में बड़ा अंतर वैश्विक असमानता के मूल कारणों में से एक है। लोग वैश्वीकरण से तभी योगदान और लाभ उठा सकते हैं जब वे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से संपन्न हों और अपनी बुनियादी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षमताओं और अधिकारों के परिपूर्ण हों।

मुख्य शब्दः वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, शिक्षा, लोकतन्त्र आदि।

परिचय. भूमंडलीकरण एक जटिल परिघटना है जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए, ''वैश्वीकरण'' शब्द ने कई भावनात्मक अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। एक चरम पर, वैश्वीकरण को दुनिया भर के लोगों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए एक अप्रतिरोध्य और सौम्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। दूसरे पर, इसे सभी समकालीन बीमारियों के स्रोत के रूप में दोषी ठहराया जाता है।

विभिन्न विद्वानों के लिए वैश्वीकरण की परिभाषा भिन्न हो सकती है। चेंग (2000) के अनुसार, यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देशों और समाजों में मूल्यों, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवहार संबंधी मानदंडों के हस्तांतरण, अनुकूलन और विकास को संदर्भित कर सकता है। वैश्वीकरण से जुड़ी विशिष्ट घटनाओं और विशेषताओं में वैश्विक नेटवर्किंग (जैसे इंटरनेट, विश्व व्यापी ई–संचार, और परिवहन), वैश्विक हस्तांतरण और तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सीखने के क्षेत्रों में अंतरप्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विनिमय, वैश्विक गांव, बहु–सांस्कृतिक एकीकरण, और अंतरराष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क का उपयोग और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मानव विकास रिपोर्ट (1999) में यूएनडीपी

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

वैश्वीकरण को आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और साथ ही राजनीतिक स्तर पर दुनिया के निवासियों की बढ़ती अन्योन्याश्रयता के रूप में वर्णित करता है। इसे आर्थिक व्यापार के उदारीकरण, पूंजी, माल और उत्पादों के व्यापक संचलन और राष्ट्रीय सीमाओं के अर्ध–उन्मूलन की ओर एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। संचार की गति और सूचना को संसाधित करने की अपेक्षाकृत कम लागत ने दूरियों को समाप्त कर दिया है। समय और स्थान की श्रेणियों को पूरी तरह से उलट दिया गया है। उपभोग, मूल्यों और मानकीकृत सांस्कृतिक उत्पादों के मॉडल इस प्रकार व्यवहार और दृष्टिकोण को अधिक समान बनाते हैं और दुनिया भर में मतभेदों को मिटा देते हैं।

वैश्वीकरण, शिक्षा और आजीवन शिक्षा

लोग वैश्वीकरण से तभी योगदान और लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान, कौशल और अपनी बुनियादी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षमताएं और अधिकार हों। उन्हें रोजगार और आय, और एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। ये आवश्यक शर्तें हैं जो उन्हें अपने स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समुदायों में नागरिकों के रूप में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाती हैं। इन लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राष्ट्रीय सरकारें शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें और संस्थागत ढांचा तैयार करें जो व्यापक पहुंच और अवसर सुनिश्चित करे।

शिक्षा सभी समाजों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास की नींव और आवश्यक प्रेरक शक्ति के रूप में, शिक्षा उस परिवर्तन के केंद्र में है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और संस्कृति के क्षेत्रों में हमारी दुनिया को नाटकीय रूप से प्रभावित कर रहा है। यह सामाजिक परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति का कारण है, और इसके बदले में, यह प्रगति के परिणामों के अधीन है, जो कि सामग्री के साथ–साथ विधियों और स्थापित लक्ष्यों दोनों के संबंध में स्वयं उत्पन्न हुए हैं।

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, कुछ लोगों का तर्क है कि शिक्षा प्रणाली अब दुनिया में हर जगह लोगों के सामने आने वाली नई जरूरतों को ध्यान में नहीं रखती है। उदाहरण के लिए, रेने बेंडिट और वोल्फगैंग गेसर संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्रणाली पर निम्नलिखित अवलोकन करते हैं, जिसे दुनिया के कई देशों में लागू किया जा सकता है:

शिक्षा प्रणाली वर्तमान सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में विफल रही है। कामकाजी दुनिया में समस्यात्मक संक्रमण, बढ़ती गरीबी, किशोर उम्र के गर्भधारण, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता, किशोर अपराध और हिंसा जैसी युवा समस्याओं में वृद्धि को इस तथ्य के प्रतिबिंब के रूप में माना जाता है कि वास्तविक जीवन की दुनिया के साथ स्कूलों का अब कोई संबंध नहीं है।

विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने के लिए, लोगों को न केवल पारंपरिक शिक्षा के ज्ञान और उपकरणों को प्राप्त करना चाहिए, बल्कि सबसे बढ़कर, उन्हें एक ज्ञानी समाज द्वारा मांगे गए नए कौशल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में, तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान में परिणामी तेजी से परिवर्तन ने सीखने को एक स्थायी प्रक्रिया बना दिया है, 21 वीं सदी के लिए यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की

रिपोर्ट के शब्दों में एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया, जिसका शीर्षक हैः सीखना, इंसान के भीतर का खजाना है।

आजीवन शिक्षा निम्नलिखित चार मौलिक उपदेशों पर आधारित हैः

• कम संख्या में विषयों पर गहराई से काम करने के अवसर के साथ पर्याप्त व्यापक सामान्य ज्ञान को जोड़कर जानना सीखना। इसका अर्थ सीखना भी है, ताकि जीवन भर शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

• करके सीखना, न केवल एक व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए बल्कि अधिक व्यापक रूप से, बड़ी संख्या में स्थितियों से निपटने और टीमों में काम करने की क्षमता है। इसका अर्थ युवा लोगों के विभिन्न सामाजिक और कार्य अनुभवों के संदर्भ में करना सीखना भी है, जो स्थानीय या राष्ट्रीय संदर्भ के परिणामस्वरूप अनौपचारिक हो सकते हैं, या औपचारिक हो सकते हैं, जिसमें वैकल्पिक अध्ययन और कार्य शामिल हो सकते हैं।

• बहुलवाद, आपसी समझ और शांति के मूल्यों के सम्मान की भावना से, अन्य लोगों की समझ विकसित करके और अन्योन्याश्रितता की सराहना करके, – संयुक्त परियोजनाओं को अंजाम देना और संघर्षों को प्रबंधित करना सीखना – एक साथ रहना सीखना है।

• बनना सीखना, ताकि बेहतर व्यक्तित्व का विकास किया जा सके और अधिक से अधिक स्वायत्तता, निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम हो। इसके लिए, शिक्षा को किसी व्यक्ति की क्षमता के किसी भी पहलू की अवहेलना नहीं करनी चाहिएः स्मृति, तर्क, सौंदर्य बोध, शारीरिक क्षमता और संचार कौशल आदि।

वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

यद्यपि वैश्वीकरण कई देशों के लिए अपरिहार्य प्रतीत होता है और अपने समाज और लोगों को विकसित करने के लिए इससे पैदा हुए अवसरों को लेने के उद्देश्य से कई पहल और प्रयास किए गए हैं, हाल के वर्षों में खतरनाक प्रभावों के साथ अंतरराष्ट्रीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं। स्वदेशी और राष्ट्रीय विकास पर वैश्वीकरण के कारण। विशेष रूप से विकासशील देशों में वैश्वीकरण के खतरों के खिलाफ विभिन्न सामाजिक आंदोलन शुरू किए गए हैं। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों में विकासशील और अल्प–विकसित देशों पर उन्नत देशों द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपनिवेश शामिल हैं। अनिवार्य रूप से, स्थानीय विकास का समर्थन करने और वैश्वीकरण के खतरों और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए वैश्वीकरण से अवसरों और लाभों को अधिकतम कैसे किया जाए, यह विकासशील देशों की प्रमुख चिंता होगी।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैश्वीकरण ज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक मूल्यों और व्यवहार संबंधी मानदंडों को साझा करने और विभिन्न देशों और संस्कृतियों में व्यक्तियों, संगठनों, समुदायों और

समाजों सहित विभिन्न स्तरों पर विकास को बढ़ावा देने के अवसर पैदा कर रहा है। विशेष रूप से, वैश्वीकरण के लाभों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं–

- ज्ञान, कौशल और बौद्धिक संपदा का वैश्विक साझाकरण जो विभिन्न स्तरों पर कई विकास के लिए आवश्यक हैं,
- देशों, समुदायों और व्यक्तियों के विभिन्न विकासों के लिए तालमेल पैदा करने के लिए पारस्परिक समर्थन, पूरक और लाभ,
- स्थानीय जरूरतों और विकास को पूरा करने के लिए उपरोक्त वैश्विक साझेदारी और पारस्परिक समर्थन के माध्यम से मूल्यों का निर्माण और दक्षता बढ़ाना,
- देशों और क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय समझ, सहयोग, सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता के लिए स्वीकृति को बढ़ावा देना।
- देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर संचार, बातचीत, और बहु–सांस्कृतिक योगदान को प्रोत्साहित करना।

साथ ही, वैश्वीकरण, संभावित रूप से विकासशील और अविकसित देशों के लिए गंभीर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है। यह भी एक प्रमुख कारण है कि वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों के खिलाफ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में इतने सारे सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। वैश्वीकरण के संभावित नकारात्मक प्रभाव विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण और विकासशील देशों के लिए उन्नत देशों के अत्यधिक प्रभाव और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समृद्ध क्षेत्रों और गरीब क्षेत्रों के बीच तेजी से बढ़ते अंतराल हैं। विशेष रूप से, संभावित नकारात्मक प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- उन्नत देशों और कम विकसित देशों के बीच तकनीकी अंतराल और डिजिटल विभाजन को बढ़ाना,
- विकासशील देशों के उपनिवेशीकरण के एक नए रूप के लिए कुछ उन्नत देशों के लिए अधिक वैध अवसर पैदा करना,
- क्षेत्रों और संस्कृतियों के बीच बढ़ती असमानताऐं और संघर्ष, तथा
- कुछ उन्नत क्षेत्रों की प्रमुख संस्कृतियों और मूल्यों को बढ़ावा देना।

वैश्वीकरण और शिक्षा की असमान पहुंच

बहुत से लोग मानते हैं कि शिक्षा प्रमुख स्थानीय कारकों में से एक है जिसका उपयोग वैश्वीकरण के कुछ प्रभावों को नकारात्मक से सकारात्मक तक सीमित करने के लिए किया जा सकता है और वैश्वीकरण की अपरिहार्य प्रक्रिया में व्यक्तियों और स्थानीय समुदाय के विकास के लिए खतरों को अवसरों में परिवर्तित

किया जा सकता है। सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम कैसे करें और वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम से कम कैसे करें, यह राष्ट्रीय स्तर के लिए वर्तमान शैक्षिक सुधार में एक प्रमुख चिंता का विषय है और ''वैश्वीकरण'' की घटना को देखते हुए, पिछले दशकों की आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ दुनिया में असमानताओं का बिगड़ना भी हुआ है और विशेष रूप से, ज्ञान तक पहुंच की असमानता का।

आज की विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण का तात्पर्य न केवल पारंपरिक ज्ञान में महारत हासिल करना है, बल्कि ज्ञान समाज के लिए आवश्यक नए कौशल हासिल करने की क्षमता भी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि नई संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों का असमान बंटवारा केवल मौजूदा असमानताओं को मजबूत करने का काम करता है।

जबकि विकासशील देशों में शिक्षा की कमी स्पष्ट रूप से अधिक है, विकसित देशों में भी यह एक प्रमुख मुद्दा है। कई औद्योगीकृत देशों में निरक्षरता और कम कौशल की लगातार समस्या है, जो सामाजिक बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा तक असमान पहुंच भी बढ़ती वेतन असमानता को बढ़ावा देती है और आय वितरण को खराब करती है। औद्योगिक देशों में अशिक्षित और अकुशल लोगों को तेजी से प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है।

हालाँकि, दुनिया भर में 90 के दशक के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तरह की स्कूली शिक्षा का प्रावधान बढ़ा, लेकिन प्रगति अपर्याप्त है और देशों और क्षेत्रों के बीच के अंतर को छिपाती है। उदाहरण के लिए, ओईसीडी देश कम आय वाले देशों की तुलना में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में प्रति छात्र 100 गुना अधिक खर्च करते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं जो संकेत करते हैं कि उच्च और निम्न–आय वाले देशों में समान रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधन मौजूद होने पर अधिक तीव्र प्रगति संभव है।

वैश्वीकरण से लाभान्वित होने वाले सभी देशों ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। आज महिलाओं और पुरुषों को व्यापक आधार वाले कौशल की आवश्यकता है जिसे तेजी से बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के साथ–साथ उपयुक्त बुनियादी कौशल के अनुकूल बनाया जा सकता है जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिससे दूरी और बजटीय सीमाओं की बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जबकि इंटरनेट तकनीक विशेष रूप से ज्यादा खर्चीली नहीं है, बल्की यह मानवीय आवश्यकता के लिए वहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा नीति वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी प्रदान करती है, जैसे कि बढ़ती आय असमानताएं, जो प्रभाव के साथ अंततः श्रम बाजार नीतियों से अधिक मजबूत हो सकती हैं।

शिक्षा समाज का एक प्रमुख तत्व है, और लोकतांत्रिक पसंद की नींव है। देशों के बीच शिक्षा के अवसरों में बड़ा अंतर वैश्विक असमानता के मूल कारणों में से एक है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अमीर देशों को गरीब देशों में किए गए मानव पूंजी में निवेश से लाभ उठाने की अनुमति देता है, इसके अलाव उन्हें उन शिक्षा प्रणालियों का समर्थन करने की जिम्मेदारी भी देता है, जहां वे निवेश किए जाते हैं।

राष्ट्रीय योग्यता ढांचे का विकास भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करता है, कौशल की मांग और आपूर्ति को पूरा करने में

मदद करता है, और व्यक्तियों को उनके कैरियर की पसंद में मार्गदर्शन करता है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास तक पहुंच अक्सर पारिवारिक प्रतिबद्धताओं से बाधित होती है, जो चाइल्डकैअर सुविधाओं और दूरस्थ शिक्षा की संभावनाओं की आवश्यकता का संकेत देती है। अन्य प्राथमिकताओं में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए कौशल की पहचान और उन्नयन और बिना औपचारिक शिक्षा वाले श्रमिकों को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण का अनुकूलन शामिल है।

वैश्वीकरण, शिक्षा, और तकनीकी अंतर

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और सूचना समाज में, ज्ञान और सूचना सामाजिक समावेश और उत्पादकता की कुंजी है, और कनेक्टिविटी वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कुंजी है। फिर भी हमारी असमान दुनिया में नेटवर्क वाली अर्थव्यवस्था उन सभी चीजों को शामिल करने में सक्षम है जो इसे मूल्यवान मानते हैं, लेकिन उन लोगों और दुनिया के उन हिस्सों को भी बंद करने में सक्षम हैं जो प्रमुख मॉडल में फिट नहीं होते हैं।

तकनीकी क्षमता जरूरी है। देशों को संचार अवसंरचना और उत्पादन प्रणाली की आवश्यकता होती है जो विकास के लिए सूचना को संसाधित और उपयोग कर सके और नए तकनीकी वातावरण में भाग लेने, लाभ उठाने और रचनात्मक होने के लिए लोगों के पास ज्ञान और इसका उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यह शिक्षा और कौशल को निष्पक्ष और समावेशी वैश्वीकरण के केंद्र में रखता है।

ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा विकासशील देशों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है—तृतीयक और व्यावसायिक शैक्षिक सुविधाओं के लिए महंगे भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को कम करने और क्षेत्रीय पहल के माध्यम से प्रदान किए गए पाठ्यक्रम और शिक्षण के साथ संचार उपकरणों में निवेश को सक्षम करने में। ग्लोबल डिस्टेंस लर्निंग नेटवर्क (GDLN) ऐसी ही एक पहल है। यह संस्थानों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो विकास और गरीबी में कमी पर ध्यान देने के साथ दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकियों और विधियों को विकसित और लागू कर रहा है। इस तरह के नेटवर्क द्वारा तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना हैः

- उन्नत देशों और कम विकसित देशों के बीच तकनीकी अंतराल और डिजिटल विभाजन को बढ़ाना जो निष्पक्ष वैश्विक साझाकरण के समान अवसरों में बाधा बन रहे हैं।
- ज्ञान, कौशल और बौद्धिक संपदा का वैश्विक साझाकरण जो विभिन्न स्तरों पर कई विकास के लिए आवश्यक हैं।
- कुछ उन्नत देशों के लिए विश्व स्तर पर अन्य देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपनिवेश बनाने के लिए अधिक वैध अवसर पैदा करना।
- देशों, समुदायों और व्यक्तियों के विभिन्न विकासों के लिए तालमेल उत्पन्न करने के लिए पारस्परिक समर्थन, पूरक और लाभ।

- कुछ उन्नत देशों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय संसाधनों का दोहन और कम उन्नत देशों की स्वदेशी संस्कृतियों को नष्ट करना।

- स्थानीय जरूरतों और विकास को पूरा करने के लिए उपरोक्त वैश्विक साझेदारी और पारस्परिक समर्थन के माध्यम से मूल्यों का निर्माण और दक्षता बढ़ाना। क्षेत्रों और संस्कृतियों के बीच असमानता और संघर्ष बढ़ाना।

ILO का तर्क है कि कुछ उन्नत क्षेत्रों की प्रमुख संस्कृतियों और मूल्यों को बढ़ावा देकर और विभिन्न स्तरों पर बहु–सांस्कृतिक योगदान को प्रोत्साहित करके देशों और क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग, सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। स्पष्ट रूप से, वैश्वीकरण के प्रभावों का प्रबंधन और नियंत्रण कुछ जटिल मैक्रो और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित हैं जो इस पेपर के दायरे से बहुत दूर हो सकते हैं।

बहुतायत के इस युग में दुनिया में गरीबी का बढ़ना सबसे दुखद घटना है। यह हाशिए पर जाने और दुनिया की आबादी के तेजी से बड़े समूहों के बहिष्कार का कारण है और विशेष रूप से, बच्चों, युवाओं और महिलाओं को प्रभावित करता है। एक परिणाम के रूप में, हम गरीबी और हाशिए पर रहने वाली संस्कृतियों के विकास को देखते हैं जो समान लोगों को गरीबी के चक्र में बंद कर देते हैं और उनके बहिष्कार को सुदृढ़ करते हैं।

लेकिन यह अभी भी ज्ञान के संबंध में असमानता है जो हमारे समाजों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पारंपरिक कच्चे माल और गैर–नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के विलुप्त होने का खतरा अब उत्पादन और विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं है। यह अपने आप में ज्ञान/कौशल है जो आर्थिक विकास के प्रमुख संसाधनों में से एक बन गया है। इस प्रकार हम श्रमिकों की एक नई श्रेणी को ''ज्ञान कार्यकर्ता'' दृश्य पर दिखाई देते हैं। ज्ञान के बिना, आप हाशिए पर और प्रगतिशील बहिष्करण के अधीन हैं, लेकिन परिणाम भी सत्य है। ''किसी देश की आबादी की शिक्षा और प्रशिक्षण का स्तर जितना अधिक होता है, उतनी ही अधिक संभावना एक राष्ट्र के पास अवसरों को भुनाने, और तकनीकी परिवर्तन की सामाजिक लागत को कम करने, और अधिक खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की होती है।''

वैश्वीकरण, शिक्षा और मानव अधिकार

शिक्षा को मानव अधिकारों का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया हैः ''बुनियादी, प्रारंभिक शिक्षण के संबंध में यह मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षण व्यापक रूप से उपलब्ध होना चाहिए और योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से उच्च शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए।'' शिक्षा आर्थिक विकास और मानव और सांस्कृतिक विकास के पीछे भी प्रेरक शक्ति है। सभी के लिए अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की नीतियों को लागू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में निवेश का मतलब है कि सरकारें और विशेषज्ञ आबादी और समग्र रूप से समाज पर प्रभाव को मापने में सक्षम हैं। यह प्रभाव स्वास्थ्य में सुधार, जनसांख्यिकीय विकास दर में कमी, बाल मृत्यु दर में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि में देखा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ यह भी है कि आबादी नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक

हो जाती है और इस प्रकार अपने समुदायों में जीवन के निर्माण और प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होती है।

यूनेस्को और यूएनडीपी द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, विश्व आर्थिक संकट, जो अस्सी के दशक में हावी था, आर्थिक वैश्वीकरण द्वारा लगाए गए बाधाओं के कारण फैल गया। यह भी बताया गया कि ''पुनर्गठन और सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया जो अधिकांश देशों में हुई है और कुछ में अभी भी हो रही है, शिक्षा की कीमत पर राष्ट्रीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है।'' शिक्षा क्षेत्र ने अभी तक विशेष व्यवहार से लाभ पाने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है या सामान्य रूप से सार्वजनिक व्यय को सीमित करने वाली नीतियों के आवेदन से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है।

निश्कर्श

यह पत्र इस तथ्य पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक नीतियों ने शिक्षा को भविष्य के लिए निवेश या विकास की कुंजी के रूप में और मानव के मौलिक अधिकार के रूप में भी कम माना है। कुछ औद्योगीकृत देशों के अपवाद के साथ, दुनिया में शिक्षा प्रणालियों के सभी स्तरों पर इन नीतियों के नतीजों को बुरी तरह महसूस किया गया है। इस तरह के नतीजों में शिक्षण की स्थिति का बिगड़ना शामिल है, स्कूल प्रतिष्ठानों की अपर्याप्त संख्या और प्रति कक्षा संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जो मजबूत जनसांख्यिकीय विकास का अनुभव कर रहे हैं, शिक्षक के योग्यता स्तर और भौतिक परिस्थितियों के कारण अक्सर शिक्षण गुणवत्ता का नुकसान होता है जिसमें वे अपना पेशा करते हैं, और अंत में, स्वयं शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में प्रासंगिकता का नुकसान होता है। लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं, जैसेः

• 21वीं सदी के लिए शिक्षा क्या है। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों में वर्तमान संकट केवल उस समाज का सिंड्रोम है जो गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थान और उन संस्थानों के दिल में मूल्य और प्रतीक, समाज के एक ही व्यक्तिगत सदस्यों के संबंध में उनके नियामक और एकीकृत कार्य में निष्क्रिय और अप्रचलित हो गए हैं।

• दुनिया में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, और बहिष्कार की चुनौतियों और सभी समाजों को प्रभावित करने वाली असहिष्णुता और हिंसा की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा कैसे प्रतिक्रिया दे सकती है और यहां तक कि जो खुद स्कूलों में भी पाई जा सकती है?

शिक्षा एक बहुसांस्कृतिक समाज की जरूरतों का जवाब कैसे दे सकती है, जो उस समाज के लोगों की सांस्कृतिक और जातीय विविधता के आधार पर, उस विविधता और लोगों की अपनी विशेष जरूरतों की मान्यता की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उनके सामाजिक और आर्थिक एकीकरण का पक्ष लेती है?

• सांस्कृतिक मॉडल के वैश्वीकरण, मानकीकरण और समरूपीकरण की प्रवृत्ति को कैसे सुलझाया जा सकता है? और हम सांस्कृतिक विविधता के लिए तेजी से मजबूत दावों को कैसे सुलझा सकते हैं, जो अपने

सबसे चरम रूप में, पहचान के त्याग, दूसरे की हिंसक अस्वीकृति और सभी प्रकार के कट्टरवाद के रूप में देखा जा सकता है?

अपने नए रूप में, सतत शिक्षा को पहले से प्रचलित, विशेष रूप से विकसित देशों में, वयस्कों के लिए उन्नयन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण और रूपांतरण या पदोन्नति पाठ्यक्रमों से कहीं आगे जाने के रूप में देखा जाता है। इसे कई अलग–अलग उद्देश्यों के लिए सभी के लिए सीखने के अवसरों को खोलना चाहिए – दूसरा या तीसरा मौका देना, ज्ञान, सुंदरता की प्यास को संतुष्ट करना, या खुद को पार करने की इच्छा, या प्रशिक्षण के सख्त व्यावसायिक रूपों को व्यापक और गहरा करना, व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि सहित, संभव बनाना।

REFERENCES

1. Altbach, P. G. (Ed.). (1999). Private Prometheus: Private Higher Education and Development in the 21st Century. Contributions to the Study of Education No. 77. Connecticut: Greenwood Press.
2. Argyris, C., Putnam, R., & Smith, D.M. (1985). Action science. San Francisco: Jossey-Bass 3-
3. Ayyar, R. V. V. (1996). Educational policy planning and globalisation. International Journal of Educational Development, 16(4), 347-354.
4. Bendit, R. and W. Gaiser (1995), Integration and Segregatio of Young People in a Changing World,
5. Prospects, Vol. xxv, No.3, Sept
6. Brown, P. & Lauder, H. (1996). Education, globalization, and economic development. Journal of Education Policy, 11(1), 1-25.
7. Brown, T. (1999). Challenging globalization as discourse and phenomenon. International Journal of Lifelong Education, 18(1), 3-17.
8. Cheng, Y.C. (2000). A CMI-Triplization Paradigm for Reforming Education in the New Millennium.
9. International Journal of Educational Management. 14(4), 156-174.
10. Cheng, Y.C., Ng, K.H., & Mok, M.M.C. (2002). Economic Considerations in Education Policy Making: A Simplified Framework. International Journal of Educational Management, 16(1), 18-39.
11. Fowler, F. C. (1994). The international arena: The global village. Journal of Education Policy, 9(5-6), 89-
12. 102. Green, A. (1999). Education and globalization in Europe and East Asia: onvergent and divergent trends.
13. Journal of Education Policy, 14(1), 55-71.
14. Henry, M., Lingard, B., Rizvi, F., & Taylor, S. (1999). Working with/against globalization in education.
15. Journal of Education Policy, 14(1), 85-97.
16. Holmes, W. (1999). The Transforming Power of Information Technology. Community College Journal, 70(2), pp10-15.
17. ILO (2004), A Fair Globalization: Creating Opportunities for All, Geneva, International Labour Office
18. James, E. (1994). Public-private division of responsibility for education. In T. Husén & T. N. Postlethwaite (Eds.), The international encyclopedia of education (2nd ed., Vol. 8,). Oxford, England/New York: Pergamon/Elsevier Science.
19. Jones, P. W. (1999). Globalisation and the UNESCO mandate: Multilateral prospects for educational development. International Journal of Educational Development, 19(1), 17-25.

20. Klor de Alva, J. (2000). Remaking the academy in the age of information. Issues in Science and Technology, 16(2), 52-58.
21. Lick, D. W. (1999). Transforming Higher Education: A New Vision, Learning Paradigm, and Change management. International Journal of Innovative Higher Education 1999, Fall, 13,
22. Little, A. W. (1996). Globalization and educational research: Whose context counts? International Journal of Educational Development, 16(4), 427-438.
23. McGinn, N. F. (1996). Education, democratization, and globalization: A challenge for comparative education.Comparative Education Review, 40(4), 341-357.
24. UNESCO (1996), Learning the Treasure Within, Paris, Co-publication Unesco/odile Jacob Publishers.
25. UNESCO (1998), World Report on Education, Paris, UNESCO Publications.
26. Wang, Y. (2000) (ed.). Public-private partnerships in the social sector. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Waters, M. (1995). Globalization. London: Routledge.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज्य की भूमिका : एक समीक्षा

विजय कुमार विश्वकर्मा

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड।

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 235-242

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोधसारांश – आत्मनिर्भर भारत को साकार बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यदि गावों में बुनियादी सुख-सुविधाओं के साथ संवैधानिक पंचायती कार्य को संपन्न किया जाय तो रोजगार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मांग व पूर्ति का सामंजस्य बना रहेगा जिससे कि जीवन यापन में कठिनाई नहीं होगी। किंतु शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी की मानसिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण ना तो कार्यों का पूर्ण संपादन किया जा रहा है और ना ही पारदर्शिता दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं आवंटित राशि भी भ्रष्टाचार के जाल में फंस कर कुछ ही राशि कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। जिससे कि संपूर्ण कार्य को क्रियान्वयन करने में वित्त की समस्या बनती जा रही है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से वित्त पर विशेष ध्यान देना होगा तथा जनप्रतिनिधि सेवा भाव से कार्य को करेंगे। नहीं तो राजीव गांधी के किए गए प्रश्न यदि हम ₹1 विकास के लिए दिल्ली से भेजते हैं तो गांव स्तर पर मात्र 16 पैसे प्राप्त होते हैं ऐसे हालात में उन 84 पैसों का क्या होता है और कहां गया? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया तो निश्चित रूप से आवंटित राशि और कार्य क्रियान्वयन में सदैव असंतुलन बना रहेगा।

मुख्य शब्द – आत्मनिर्भर, भारत, पंचायती, राज्य, जनसंख्या, गांव, शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी, मानसिकता, भ्रष्टाचार।

प्रस्तावना : एक लंबे संघर्ष के फलस्वरूप अपना देश गुलामी की जंजीरो से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति एवं विकास को नई गति देने के लिए वृहत पैमाने पर प्रयास किए गए I कृषि एवं उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया I देश के विभिन्न क्षेत्रकों में विकास के लिए केंद्रीय पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई I भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि और उद्योगों को प्रमुखता दी गई थी। कृषि में जहां कृषि यंत्र, उन्नत बीज और उर्वरक को सुलभ रूप से उपलब्ध कराना था वहीं उद्योगों के लिए कच्चा सामग्री, सस्ते व कुशल श्रमिक तथा ईंधन को सुलभता के साथ उपलब्ध कराना था। यह भी यथार्थ है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

गांवो में निवास करती है। इसी जनसंख्या को अधिक पैमाने पर रोजगार व बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना था। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके भारत के अंतिम पायदान तक विकास के प्रयास पहुंचे इसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आम नागरिक का शासन अर्थात पंचायती राज्य शासन व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी के जयंती पर किया । तमाम प्रयासों के बावजूद, आजादी के 75 वर्षो के बाद भी पंचायतों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका। हाल ही में कोरोना महामारी ने ग्रामीण अर्थव्यस्था, एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी जनसंख्या पर भयंकर दुष्प्रभाव डाला है, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार से हाथ धोना पड़ा । कोरोना महामारी से उपजी आजीविका संकट से पंचायती राज्य के पुनर्संगठित कर और अधिक सशक्त करने की मांग अपरिहार्य हो जाता है। वर्तमान समय में 'आत्मनिर्भर भारत के निर्माण' को विकास के प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान किए बिना यह संभव नहीं है I प्रस्तुत आलेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज की भूमिका एवं इसके चुनौतियों पर एक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावित शोध पत्र के उद्देश्य और लक्ष्य –

- प्रस्तुत आलेख का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायती राज की भूमिका एवं इसके चुनौतियों की समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है । इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित है –

1. पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय मजबूती प्रदान करने में प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था को जानना।
3. पंचायती राज व्यवस्था में सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का सदुपयोगिता का पता लगाना।
4. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को जानना।

साहित्यिक समीक्षा -

सुर, देवाशीष(2020) में शोधकर्ता ने एक अध्ययन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उसके क्रियात्मक पक्षों तथा प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए इनकी बाधाओं को दूर करना होगा, तभी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अशरफ (2021) ने अपने एक अध्ययन "ए रिव्यू ऑफ सोर्स........" जो मुख्य रूप से कलकत्ता(पश्चिम बंगाल) के परिप्रेक्ष्य में किया गया था में बताया कि आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संपन्न किया जा सकता है। जोशी (2022) ने अपने एक अध्ययन में रेखांकित किया है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करा करके ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है । क्योंकि यह महिलाएं पंचायतों राज शासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करती हैं। तनय (2022)ने अपने एक अध्ययन में आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय संकट को दूर करने तथा सुधार के लिएअत्यधिक बल दिए जाने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया है ।

आंकड़ों के प्रकार एवं संकलन के स्रोत: किसी भी शोध कार्य के लिए तथ्यों का संकलन अति आवश्यक होता है जो वैधता विश्वसनीयता तथा सार्थकता की उपस्थिति की जांच करता है। यह तभी संभव हो जब हमारा समंक विश्वसनीय हो, तभी इस पर किया गया कार्य वास्तविकता के निकट होता है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से विषय वस्तु की प्रस्तुति की गई है, जिसमें लेख, शोध, रिपोर्ट एवं पत्रिकाएं, जर्नल, इंटरनेट आदि की सहायता से सूचनाओं को एकत्रित किया गया है।

शोध प्रविधि : शोध के उद्देश्य तथा क्षेत्र के अनुसार ऐतिहासिक, तुलनात्मक, सारणीकरण आदि पद्धतियों का सहारा लिया गया है। साथ ही वित्त मंत्रालय में प्रकाशित आंकड़ों के लिए विवरणात्मक विधि का उपयोग किया गया है।

सैद्धांतिक व व्यवहारात्मक पक्ष : हालांकि गावों की आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था और हम सब जानते हैं कि पंचायत प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई I इसके बाद के कुछ वर्षों में कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी। वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को मौत के तांडव से लॉकडाउन तक करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अपने देश में पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 तथा 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगाना पड़ा। देश की सभी जनता ने इस लॉकडाउन का समर्थन व स्वागत किया किंतु जब यह लॉकडाउन में विस्तार समय-समय पर किया गया तो इससे आम जनता को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ा। पेट भरने के साथ-साथ मकान के किराए जो अधिकतर दूसरे राज्यों में प्रवासी थे, की व्यवस्था करना काफी कठिन हो गया। लोगों की सोच थी कि यदि जीवित रहेंगे तभी तो काम करेंगे। ऐसे हालात में पलायन होने लगा पलायन की प्रक्रिया दिन पर दिन बढ़ती गई। उद्योगों में कामकाज ठप होने लगे श्रमिकों की संख्या घटने लगी। परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। मांग ज्यादा थी परंतु उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक असंतुलन होने लगा। इस कारण देश में बेरोजगारी को दूर करना तथा वित्तीय संकट के समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को लाना अपरिहार्य हो गया।

देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 12 मई 2020 को "आत्मनिर्भर भारत" को पहली बार उद्बोधन सार्वजनिक रूप से किया था। यह वह समय था जब बीमारी का तांडव दिखाई दिया था। इसमें विकसित देश भी इस वैश्विक महामारी से बच न सके। इस घोषणा में विशेष रूप से आर्थिक पैकेज के रूप में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गयी थी। हालांकि आत्मनिर्भर भारत शब्द पहली बार जून 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री जी ने पंचायत दिवस के उपलक्ष में इस बात पर जोर दिया था कि पंचायतों को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि यह भारतीय लोकतंत्र के आधार को और भी मजबूत किया जा सके। इसमें नए भारत की समृद्धि छिपी हुई है I क्योंकि जब पंचायत आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कम करेंगे। वास्तव में गांव व शहर का मूलभूत अंतर देखा जाए तो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, बिजली, सड़क ही है। यदि इनकी उपलब्धता और सुलभता पंचायती स्तर पर कर दिया जाय तो पलायन को काफी हतोत्साहित किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों को राज्य तथा केंद्रीय स्तर से वित्त व तकनीकी सहायता प्रदान करके उनको

अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है ताकि गांव अपने मामलों पर आय के साधन तथा संसाधनों से पंचायतों को आत्मनिर्भर बन सके। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बीस लाख करोड़ रुपए की धनराशि की योजना बनायी गयी। वास्तव में यह एक चरणबद्ध रुप से कार्यक्रम था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी तथा मांग पर व्यय करना था।

तालिका-1.1.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उपलब्ध कराया गया कुल प्रोत्साहन

क्र.	मद		(रु. करोड़ में)
1	भाग 1		5.94.550
2	भाग 2		3.10.000
3	भाग 3		1.50.000
4	भाग 4 भाग 5		48.000
		उप कुल	11.02.650
5	पी एम जी के पी सहित **पूर्व के उपाय**		1.92.800
6	आरबीआई उपाय (वास्तविक)		80.16.03
		उप कुल	9.94.403
		कुल योग	**20.97.053**

स्त्रोत: योजना, दिसम्बर 2021, पृष्ठ संख्या. 41

जब स्थानीय स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण हुआ तथा संवैधानिक मान्यता भी मिली तो निश्चित रूप से चाहिए था कि संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारा जाए या यूं कहें कि इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने की आवश्यकता थी। परंतु वित्तीय शक्ति सबसे बड़ी समस्या थी और इस कार्य के लिए वित्तीय शक्ति की निहायत आवश्यकता पड़ती है। इस वित्त प्रबन्धन को कोई अलादीन के चिराग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि आय के संसाधन के रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए। इन कार्यों का संचालन वित्त के अभाव में नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कर लगाने का प्रावधान भी है परंतु राजनैतिक कारणों से कर लगाने और कार्यों का संपादन एवं क्रियान्वयन करने में तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन होता तो शायद इतने बड़े स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या पलायन नहीं करती क्योंकि प्रारंभिक दौर में इसे बहुत हल्के ढंग से लिया गया तथा स्थानीय स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण सिर्फ राजनैतिक

पेंच में फसा रहा। यदि इन राजनैतिक कारणों पर विचार किया जाए तो उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। स्थानीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के लिए कुछ संसाधन इस प्रकार से हैं जैसे- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, आत्मनिर्भर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, शौर्य पाठकों का विकास, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, स्वयं के स्रोत एवं डेयरी उद्यमिता विकास योजना ।

किसी भी गांव का बुनियादी ढांचा उसका संरचनात्मक रूप बनाता है जिससे सही तरीके से कार्य का क्रियान्वयन किया जा सके। चूंकि ग्राम पंचायत बहुत हद तक अनुदान पर आश्रित होती है और यह निर्भरता उसके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। क्योंकि स्वयं आय के स्रोत को विकसित नहीं किया जा रहा है इसके कारण विकास कार्य का संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों रूप से ग्राम पंचायत प्रभावित होता है इस ग्रामीण विकास कार्यक्रम को समन्वित रूप से अपनाया जाए तो निश्चित रूप से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन कुंठित विचारधारा व सेवा से परे व्यवहार के कारण यह पंचायत मात्र कठपुतली बन गया है जहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय, शक्ति, दबंगई के कारण पंचायत के अधिकारी व कर्मचारियों को समन्वित रूप से काम करने में बाधा पहुंच रही है। पंचायत के अधिकारों का ज्ञान भी आम आदमी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है। इतना ही नहीं आरक्षण पर तो जागरूकता का बहुत ही अभाव है विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति। हम सब जानते हैं कि महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है इसी के आधार पर अगर महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी एक तिहाई क्रियात्मक रूप से पाया जाए तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी।

तालिका-1.2.

वित्त आयोगों में पंचायती राज व्यवस्था हेतु वित्त का प्रावधान

10 वें वित्त आयोग (1995-2000)	Rs. 4380.93 करोड़
11 वें वित्त आयोग (2000-2005)	Rs. 8000.00 करोड़
12 वें वित्त आयोग (2005-2010)	Rs. 20,000.00 करोड़
13 वें वित्त आयोग (2010-2015)	Rs. 63,050.00 करोड़
14 वें वित्त आयोग (2015-2020)	Rs. 2,00,292,.20 करोड़
15 वें वित्त आयोग (2020-2026)	Rs. 2,97,555.00 करोड़

स्त्रोत : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (22 दिसंबर 2021)

यहां पर हम एक तालिका से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 10 वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक अर्थात प्रत्येक आयोग में धनराशि की वृद्धि हुई है लेकिन जो धनराशि प्राप्त हुई और जो कार्य सौंपे गए क्या उस में समानता है? यदि तालिका पर हम नजर डालें तो कहा जा सकता है कि 10वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को 4380.93 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित हुआ। वही 15वें वित्त आयोग में धनराशि बढ़कर ₹297555 पंचायतों को आवंटित किया गया। यदि इन्हीं दोनों आयोग की तुलना करें तो पाते हैं की 15वें वित्त आयोग में आवंटित राशि 10 वें वित्त आयोग की तुलना में 68 गुना अधिक है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत यह तालिका इस बात को भी प्रमाणित करती है कि प्रत्येक वित्त आयोग में आवंटित राशि में वृद्धि किया गया जाहिर है कि आम आदमी के लिए संसाधनों की उपलब्धता को समानता के स्तर पर सुख-सुविधाओं को प्रदान करना है 14वें वित्त आयोग को देखते हैं तो 13वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग डेढ़ गुना अधिक पंचायतों को राशि आवंटित हुई। यह भी प्रमाणित करता है कृपया प्रत्येक आयोग में आवंटित राशि आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक खोज फोर्स आधार बन रहा है लेकिन यदि हम आवंटित राशि पर ही निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होगा इसके लिए हमें अर्थात पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर लगाने एवं कर राशि को संग्रहित करने के लिए पारदर्शिता के साथ काम करना होगा तभी स्वस्थ राजस्व की प्राप्ति होगी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पंचायतों के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएं : आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार पंचायतों के माध्यम से ही किया जा सकता है परंतु पंचायती राज सत्ता का वास्तविक स्थानांतरण दिखाई नहीं देता है। निसंदेह पंचायतों को आत्मनिर्भर यदि बनाने में कामयाब हो जाएं तो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को विकसित किया जा सकेगा। साथ ही ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के लिए कर के सैद्धांतिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था के साथ-साथ जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से उठकर तथा सेवा की भावना को अंगीकृत करके पारदर्शिता लाना होगा। राजनीतिक दल का झंडा लेकर तमाम वादों को पूरा के रूप में घोषणा किया जाता है परंतु जीतने के बाद उनका घोषणा रेत पर लिखे गए शब्द की तरह समाप्त हो जाते हैं। पहले जो समस्याएं देखी जाती हैं, वही जीतने के बाद समस्या दिखती ही नहीं है। आम जनता भी दो वक्त की रोटी में पंचायती गतिविधियों को ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। निश्चित रूप से पंचायतों के स्तर पर गांव की जनसंख्या को प्रत्येक स्तर पर लाभान्वित किया गया तो आत्मनिर्भर भारत सफल होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचायती स्तर पर कुछ सुझाव -

1. गांव की गंदी नालियों से बह रहे पानी को संरक्षित कर उसका उपयोग कृषि कार्य में करके पानी की आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जा सकती है।
2. गांव के प्रत्येक घर से जो जूठन निकलता है उसे पशुओं तक पहुंचाने में एकजुटता दिखानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सके।
3. बड़े स्तर पर किसानों के अनाजों को दलालों से मुक्त करना होगा तभी किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि होगी।

4. खेतों की सिंचाई के लिए प्लास्टिक पाइप का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए की सिंचाई करने के बाद पानी को आसानी से बंद कर किया जा सके ताकि किसी दूसरे खेत के लिए वह पानी एकत्रित करके सिंचाई के काम में लाया जा सके।

चुनौतियां : पंचायतों को इतनी संवैधानिक शक्तियों के मिलने के बावजूद भी पंचायतों में पदाधिकारी अपने कार्य को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं जो ये मुख्य कारण हो सकते हैं-

1. प्राय: पंचायतों में यह देखा जाता है कि आम जनता को पंचायत के सभी नियमों या सरकारी योजनाओं से जागरूक नहीं है।
2. पंचायतों में सत्ता, शक्ति, धर्म, जाति, संप्रदाय राजनीति दल आदि के कारण पंचायती प्रणाली कठपुतली की तरह बन गई है।
3. पंचायती प्रणाली में एक लंबे समय से किसी विशेष वर्ग का वर्चस्व एवं पदाधिकारी के रूप में देखा जा रहा है।
4. शासन विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकृत होती जा रही है।
5. महिलाओं की भागीदारी व सहभागिता तथा निर्णय करने में पुरुषों की अपेक्षा स्वतंत्र नहीं है अर्थात ये पुरुषों पर आश्रित है।
6. बड़े स्तर पर तीनों पंचायतों में अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत में समन्वय का अभाव पाया जा रहा है।

निष्कर्ष - उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत को साकार बनाने में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यदि गावों में बुनियादी सुख-सुविधाओं के साथ संवैधानिक पंचायती कार्य को संपन्न किया जाय तो रोजगार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मांग व पूर्ति का सामंजस्य बना रहेगा जिससे कि जीवन यापन में कठिनाई नहीं होगी। किंतु शक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति दल, पदाधिकारी की मानसिकता, भ्रष्टाचार आदि के कारण ना तो कार्यों का पूर्ण संपादन किया जा रहा है और ना ही पारदर्शिता दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं आवंटित राशि भी भ्रष्टाचार के जाल में फंस कर कुछ ही राशि कार्यों पर व्यय किया जा रहा है। जिससे कि संपूर्ण कार्य को क्रियान्वयन करने में वित्त की समस्या बनती जा रही है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से वित्त पर विशेष ध्यान देना होगा तथा जनप्रतिनिधि सेवा भाव से कार्य को करेंगे। नहीं तो राजीव गांधी के किए गए प्रश्न यदि हम ₹1 विकास के लिए दिल्ली से भेजते हैं तो गांव स्तर पर मात्र 16 पैसे प्राप्त होते हैं ऐसे हालात में उन 84 पैसों का क्या होता है और कहां गया? यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया तो निश्चित रूप से आवंटित राशि और कार्य क्रियान्वयन में सदैव असंतुलन बना रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. *सुर, देवाशीष और प्रसाद, सौरव (*2020*):* *आत्मनिर्भर भारत अभियानय ए क्रिटिकल अप्रेजल, जर्नल, वॉल्यूम* 13
2. *आलम,अशरफ और खान, आमिर और घोषाल,नीलांजन और सतपति (*2021*) ए रिव्यू ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेल्फ रेलियंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर–*19 *सिनेरियो, जर्नल वॉल्यूम* 21
3. *जोशी,पी.एल. (*2022*). अंडर पी.एम. मोदीयइंडियाज कमिटमेंट टू एंपावरिंग वूमेन हैज नेचर बेवर्ड, आर्टिकल*
4. *शर्मा,राकेश, (*2011*). पंचायती राज– तब और अब जाहन्वी प्रकाशन, दिल्ली*
5. 73 *वां संविधान संशोधन अधिनियम–*1992
6. *सूचना का अधिकार अधिनियम–*2005
7. *बसु, डॉ.दुर्गादास* 2008*:* *भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली*
8. *माहेश्वरी, सरला,*1998*:* *नारी प्रश्न, राधाकृष्ण प्रकाशन,प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली*
9. *धवन, हरिमोहन,(*1998*). महिला सशक्तिकरण–विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन आगरा*
10. *योजना दिसंबर* 2021

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

शैक्षिक उपलब्धि एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक : एक सैद्धांतिक अध्ययन

अशोक कुमार किस्कू

शोधार्थी, (शिक्षाशास्त्र) रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 243-249

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

शोध सार - शैक्षिक उपलब्धि उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक एक व्यक्ति ने शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर को सफलतापूर्वक पूरा किया है या औपचारिक या अनौपचारिक सीखने के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त किया है। इसे ग्रेड, टेस्ट स्कोर, डिप्लोमा, डिग्री और शैक्षिक क्रेडेंशियल्स के अन्य रूपों के संदर्भ में मापा जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और कौशल का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और अक्सर शैक्षिक और व्यावसायिक सेटिंग्स में चयन और उन्नति के लिए एक मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सामाजिक–आर्थिक परिणामों की एक श्रृंखला से भी जुड़ा हुआ है, जैसे आय, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य परिणाम। ऐसे कई कारक हैं जो शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत विशेषताएँ जैसे कि बुद्धि, प्रेरणा और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ बाहरी कारक जैसे शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रभावशीलता और शैक्षिक नीतियां और अभ्यास शामिल हैं। यह आलेख शैक्षणिक उपलब्धि एवं इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है ।

कुंजी शब्द : शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय शिक्षा।

परिचय: - शिक्षा विभिन्न सीखने के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके समाज के जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनने के लिए तैयार करना है। शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं का विकास भी है **(डेवी,जे.,1938)**।शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उन्हें बदलने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है**(फ्रायर, पी.,1970)**।वास्तव में कोई शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ यह शैक्षिक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है अत: शिक्षण –अधिगम की प्रक्रिया में शैक्षिक उपलब्धि एक केंद्रीय आयाम है **अनास्तासी (1988)**I, ने शैक्षिक उपलब्धि को एक व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के स्तर के रूप में परिभाषित करता है जिसे औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

इसमें पढ़ने, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों में शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ–साथ लेखन, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच जैसे व्यावहारिक कौशल में निपुणता शामिल है। इस प्रकार शिक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि दोनों सहसंबंधित प्रक्रिया है अतः इस आलेख में शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा, शैक्षिक उपलब्धि मापन, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

शैक्षिक उपलब्धि– अवधारणात्मक समझ : शिक्षा मानव विकास का एक मूलभूत पहलू है जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान, कौशल और क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है। शैक्षिक उपलब्धि एक अवधारणा है जो प्रवीणता और योग्यता के स्तर का वर्णन करती है जिसे व्यक्तियों ने औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया है। यह अकादमिक सफलता का एक आवश्यक संकेतक है और अक्सर शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा बहुआयामी और जटिल है, जिसमें कई प्रकार के कारक शामिल हैं जो औपचारिक शिक्षा में किसी व्यक्ति की सफलता में योगदान करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि छात्रों ने शैक्षिक संस्थानों या कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है। यह औपचारिक प्रमाण पत्र, जैसे डिप्लोमा या प्रमाणपत्र द्वारा मान्यता प्राप्त ज्ञान, कौशल और दक्षताओं के अधिग्रहण का भी उल्लेख कर सकता है। कई विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है । जैसे –

- "शैक्षिक उपलब्धि उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक एक छात्र ने शैक्षिक संस्थान या कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया है" **(लिन एंड ग्रोनलुंड, 2000, पृष्ठ 4)।**
- "शैक्षिक उपलब्धि औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन है" **(अनास्तासी, 1988, पृष्ठ 501)।**
- "शैक्षिक उपलब्धि औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और दक्षताओं का अधिग्रहण है जो एक औपचारिक प्रमाण पत्र जैसे डिप्लोमा या प्रमाण पत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है" **(आर्थिक सहयोग और विकास संगठन [ओईसीडी], 2013, पृष्ठ 16)।**
- "शैक्षिक उपलब्धि वह डिग्री है जिस तक एक छात्र ने शिक्षा या प्रशिक्षण के एक विशेष चरण में अपेक्षित सीखने के परिणामों या दक्षताओं को प्राप्त किया है" **(यूरोपीय आयोग, 2018, पृष्ठ 9)।**
- "शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न विषय क्षेत्रों में ज्ञान, कौशल और क्षमताओं के मानकीकृत आकलन के आधार पर एक छात्र ने क्या सीखा है, इसका माप है" (नेशनल सेंटर फॉर **एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स [NCES], 2021)।**

शैक्षिक उपलब्धि मापन : शैक्षिक उपलब्धि को विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करके मापा जा सकता है, जिसमें मानकीकृत परीक्षण, शिक्षक मूल्यांकन और कक्षा के प्रदर्शन शामिल हैं। ये उपाय छात्रों की प्रगति का आकलन करने और उनके साथियों के साथ उनके प्रदर्शन की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षा के विभिन्न चरणों में किया जा सकता है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल या माध्यमिक शिक्षा के बाद। हालाँकि, शैक्षिक उपलब्धि केवल अकादमिक प्रदर्शन से निर्धारित नहीं होती है। यह कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रभावित होता है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षमता, प्रेरणा और सीखने की शैली में व्यक्तिगत अंतर, साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक

आर्थिक स्थिति जैसे पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। इसलिए, इसमें योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए, शैक्षिक उपलब्धि का व्यापक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। स्कूल की सेटिंग में, शैक्षिक उपलब्धि अक्सर गणित, विज्ञान या पढ़ने जैसे विशिष्ट विषयों में छात्र के प्रदर्शन को संदर्भित करती है। यह एक उपाय है कि एक छात्र ने अपने शैक्षिक कार्यक्रम में पढ़ाए गए सामग्री और कौशल में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल की है। यह वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सीखे गए ज्ञान और कौशल को लागू करने की छात्र की क्षमता का भी संकेतक है। शैक्षिक उपलब्धि का व्यक्तियों और समाज पर समग्र रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक उपलब्धि के उच्च स्तर वाले व्यक्तियों के पास बेहतर नौकरी के अवसर, उच्च आय और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। उनके समुदायों के सक्रिय और व्यस्त सदस्य होने की भी अधिक संभावना है।

अनास्तासी(1988) के अनुसार, शैक्षिक उपलब्धि का अक्सर मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, जो विशिष्ट विषय क्षेत्रों में एक छात्र के प्रदर्शन को मापता है और अन्य छात्रों के एक मानक नमूने के साथ उनके प्रदर्शन की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करता है। हालाँकि, वह नोट करती है कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण के अंकों तक सीमित नहीं है और इसमें पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल जैसे कारक भी शामिल हैं। अनास्तासी ने जोर देकर कहा कि शैक्षिक उपलब्धि विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें बुद्धि, प्रेरणा और सीखने की शैली में व्यक्तिगत अंतर, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारक शामिल हैं जो शैक्षिक अवसरों तक पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। वह नोट करती हैं कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कोर की व्याख्या करते समय इन कारकों पर विचार करना और उन्हें किसी व्यक्ति की क्षमताओं और सफलता की क्षमता के व्यापक मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक उपलब्धि को मापना शैक्षिक कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शैक्षिक उपलब्धि को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियाँ हैं, जिसमे निम्नलिखित प्रमुख हैं–

- **मानकीकृत परीक्षण**: ये परीक्षण विशिष्ट विषयों या क्षेत्रों में एक छात्र के ज्ञान और कौशल को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे आम तौर पर विभिन्न ग्रेड स्तरों पर छात्रों को प्रशासित किए जाते हैं और सीखने के परिणामों का आकलन करने और विभिन्न स्कूलों, जिलों या क्षेत्रों में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- **शिक्षक मूल्यांकन**: छात्र की उपलब्धि को मापने के लिए शिक्षक अपने स्वयं के आकलन का उपयोग कर सकते हैं। ये आकलन कक्षा के असाइनमेंट, क्विज़ या टेस्ट पर आधारित हो सकते हैं, और शिक्षक और छात्र दोनों को बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।
- **पोर्टफोलियो**: एक पोर्टफोलियो एक छात्र के काम का एक संग्रह है, जिसका उपयोग समय के साथ उनकी प्रगति और उपलब्धि को मापने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेखन, प्रोजेक्ट और अन्य असाइनमेंट के नमूने शामिल हो सकते हैं।
- **प्रदर्शन-आधारित आकलन**: ये आकलन एक छात्र की वास्तविक दुनिया के कार्यों में अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने की क्षमता को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उनमें ऐसी परियोजनाएँ, प्रस्तुतियाँ या अनुकरण

शामिल हो सकते हैं जिनके लिए छात्रों को किसी विषय या अवधारणा की अपनी समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है।

- **सर्वेक्षण और साक्षात्कार:** सर्वेक्षण और साक्षात्कार का उपयोग शिक्षा के प्रति छात्र के दृष्टिकोण और धारणा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जहां छात्रों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है या शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए।

कहने का अर्थ यह है कि शैक्षिक उपलब्धि को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का चुनाव मूल्यांकन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ–साथ उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। छात्र प्रगति और सफलता की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय डेटा के कई स्रोतों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक : शैक्षिक उपलब्धि एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ज्ञान, कौशल और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह अकादमिक सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में एक आवश्यक कारक है। शैक्षिक उपलब्धि को समझने और मापने से, शिक्षक और शोधकर्ता छात्रों के विकास और सफलता का बेहतर समर्थन कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों और समाज के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं–

- **सामाजिक आर्थिक स्थिति:** निम्न–आय वाले परिवारों के छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि के लिए आर्थिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच की कमी, निम्न–गुणवत्ता वाले स्कूल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सीमित अवसर। **(राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी केंद्र, 2020)**
- **माता-पिता की भागीदारी:** जो छात्र अपने माता–पिता से समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, उनके शैक्षणिक रूप से सफल होने की संभावना अधिक होती है। जो माता–पिता अपने बच्चे की शिक्षा में शामिल हैं, वे घर में सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं और अपने बच्चे को सफल होने में मदद करने के लिए संसाधन प्रदान कर सकते हैं। **(डेस्फोर्ज और अबूचार, 2003)**

- **स्कूल संसाधन:** शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता, जैसे कि पाठ्यपुस्तकें, प्रौद्योगिकी और पाठ्येतर गतिविधियाँ, छात्र उपलब्धि को प्रभावित कर सकती हैं। सीमित संसाधनों वाले स्कूल छात्रों को सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करने में संघर्ष कर सकते हैं। **(राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी केंद्र, 2018)**
- **शिक्षक गुणवत्ता:** शिक्षण की गुणवत्ता छात्र उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। शिक्षक जो अपने विषय के जानकार, कुशल और भावुक हैं, वे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित और प्रेरित कर सकते हैं। **(डार्लिंग-हैमंड, 2017)**

- **छात्र जुड़ाव**: जो छात्र अपने सीखने में लगे रहते हैं, उनके शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। छात्रों के जीवन के लिए दिलचस्प, चुनौतीपूर्ण और प्रासंगिक गतिविधियों के माध्यम से जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। **(फ्रेडरिक्स, ब्लुमेनफेल्ड, और पेरिस, 2004)**
- **सीखने की अक्षमता**: सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को कक्षा में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो उनकी उपलब्धि को प्रभावित कर सकता है। इन छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और आवास की आवश्यकता हो सकती है कि वे अकादमिक रूप से सफल हो सकें। **(नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसएबिलिटीज, 2020)**
- **संस्कृति और भाषा**: विविध सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के छात्रों को कक्षा में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षक जो सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों के प्रति संवेदनशील हैं, वे सभी छात्रों के लिए एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। **(गे, 2010)**
- **तनाव**: तनाव का उच्च स्तर छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तनाव विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें शैक्षणिक दबाव, सामाजिक दबाव और पारिवारिक समस्याएं शामिल हैं। लंबे समय तक तनाव से थकान, खराब एकाग्रता और याददाश्त की समस्या हो सकती है, जिससे छात्रों के लिए जानकारी सीखना और याद रखना मुश्किल हो सकता है। **(अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 2019)**
- **मानसिक स्वास्थ्य**: मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे अवसाद और चिंता का भी शैक्षिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, कम प्रेरणा का अनुभव हो सकता है और कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। वे स्कूल भी छोड़ सकते हैं या उनकी उपस्थिति दर कम हो सकती है, जो उनकी शैक्षणिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। **(मानसिक बीमारी पर राष्ट्रीय गठबंधन, 2017)**

निष्कर्ष : शैक्षिक उपलब्धि छात्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और आमतौर पर मानकीकृत परीक्षणों, ग्रेड और स्नातक दरों के माध्यम से मापा जाता है। हालाँकि, शैक्षिक उपलब्धि कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता-पिता की भागीदारी, स्कूल के संसाधन, शिक्षक की गुणवत्ता, छात्र जुड़ाव, सीखने की अक्षमता, संस्कृति और भाषा, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्रों के पास अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का अवसर है, स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन कारकों पर ध्यान दें और अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों को सहायता और संसाधन प्रदान करें। इसमें माता-पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने के कार्यक्रम, स्कूल के संसाधनों और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास, सीखने की अक्षमता और सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को दूर करने के लिए हस्तक्षेप, और तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए संसाधन शामिल हो सकते हैं। इन कारकों को संबोधित करके और छात्रों को सहायता प्रदान करके, स्कूल अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं जो सभी छात्रों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की अनुमति देता है।

संदर्भग्रंथ सूचि:

1. American Psychological Association. (2019). Stress in America™: Generation Z. Retrieved from https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2018/stress-gen-z.pdf
2. Anastasi, A. (1988). Psychological testing (6th ed.). New York: Macmillan.
3. Darling-Hammond, L. (2017). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 25, 1-41.
4. Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment: A literature review. London: Department for Education and Skills.
5. Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Kappa Delta Pi.
6. European Commission. (2018). European education and training monitor 2018. Brussels: European Commission.
7. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
8. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Herder and Herder.
9. Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice. New York: Teachers College Press.
10. Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior. Journal of Labor Economics, 24(3), 411-482.
11. Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2004). Academic performance, career potential, creativity, and job performance: Can one construct predict them all?. Journal of personality and social psychology, 86(1), 148.
12. Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
13. National Alliance on Mental Illness. (2017). Mental health conditions in children. Retrieved from https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Mental-Health-Conditions/Children-Mental-Health.

14. National Center for Education Statistics. (2018). School Characteristics Associated with High School Seniors' College Going. (NCES 2018-033). Washington, DC: U.S. Department of Education.
15. National Center for Education Statistics. (2020). Characteristics of Public and Private Elementary and Secondary Schools in the United States: Results From the 2017-18 National Teacher and Principal Survey. (NCES 2020-070). Washington, DC: U.S. Department of Education.
16. National Center for Education Statistics. (2021). Educational achievement. Retrieved from https://nces.ed.gov/programs/coe/glossary/e
17. National Center for Learning Disabilities. (2020). Learning disabilities and ADHD: Understanding the differences. Retrieved from https://www.ncld.org/ld-basics/ld-aamp-adhd-basics/learning-disabilities-and-adhd-understanding-the-differences.
18. Organization for Economic Cooperation and Development. (2013). Skills outlook 2013: First results from the survey of adult skills. Paris: OECD Publishing.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

Harassment of Women at Workplace : A Study

Dr. Maninder Kaur
Assistant professor, Business Administration, Department of Commerce,
RBS College, Agra, India

Article Info

Volume 4, Issue 3

Page Number : 250-263

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 01 June 2021

Published : 15 June 2021

ABSTRACT

Whether at home or outside, women are exploited everywhere. Even after almost 75 years of independence, the patriarchal system dominates the thinking of the common man. The common man still hesitates to give independent rights to women. There are two reasons for this: one, a large sector of our society is in the clutches of the patriarchal system, and the second reason is that, because of increasing crimes against women, society is afraid to send the women out of the house. According to the changing times, the condition of women has improved, and nowadays the number of women working outside is very high. But even at work places, persons with patriarchal thinking do not desist from exploiting women. Women are looked down upon at the workplace and are not considered equal to men. They are made to work longer hours and are paid a comparatively lower wage than men. Nowadays, ever through women come far away from home to work in administration, the commerce industry, shops, etc., but it is not easy for women to work at workplaces; they are harassed in many ways. Women at the workplace have to deal with various forms of harassment, including sexual harassment, apart from pay discrepancies, which take a toll on their health. Women at the workplace are not considered as intelligent as men, and a lack of respect for women is also seen. This type of feeling makes women physically and mentally ill. Discrimination against women at the workplace can take many forms, such as gender discrimination, unfair treatment, not believing that they can do better than their counter parts, etc., which all indicate harassment towards women. In this research paper, we will study in detail the difficulties women face at the workplace and how they are harassed.

Keywords: Harassment, Working women, Workplace, Wage, Patriarchal thinking.

Introduction - The primary issue with women's work is that it is not acknowledged. Women work to produce goods and provide services. Women work both inside and outside the house, but their labour is still not accounted for. Although women work to support their families, care for the young and elderly, and take

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

charge of the family's health, they do not always have a say in important decisions because, according to traditional thinking, they are not the family's primary source of income. When it is discovered that women work both inside the house caring for the family and working outside the home to provide for them, the traditional concept of the division of labour makes them more vulnerable. Despite this, women's work is still viewed as less important than men's. The economy does not account for the unpaid labour that women do in the home and providing for their families (Desai, 2015). New social norms were created as a result of industrialization and urbanisation, and people's way of life has altered. Due to severe societal conditions and financial hardship, women discovered that it was preferable to seek paid work outside the home. The proportion of women who abandon their homes for work has multiplied in recent years. Women were primarily employed in semi-valued jobs during the early era, such as those of attendants, cooks, domestic helpers, and agricultural workers. However, they are now increasingly being used in professional and specialised jobs as well as in services, businesses, shops, foundations, and offices. However, it is discovered that women are harassed in several ways and thus are troubled in the workplace as a method to demonstrate their position in society—a concept that is believed by patriarchy. From one perspective, this change improved women's status, while from another, it improved the country's condition. Working at home and at a job is not a simple task for women. Because of the societal, biological, and psychological circumstances, as well as the widespread illiteracy and ignorance, the issues and challenges have increased (Mir, 2003). While science and technology have made significant strides, women's conditions have largely remained unchanged over time. Women still confront a wide variety of issues at home. It is widely believed that the situation of women in this country is completely bleak. In addition to giving birth to children and being mothers and wives, women perform a variety of jobs that require them to put in additional time at the office. However, they are largely excluded from high-status jobs and places of authority. They perform a variety of odd jobs around the house, such as cooking, fixing, sewing, and washing, without being paid or shown any gratitude because those tasks are regarded as their jobs (Rai, 2002). There are numerous definitions of what constitutes work, lively discussions about this topic, and statistical data are provided for activities that are economically beneficial. According to the patriarchal viewpoint, work is economically productive; therefore, women's domestic work is not economically useful and is viewed as insignificant because it is only for the household's consumption (Sankaran, 2006).

When women accept paid work outside the house, they often encounter a variety of issues. Not only do they deal with pay disparities at work, but they also deal with a variety of forms of abuse, including sexual harassment, which increases their risk of developing health problems. Women frequently experience subtle but persistent harassment, and they are frequently viewed as being less intelligent than males. It demonstrates a lack of respect for women and indicates that they are not fairly treated. Women become physically and psychologically ill because of this feeling. Understanding prejudice against women and how it is perceived is crucial in this situation. It can take on many different forms, such as treating people unfairly because of their sexual orientation or not trusting in their ability to succeed on their own. Despite having different customs, socialisation and experiences, behaviour tendencies, and even inner lives, women from different

socioeconomic classes, educational backgrounds, and cultural backgrounds share one thing: how they are treated in the world simply for being women (Lott, 1990).

Women who are having trouble

The fact that women specifically suffer the bad impacts of differentiation and subordination in the present patriarchal system, which work against gender equity, is one of the first reasons why gender orientation relations are specifically taken into account and studied. The idea of patriarchy has been employed to explain how the biological notion of sex changed into the social phenomenon of gender. The system of masculine dominance and female subordination in the economy, society, and culture that has prevailed for a large portion of human history is known as patriarchy (Visvanathan, 1997). Women experience a variety of inequities at work, and they are also mistreated more frequently than men, which renders them defenceless. They are never given any sort of advantage if they ignore their superiors and higher authorities, and they are never given many options. In addition, there are many instances where women are denied promotions even though they are still in the majority in terms of qualifications because they are conditioned to think that they cannot advance in comparison to any male counterpart. At work, gender inequality is very evident. One problem is that women are frequently viewed as being less capable and inefficient than men. People frequently assume that a woman's success is the result of good luck or hard work. A man's is, however, due to his capacity (Landrine and A. Klonoff, 1997, p. 10).

Working women face a variety of problems that differ from woman to woman. Ladies may work for pay in their own right. For example, urban women, educated and uneducated women, single women and women with families, women in joint families or more distant families, women in traditional and modern families, and so forth, all have different problems. Indeed, working women's lives are impacted by a variety of factors, including the workplace environment, their mental states, how their family members behave, how they deal with their husbands' or other male family members' authority, how they manage their time, the type of work they do, when they work, how far their workplace is from their homes, and more. It is clear that if success for women is given the attention it deserves, progress for civilization in its entirety will follow. Every community's role for women is essential to the health of that culture. Despite playing a crucial role in development's social, cultural, economic, and political facets, women continue to face discrimination and subjugation (Thakur, 2004). In a village, women made unique contributions to agriculture, handicrafts, menial labour, and the marketing of these goods. Later, due to numerous technological changes, the structure of society changed, negatively impacting the work of women in the handicraft industries. These women were already handicapped due to a lack of training opportunities and restricted mobility (Lebra, Paulson, and Everett, 1984).

Workplace harassment of women

This definition of workplace sexual harassment of women is provided to help clarify the idea. Sexual harassment is defined as "requests for sexual favours, unwanted sexual advances, and other verbal or physical

behaviour of a sexual nature. Additionally, it can be stated that: (1) compliance with such behaviour is made either explicitly or implicitly as a term or condition of an individual's employment; (2) compliance with such conduct is used as the basis for employment decisions affecting an individual; or (3) such behaviour has the purpose or effect of reasonably interfering with the individual's work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive working environment (T). The texts of some renowned authors, including Fitzgerald, Hulin, and Drasgow (1992), demonstrate that workplace sexual harassment is a problem for a society that has significant levels of victimisation of women. It can also be said that, despite rising awareness, workplace harassment is also on the rise. The UN Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women of 1967 was only followed by CEDAW (the Convention on All Forms of Discrimination Against Women), which placed stress once more on equality of rights, respect, and human dignity. Women find it increasingly challenging to participate in all spheres of life equally with males, whether in social, economic, cultural, or political life. This hinders a nation in every manner possible and prevents it from developing. According to CEDAW's recommendation No. 12 from 1989, sexual harassment qualifies as a type of violence against women. Gender-based violence was later labelled as a form of sex discrimination by CEDAW through General Proposal No. 19 on Violence Against Women in 1992. This suggestion also pertains to the workplace: if a person is subjected to gender-specific violence, such as sexual harassment at work, the recommendation will be seriously harmed. The General Assembly Declaration on the Elimination of Violence Against Women states that this type of violence is the primary cause of the problem because it can be seen that women's rights and basic freedoms are violated (Declaration on the Elimination of Violence against Women). Internationally, sexual harassment at the workplace is now regarded as wrongdoing, and this is the result of a number of reasons. Gender equality and identity have been outlined in various texts, including the Preamble and Chapter of the United Nations. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) includes numerous references to gender equality. All of these documents, including the Universal Declaration of Human Rights as well as the constitutions of various nations, have stated that they favour gender-neutral individual equality and identity. In the social, cultural, political, and economic sectors of society today, women play significant roles. This change in emphasis towards sexual harassment is the result of humanistic and economic considerations, as it is understood that if women make up nearly half of a nation's population, the nation cannot advance until the other half of the population does so without hindrance. For this reason, it is crucial that women work, and it is even more crucial to give them a workplace that is free from hassles and secure from harassment. One of the contributing factors to poor health that arises from a hostile work environment is harassment. Another element that rises as a result of workplace insecurities is absenteeism. This won't have any beneficial effects; instead, it will only result in output loss and harm to the corporation (Srivastava, 2010). Still, it was noted that discrimination, which was a key tactic employed against women, is pervasively ingrained in India, appearing everywhere in society, workplaces, sociocultural conventions, and governmental policies, as well as within the family unit (Human Rights in India: Status Report 2012, Working Group on Human Rights in India and the UN). Working-place sexual harassment is against fundamental human rights. It is a type of violence that harms the victim's right to equitable opportunity while also being psychologically, physically,and morally wrong. The idea of "sexual harassment" predicted widespread prevalence in which women were tormented by sexual attention rather than flattered by it

(Saguy, 2003). In 1986, the US Supreme Court and a global organisation both viewed it as female segregation. For instance, the International Labour Organization (ILO) and the United Nations, through General Recommendation No. 19 (1992) of the CEDAW, embraced by the UN General Assembly in 1979, secured it as a form of sex-based discrimination (ILO, 2000).

Here are some points that can be used to discuss some of the particular duties of the state and how to hold it accountable. The state must ensure factors like non-discrimination and equality at work, as well as equitable wages and a decent standard of living for working women and their families. These are the circumstances in which the state is required to respect and safeguard the rights of women, as well as to provide favourable working conditions. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), which among other things grants rights to women workers, is a document that should be held responsible. The overemphasis on the state-citizen axis needs to be reduced, while the worker-employer axis needs to be made once again visible in the discourse and action on worker's rights for fair globalisation. According to Francie Lund, "Employers and owners of capital should be made responsible for contributing to social benefits" (Lund, 2009, p.2). The states must uphold the fundamental rights of women workers as outlined in the ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work (1998). The state must effectively implement Articles 3 and 2(2), including Article 7, using the theory that substantive equality is threatened by women's work experience. The state must also recognise "unpaid care work" as work and provide women who provide unpaid care with the same benefits as other workers in a fair and nondiscriminatory manner (2). Based on the principles of availability, accessibility, and sufficiency, the state shall develop the infrastructure and human resources necessary for the creation of child care centres. The State must encourage the study of women's workplaces and, based on the creation of safety, health, and labour regulations and their oversight mechanisms, revoke any laws that forbid or place restrictions on a woman's ability to inherit, own, rent, or lease real estate, land, technology, and other assets and resources on an individual basis. Also stated here are a few of the state's fundamental duties. The state shall immediately pass legislation establishing a minimum wage that guarantees the worker and his or her family a reasonable standard of living. In order to create a plan for its phased implementation, the state should establish a child care policy in consultation with women from a variety of backgrounds. The state must uphold the basic rights of female workers as outlined in the ILO Conventions and the ILO Decent Work Agenda, including but not limited to the ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work (1998). The notion of substantive equality generated by women's work experience shall be used by the state in the effective implementation of Articles 3 and 2(2), among others, Article 7. The state must define "unpaid care work" as employment and accord women the same rights and benefits as those accorded to other workers who perform unpaid care work. To guarantee equality, non-discrimination, and protection from violence and sexual abuse in the workplace, the state must implement legislation. Additionally, it must extend to all female workers the maternity rights outlined in ICESCR Article 10(2), (Desai, 2015,p.25). The present makeup of the "work" in the CESCR's instruments must be fully unpacked. The debate and the articles themselves do not adequately capture or include the range of experiences that women have in the workplace, despite the fact that paragraph 1 of Article 6 is wide and general enough to cover the variety of paid work. Particularly, the notion of "work" as it is currently defined

does not include the unpaid care work and household livelihood work performed by women (Desai, 2015, p. 27). According to Richard (1997), the study of gender discrimination has received the attention it deserves and has recently become a hot topic of conversation. In order to guarantee gender equality, it is imperative to offer everyone "Equality of Opportunity" and to treat men and women equally in both the political and economic spheres. According to statistics, gender discrimination is a serious problem that affects every level of society and every nation to varying degrees. It is present "in every region, at all economic developmental levels, in all political systems, and in a variety of religious, social, and cultural environments," to quote the statement.

The Constitution of India (1950) established a legal framework for harassment and sexual harassment of women and gave special consideration to women so they could exercise their rights equally with men and wouldn't encounter any obstacles when seeking justice for themselves, which would then contribute to the growth of the country. The Indian Constitution guarantees equality to all people regardless of their race, religion, sex, or place of birth, and it seeks to give everyone the same chances for a free and equal development free from bias. Since women and children are the weaker group and are used as labour force, their work is not recognised, and they are thought to be paid poorly, which has instead become a practise, the Indian Constitution pledges to establishing a welfare state and defending their rights (Mir, 2002, p. 82). In the end, the Indian Constitution and foreign obligations served as the justification for India's sexual harassment laws. The Court cited Constitutional Articles 14, 15, 19, and 21 as being misused in cases of sexual assault or harassment. Article 14 was interpreted from the viewpoint that women have the right to work with sex equity and dignity, and that these rights are offered to provide security from workplace harassment. Using Article 15 for sexual harassment was seen as sex-based discrimination. Because of male dominance and the encouragement of women to accept lower pay, including through workplace harassment, Article 19 (1) (g), which guarantees equal opportunity for all individuals to work freely, is violated. As stated by Article 21, which extends the right to exist with dignity and in a state of personal liberty and freedom under all conditions, When read in conjunction with Article 19(1)(g), which guarantees everyone an equal chance at work, it becomes clear that no one should be denied their right to life or freedom while at work. The Constitution's Article 42, which deals with establishing just and compassionate workplaces, created a framework for upcoming actions to create clear-cut legitimate arrangements against workplace sexual harassment. With its support for CEDAW, the Supreme Court highlighted the legitimate commitments made by a portion of India to keep women's rights in compliance. Tradition was crucial to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW, adopted by the UN General Assembly in 1979, establishes a motivation for member states to engage in activity to end such segregation through some action and measures, including establishing enactments denying all discrimination against women. It defines discrimination against women as any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex. General Recommendation Number 19 of CEDAW describes and condemns sexual harassment of women at work and asserts that the presence of such violence in the workplace can harm employment equity. Although the universal commitments were truly authoritative and obligatory, it is still essential to establish rules so that member states adhere to and uphold them. Thus, these international duties gained significance

and were used as catalysts by the Supreme Court to create the Vishakha Guidelines, which will be covered in more detail later.

One of the prominent case studies will be discussed here in connection to the aforementioned. Despite having a high profile, celebrity status, and being named by Business Week as one of the fifty most powerful people in India, Tarun Tejpal became well-known for sexual assault in November 2013. This case gained attention after a young journalist's email alleging sexual assault made its way around. This event happened twice in the elevator. The young journalist was a classmate of Tarun Tejpal's daughter as well as the daughter of a coworker. Her next move was to file a complaint with the managing director and request that a group be formed in accordance with the Vishaka Guidelines. Tarun Tejpal sent a written apology, which was an unqualified apology acknowledging that he had forced himself on her and that he had betrayed their long-standing bond of mutual respect and confidence. The reason Tejpal's apology letter was rejected by the victim was that he attempted to play with words and lacked judgement, rather than a lack of ethics or morality. The victim requested the formation of a committee in accordance with the Vishaka Guidelines after rejecting the letter of apology. The sufferer has already left her position at work. In these kinds of harassment cases, the victim is held accountable (Bhatnagar, 2015). For better comprehension, a few instances of workplace harassment of women are discussed below.

Several instances of workplace abuse against women

The cases of harassment and sexual harassment of women are presented here so that readers will have a better grasp of the ways in which these laws are allegedly broken.
Lena Khan v. Government of India in Air India According to regulations, flight hostesses must retire at the age of 35, but with an extension, this age can be raised to 45. However, it has been observed that people outside of India continue to work in this capacity after the age of 45. This specific action was contested as a breach of Article 14 in this situation. In its ruling, the Supreme Court ruled that this form of prejudice is not acceptable (AIR 1987 SC 1575). In a different case involving Air India v. Nargesh Mishra, the court found that the conditions of pregnancy service termination were wholly irrational and could not be permitted because they were in violation of Article 14 of the Indian Constitution. Since this would directly interfere with someone's life and restrict a natural process, it cannot be the procedure that after receiving service from her for years, her service would be ended when she becomes pregnant. Any interference in this matter would be wrong (AIR 1981 SC 1829). This was a unique circumstance that calls for debate. In the case State of Kerala v. K. Kunihipacky, it was determined that a male lecturer claimed that a female lecturer was given preference in this college because she was junior to him in position but still received a promotion before him to the position of professor in the same department. This was contested by the male professor under Article 16. The state argued that science preference for women in women's colleges was practised as a tradition and that it was advantageous that a female teacher be given preference. Women's colleges used to primarily appoint women lecturers and professors, and women's colleges used to give preferences to women. While the court ruled in favour of women and gave them preference for admission to women's colleges, it also came to the conclusion that gender inequality and seniority-based promotion cannot be ignored. The court ordered the state to

reconsider promotions based on those two criteria when the opponent provided evidence to support his promotion. Even though the court ruled that women should be given priority in women's colleges, it also stated that once a male teacher is appointed, seniority should be kept and appointments should be made on the same basis. This instance is noteworthy because it prioritised the social preferences that were already in place (AIR 1965, Ker. 108). Another case that elaborates on discrimination in government employment is C.B. Muthamma v. Union of India, where the Apex Court ruled that, in accordance with the service rule, a female employee must obtain written confirmation from the government that she is not married or that her marriage has not yet been solemnised. If she is married or plans to get married, her appointment may be refused on the grounds that she is a woman. However, a guy who is married has no such obligations, which results in discriminatory policies. The decision that men and women are equal in all positions and situations cannot be universalized; a misconception cannot be created, and in the case of a few specific occupations, a practical standpoint is required. It has also been said that the law of equality must apply where the differentiation can be seen (AIR 1979 SC, 1868). The examples presented here demonstrate the variety of workplace harassment experienced by women. Some of the court's decisions have altered some preconceptions, and while some women received just treatment, others did not. These instances demonstrated how certain cases are handled and progressed, as well as how the Indian Constitution protected some women's rights when it was properly put into practise.

The Statute of 2013 against sexual harassment of women at work (prevention, prohibition, and redress)

This Act recognises that everyone's rights to life, liberty, and gender equality are crucial and that if these are not properly implemented, a hostile work environment will result, leaving women feeling insecure. It also did not encourage women to participate in the workforce, which has a negative impact on the growth of the economy. Since sexual abuse violates women's rights to "life and liberty" and "gender equality," it is recognised as such by the Act. Students in educational institutions, medical patients, clients, employees, and customers are all affected by this. This Act gives the boss accountability when the employer must set up an internal complaints committee (ICC). A woman from a high position in the business is expected to serve as the presiding officer. There will also be two other committee members who work for the organisation. These two members must be knowledgeable about the law as well as women's liberties. There will be an additional person who is from an NGO and who should be knowledgeable about matters pertaining to sexual harassment of women at the workplace. The committee members will serve three-year terms and receive compensation as foreign members. Speaking of the Internal Complaints Committee, it has the same authority as a civil court, including the ability to issue a subpoena, compel someone to appear, and question them under oath. The investigation into any complaint must be completed within three months, and the committee's findings must result in recommendations that the employer must implement within six days. Provisions are also in place to deal with false complaints. It is imperative that the employer establish a complaints committee; otherwise, the employer risks receiving a sizable punishment. Employers have a duty and responsibility to ensure that all employees are aware of sexual harassment in the workplace and how to handle it if it does occur. The government's strong declaration that sexual harassment at work will not be allowed makes a strong statement (Shukla and Phookan, 2015, p. 357).

Comparing and contrasting the traits of the harasser and the Victim

Here, it would be pertinent to talk about some of the traits of the harasser and the target. Numerous studies and court cases have established that males are almost always the harassers and that they typically target women, who then become the victims. Men are taught to be the exact opposite: active, aggressive, and confident, while women are taught to be timid from an early age, obedient, and inert in comparison to men. In any company, men are expected to hold the top positions, and women are expected to follow them, even if they are well qualified to hold a higher position. For this reason, women sometimes feel obligated to work beneath men. The patriarchal social structures manipulate women's minds, teaching them to submit to males (Gutek et al., 1993). When it comes to victim harassment, women are more likely than men to experience it. Men being harassed is something that is supposed to be out of the ordinary, so when a man experiences harassment, it surprises everyone, both inside and outside the organisation. Here, gender discrimination is more pronounced, and society makes this distinction between men and women (Pina and Gannon, 2012). Even the perspectives of men and women have changed as a result of society. While men view talking to or engaging with men as sexy and overly friendly, women see it as normal and friendly. The changes brought about by society affect each gender differently, but prejudice is still very evident and pronounced (Lindgren, Shoda, and George, 2007). Even in their complicity, women understand that they must enable men to take advantage of them because sexual harassment is unavoidable. Although they feel bad about it, this way of thinking encourages them to tolerate workplace harassment (Gutek and Dunwoody, 1987). Though age is a factor that matters for the victim being harassed, many eminent academics have found that women experience a lot of harassment at work regardless of their position or age. According to Gutek (1985), pestering of women is most prevalent when they are young. Other women also experience harassment, but to a lesser extent than the younger women. Another significant factor for women is their marital status because, according to Gutek and Nakamura (1982), those who are married or are widows are less likely to experience harassment than those who are single, divorced, or separated. Physical attractiveness is another important component in this, as researchers have discovered that women who are more physically appealing to men than other women experience harassment more frequently (Gutek and Nakamura, 1982). Women are susceptible to control when they are in positions that belong to men, which is one of the reasons why they are harassed at work because they are not viewed as effective employees. Men tend to have more power than women in the same role in organisations where they work, despite the fact that they are supposed to receive equal pay and benefits. It conveys a feeling of disrespect for the female employees and undersells them in an effort to exert control over them (Lafontaine and Tredeau, 1986). Women generally respond mildly to these situations because victims frequently exhibit timid behaviour, reporting or disregarding the situation out of fear of being fired from their jobs and subjected to increased harassment. In general, women were found to be overlooking the situation of harassment while attempting to adjust and deal with the situation on their own. Women even create strategies on their own to try to tackle situations that result in harassment or incidences of harassment. Because they feel embarrassed and believe that they are to blame for the situation, victims of workplace harassment who put the blame on themselves withhold information about their experiences from

others (Culbertson et al., 1992). Thus, these traits are formed within the victims as a result of the numerous situations that influence how they respond.

Defining and describing sexual harassment

Harassment is any vocal or physical behaviour that unreasonably interferes with work or creates a tense, hostile, or unsafe work environment. It can take many different forms, such as sexual harassment or bullying.

Physical and vocal abuse, as well as behaviour intended to confine, humiliate, or prevent participation in routine activities for a person or group, are all examples of intimidation. A person's efficacy at work or on a personal level may be intentionally insulted. Other behaviours that may constitute intimidation include making intimidating or disparaging comments via email, letter, or verbal interaction, choosing to deface religious symbols as well as the national anthem, and making harmful and unconfirmed accusations of wrongdoing, such as harassing coworkers.

Sexual harassment is any sexual behaviour that is unwanted, hostile, or degrading to the people who are subjected to it. It can also create a dangerous work environment that makes it difficult to function. Rape, demands for sexual favours, requests for sexual favours in exchange for work security or a promotion to a better position, unwanted physical contact, the display of sexual imagery, sexually suggestive actions, or hostile sexual comments are all considered forms of sexual harassment. People of the same sex or those of different genders may engage in sexual harassment. While typically it contains a behaviour example that can be applied to a group or a specific person, The most overt form of sexual harassment in the workplace is the demand or promise for immediate or certain sexual favours in exchange for favourable treatment. A wide range of inappropriate behaviours are prohibited, such as repeatedly using sexually explicit language or making offensive allusions; displaying pornographic materials in the workplace; using profane language or jokes; making comments about someone's appearance; repeatedly inviting someone after they've declined the invitation; and considering someone else's sexual orientation as a factor. Sexual harassment is particularly reprehensible when it is connected—directly or indirectly—to various threats or promises made about future job opportunities. This occurs when a senior person takes advantage of a junior or subordinate person's position. If such a situation occurs at work, it needs to be addressed seriously (Harassment, policy on harassment, International Monetary Fund).

Instances of harassment

There are various types of sexual harassment, including physical, vocal, and nonverbal. Where physical refers to touching, unwelcome physical contact, harassing emails, and other sexually suggestive behaviors. While some sexual jokes, persistent sex questions, comments about a person's body or physical characteristics, and requests for sexual favours are instances of verbal abuse, Nonverbal communication techniques include using intimidating images or sexual imagery in photos.

Empowering female employees

India chooses to implement numerous protections for women's wellbeing, protection, and the provision of constitutional rights. Numerous publications, journals, and article reports mention the fact that women experience a variety of issues at work, including tension, discrimination, sexual harassment, and security-related issues (Martin, 1989). Women are considered to be domestic workers and sexual objects, and as a result of the establishment of patriarchy and the social standards that follow it, they are subjected to exploitation and torment (Dube, 2001). Women's advancement in the contemporary era has been demonstrated, and in the current environment, women earning money or receiving a salary has become a reality (Andal, 2002). Every level of economic and social standing has a gender gap that has been verified, and ownership and property rights prevent women from being empowered (Andal, 2002). After gaining independence, the development of women was one of the main topics of debate. In recent years, the policy approach has changed; the term "welfare" was used in the 1970s, "development" in the 1980s, and "empowerment" in the 1990s. Women should now participate in policy formation and policymaking. Women serve important roles both inside and outside of the home. They perform tedious, time-consuming tasks, and in rural areas, they even assist the men in the farming community. Many women even take on low-wage jobs to help support their families, and in rural areas, many women work long hours doing animal husbandry or forest labour. (FAO 1983) states that women make up more than 40% of the agricultural labour population in 52, or 63.4%, of its member countries. In order for women to work effectively in any organisation, certain conditions must be met, including a place where they can feel safe; however, if any woman experiences physical or emotional burdens but her male coworkers or colleagues do not, it is reasonable to assume that additional conditions are required at the workplace. so that all women can labour comfortably and without any doubt.

Conclusion

In addition to subjecting women to inequity at work, harassment prevents an organisation from improving because it causes it to struggle to deal with it, which has a negative impact on the nation's economy. As a result, harassment must be seen as unfair and its elimination from all organisations must be emphasised. Another significant issue in this work that deserves special attention is the lack of recognition or undervaluation of women in comparison to males. Women employees are found to not receive equal pay, and other forms of discrimination continue to be common. Women typically put in long hours to finish all kinds of tasks, whether they are at home or at their jobs, and as a result, they sacrifice their sleep, amusement, and other interests as well as their health and nutrition, which has a negative physical and psychological impact. However, they continue to experience discriminatory treatment, and women are still not valued equally in the workplace. Women who continue to live in a society where this mentality is prevalent begin to think that they will always have to cope with the fact that they will not be treated equally and will have to put up with all the abuse and harassment they are subjected to. A woman almost never has a completely free mind to focus on her job because she is constantly under pressure to deal with circumstances, no matter where she goes or works. Women's workplace harassment was initially not seen as a problem or something to talk about,

but later it was recognised as a trivial and unfair issue, which became one of the main topics of conversation. As the significance of this problem increased, numerous legal provisions were made to protect women from discrimination. However, it was subsequently discovered that women were still having problems as a result of laws not being implemented and women not being reported. Recent events brought new awareness and altered the situation, and as a result, laws providing security for women went into effect. Men and women are treated differently by society; this social structure needs to change, and contemporary welfare thought should be chosen instead of the traditional way of thinking. Men perceive it as a danger when women take the place that the patriarchy taught them outside the home, and they feel the need to reclaim it by using various tools that will make women feel weak and exposed. If there were no gender bias in the public sphere and in workplace settings, it would be legitimate. The chapter comes to the conclusion that the mental makeup of the male practitioner is what causes instances of improper behaviour or harassment at work. Males should have pure thoughts about their feminine counterparts from the very beginning. Society is significant in this context because it can impart new ways of thinking. Education is also essential in this situation because it is the most powerful tool for changing people's mindsets and getting them to think positively, which will be good for the country as a whole. A country's advancement is directly impacted by workplace harassment, which is not a good indication because it affects both women and men. Without a shift in people's perspectives, progress would be very slow. Additionally, strict enforcement of laws protecting victims is essential because it will not only advance justice but also give women the confidence to report cases that they are hesitant to do because of the drawn-out legal procedures and their fear of punishment.

References

1. Akhtar, Chesfeeda. (2013). Sexual Harassment at Workplace and in educational Institutions: A case study of District Srinagar, Kashmir International NGO journal Vol. 8 (3), pp. 54-60.
2. Ali, Asgar., Baig, Farheen., Baig, Sardar., Trakic, Adnan., Syah, Muzaffar., & Surajudeen, Ahmad Tijani. (2014). Sexual harassment in Malaysian Educational Institutions : Causes and solutions, proceedings of socioint14-International conference on social sciences and humanities, pp. 8-10.
3. Andal, N. (2002). Women and Indian society: Options and constraints. New Delhi: Rawat Publications.
4. Basu, Rajasri. (2012). Corridors of Power: Womens Invisibility‘, Bagchi, Nindita (Ed.) Metaphorical Visibility: an Indian Perspective. Kolkata: Gita Printers.
5. Bhatnagar, Vinita. (2015). Sexual harassment in the Workplace, Shukla, Asha & Phookan Jaya (Ed.), Crime Against Women. New Delhi: Serials Publications Pvt. Ltd, pp. 344-345.
6. Human Rights Quarterly, Vol.12, No.4, pp. 486-498.
7. Culbertson, A. L., Rosenfeld, P., Kewley, S. B., & Magnusson, P. (1992). Assessment of sexual harassment in the Navy: Results of the 1989 Navy-wide survey(No. NPRDC- TR-92-11). Navy Personnel Research And Development Center San Diego Ca.

8. Desai, Meera. (2014). New Beginnings, Women‘s Studies India a Reader, Mary E John (Ed.). London: Penguin Books, pp. 23-25.
9. Desai, Radhika. (2015). Women‘s Work Counts Feminist Arguments for Human Rights at Work. New Delhi: Systems Vision.
10. Dube, L. (2001). Anthropological explorations in gender: Intersecting fields. New Delhi: Sage Publications.
11. Fitzgerald, L.F. & Shullman, S.L. (1993). Sexual Harassment: A research analysis and Agenda for the 1990's. Journal of Vocational Behaviour, 42, pp. 5-28.
12. Fitzgerald, L.E., Hulin, C.L., & Drasgow, F. (1992). Predicting outcomes of sexual harassment: An integrated process model. Paper presented to the 2nd APA/NIOSH Conference on Stress and the Workplace. Washington DC, November.
13. Gayathri, N. & Karthikeyan, P. (2013). Work life balance in India-A social responsibility or a competitive tool. International Research Journal of Business and Management 2013: 1, pp. 103-109.
14. Gutek, B. A., & Koss, M. P. (1993). Changed women and changed organizations: Consequences of and coping with sexual harassment. Journal of Vocational Behaviour, 42(1), pp- 28-48.
15. Gutek, B. A., & Dunwoody, V. (1987). Sex Object and Worker: Incompatible Images of Women. Institute for Social Science Research.
16. Gutek, B. A., & Nakamura, C. Y. (1982). Gender roles and sexuality in the world of work. Changing boundaries: Gender roles and sexual behaviour, pp. 182- 201.
17. Harassment, policy on Harassment, International Monetary Fund. Retrieved from http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/IMFpolicysh3.pdf. Accessed on 6th March 2017.
18. Human Rights in India: Status Report. (2012). New Delhi: Working Group on Human Rights in India and the UN, p. 96.
19. Lafontaine, E., & Tredeau, L. (1986). The frequency, sources, and correlates of sexual harassment among women in traditional male occupations. Sex Roles, 15(7), pp. 433- 442.
20. Lebra, Joyce., Paulson, Joy., & Everett, Jana. (Eds.) (1984). Women and Work in India- Continuity and Change. New Delhi: Promilla & Co., pp. 20-21.
21. Lindgren, K. P., Shoda, Y., & George, W. H. (2007). Sexual or friendly? Associations about women, men, and self. Psychology of Women Quarterly, 31(2), pp.190-201.
22. Lott, B. L. (1990). Duel natures or learned behavior: The challenge to feminist psychology. In R.T. Hare-Mustin and J. Marecek (Eds.), Making a difference: Psychology and the construction of gender. New Haven, CT: Yale University Press, pp. 65-101.
23. Lund, Frankie. (2009). Social Protection, Citizenship and the Employment Relationship, WIEGO Working Paper (Social Protection) No. 10, p. 2.
24. Martin, R.A. (1989). Humour and the mastery of living: Using humour to cope with the daily stresses of growing up. In P.E. McGhee (Ed.). Humour and children's development: A guide to practical applications. New York: Haworth Press.
25. Mir, Prof. G.Q. (2002). Women Workers and the Law (1st ed.). Srinagar: Valley Book House, p. 82

26. Mir. Prof. G.Q. (2003). Women workers and Legal Protection, Kashmir University Law Review, Vol. X.
27. Pina, A., & Gannon, T. A. (2012). An overview of the literature on antecedents, perceptions and behavioural consequences of sexual harassment. Journal of sexual aggression,18 (2), pp- 209-232.
28. Rai, C.P. (2002). Working Women in India (1st ed.) Vol. 2, p. 459.
29. Richard, Anker. (1997). Theories of Occupational Segregation by Sex: An Overview International labour review, Vol. 136, pp. 315-339.
30. Saguy, A.C. (2003). What is Sexual Harassment? From Capitol Hill to the Sorbonne, Berkeley: University of California Press. p. 3.
31. Sankaran, Kamla. (2006). Women‘s work Health and Empowerment, Sarojini Naidu Centre for Womens Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Anjali Gandhi (Ed.), ISBN 81- 87879-71-8(Hb). New Delhi: Aakar Books, p. 55.
32. Shukla, Asha., & Phookan, Jaya. (2015). Crime Against Women. New Delhi: Serials Publications Pvt. Ltd.
33. Srivastava, D.K. (2010). Progress of Sexual Harassemnt Law in India, China and Hong Kong: Prognosis for further Reform, Harward International Law Journal 51, pp. 172- 174.
34. Thakur , Sarojini Ganju. (2004). Increasing Awareness for Change: A Survey of Gender and the Civil Service, Mussoorie: Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, pp. 1-2.
35. http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/expert%20brief%20costs.pdf Accessed on 8th April 2017.
36. Visvanathan. N. (1997). The Women, Gender and development Reader. London: Zed Books. p. 220.
37. Women’s Movement, International Encyclopaedia of Marriage And Family. (2003). Retrieved from http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and- sociology reform/social-reform/women‘s-movement. Accessed on 17th March 2017.

Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

खासी लोककथाओं में प्रगतिशीलता के तत्व

सेतु कुमार वर्मा
पीएचडी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 264-267
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

शोध सार (Abstract): सांस्कृतिक प्रगतिशीलता एक ऐसी अवधारणा है। जो समाज में व्याप्त रूढ़ी को छोड़ सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनाये गए व्यवहारों से प्रचलित होते हैं। दुनिया की हर संस्कृतियों में रूढ़ी और प्रगतिशीलता के तत्त्व होते हैं। वाचिक परंपरा में लोककथाएँ इनकी वाहक होती हैं। खासी समाज मातृवंशीय सामाजिक परंपरा का पालन करने वाला समाज है। खासी परंपरा में वाचिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इस शोध पत्र में हम खासी लोककथाओं के माध्यम से खासी समाज में प्रगतिशीलता के तत्वों का अध्ययन करेंगे।

संकेत शब्द (Keywords): खासी, लोककथा, प्रगतिशीलता, संस्कृति, पूर्वोत्तर

विषय विवेचन : प्रगतिशीलता की अवधारणा सांस्कृतिक रूढ़ी को चुनौती देते हुए सामूहिक और मानवीय हितों को स्थापित करती है। किसी संस्कृति में प्रचलित परम्पराएं कई बार रूढ़ी का रूप ले लेते हैं। ऐसी में कुछ संस्कृतियाँ उनका पालन करते रहते हैं और कुछ सामूहिक रूप से उनको त्यागने का प्रयास करती हैं। आदिवासी और ट्राइबल समुदायों में पारंपरिक रूप से कई ऐसे तत्त्व हैं जो बेहद प्रगतिशील हैं। ऐसा लगता है कि इनकी स्थापना आम लोगों के हित को ध्यान में रख के किया गया है। इस शोध पत्र में हम खासी लोककथाओं में प्रगतिशीलता का अध्ययन कुछ बिन्दुओं के आधार पर कर रहे हैं।

स्त्री की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हकों का अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। आज के समय में विभिन्न समाजों में स्त्री के दमन के खिलाफ आवाजें उठने लगीं हैं। इस दौर में अपने आस-पास पितृसत्तात्मक समाजों से घिरे रहने पर भी खासी समाज का अपनी मातृवंशीयता को बरकरार रखना बहुत महत्व रखता है। खासी जनजाति उन गिने चुने समुदायों में से है जो आज भी मातृवंशीय सामाजिक व्यवस्था का पालन करती हैं। "मातृवंशीय समाजों में स्त्री को सम्मान प्राप्त है तथा पुरुषों का दमन भी नहीं होता. अर्थात ये समाज स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के संदर्भ में आधुनिक मूल्यों के अधिक निकट है।"[i] वहीं पितृसत्तात्मक समाज पुरुषों के वर्चस्व और महिलाओं के दमन को प्रश्रय देता है यह तथ्य भी छुपा नहीं है। पारंपरिक रूप से ही संपत्ति और वंश स्त्री के नाम रहने से खासी महिलाएं पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत मज़बूत स्थिति में हैं। हाँ स्त्री के राजनीतिक हकों के मामले में यह समाज पिछड़ा हुआ है। Thomas Menamparampil लिखते हैं- "सदियों के अनुभव ने खासी महिलाओं को किफायती और जिम्मेदार प्रशासक बना दिया है। यद्यपि महिलाएं घर की कुशल रक्षिका है फिर भी वे राजकीय मामलों में कभी भी सक्रिय भूमिका में नहीं रहीं. इस क्षेत्र में पुरुषों का पूरी तरह से वर्चस्व था."[ii] निश्चित रूप से राजनीतिक मसलों में स्त्री के दखल पर रोक प्रगतिशील विचार नहीं कहा जा सकता. हर समाज में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं। खासी समुदाय में स्त्री को प्राप्त अन्य अधिकारों ने अपनी

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुषों के अपने–अपने अधिकार अंतत: कमोबेश एक संतुलन बनाने की कोशिश करते है। 'रेडिकल इक्वलिटी' तो नहीं किन्तु खासी समाज का ढांचा ऐसा है जिसमें स्त्री और पुरुष अपेक्षाकृत संतुलित और समानता का जीवन जीते हैं। और यह निश्चित रूप से प्रगतिशील व्यवहार है। खासी समुदाय में स्त्रियों पर इतनी चर्चा का एक कारण है खान अब्दुल गफ्फार खान का यह प्रचलित कथन– "अगर यह जानना हो कि कोई संस्कृति कितनी सभ्य है तो यह देखिये कि वह अपनी औरतों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"[iii]

प्रगतिशीलता का अर्थ ऐसी वैचारिकता से है जिसका उद्देश्य सामूहिक हितों की सुरक्षा तथा अन्यायपूर्ण परम्पराओं का विरोध है। प्रगतिशील विचार बराबरी की खोज में रहता है। जो रूढ़ हो चुका है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। इस लिहाज से खासी जनजाति की मातृवंशीयता प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से प्रगतिशील विचारों की स्थापना करती दिखती है। और इस व्यवस्था की स्थापना में एक निर्णायक भूमिका निभाती है यहाँ की लोककथाएँ. संपत्ति का अधिकार सबसे छोटी बेटी को मिले इसके लिए खासी समाज ने मिथक का विकास किया. कथा का सार यह है[iv] कि *का रेम्यू* अर्थात धरती की मृत्यु के बाद उनकी अन्त्येष्टी की जिम्मेदारी उनकी बेटियों पर आती है। सबसे बड़ी बेटी सूरज ने सबसे पहले कोशिश की. पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वह सफल नहीं हुई. इसके बाद अन्य पुत्रियां हवा, प्रकृति और पानी आती हैं और अपनी कोशिशें करती हैं लेकिन वे भी सफल नहीं होतीं. फिर आती है उनकी सबसे छोटी बेटी अग्नि. उसने सफलता पूर्वक अपनी माँ का रेम्यू की अन्त्येष्टी को संपन्न किया. संभवत: तभी से खासियों में माँ की वारिस सबसे छोटी बेटी को बनाने की प्रथा शुरू हुई. इस कथा का व्यवस्था की स्थापना और स्थायित्व में योगदान रहा होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता. इस मिथकीय कथा ने खासी आदिवासी समुदाय की स्त्रियों की बेहतर स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। परंपरागत रूप से परिवार में फैसले लेने का हक़ सबसे बड़े मामा और पिता को होते हुए भी इस प्रथा ने स्त्री के हिस्से भी कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जो संतुलन की तरफ इशारा करता है।

भारत में "अतिथि देवो भव:" मूल्य के रूप में काफी प्रचलित है। यह भारत सरकार के पर्यटन विभाग के प्रचार कार्यक्रम का हिस्सा भी रह चुका है।[v] अतिथि सत्कार के मूल्य का निर्वाह कमोबेश हर संस्कृति में किया जाता है। लेकिन अभावग्रस्तता की स्थिति में मेजवान पर मेहमान की खातिरदारी में आने वाली विपत्ति पर खुल कर चर्चा नहीं होती. अपने समाज में मैंने देखा है किसी मेहमान के अचानक आ जाने पर घर में उनके बेहतर आव–भगत के लिए लोग बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं रखते. यह भावनात्मक हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जिनकी आर्थिक स्थिति स्वयं अच्छी नहीं वे मर्यादा की रक्षा के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाते हैं। जो अमीर हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं. जो अभाव में हैं वे अनावश्यक रूप से इस मूल्य को ढोते हैं। लेकिन इस मामले में खासी समाज में प्रगतिशीलता का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। परम्परागत रूप से वे मेहमानों का स्वागत *क्वाई–तम्पौव* (पान) से करते हैं। यही समाज के हर व्यक्ति के लिए मेहमान के सम्मान का स्वीकृत साधन है। पान की सर्वसुलभता के परिप्रेक्ष्य में इसके सामाजिक रूप से अतिथि सम्मान के प्रतीक के रूप स्थापना बहुत ही प्रगतिशील समाज का पता देती है। इसके लिए खासी समुदाय में एक लोककथा प्रचलित है[vi]– दो बहुत ही जिगरी दोस्त थे, उनमें से एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत गरीब. लेकिन इसका उनकी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं था. गरीब दोस्त अमीर दोस्त के यहाँ अक्सर जाता और वहां उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती. एक दिन उसने अपने अमीर दोस्त को अपने घर आमंत्रित किया. दोस्त ने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया. एक दिन अचानक अमीर दोस्त गरीब दोस्त के घर पहुँच गया. उनके घर में उसके स्वागत के

लिए कुछ भी नहीं था. आस-पड़ोस में भी सभी उसी स्थिति में थे, किसी से कोई मदद नहीं मिली. वह शर्म से खुद को धिक्कारने लगा कि वह अपने मित्र का सत्कार नहीं कर पाया और रसोई में पड़े चाकू से उसने आत्महत्या कर ली. उसकी पत्नी ने भी इस घटना के दु:ख से उसी चाकू से अपनी जान दे दी. काफी देर हो जाने की वजह से जब उसका दोस्त रसोई आता है तो खाली पड़े बर्तनों से सारा माजरा समझ जाता है। अपने आपको इस दुखद घटना का कारण मानते हुए उसने खुद को भी उसी चाक़ू से मार लिया. उसी घर में एक चोर छिपा हुआ था. उसने सोचा अगर मैं बाहर निकला और लोगों ने पकड़ लिया तो मुझे ही इसका अपराधी माना जाएगा, और उसने भी उसी चाक़ू से आत्महत्या कर ली. इस प्रकार से चार लोगों की जान चली गयी. कथा कहती है कि स्रष्टा *यू ब्लेई* ये सब देख रहे थे. उसने कहा "आदमियों को अपने दोस्त की खातिरदारी खाने पीने की महंगी वस्तुओं से नहीं करनी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी ऐसा नहीं कर सकते. इसलिए मैं दोस्तों की खातिरदारी के लिए दूसरी ऐसी वस्तुएं बनाऊंगा जो सस्ती और सुलभ हों." और इस प्रकार उसने अमीर दोस्त रूपी सुपाड़ी, गरीब दोस्त रूपी पान का पत्ता, पत्नी रूपी चूना और चोर रूपी तम्बाकू बनाया.

गौर करने लायक है कि दोस्त की खातिरदारी सम्बन्धी इस लोककथा में मर्यादा पालन के दबाव के कारण चार लोगों की जान चली जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह समझा जा सकता है कि आतिथ्य सत्कार की मर्यादा पालन की परम्परा से खासी समाज बहुत व्यथित रहा होगा. "हालांकि प्राचीन खासी समुदाय के पास नैतिक शिक्षाओं को संग्रहित करने के लिए कोई लिपि नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी नैतिक मानदंडों को लोककथाओं के माध्यम से बनाए रखा."[vii] यानि पूरे समाज ने मिल कर एक ऐसा फैसला लिया जो सबके सामर्थ्य में है, और इस लोककथा का विकास हुआ. गरीब हो या अमीर सबके लिए सुलभ और बराबर महत्व के सामूहिक प्रतीक की स्थापना प्रगतिशील व्यवहार का बेहतरीन उदाहरण तो है ही आदिवासी समाज के नैसर्गिक साम्यवादिता का भी प्रतीक है।

खासी लोककथाओं में *यू मनिक रायतांग* लोककथा बहुत लोकप्रिय है। वाचिक रूप में मानस में बसी इस कथा का 1899 ई. में पहली बार लिपिकरण होने के बाद से अब तक इसपर नाटक, कविता, लघु उपन्यास, दो फिल्में बन चुकी हैं।[viii] यह लोकप्रिय कथा एक प्रेम कथा है जिसमें हम आम खासी मानस में सहज प्रेम के प्रति करुणा का भाव देखते हैं। राजदरबार में भले ही इस तरह के प्रेम के विरुद्ध कठोर नियम रहे हों, आम खासी सामूहिक रूप से इस प्रेम को स्वीकार करते हैं। उसके दर्दनाक अंत पर रोते हैं और इस प्रकार के प्रेम के सम्मान में एक स्थायी प्रतीक को रच कर उसकी याद को स्थायी बना लेते हैं। कथा का सार इस प्रकार है[ix]- एक *सीएम* (राजा) बहुत दिनों से अपने राज्य के भ्रमण पर निकला हुआ था. वर्षों बीत गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आ रही थी. उसकी युवा रानी अकेलेपन के कारण अनिद्रा की शिकार हो गयी. एक रात उसने दूर से आती बांसुरी की बहुत ही मधुर तथा हृदयस्पर्शी धुन सुनी. वह उस धुन के पीछे चल पड़ी. बांसुरी बजाने वाला यू मनिक रायतांग था. रायतांग अनाथ और बहिष्कृत था. पूरे दिन राख मिट्टी से सने रहने वाला रायतांग रात में अपने सुन्दर पोशाक में अद्भुत लग रहा था. रानी को उससे प्रेम हो गया. उसने शुरुआत में मना किया लेकिन रानी के अटूट प्रेम को देखने के बाद उसे भी प्रेम हो गया. कुछ समय के बाद राजा के वापस आने का समाचार आया. रानी एक बेटे को जन्म दे चुकी थी. हर ओर सन्नाटा छा गया कि राजा क्या फैसला लेगा. राजा को यह बात नागवार गुजरा और उसने राज्य के हर पुरुष को एक केला लेकर महल में बुलाया. कहा गया कि बच्चा जिससे केला लेगा वही उसका पिता होगा. बच्चे ने किसी से केला नहीं लिया. किसी को उम्मीद नहीं थी फिर भी याद करके रायतांग को भी बुलाया गया. बच्चा उसे देखते ही हँसने लगा और केला ले लिया. राजा ने रायतांग को ज़िंदा जलाने की सजा सुनाई. अगले दिन चिता तय्यार की गयी. रानी को महल में बंद कर दिया गया. रायतांग सुन्दर पोशाक में सजा हुआ बांसुरी बजाता हुआ आता है। वहां मौजूद लोगों की भीड़ यू मनिक की मनोहारी छवि, उसके अप्रतिम संगीत तथा उसके प्रेम के त्रासद अंत से अभिभूत हो रो पड़ी. रानी भी बिल्ली के

पैरों में पाजेब बाँध खिड़की से कूद उसी चिता के पास आ गयी. मनिक ने अपनी बांसुरी को पास में ही जमीन में उलटा गाड़ दिया. और दोनों अग्नि में कूद गए. हर दिशा में रुदन–चीत्कार और हलचल मच गयी. उस पहाड़ी पर जिस जगह उन दो प्रेमियों ने मृत्यु का वरण किया था, आज भी वहाँ पर उल्टे बांस के झुरमुट विद्यमान हैं। ये नीचे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं, ये बांस उसी बांसुरी से जन्मे हैं

इस कथा में दरबार की कठोरता अमानवीय है। लोक इसका सीधा विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अपनी भावना के साथ वह इन प्रेमियों के साथ ही है। रानी के अकेलेपन का जिम्मेदार राजा था. उसकी जरूरतों से खासी समाज वाकिफ था. मनिक के साथ उसके सम्बन्ध को समाज ने अपनी सामूहिक स्वीकृति अपने सामूहिक रुदन से दे दी. खासी जनजाति के प्रगतिशील विचार का यह खूबसूरत पक्ष निश्चित रूप से महत्वपुर्ण है। इतना ही नहीं इस प्रेमकथा से जुड़ा उल्टे बांस के झुरमुट वाले प्रतीक के माध्यम से यह आज भी खासी समाज में सहज मानवीय प्रेम की स्वीकार्यता को स्थापित करती है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि खासी जनजाति ने जिस सामाजिक व्यवस्था को आत्मसात किया है वहीं से स्वाभाविक रूप से प्रगतिशीलता उनके व्यवहार में समा गयी. स्त्री को पारंपरिक रूप से राजनीतिक अधिकार नहीं मिलना निराशाजनक है। लेकिन आर्थिक विशेषाधिकार से इसकी क्षतिपूर्ति होती हुई दिखती है। इस जनजाति के मूलभूत गुण में समानता की इच्छा देखी जा सकती है। स्त्री–पुरुष, अमीर–गरीब सभी के समानता की यह भावना निचित रूप से प्रगतीशील विचार का उदाहरण है।

सन्दर्भ सूची:

[i]. शर्मा श्रीनाथ, 'जनजातीय समाजशास्त्र' मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2005 पृष्ठ 22

[ii]. Thomas Menamparampil, 'An Introduction to North-East India', Peace Centre, Guwahati, 2013, Page 4

[iii]. इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित कथन

[iv]. खरमाओफिलांग डेज्मंड, गुप्ता रमणिका (अनुवाद), 'महा माँ धरती(रेम्यू)', गुप्ता रमणिका (संपा.) पूर्वोत्तर आदिवासी सृजन मिथक एवं लोककथाएं' नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 29-33

[v]. Shah Niranjan, 'Athithi devo bhava is an expression from Taittirya Upnishad', www.indiatribune.com

[vi]. फिल्मिका, 'क्वाई–तम्पौव', गुप्ता रमणिका (संपा.) पूर्वोत्तर आदिवासी सृजन मिथक एवं लोककथाएं' नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 144-145

[vii]. Mawrie Barnes L, 'the khasis and their natural environment' Vendrame Institute Publication, Shillong, 2009 Page 63

[viii]. Lamare Sylvanus, 'Orality and Beyond: the story of U Manik Raitong', Sen Soumen (editor) 'orality and beyond' sahitya akademi, new delhi, 2007, page 6

[ix]. सावियान विजोया,'यू मनिक रायतांग, कैस अकील (अनुवाद) गुप्ता रमणिका (संपा.) पूर्वोत्तर आदिवासी सृजन मिथक एवं लोककथाएं' नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 149-152

Publisher

Technoscience Academy

Website : www.technoscienceacademy.com
Email: info@technoscienceacademy.com

Email: editor@shisrrj.com